ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

जनवरी 2026
वर्ष : 08 | अंक : 01

dhyeyaias.com

इस अंक में ...

- ध्रुव टैग सेवा
- शांति अधिनियम 2025
- सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025
- भारतीय प्रधानमंत्री की जार्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा
- ऑपरेशन सागर बंधु
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) संरक्षण
- सिलीसेढ़ झील एवं कोपरा जलाशय रामसर सूची में
- ध्रुव64 माइक्रोप्रोसेसर
- ब्लूबर्ड संचार उपग्रह
- श्योक सुरंग
- म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा सुधार
- आकाश एनजी मिसाइल
- ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी
- आईएनएस अंजदीप
- काशी तमिल संगमम 4.0
- यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली
- राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस

और भी महत्वपूर्ण विषय ...

बदलते वैश्विक परिवेश में भारत-रूस संबंध

»मुख्य विशेषताएं पावर पैक्ड न्यूज | प्री बेस्ड एमसीक्यूस | संपादकीय लेख

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH
UPSC (IAS)

Starting

27 JAN 2026

Hindi Medium - 08:30 AM
English Medium - 05:30PM

Kumud Ranjan

Faculty of Polity and Governance

(20 years experience)

Aliganj, Lucknow 9506256789

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-20

➢ **यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: वैश्विक मंच पर भारत की उभरती नेतृत्व भूमिका**
- कुपोषण संबंधी चुनौतियों पर जारी आंकड़े
- दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल
- तमिलनाडु को मिले 5 नए भौगोलिक संकेत (GI) टैग
- विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के पुनर्वर्गीकरण का मुद्दा
- हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025
- डोपिंग पर WADA की रिपोर्ट
- काशी तमिल संगमम 4.0
- उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट
- मन की बात कार्यक्रम में भारत की सभ्यतागत और समावेशी विरासत का दृष्टिकोण

2. राजव्यवस्था एवं शासन 21-45

➢ **दंड से पुनर्वास तक: भारतीय कारागार प्रणाली में सुधारित न्याय मॉडल**
- ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति (SC) लाभ समाप्त
- स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर
- भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI)
- अवैध प्रवास पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
- केंद्रीय उत्पाद संशोधन विधेयक 2025
- डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जाँच सीबीआई से कराने का निर्देश
- दल-बदल कानून सुधार पर निजी विधेयक
- इंडिया पोस्ट ने शुरू किया ध्रुव टैग सेवा
- कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- ज़बरन नार्को टेस्ट असंवैधानिक
- शांति विधेयक (परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025)
- सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025
- संसद से पारित हुआ निरसन और संशोधन विधेयक 2025
- उच्चतम न्यायालय का बाल तस्करी के सन्दर्भ में निर्देश
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर कैग ऑडिट रिपोर्ट
- प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 46-63

➢ **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत–रूस रणनीतिक साझेदारी: महत्त्व और निहितार्थ**
- 23वां भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन
- भारत 2026–27 के लिए आईएमओ परिषद में पुनः निर्वाचित
- ऑपरेशन सागर बंधु
- ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध
- मेक्सिको द्वारा भारत पर 50% तक टैरिफ
- भारतीय प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा
- भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
- भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा
- थाईलैंड–कंबोडिया ने संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए
- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 64-78

➢ **अरावली पर्वतमाला संरक्षण: पर्यावरणीय सुरक्षा, न्यायिक हस्तक्षेप और सतत विकास की चुनौती**
- सिलीसेढ़ झील एवं कोपरा जलाशय रामसर सूची में शामिल
- यूएनईए में भारत का प्रस्ताव अपनाया गया
- कैरिबियन में प्रवाल भित्तियों का तीव्र क्षरण
- औद्योगिक युग पूर्व काल के बाद जैव-विविधता ह्रास
- प्लास्टिक प्रदूषण पर रिपोर्ट
- आक्रामक प्रजातियों का भारत के प्राकृतिक पारितंत्र पर प्रभाव
- ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट
- भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य को सक्षम बनाने का रोडमैप
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) संरक्षण

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79-92

➢ **ब्लूबर्ड-6 प्रक्षेपण: भारत के अंतरिक्ष व्यावसायीकरण की नई दिशा**
- सौर चुम्बकीय गतिविधि का अन्वेषण
- प्रारंभिक ब्रह्माण्ड में सर्पिल गैलेक्सी की खोज
- भारतीय हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ
- कम उम्र में होने वाले मुख कैंसर पर शोध
- डब्ल्यूएचओ के GLP-1 वज़न-कमी दवाओं पर नए दिशानिर्देश
- भारत में ओज़ेम्पिक (Ozempic) लॉन्च
- प्रोजेक्ट सनकैचर
- माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64
- मलेरिया मामलों पर आईसीएमआर रिपोर्ट 2025

6. आर्थिकी 93-106

➢ **भारत में मुद्रा अवमूल्यन: कारण, परिणाम और आर्थिक स्थिरता के निहितार्थ**
- पश्चिम बंगाल में मनरेगा का पुनः आरम्भ
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक
- भारत के जीडीपी सांख्यिकी को 'सी-ग्रेड'
- श्योक सुरंग
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)
- रोजगार पर एनसीएईआर की रिपोर्ट
- सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा सुधार
- आईसीटी शुल्क और सौर सब्सिडी पर चीन की आपत्ति
- भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 107-121

➢ **जैव-आतंकवाद और जैव-सुरक्षा: भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जैविक हथियार सम्मेलन की प्रासंगिकता**
- भारतीय नौसेना ने आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया
- डीआरडीओ की नई रॉकेट-स्लेड इजेक्शन टेस्ट प्रणाली
- पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट 'DSC A20'
- आईएनएएस 335 'ऑस्प्रे'
- आईएनएस अंजदीप
- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)
- आकाश एनजी मिसाइल
- ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS)
- सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से एकीकृत किया
- राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी)

पावर पैक्ड न्यूज 122-134

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 135-143

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: वैश्विक मंच पर भारत की उभरती नेतृत्व भूमिका

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage–ICH) के संरक्षण हेतु अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। छह दिनों तक चले इस सत्र का भारत में पहली बार आयोजन होना, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक विरासत शासन में भारत की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को रेखांकित करता है।

इस सत्र के दौरान भारत के प्रमुख पर्व दीपावली (दीवाली) को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही यह भारत का 16वाँ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व बन गया। यह आयोजन भारत की मूर्त (tangible) और अमूर्त (intangible) विरासत के समन्वय को दर्शाता है तथा उसकी सभ्यतागत गहराई को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है।

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) में परंपराएँ, प्रदर्शन कलाएँ, अनुष्ठान, शिल्प, भाषाएँ, पर्व-त्योहार तथा अन्य गैर-भौतिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग मानते हैं।
- यह समिति नीतिगत संवाद, सूचीकरण, निगरानी तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से तीव्र वैश्वीकरण के दौर में जीवंत विरासत के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है।
- यह सत्र विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय रहा क्योंकि भारत ने पहली बार इस समिति की मेज़बानी ऐतिहासिक लाल किले में की, जो सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

20वें सत्र के प्रमुख परिणाम:

- **प्रमुख अभिलेखन और मान्यताएँ:** भारत के प्रकाश पर्व दीपावली (दीवाली) को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, जिससे इसके सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रतीकात्मक वैश्विक महत्त्व को मान्यता मिली।
- **नामांकन और सूचीकरण की व्यापकता:** इस सत्र में विभिन्न देशों से प्राप्त बड़ी संख्या में विरासत नामांकनों की समीक्षा की गई तथा कई नए तत्वों को यूनेस्को की सूचियों में शामिल किया गया, जिससे विश्व की जीवंत परंपराओं की विविधता परिलक्षित हुई।
- **भविष्य के सत्रों से संबंधित निर्णय:** समिति ने निर्णय लिया कि 21वाँ सत्र 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच श्यामेन (Xiamen), चीन में आयोजित किया जाएगा, जो वैश्विक सहभागिता और क्षेत्रीय संतुलन को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि:

- वैश्वीकरण, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण और सीमित संसाधनों के कारण जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं पर बढ़ते खतरे को देखते हुए, यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में आयोजित अपने 32वें महासम्मेलन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण

हेतु अभिसमय (Convention) को अपनाया।

- इस अभिसमय ने यह स्वीकार किया कि मौखिक परंपराएँ, प्रदर्शन कलाएँ, अनुष्ठान, सामाजिक प्रथाएँ, शिल्पकला तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ सांस्कृतिक पहचान की रीढ़ हैं, किंतु संस्थागत संरक्षण के अभाव में वे असुरक्षित बनी रहती हैं।
- इस अभिसमय की एक प्रमुख विशेषता इसका समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें स्वदेशी समुदायों, समूहों और व्यक्तिगत साधकों को संरक्षण प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया।
- इसने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:
  - » मूर्त और अमूर्त विरासत की पारस्परिक निर्भरता
  - » अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहायता की आवश्यकता
  - » पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण का महत्त्व, विशेषकर युवाओं के बीच
- इस अभिसमय ने निम्नलिखित की आधारशिला रखी:
  - » यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियाँ
  - » अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर-सरकारी समिति का कार्य

2003 के अभिसमय के उद्देश्य:

- यह अभिसमय निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है:
  - » अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
  - » समुदायों, समूहों और व्यक्तियों की विरासत के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना
  - » स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना
  - » वैश्विक सहयोग और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना

अंतर-सरकारी समिति के कार्य:

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर-सरकारी समिति, अभिसमय के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख कार्य हैं:
  - » अभिसमय के उद्देश्यों की निगरानी और प्रोत्साहन
  - » अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं की अनुशंसा
  - » अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कोष के उपयोग हेतु योजनाओं की तैयारी
  - » अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का संचालन करना
  - » संचालनात्मक दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करना और उनका अद्यतन
  - » राज्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों की समीक्षा
  - » यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में तत्वों के अभिलेखन पर निर्णय लेना
  - » अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रदान करना

भारत की अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो यूनेस्को की सूची में हुई शामिल

- वैदिक जप की परंपरा (2008)
- रामलीला: रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (2008)
- कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (2008)
- रम्मन, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर (2009)
- मुडियेट्टु, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य-नाटिका (2010)
- कालबेलिया लोक गीत और नृत्य (2010)
- छऊ नृत्य (2010)
- लद्दाख का पवित्र बौद्ध जप (2012)
- मणिपुर का संकीर्तन: गायन, ड्रमिंग और नृत्य अनुष्ठान (2013)
- पंजाब का ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प (2014)
- योग (2016)
- नवरोज़ (2016)
- कुंभ मेला (2017)
- कोलकाता की दुर्गा पूजा (2021)
- गुजरात का गरबा (2023)
- दीपावली (2025)

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत: एक राष्ट्रीय एवं वैश्विक धरोहर:

- भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत संसाधन है।
  - » **सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भाषाई, क्षेत्रीय, जनजातीय, धार्मिक और सामुदायिक पहचानों को संरक्षित करता है तथा विविध समाज में सामाजिक एकता और बहुलता को सुदृढ़ करता है।
  - » **आजीविका एवं शिल्प अर्थव्यवस्था:** पारंपरिक शिल्प, लोक कलाएँ, अनुष्ठान और सांस्कृतिक पर्यटन लाखों कारीगरों और कलाकारों की आजीविका का आधार हैं, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में। अमूर्त सांस्कृतिक

विरासत (ICH) का संरक्षण समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देता है।

- **शिक्षा एवं ज्ञान का हस्तांतरण:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, मौखिक इतिहास, शिल्प तकनीकें और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ समाहित हैं, जो शिक्षा को समृद्ध करती हैं और पीढ़ीगत निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति एवं सॉफ्ट पावर:** पर्व-त्योहार, नृत्य, शिल्प और अनुष्ठान भारत के मूल्यों और विविधता को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे सॉफ्ट पावर, जन-जन संपर्क और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव सशक्त होता है। यूनेस्को सत्र की मेज़बानी ने इस प्रभाव को और विस्तार दिया।
- **वैश्विक विरासत नेतृत्व:** भारत की सक्रिय भूमिका, समानता-आधारित और समुदाय-संवेदनशील वैश्विक विरासत शासन को सुदृढ़ करती है, जिससे वह विकासशील देशों की एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भारत के प्रयास:

- संरक्षण प्रयासों को संस्थागत रूप देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने "भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की योजना" प्रारंभ की।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - साधकों, संस्थानों, विद्वानों और समुदायों का पुनरोद्धार
  - दस्तावेज़ीकरण, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सूचीकरण, कार्यशालाओं, प्रदर्शनों और प्रशिक्षण को समर्थन
  - यूनेस्को नामांकन डॉसियर तैयार करने में सहायता
  - शिक्षा–संस्कृति समन्वय को बढ़ावा
  - राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता ढाँचा (NVEQF) के अंतर्गत कौशल विकास सहायता
- इसके अतिरिक्त, संगीत नाटक अकादमी (SNA) क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है, साधकों को प्रशिक्षित करती है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाती है।

यूनेस्को द्वारा अभिलिखित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

भारत 2003 के अभिसमय का राज्य पक्ष है और अब उसके 16 तत्व यूनेस्को की ICH सूची में शामिल हैं, जिनमें नवीनतम दीपावली (2025) है।

- **भारत के अभिलिखित तत्वों का संक्षिप्त विवरण**
  - **पर्व एवं अनुष्ठान**
    - रामलीला (2008)
    - राम्मण (2009)
    - कुंभ मेला (2017)
    - दुर्गा पूजा (2021)
    - गरबा (2023)
    - दीपावली (2025)
  - **प्रदर्शन कलाएँ**
    - कुटियाट्टम (2008)
    - छऊ नृत्य (2010)
    - कालबेलिया (2010)
    - मुडियेट्टू (2010)
    - संकीर्तन (2013)
  - **परंपराएँ एवं ज्ञान**
    - वैदिक मंत्रोच्चार (2008)
    - लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार (2012)
    - योग (2016)
  - **शिल्प**
    - ठठेरा समुदाय का पीतल एवं तांबा शिल्प (2014)
  - **बहुराष्ट्रीय**
    - नवरोज़ / नौरोज़ (2016)

यूनेस्को बैठक के निहितार्थ:

- **सांस्कृतिक कूटनीति एवं सॉफ्ट पावर:** सांस्कृतिक शासन में भारत का नेतृत्व उसकी वैश्विक छवि को सुदृढ़ करता है और उसे जीवंत विरासत के संरक्षक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। बैठक की मेज़बानी ने भारत की सॉफ्ट पावर और जन-कूटनीति को विशेषकर विकासशील देशों में और मज़बूती दी।

- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं नीतिगत प्रभाव:** इस बैठक ने भारत को यूनेस्को नीतियों को प्रभावित करने, समुदाय-संवेदनशील विरासत संरक्षण का समर्थन करने तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मंच प्रदान किया।
- **विरासत पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** दीपावली सहित अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं की मान्यता से विरासत पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कारीगरों, कलाकारों और स्थानीय समुदायों को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं।
- **घरेलू विरासत शासन को सुदृढ़ करना:** इस आयोजन ने ICH योजना और संगीत नाटक अकादमी जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्त्व को रेखांकित किया, जिससे दस्तावेज़ीकरण, क्षमता निर्माण और शिक्षा–संस्कृति समन्वय को बल मिला।
- **समुदाय सशक्तिकरण:** समुदायों को विरासत संरक्षण के केंद्र में रखकर, इस बैठक ने सहभागी संरक्षण की अवधारणा को सुदृढ़ किया, जिससे प्रयास अधिक समावेशी और टिकाऊ बने।

निष्कर्ष:

भारत द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की बैठक का सफल आयोजन, सांस्कृतिक शासन में उसकी उभरती नेतृत्व भूमिका, समुदाय-आधारित विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता तथा संस्कृति को सॉफ्ट पावर और कूटनीति के साधन के रूप में उपयोग करने की रणनीति को प्रतिबिंबित करता है। परंपरा और आधुनिक शासन ढाँचों के बीच सेतु बनाते हुए, भारत ने पुनः यह स्थापित किया है कि जीवंत विरासत का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक निरंतरता के लिए आवश्यक है, बल्कि वैश्वीकृत विश्व में सतत और समावेशी विकास के लिए भी अपरिहार्य है।

संक्षिप्त मुद्दे

कुपोषण संबंधी चुनौतियों पर जारी आंकड़े

संदर्भ:

भारत सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार देश में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 34% बच्चे ठिगने (Stunted) हैं, जबकि 15% बच्चे कम वज़न (Underweight) की श्रेणी में आते हैं। यह आँकड़े हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद बाल पोषण के जारी चुनौतियों को दर्शाते हैं।

पोषण ट्रैकर से प्रमुख निष्कर्ष:

- पोषण ट्रैकर एक डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। यह देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में पंजीकृत बच्चों की निगरानी करता है।
- अक्टूबर 2025 तक 6.44 करोड़ से अधिक 0–5 वर्ष आयु के बच्चों का कद और वज़न मापा गया।
- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
  - » 33.54% बच्चे ठिगने हैं (आयु के अनुरूप कम लंबाई)
  - » 14.41% बच्चे कम वज़न वाले हैं
  - » 5.03% बच्चे दुबले–पतले (Wasted) हैं (ऊँचाई के अनुपात में कम वज़न)

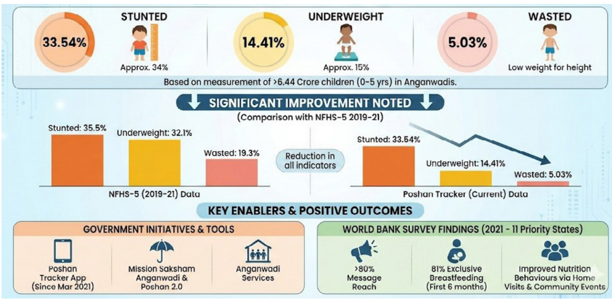

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) से तुलना (2019–21)

  - » ठिगनापन (Stunting): 35.5%
  - » कम वज़न (Underweight): 32.1%
  - » दुबलेपन (Wasting): 19.3%
- ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कुपोषण के संकेतकों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, किंतु स्थिति अभी भी चिंताजनक है।

भारत में कुपोषण का मुकाबला करने हेतु प्रमुख पोषण योजनाएँ:

योजना / पहल	प्रमुख विशेषताएँ	लक्षित समूह	उद्देश्य
मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण अभियान)	▪ आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान का एकीकरण ▪ मातृ एवं शिशु पोषण, प्रतिरक्षा, व्यवहार परिवर्तन संचार पर फोकस ▪ आंगनवाड़ी ढांचे का सुदृढ़ीकरण ▪ वास्तविक समय निगरानी के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएँ,	ठिगनापन, दुबलेपन, एनीमिया कम करना; सेवा वितरण व पोषण व्यवहार में सुधार
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)	▪ पूरक पोषण ▪ वृद्धि निगरानी ▪ टीकाकरण सहयोग ▪ स्वास्थ्य जांच ▪ पोषण एवं प्रारंभिक बाल शिक्षा	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएँ,	समग्र बाल देखभाल एवं पोषण उपलब्ध कराना
पीएम पोषण (मिड-डे मील)	▪ स्कूल बच्चों को पका हुआ भोजन ▪ पोषण, उपस्थिति और सीखने के परिणामों में वृद्धि	कक्षा 1–8 के विद्यार्थी	स्कूल पोषण में सुधार एवं भूख कम करना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	▪ गर्भावस्था व प्रसव के दौरान नकद हस्तांतरण ▪ प्रसवपूर्व देखभाल, आराम, संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ	मातृ पोषण सुधारना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर कम करना
किशोरी बालिका योजना (SAG)	▪ पोषण पूरकता ▪ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिक्षा ▪ जीवन कौशल प्रशिक्षण	11–18 वर्ष की	पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार,

राष्ट्रीय रणनीति एवं अभिसरण (नीति आयोग एवं विभिन्न मंत्रालय):

- **राष्ट्रीय पोषण रणनीति (NITI Aayog)**
  - » 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करने का लक्ष्य (SDG-2 के अनुरूप)
  - » आहार विविधता, मातृ स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल विकास पर विशेष ध्यान
  - » **उद्देश्य:** कुपोषणमुक्त भारत बनाना
- **मंत्रालयों के बीच अभिसरण**
  - » **शामिल मंत्रालय:**
    - ➢ महिला एवं बाल विकास
    - ➢ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
    - ➢ शिक्षा
    - ➢ ग्रामीण विकास
    - ➢ जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण
  - » **उद्देश्य:** पहले 1,000 दिनों से लेकर विद्यालयी आयु और किशोरावस्था तक समन्वित पोषण कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- **पोषण माह**
  - » वार्षिक राष्ट्रीय अभियान
  - » आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों व ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता
  - » पोषण जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा

निष्कर्ष:

भारत ने पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करने की दिशा में प्रगति की है, किंतु अब भी लगभग एक-तिहाई बच्चे ठिगने हैं और हर छठा बच्चा कम वज़न का है। पोषण ट्रैकर और मिशन पोषण 2.0 जैसी पहलें लक्षित हस्तक्षेप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दीर्घकालिक सुधार के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जागरूकता, स्वच्छता, आहार विविधता और गरीबी उन्मूलन पर सतत और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल

सन्दर्भ:

भारत का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व दीपावली को 2025 में यूनेस्को (UNESCO) की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की 20वीं अंतर-सरकारी समिति के सत्र में यह निर्णय घोषित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूनेस्को की इस सूची में दीवाली, भारत का 16वाँ तत्व बन गया है। यह भारत की सॉफ्ट पावर (soft power) और सांस्कृतिक कूटनीति को वैश्विक मंच पर और मजबूती देता है।

दीपावली पर्व के चयन की महत्ता?

- दीपावली भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान के विजय का प्रतीक है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यूनेस्को की सूची में शामिल होने से दीपावली की वैश्विक पहचान को मजबूती मिली है जो दर्शाता है कि यह परंपरा न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सजीव सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में जीवित है।

यूनेस्को सूची में शामिल होने के महत्व:

- **वैश्विक मान्यता और संरक्षण:** दीपावली को यूनेस्को की सूची में शामिल करने से इस उत्सव की वैश्विक पहचान स्थापित होती है और इसके पारंपरिक स्वरूप की दस्तावेजीकरण, संवर्धन और संरक्षण में सहायता मिलेगी। यूनेस्को के ढांचे से संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश, सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और भारत की सॉफ़्ट पॉवर:** इस सूची में शामिल होना भारत की सॉफ़्ट पॉवर (Soft Power) और वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है। यह भारत के "संस्कृति के विश्व प्रतिनिधित्व" को बढ़ाता है तथा वैश्विक समुदाय में भारतीय सभ्यता और उसकी परंपराओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है।
- **पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था:** दीपावली को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने से सांस्कृतिक पर्यटन को भी फायदा होगा, जिससे स्थानीय कारीगरों, उद्योगों और पर्यटन संबंधित समुदायों को आर्थिक अवसर मिल सकते हैं तथा परंपरागत कारीगरी व कला के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची:

- यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में वे सांस्कृतिक परंपराएँ, कौशल, उत्सव, मौखिक परंपराएँ, नृत्य-संगीत, सामाजिक प्रथाएँ और पारंपरिक ज्ञान शामिल होते हैं, जो पीढ़ियों से बिना भौतिक रूप में संरक्षित होकर संस्कृति की पहचान बनाए रखते हैं।
- ये वस्तुएँ नहीं बल्कि जीवित परंपराएँ होती हैं जो समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, विविधता और जीवंतता को सुदृढ़ करती हैं। यह सूची यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के माध्यम से बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक विविधता की महत्ता की जागरूकता बढ़ाना तथा इन परंपराओं के संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
- इस सूची में आमतौर पर पाँच मुख्य श्रेणियाँ शामिल होती हैं :
  - » मौखिक परंपराएँ और अभिव्यक्तियाँ
  - » प्रदर्शन कला
  - » सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान और उत्सव
  - » प्राकृतिक एवं ब्रह्मांडीय ज्ञान
  - » पारंपरिक शिल्प कौशल
- यूनेस्को की यह सूची परंपराओं को "वस्तु" के रूप में नहीं बल्कि जीवित प्रथाओं के रूप में मान्यता देती है जो सांस्कृतिक पहचान तथा विविधता को मजबूती प्रदान करती हैं।

भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) सूची में शामिल तत्व:

क्रम संख्या	तत्व का नाम (Element)	श्रेणी/प्रकार
1.	कुटियाट्टम	संस्कृत थियेटर (Performing Arts)
2.	वैदिक जप की परंपरा	मौखिक/धार्मिक परंपरा
3.	रामलीला	सामाजिक-धार्मिक प्रदर्शन
4.	रम्मण	धार्मिक उत्सव/अनुष्ठान
5.	छऊ नृत्य	लोक-नृत्य/प्रदर्शन कला

6.	कालबेलिया लोक गीत-नृत्य	लोक-नृत्य
7.	मुदियेट्टू, केरल	अनुष्ठान नाट्य/नृत्य
8.	लद्दाख का बौद्ध जप	धार्मिक अभिव्यक्ति
9.	मणिपुर का संकीर्तन	अनुष्ठान गायन/नृत्य
10.	जंडियाला गुरु	पारंपरिक शिल्प
11.	नवरोज़	त्योहार (Parsi समुदाय)
12.	योग	सामाजिक/शारीरिक-आध्यात्मिक अभ्यास
13.	कुंभ मेला	धार्मिक-सामाजिक उत्सव
14.	कोलकाता की दुर्गा पूजा	सामाजिक-धार्मिक उत्सव
15.	गुजरात का गरबा	लोक-नृत्य/त्योहार
16.	दीपावली	त्योहार/सामाजिक-धार्मिक अभिव्यक्ति

निष्कर्ष:

दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, अनूठी परंपराएँ और विश्व समुदाय के साथ सांस्कृतिक संवाद को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक जीवंतता के संरक्षण हेतु वैश्विक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

तमिलनाडु को मिले 5 नए भौगोलिक संकेत (GI) टैग

संदर्भ:

हाल ही में तमिलनाडु के पाँच नए पारंपरिक और क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किया गया है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित होती है।

नए GI टैग वाले उत्पाद:

- वीरैयूर कॉटन साड़ी
- कविंदपदी नट्टू सकराई (गुड़ पाउडर)
- नमक्कल मक्कल पथिरंगल (सोपस्टोन कुकवेयर)
- थूयामल्ली चावल (पारंपरिक चावल की किस्म)
- अम्बसमुद्रम चोप्पू सामन (लकड़ी के खिलौने)
- **महत्त्व:** इन पाँच टैगों के बाद तमिलनाडु में अब कुल 74 GI प्रमाणित उत्पाद हो गए हैं। पूरे भारत में GI टैग वाले उत्पादों की संख्या के आधार पर तमिलनाडु अब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है।

वीरैयूर कॉटन साड़ी के बारे में:

- **आवेदक:** वीरैयूर देवंगा हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी (2022)
- **उत्पादन क्षेत्र:** वीरैयूर , कोट्टाथुर , पैथमपराई और आसपास के समूह
- **बुनकर:** देवंगा चेट्टियार समुदाय
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » आकर्षक कोरवाई बॉर्डर, जिनमें रंगीन ब्लॉक पैटर्न और ज्यामितीय डिज़ाइन होते हैं।
  - » साड़ी पर आम, चूड़ी, मोती और अन्य डिज़ाइन बनाए जाते हैं।
- **ऐतिहासिक महत्व:** इसकी बुनाई की शुरुआत चोल साम्राज्य के समय मानी जाती है।

थूयामल्ली चावल के बारे में:

- **उगने वाला क्षेत्र:** तमिलनाडु में मूल रूप से पाया जाता है, वर्तमान में मुख्य रूप से कांचीपुरम में उगाया जाता है।
- **विशेषताएँ:** सुगंध भरे, चमकदार दाने, "मोती चावल" के नाम से भी प्रसिद्ध
- **फ़सल अवधि:** 135–140 दिन (नर्सरी सहित)
- **स्वास्थ्य लाभ:**
  - » फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर
  - » मधुमेह (डायबिटीज़) के लिए अच्छा क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक स्तर कम होता है।

अंबासमुद्रम चोप्पू समन (लकड़ी के खिलौने):

- **आवेदक:** अंबासमुद्रम भरणी मारा वर्णा कदासल कारीगर कल्याण संघ (पूम्पुहार के सहयोग से)
- **निर्माण क्षेत्र:** अंबासमुद्रम, तिरुनेलवेली जिला
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » आकार में छोटे और बेहद आकर्षक, चमकीले रंगों वाले खिलौने
  - » आकारों की विविधता — छोटे रसोई के बर्तनों जैसे सेट (चोप्पू समन) तथा घूमने वाले लट्टू (पम्बरम)
  - » **कच्चा माल:** पहले प्रायः कदंब, सागौन और शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता था; वर्तमान में रबरवुड और यूकेलिप्टस की लकड़ी का उपयोग भी किया जा रहा है।

नमक्कल मक्कल पथिरंगल (सोपस्टोन कुकवेयर):

- **आवेदक:** नमक्कल स्टोन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स तथा MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर
- **महत्त्व:**
  - » इमली और नींबू जैसे खट्टे पदार्थों वाला भोजन पकाने के लिए अत्यंत उपयुक्त, तथा अचार, दूध और दही को सुरक्षित रूप से रखने के लिए भी भरोसेमंद
  - » जंग नहीं लगने वाले और स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित (गैर-विषाक्त)

कविंदपडी नट्टू सक्कराई (गुड़ पाउडर):

- **आवेदक:** तमिलनाडु कृषि विपणन बोर्ड
- **विशेषताएँ:** एरोड क्षेत्र का सुनहरा भूरा, मीठा गुड़ पाउडर
- **प्रमुख उत्पादन क्षेत्र:** कविंदपडी क्षेत्र, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर प्रणाली से होती है

भौगोलिक संकेत (GI) टैग के बारे में:

- **परिभाषा:** यह किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद की पहचान को प्रमाणित करता है, जिसकी गुणवत्ता, विशिष्टता या प्रतिष्ठा सीधे उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। (उदाहरण: दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल)
- **कानूनी आधार (भारत):** वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
- **प्रशासनिक निकाय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत डीपीआईआईटी
- **रजिस्ट्री:** भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई
- **अंतरराष्ट्रीय संरेखण:** विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (TRIPS) समझौते के अनुरूप
- **वैधता:** GI टैग की अवधि 10 वर्ष होती है, जिसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है।

GI टैग के लाभ:

- **आर्थिक लाभ:** उत्पाद की बाज़ार में पहचान और कीमत बढ़ती है, निर्यात के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय किसानों, कारीगरों तथा उत्पादकों की आय में सीधा लाभ होता है।
- **सांस्कृतिक लाभ:** पारंपरिक कला, तकनीक, कौशल और क्षेत्रीय पहचान का संरक्षण होता है, जिससे स्थानीय विरासत सुरक्षित रहती है।
- **कानूनी लाभ:** उत्पाद की नकल या नाम के गलत उपयोग पर रोक लगती है, तथा असली उत्पाद को विधिक संरक्षण मिलता है।
- **विकास संबंधी लाभ:** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, कारीगरों और किसानों को स्थिर बाज़ार मिलता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के पुनर्वर्गीकरण का मुद्दा

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि वह विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT/NT/SNT) को फिर से SC, ST या OBC श्रेणियों में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

- इन समुदायों को सही सामाजिक श्रेणी में रखने और योजनाओं का लाभ दिलाने की माँग पहले से होती रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि वह अभी SC, ST या OBC सूची में इनके बदलाव पर विचार नहीं कर रही है। जबकि इदाते आयोग (2017) और मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) द्वारा किया गया अध्ययन (2023) इन समुदायों के स्पष्ट वर्गीकरण की सिफारिश कर चुके हैं, ताकि इनके विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

विमुक्त जनजातियाँ:

- विमुक्त जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के अपराध जनजाति अधिनियम के तहत "अपराधी जनजाति"

घोषित किया गया था। यह कानून कई घुमंतू समूहों को जन्म से अपराधी मानता था, जो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था।

- 1952 में यह कानून समाप्त कर इन समुदायों को "विमुक्त" घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी वे सामाजिक कलंक का सामना करते हैं, पुलिस द्वारा उत्पीड़न सहना पड़ता है, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भूमि अधिकारों से वंचित हैं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी बहुत कम मिल पाता है।
- वर्तमान में DNT, NT और SNT समुदाय विभिन्न राज्यों में SC, ST और OBC श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, जिससे लाभों की पहुँच में असमानता देखी जाती है।

मानवविज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) की सिफारिशें:

- 2019 में शुरू होकर 2023 में पूरा किया गया यह एथनोग्राफिक अध्ययन मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) द्वारा किया गया, जिसमें 268 समुदायों की जाँच की गई। अध्ययन में 85 समुदायों के नए वर्गीकरण और 9 समुदायों के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की गई।
- यह अध्ययन विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) की पहल का हिस्सा था और इदाते आयोग (2017) की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाया गया।

विशेषज्ञों और नागरिक समाज की चिंताएँ:

- सरकार के वर्तमान रुख के बावजूद निम्न प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं:
  - **वर्गीकरण में बिखराव:** अलग-अलग सूचियों (SC/ST/OBC) में विभाजित होने से लाभों की असमान प्राप्ति होती है।
  - **विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव:** DNT समुदायों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं हैं।
  - **भेदभाव और कलंक:** पहचान पत्र की कमी, पुलिस निगरानी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी आदि समस्याएँ बनी हुई हैं।
  - **मौजूदा योजनाओं की सीमाएँ:** बजट कम, क्रियान्वयन में कमी और जागरूकता का अभाव प्रभाव को कम करता है।

निष्कर्ष:

केंद्र का यह निर्णय संवैधानिक और प्रशासनिक जटिलताओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अन्याय झेल चुके DNT समुदायों के लिए सटीक डेटा संकलन, समान और लक्षित कल्याण योजनाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना अभी भी अत्यंत आवश्यक है।

हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025

संदर्भ:

हॉर्नबिल महोत्सव का 26वाँ संस्करण 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ, जो नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में छह "कंट्री पार्टनर्स" फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा और ऑस्ट्रिया तथा एक "स्टेट पार्टनर" अरुणाचल प्रदेश शामिल थे।

महोत्सव की मुख्य विशेषताएँ:

- 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव पर्यटकों को नागालैंड संस्कृति की समृद्ध विरासत और उसके समकालीन स्वरूप का जीवंत एवं मनमोहक अनुभव प्रदान करता है:
  - **जनजातीय प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक प्रदर्शन:** नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियाँ एक ही मंच पर एकत्र होकर अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत, युद्ध घोष, लोककथाओं के नाट्य रूपांतरण और विविध अनुष्ठानों का प्रदर्शन प्रस्तुत करती हैं।
  - **मोरुंग्स और हेरिटेज प्रदर्शनी:** पारंपरिक जनजातीय झोपड़ियाँ (मोरुंग) स्थापित की जाती हैं, जिनमें विरासत से जुड़ी प्राचीन वस्तुएँ, पारंपरिक कला, लकड़ी की नक्काशी, जनजातीय परिधान और सामुदायिक जीवन की झलक प्रदर्शित होती है।
  - **हैंडिक्राफ्ट्स और स्थानीय कला:** हाथ से बुने वस्त्र, मोतियों के गहने, बाँस–बेंत के शिल्प, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक आभूषण जैसी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाता है, जिससे कारीगरों और हस्तशिल्पी समुदाय को आर्थिक सहयोग मिलता है।
  - **पारंपरिक व्यंजन और खान-पान संस्कृति:** स्मोक्ड मीट, बाँस की कोपलों से बने व्यंजन, किण्वित खाद्य पदार्थ आदि जैसे स्थानीय भोजन पर्यटकों को नागालैंड के खान-पान की विशिष्ट और बहुरंगी परंपरा का स्वाद देते हैं।
  - **खेल, खेल-कूद और पारंपरिक गतिविधियाँ:** पारंपरिक खेल, कुश्ती, तीरंदाजी, ढोल वादन तथा अन्य सांस्कृतिक–खेल आयोजनों के माध्यम से आदिवासी ऊर्जा, उत्साह और सामुदायिक भावना का प्रदर्शन किया जाता है।

हॉर्नबिल महोत्सव 2025 का महत्व:

- **सांस्कृतिक संरक्षण और पुनर्जीवन:**

- यह महोत्सव नागा जनजातियों की परंपराओं, लोककथाओं, संगीत, शिल्प एवं सांस्कृतिक स्मृतियों को संरक्षित और जीवंत बनाए रखने का प्रभावी मंच है।
- 2025 के वैश्वीकरण और सांस्कृतिक समानता के बढ़ते दौर में इसकी प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
- यह पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक मूल्यों और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को नई पीढ़ी और वैश्विक समुदाय तक पहुँचाने में सहायक है।

- **पर्यटन और आर्थिक प्रभाव:**
  - अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के कारण घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
  - कारीगरों, संगीतकारों, होमस्टे संचालकों, परिवहन सेवाओं, विक्रेताओं और सांस्कृतिक कलाकारों के लिए व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।
  - उत्तर-पूर्व क्षेत्र (जो लंबे समय तक मुख्यधारा पर्यटन से दूर रहा) में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:**
  - विदेशी "कंट्री पार्टनर्स" की भागीदारी इस महोत्सव को सांस्कृतिक कूटनीति के एक प्रभावशाली मंच में परिवर्तित करती है।
  - भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करते हुए यह देश की जनजातीय विविधता, परंपराएँ और सांस्कृतिक समृद्धि को वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करता है।
  - विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच संवाद, समझ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
- **अंतर-समुदाय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण:**
  - सभी नागा जनजातियों की संयुक्त भागीदारी सामाजिक एकजुटता और "विविधता में एकता" की भावना को सुदृढ़ करती है।
  - विभिन्न जातीय समुदायों के बीच सहयोग, संवाद और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा मिलता है।
  - यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, साथ ही सांस्कृतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान भी बनाए रखता है।
- **पहचान, विरासत और जनजातीय अधिकारों का संवर्धन**
  - यह मंच ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित जनजातीय समुदायों को दृश्यता, पहचान और सम्मान प्रदान करता है।
  - मौखिक परंपराओं तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण को मजबूती मिलती है।
  - जनजातीय पहचान, इतिहास और अधिकारों के सम्मान को राष्ट्रीय विकास संवाद में और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करता है।

डोपिंग पर WADA की रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) ने 16 दिसंबर 2025 को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बताया है। वर्ष 2024 में भारत में एकत्र किए गए 7,113 नमूनों में से 260 नमूने डोपिंग के लिए पॉजिटिव पाए गए। यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा भी रखता है।

WADA रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन भारत में दर्ज किए गए।
- खेलवार आंकड़ों में एथलेटिक्स (76 मामले) सबसे आगे रहा, इसके बाद वेटलिफ्टिंग (43) और कुश्ती (29) का स्थान रहा।
- अधिक डोपिंग उल्लंघन वाले अन्य देशों में फ्रांस (91), इटली (85), रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में 76, जर्मनी (54) तथा चीन (43) शामिल हैं।
- भारत 2022 और 2023 में भी वैश्विक डोपिंग उल्लंघन सूची में शीर्ष पर रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि लगातार बनी रहने वाली समस्या है।

हाल की घटनाएं:

- जुलाई 2025 में अंडर-23 कुश्ती चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की

क्वार्टर-फाइनलिस्ट रीतिका हुड्डा का डोप टेस्ट प्रतिबंधित पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया।

- भारतीय विश्वविद्यालय खेलों के दौरान ऐसी रिपोर्टें सामने आईं कि एंटी-डोपिंग अधिकारियों की मौजूदगी के कारण कई खिलाड़ी प्रतियोगिता स्थलों पर जाने से बच रहे थे, जो खिलाड़ियों में भय, जागरूकता की कमी और कमजोर दंड व अनुपालन व्यवस्था को उजागर करता है।

भारत में डोपिंग के अधिक मामलों के कारण:

- **ताकत-आधारित खेलों का वर्चस्व:** एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेल मुख्य रूप से ताकत और सहनशक्ति पर निर्भर होते हैं, जिससे इनमें एनाबॉलिक स्टेरॉयड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों के दुरुपयोग की आशंका अधिक रहती है।
- **रोजगार और प्रदर्शन का दबाव:** सरकारी नौकरियां, नकद पुरस्कार और सामाजिक उन्नति को खेलों में सफलता से जोड़े जाने के कारण, विशेषकर युवा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के लिए जोखिम भरे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं।
- **जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी:** प्रतिबंधित पदार्थों की सूची, चिकित्सीय उपयोग छूट (TUE) की प्रक्रिया और दूषित या मिलावटी सप्लीमेंट्स के खतरों के बारे में खिलाड़ियों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती।
- **अनियंत्रित सप्लीमेंट बाजार:** बिना पर्याप्त जांच के पोषण सप्लीमेंट्स आसानी से उपलब्ध हैं, जिनमें सही लेबलिंग और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव रहता है, जिससे अनजाने में डोपिंग के मामले बढ़ जाते हैं।
- **संस्थागत सीमाएं:** परीक्षणों की संख्या बढ़ने के बावजूद, खिलाड़ियों की बड़ी और भौगोलिक रूप से बिखरी हुई संख्या के कारण राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) की निगरानी और प्रवर्तन क्षमता पर निरंतर दबाव बना रहता है।

भारत के लिए इसके प्रभाव:

- **प्रतिष्ठा को क्षति:** एक जिम्मेदार और भरोसेमंद खेल राष्ट्र के रूप में भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंचता है।
- **मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं पर प्रभाव:** बार-बार सामने आने वाले डोपिंग मामलों से बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की संभावनाएं कमजोर पड़ सकती हैं।
- **खिलाड़ियों के करियर पर संकट:** विशेषकर युवा खिलाड़ियों पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगने की आशंका रहती है, जिससे उनका करियर बाधित होता है और देश को उभरती प्रतिभाओं का नुकसान होता है।
- **अंतरराष्ट्रीय निगरानी में वृद्धि:** अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सहित वैश्विक खेल संस्थाएं भारत के एंटी-डोपिंग ढांचे पर कड़ी नजर रख रही हैं और भारत से अपनी व्यवस्थाओं में सुधार की अपेक्षा कर रही हैं।

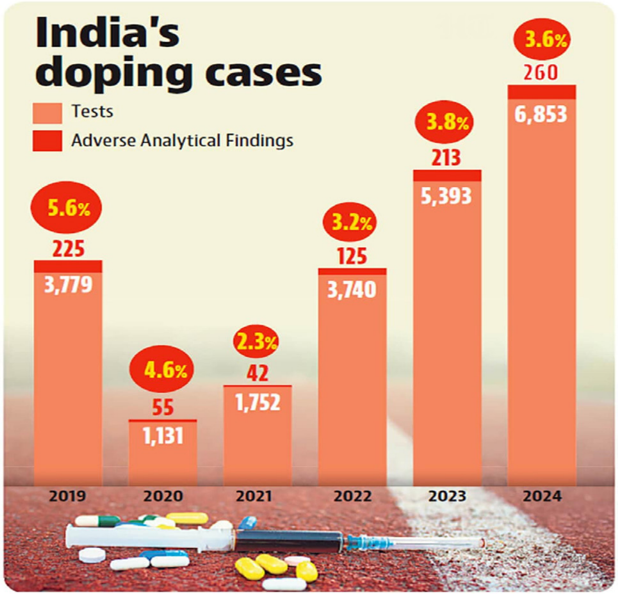

विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी के बारे में:

- विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो खेलों में डोपिंग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है, उनका समन्वय करता है और उनकी निगरानी करता है।
- **स्थापना और संरचना:**
  - **स्थापना:** 1999
  - **स्थापना का आधार:** अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और विश्व भर की सरकारों के बीच साझेदारी
  - **मुख्यालय:** मॉन्ट्रियल, कनाडा
  - **उद्देश्य:** खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना तथा खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना

निष्कर्ष:

वैश्विक डोपिंग उल्लंघनों में भारत का बार-बार शीर्ष पर बने रहना यह स्पष्ट करता है कि यह समस्या केवल कुछ गिने-चुने मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रणालीगत कमजोरियों से जुड़ी हुई है। हालांकि

अधिक परीक्षणों से डोपिंग पकड़ में आ रही है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता और शिक्षा, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, सप्लीमेंट बाजार पर कड़ा नियंत्रण और नैतिक सुधार आवश्यक हैं। यदि भारत एक वैश्विक खेल शक्ति बनना चाहता है, तो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को शासन और ईमानदारी से जुड़ी एक केंद्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा।

काशी तमिल संगमम 4.0

संदर्भ:

हाल ही में काशी तमिल संगमम 4.0 (KTS 4.0) का समापन 15 दिसंबर 2025 को हुआ। यह 2 से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। इस संस्करण की थीम "लेट्स लर्न तमिल – तमिल करकलम (तमिल करपोम)" थी। इसका प्रमुख उद्देश्य तमिलनाडु और काशी (वाराणसी) के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना है। यह पहल भारत सरकार की एक भारत–श्रेष्ठ भारत योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी समझ, सांस्कृतिक संवाद और सभ्यतागत एकता को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि:

- **शुरुआत:** काशी तमिल संगमम की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई। यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव के रूप में विकसित हुई है।
- **आयोजक:** इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ज्ञान भागीदार के रूप में सहयोग करते हैं।
- **पिछले संस्करण:** इसके पूर्व संस्करण वर्ष 2022, 2023 तथा 2025 की शुरुआत में आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं ज्ञान आधारित गतिविधियाँ प्रमुख रूप से शामिल रहीं।

उद्देश्य:

- तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंधों को और अधिक मजबूत करना।
- शिक्षा, कला तथा विरासत-आधारित गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच आपसी संपर्क एवं संवाद को प्रोत्साहित करना।
- पूरे भारत में तमिल भाषा के अध्ययन, प्रसार और उसके प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

प्रतिभागी:

- तमिलनाडु से आए 1,400 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें छात्र, शिक्षक, कलाकार, लेखक, किसान तथा आध्यात्मिक विद्वान सम्मिलित थे।
- वाराणसी एवं आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय सहभागिता एवं पारस्परिक संवाद स्थापित किया गया।

मुख्य कार्यक्रम:

कार्यक्रम	विवरण
तमिल करकलाम	बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने हेतु वाराणसी के विद्यालयों में तमिल भाषा का शिक्षण।
तमिल करपोम	काशी के विद्यार्थियों के लिए तमिलनाडु की शैक्षणिक अध्ययन यात्राएँ, जिससे वे तमिल संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो सकें।
ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान	तेनकासी (तमिलनाडु) से काशी तक प्राचीन मार्ग पर आधारित सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत यात्रा, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करती है।
सांस्कृतिक संध्याएँ	नमो घाट एवं अन्य स्थलों पर उत्तर–दक्षिण भारत की कला, संगीत और नृत्य परंपराओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ।
समापन समारोह	रामेश्वरम में आयोजित भव्य समापन कार्यक्रम, जिसमें सांस्कृतिक समन्वय और सभ्यतागत एकता का उत्सव मनाया गया।

महत्त्व:

- **सांस्कृतिक एकीकरण:** भारत की सतत और समृद्ध सभ्यतागत परंपरा को प्रदर्शित करता है तथा विविधता में एकता के मूल सिद्धांत को और अधिक सुदृढ़ करता है।
- **भाषाई प्रोत्साहन:** तमिल और हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच पारस्परिक भाषा-अध्ययन एवं भाषाई सम्मान को बढ़ावा देता है।
- **शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रभाव:** युवाओं में शैक्षणिक आदान–प्रदान, सांस्कृतिक विरासत की समझ और सभ्यतागत चेतना को सुदृढ़ करता है।
- **राष्ट्रीय एकता:** उत्तर और दक्षिण भारत के बीच स्थायी एवं सार्थक

संबंध स्थापित कर एक भारत–श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

काशी तमिल संगमम 4.0 शिक्षा, कला और साझा सभ्यतागत स्मृतियों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए भारत की समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। काशी की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और तमिलनाडु की समृद्ध साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत के समन्वय से यह संगम राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक संवाद और भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह पहल आने वाली पीढ़ियों में भारत की बहुलतावादी और समावेशी सभ्यतागत चेतना के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया है। "भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, अवसर और नीतिगत सुझाव" शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य में भारत की अब तक सीमित भागीदारी को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। साथ ही, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की भावना के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक वैश्विक, प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, वित्तीय तथा नियामक सुधारों की सिफारिशें की गई हैं।

उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ:

- रिपोर्ट में छात्रों के आवागमन (इनबाउंड–आउटबाउंड) में मौजूद गंभीर असंतुलन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है:
  - वर्ष 2024 में, भारत में अध्ययन करने वाले प्रत्येक 1 विदेशी छात्र के मुकाबले लगभग 28 भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए।
  - वर्ष 2022 तक भारत में केवल लगभग 47,000 विदेशी छात्र ही नामांकित थे, जो प्रमुख वैश्विक शिक्षा केंद्रों की तुलना में अत्यंत कम संख्या है।
- इस असंतुलन के प्रमुख परिणाम हैं:
  - प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) में निरंतर वृद्धि
  - विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा में हानि
  - वैश्विक शैक्षणिक मंच पर भारत के प्रभाव और उपस्थिति में कमजोरी

भविष्य की परिकल्पना:

- पूर्वानुमान आधारित विश्लेषणों के अनुसार, नीति आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2047 तक भारत 7.89 लाख से 11 लाख तक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने की क्षमता विकसित कर सकता है।
- अंतरराष्ट्रीयकरण को निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है:
  - शैक्षणिक गुणवत्ता और उत्कृष्टता में वृद्धि
  - वैश्विक स्तर पर अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा
  - भारत की सॉफ्ट पावर और शैक्षणिक कूटनीति का विस्तार
  - ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रधान आर्थिक विकास को गति देना

नीति आयोग द्वारा प्रमुख नीतिगत सिफारिशें

- **भारत विद्या कोश – राष्ट्रीय अनुसंधान कोष**
  - 10 अरब अमेरिकी डॉलर के एक अनुसंधान-आधारित संप्रभु कोष की स्थापना का प्रस्ताव।
  - **वित्त पोषण संरचना**
    - 50% योगदान भारतीय प्रवासी समुदाय तथा परोपकारी संस्थानों से
    - 50% समान (मैचिंग) योगदान केंद्र सरकार द्वारा
  - **उद्देश्य**
    - अत्याधुनिक और उच्च-स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देना
    - भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करना
- **विश्व बंधु छात्रवृत्ति और फेलोशिप**
  - **विश्व बंधु छात्रवृत्ति:** विदेशी छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए आकर्षित करने हेतु।
  - **विश्व बंधु फेलोशिप:** विदेशी शिक्षकों, विद्वानों और वैश्विक अनुसंधान प्रतिभाओं को भारत में कार्य और शोध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु।
  - **मुख्य उद्देश्य**
    - परिसरों में शैक्षणिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना

- ➢ वैश्विक शैक्षणिक आदान-प्रदान और सहयोग को सशक्त करना
- ➢ भारतीय संस्थानों के शैक्षणिक अलगाव को समाप्त करना

- **इरास्मस (Erasmus)+ जैसी शैक्षणिक गतिशीलता योजना**
  - » यूरोपीय संघ की इरास्मस (Erasmus)+ योजना के मॉडल पर भारत के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव।
  - » **मुख्य फोकस क्षेत्र**
    - ➢ छात्र विनिमय कार्यक्रम
    - ➢ संयुक्त और सहयोगी डिग्री कार्यक्रम
    - ➢ क्रेडिट हस्तांतरण की पारदर्शी व्यवस्था
    - ➢ सहयोगात्मक और बहु-देशीय अनुसंधान पहल
- **नियामक और संस्थागत सुधार:**
  - » **प्रस्तावित सुधार:** नियमों और प्रक्रियाओं का युक्तिसंगत सरलीकरण ताकि:
    - ➢ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित कर सकें
    - ➢ संयुक्त एवं द्वैध डिग्री कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके
  - » **पूरक विधायी और संस्थागत पहल**
    - ➢ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
    - ➢ प्रस्तावित मानक परिषद, जो उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए गैर-बाध्यकारी और मार्गदर्शक ढाँचे विकसित करेगी
- **पाठ्यक्रम, रैंकिंग और ब्रांडिंग**
  - » **पाठ्यक्रम सुधार**
    - ➢ वैश्विक शैक्षणिक मानकों और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण।
  - » **एनआईआरएफ रैंकिंग में विस्तार**
    - ➢ अंतरराष्ट्रीय संकाय की भागीदारी
    - ➢ विदेशी छात्रों की संख्या
    - ➢ वैश्विक अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग
  - » **ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान**
    - ➢ भारत को एक आकर्षक और विश्वसनीय वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु सशक्त ब्रांडिंग, प्रभावी संचार और व्यापक प्रचार रणनीतियों को अपनाने पर विशेष बल।

सिफारिशों का महत्व:

- **शैक्षणिक प्रभाव:**
  - » भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, विविधता और वैश्विक प्रासंगिकता में उल्लेखनीय वृद्धि।
  - » अंतर्विषयक शिक्षा को प्रोत्साहन तथा अनुसंधान-आधारित और नवाचारोन्मुख संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
- **आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव:**
  - » विदेशी छात्रों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि।
  - » ज्ञान अर्थव्यवस्था और नवाचार-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करना।
  - » भारत की सॉफ्ट पावर, शैक्षणिक कूटनीति और वैश्विक प्रभाव को सशक्त बनाना।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सामंजस्य:** यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है:
  - » भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना
  - » बहु-विषयक और लचीली शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना
  - » अनुसंधान-आधारित, नवाचार-प्रधान विश्वविद्यालयों का विकास

निष्कर्ष:

नीति आयोग का यह रोडमैप भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। नवाचारी वित्त पोषण तंत्र, नियामक सुधार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एक साथ जोड़कर यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को साकार करने और 2047 तक भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने की मजबूत आधारशिला रखता है।

मन की बात कार्यक्रम में भारत की सभ्यतागत और समावेशी विरासत का दृष्टिकोण

संदर्भ:

- हाल ही में 28 दिसंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 129वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित किया, जोकि वर्ष का उनका अंतिम प्रसारण था। इस संबोधन में सुरक्षा, संस्कृति, विज्ञान,

शासन और जन-केंद्रित पहलों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जो समावेशी विकास और सांस्कृतिक गौरव पर सरकार के जोर को दर्शाता है।

तमिल भाषा को लेकर पहल:

- 'मन की बात' के दौरान, प्रधानमंत्री ने घरेलू स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमिल जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में से एक, को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित किया।
- फिजी तमिल भाषा परियोजना का उद्देश्य फिजी संगम स्कूलों में तमिल शिक्षकों की तैनाती के माध्यम से गिरमिटियाओं के वंशजों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ना है।
- काशी तमिल संगमम (KTS) उत्तर-दक्षिण सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। "तमिल सीखें" (Tamil Karkalam) विषय पर इसका चौथा संस्करण, KTS 4.0, वाराणसी में हिंदी भाषी युवाओं को तमिल सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ये पहलें मिलकर भारत की सांस्कृतिक एकता, प्रवासी संपर्क , और भाषाई समावेशिता को उजागर करती हैं।

ज़ेहानपोरा-बारामूला के बौद्ध स्तूप:

- प्रधानमंत्री ने बारामूला के पास प्राचीन बौद्ध स्तूपों की खोज पर भी ध्यान आकर्षित किया, जो कश्मीर की समृद्ध और बहुल सभ्यतागत विरासत पर जोर देता है।
- ज़ेहानपोरा में कुषाण-युग का पुरातात्विक परिसर, जो लगभग 2,000 साल पुराना है, में स्तूप, मठवासी संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन और गांधार शैली की टेराकोटा कला शामिल है। प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ और चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा दौरा किया गया यह स्थल, कश्मीर के इतिहास को बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नया आकार देता है।

पार्वती गिरि:

- आगामी 77वें गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने ओडिशा की पार्वती गिरि को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक गुमनाम नायिका के रूप में याद किया।
- वह 16 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं और बाद में अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिससे उन्हें "पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा" की उपाधि मिली।
- उनके योगदान में अनाथालय स्थापित करना, आदिवासी कल्याण, कुष्ठ उन्मूलन और जेल सुधार के लिए काम करना शामिल था। उन्होंने जानबूझकर राजनीतिक पद से इनकार कर समाज की सेवा जारी रखी। 2026 में उनकी जन्म शताब्दी जमीनी स्तर के नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी और निस्वार्थ सेवा के गांधीवादी आदर्शों को उजागर करती है।

नरसपुरम लेस क्राफ्ट, आंध्र प्रदेश:

- प्रधानमंत्री ने नरसपुरम लेस क्राफ्ट की प्रशंसा एक ऐसे आदर्श मॉडल के रूप में की है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार पारंपरिक कौशल महिला-नेतृत्व वाले विकास को गति दे सकते हैं। लगभग 150 वर्ष पुरानी यह हस्तनिर्मित क्रोशिया लेस परंपरा, जिसे अब भौगोलिक संकेत (GI टैग) प्राप्त है, ग्रामीण आंध्र प्रदेश में लाखों महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रही है।
- गोदावरी नदी के तट पर स्थित नरसपुर में उत्पन्न यह शिल्प अपने जटिल और सूक्ष्म क्रोशिया डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार के सहयोग से नाबार्ड तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, डिज़ाइन नवाचार और बेहतर बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध कराई जा रही है।
- इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है तथा महिला-केंद्रित आर्थिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो रहा है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

दंड से पुनर्वास तक: भारतीय कारागार प्रणाली में सुधारित न्याय मॉडल

सन्दर्भ:

दिसम्बर माह में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हरियाणा की जेलों में राज्यव्यापी कौशल विकास केंद्रों, आईटीआई स्तर के व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का उद्घाटन किया। यह पहल भारत की जेलों की दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जहाँ अब सजा-प्रधान कारावास की बजाय पुनर्वास, सुधार और पुन: एकीकरण केंद्रित मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के नेल्सन मंडेला नियमों (UN Nelson Mandela Rules) और सुधारात्मक न्याय (correctional justice) के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समानता, रोजगारयोग्यता और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है।

आधुनिक जेलों के लिए नया दृष्टिकोण:

- **पुनर्वास के केंद्र में प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल**
  - » जेल प्रशिक्षण "भविष्य की अर्थव्यवस्था" के अनुरूप होना चाहिए। श्रम बाजार में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के चलते उन्होंने तर्क दिया कि कैदियों को ऐसे कौशल विकसित करने चाहिए जिनकी प्रासंगिकता जेल से बाहर निकलने के बाद भी बनी रहे, जैसे डिजिटल साक्षरता, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और नवीन व्यावसायिक दक्षताएँ।
  - » यह बदलाव पारंपरिक जेल-कौशलों से हटकर उच्च-मूल्य वाले कौशलों की ओर संकेत करता है, जो रोजगार क्षमता बढ़ाते हैं। उनके अनुसार लक्ष्य केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि रिहाई के बाद वास्तविक अवसर उपलब्ध कराना है।
- **उद्योग सहयोग: प्रशिक्षुता के लिए जेलों को 'गोद लेने' का मॉडल**
  - » एक मुख्य प्रस्ताव यह है कि जेलों और निजी कंपनियों के बीच गहरा सहयोग बढ़ाया जाए। उद्योग "जेलों को अपनाएँ", प्रशिक्षण दें, प्रशिक्षुता उपलब्ध कराएँ और अंततः प्रशिक्षित कैदियों को रोजगार दें।
  - » यह मॉडल पूर्व कैदियों को नौकरी देने से जुड़े कलंक को मिटा सकता है और कैदियों को संरचित कार्य अनुभव, स्थिर आय और गरिमा प्रदान कर सकता है।
- **निम्न-जोखिम अपराधियों के लिए यूके-शैली की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी**
  - » यूनाइटेड किंगडम की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली जिसमें अपराधियों को परिभाषित क्षेत्र के भीतर घर पर रहने की अनुमति देकर एक चिप और उन्नत सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। यह मॉडल सहायता करता है:
    - ➢ परिवारिक जीवन की निरंतरता
    - ➢ भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता
    - ➢ मनोवैज्ञानिक क्षति में कमी
    - ➢ बच्चों के बेहतर परिणाम, जो अक्सर मौन पीड़ा झेलते हैं
  - » यह प्रणाली निगरानी और मानवीयता के बीच संतुलन बनाती है तथा कारावास के सामाजिक प्रभाव को कम करती है।
- **खुली जेलों का विस्तार**
  - » अधिक खुली जेलों की स्थापना की आवश्यकता है। ये सुरक्षा संस्थाएँ जहाँ कैदी न्यूनतम नियंत्रण के साथ रहते हैं और उत्पादक कार्य में संलग्न होते हैं। राजस्थान में खुली जेलों की सफलता इसका उदाहरण है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें पुनरावृत्ति कम करने, जिम्मेदारी बढ़ाने और मानसिक

कल्याण के लिए प्रभावी माना गया है।

सुधारात्मक न्याय क्यों आवश्यक है?

- जब व्यक्ति बिना शिक्षा, कौशल, परामर्श या सामुदायिक समर्थन से जेल छोड़ते हैं, तो वे उपेक्षा, बेरोजगारी और अलगाव का सामना करते हैं जो उन्हें पुनः अपराध की ओर धकेल सकता है।
- जेलों या "सुधार गृहों" का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे असमानताओं को गहरा होने से रोकें। सुधारात्मक न्याय के लिए समन्वित कार्रवाई, मापनीय परिणाम और ऐसे संस्थान आवश्यक हैं जो पुनर्संरचना को प्राथमिकता दें, न कि पुनः कारावास को।

भारतीय जेलों का विधिक और प्रशासनिक ढांचा:

- **संवैधानिक प्रावधान**
    - » जेल, राज्य सूची (अनुच्छेद 7, प्रविष्टि 4) के अंतर्गत आती हैं। अतः राज्य सरकारें प्रशासन, अवसंरचना और कैदियों के प्रबंधन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।
    - » हालाँकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) नीतिगत दिशा-निर्देश, वित्तीय सहयोग और मॉडल ढाँचे प्रदान करता है ताकि राज्यों में समान मानक विकसित किए जा सकें।
- **उपनिवेशकालीन कानूनों से आधुनिक विधि तक**
    - » एक सदी से अधिक समय तक भारतीय जेलों का संचालन प्रिज़न्स एक्ट, 1894 और संबंधित राज्य नियमावली के आधार पर होता रहा, जो औपनिवेशिक नियंत्रण की मानसिकता पर आधारित था। इस ढांचे को बदलने के लिए गृह मंत्रालय ने मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023 प्रस्तुत किया।
    - » यह नया कानून:
        - ➢ औपनिवेशिक प्रावधानों को निरस्त करता है।
        - ➢ प्रिजनर्स एक्ट, 1900 और ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 को एकीकृत करता है।
        - ➢ आधुनिक, मानवीय और सुधार-केंद्रित सिद्धांतों को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है।

जेल सुधार को आकार देने वाले प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **सुहास चकमा बनाम भारत संघ (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने खुली जेलों को भीड़भाड़ कम करने और पुनर्वास हेतु प्रभावी विकल्प के रूप में मान्यता दी।
- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** इस ऐतिहासिक निर्णय ने त्वरित न्याय को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई संभव हुई।
- **मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पूर्व निर्णय:** जसबीर सिंह मामले में उन्होंने कहा कि कैदियों के लिए दाम्पत्य मिलन (conjugal visits) या कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार उनकी गरिमा का हिस्सा है, जो मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है।

Prison Reform in India: Judicial Pronouncements and Government Initiatives

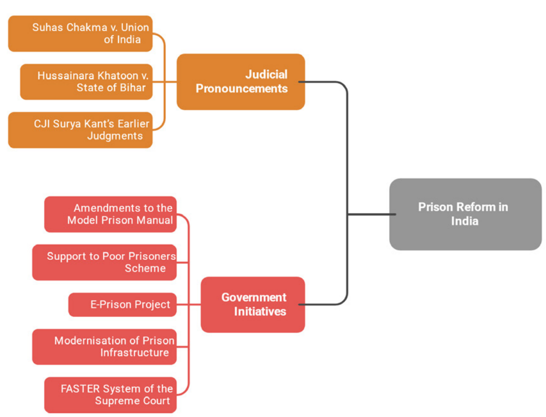

हालिया कदम और सरकारी पहलें:

- **मॉडल प्रिजन मैनुअल (2016) में संशोधन:** सुकन्या संथा बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने हेतु नियमों में संशोधन किया गया जो मानवीय व्यवहार की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कदम था।
- **गरीब कैदी सहायता योजना:** आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जुर्माना भरने या जमानत प्राप्त करने में मदद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे अनावश्यक कारावास कम होता है।
- **ई-प्रिजन परियोजना:** NIC द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय डिजिटल प्रणाली, जो कैदियों के विस्तृत रिकॉर्ड रखती है और प्रबंधन व पारदर्शिता को बेहतर बनाती है।
- **जेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण:** सुरक्षा, निगरानी और तकनीकी उपकरणों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **सुप्रीम कोर्ट की फास्टर (FASTER) प्रणाली:** FASTER (Fast and Secured Transmission of Electronic Records) यह

सुनिश्चित करती है कि जमानत आदेश तुरंत जेल अधिकारियों तक पहुँचें, जिससे रिहाई में देरी न हो।

नए जेल अधिनियम में क्या बदलाव होगा

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नए रूल	कैदियों के सुधार और रिहैब पर ध्यान
पैरोल और फर्लो देने का नया नियम	मोबाइल फोन यूज करने वाले बंदियों को सजा
अच्छे आचरण पर कैदियों की सजा माफी में बदलाव	हाई सिक्योरिटी ओपन जेल और सेमी जेल बनाना
महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधा	समय से पहले रिहाई के लिए प्रावधान

विशेषज्ञ समितियों की अनुशंसाएँ:

- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत:** "कैदी 'अव्यक्ति' नहीं हो जाता" अर्थात कैदी सभी मानवाधिकारों का अधिकारी है, सिवाय उन अधिकारों के जिन्हें न्यायोचित रूप से सीमित किया गया है और कारावास की स्वाभाविक पीड़ा को राज्य द्वारा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।
- **संसदीय समिति के सुझाव**

  बेल पर छोड़े गए अपराधियों के लिए ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग
  - ऐतिहासिक जेलों का नवीनीकरण और विरासत पर्यटन को बढ़ावा
  - कैदियों के कल्याण हेतु जेल विकास कोष की स्थापना
- **न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति**

  अखिल भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा की स्थापना
  - आफ्टर-केयर, पुनर्वास और प्रोबेशन को केंद्र में रखना
  - पारदर्शिता हेतु प्रेस और जनता को निरीक्षण की अनुमति
  - विचाराधीन कैदियों को न्यूनतम रखना और उन्हें दोषियों से अलग रखना
- **न्यायमूर्ति अमिताभा रॉय समिति**

  लंबित और छोटे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें
  - वृद्ध या बीमार कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग
  - महिला जेलों एवं ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कल्याण कार्यक्रम
  - विचाराधीन, प्रथम-अपराधी और दोषियों के बीच स्पष्ट पृथक्करण

आगे की राह:

- **डेटा-आधारित सुधारात्मक व्यवस्था:** मुख्य न्यायाधीश ने व्यवहारिक प्रगति और रिहाई बाद की स्थितियों को ट्रैक करने पर बल दिया है। डेटा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता मापने, सुधारों को दिशा देने और पुनरावृत्ति कम करने में मदद करता है।
- **मानवीय दंड और पुनर्वास:** प्रणाली को गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श और सामाजिक पुनर्संलयन पर ध्यान देना चाहिए। मानवीय वातावरण हिंसा घटाता है और परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रौद्योगिकी—सहायक, बाधक नहीं:** इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, डिजिटल कौशल और स्मार्ट प्रशासनिक उपकरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता ला सकते हैं।
- **उद्योग और समुदाय साझेदारी:** रोजगार पुनरावृत्ति रोकने का सबसे बड़ा साधन है। जेलों, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों और समुदायों के बीच मजबूत साझेदारी स्थायी समर्थन तंत्र बना सकती है।

निष्कर्ष:

भारत की दंड व्यवस्था एक अधिक मानवीय और भविष्य-उन्मुख दिशा में आगे बढ़ रही है। मॉडल प्रिज़न्स एक्ट, न्यायिक निर्णय और उभरती तकनीकी हस्तक्षेप इस बढ़ती मान्यता को दर्शाते हैं कि न्याय केवल दंड तक सीमित नहीं है यह गरिमा, अधिकारों और परिवर्तन की संभावना को भी समाहित करता है। यदि जेलों को सीखने, कौशल विकास, भावनात्मक उपचार और सामुदायिक पुनर्संलयन के केंद्रों में परिवर्तित किया जाए, तो वे अपराध के चक्र को तोड़ सकती हैं और समाज में सार्थक योगदान दे सकती हैं। चुनौती इन विचारों को निरंतरता, करुणा और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ लागू करने की है।

ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति (SC) लाभ समाप्त

सन्दर्भ:

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) धर्म-आधारित पहचान से ईसाई धर्म अपनाता है, उसके स्वतः ही एससी से जुड़े आरक्षण लाभ समाप्त हो जाएंगे। यह निर्देश जितेन्द्र साहनी से जुड़े एक मामले में दिया गया है, जिन पर धार्मिक वैमनस्य फैलाने और अदालत में जाति व धर्म की गलत जानकारी देने का आरोप है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- आरोपी जितेन्द्र साहनी पर IPC की धारा 153-A (धार्मिक वैमनस्य) और 295-A (धार्मिक भावनाओं का अपमान) के तहत मामला दर्ज है। साहनी, जो मूल रूप से हिंदू थे, ईसाई धर्म अपना चुके थे, प्रार्थना सभाएँ आयोजित करते थे और कथित रूप से हिंदू देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे।
- गवाह लक्ष्मण विश्वकर्मा के आधार पर FIR दर्ज हुई, जिन्होंने दावा किया कि साहनी ने लोगों को आर्थिक लाभ और सामाजिक सम्मान के नाम पर धर्मांतरण हेतु प्रेरित किया। लेकिन अदालत में दिए हलफनामे में साहनी ने स्वयं को हिंदू और SC बताया, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ।

अनुसूचित जाति स्थिति और धर्मांतरण पर संवैधानिक और कानूनी ढांचा:

- **संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (अनुच्छेद 341):**
  - पैराग्राफ 3: “कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म का दावा करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।”
  - ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने से अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति समाप्त हो जाती है।
- **संविधान का अनुच्छेद 366(24):**
  - यह अनुसूचित जातियों को अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित समूहों के रूप में परिभाषित करता है।
  - अनुसूचित जाति पहचान कानूनी रूप से धर्म से अविभाज्य है।
- **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम:**
  - यह समान परिभाषाओं को अपनाता है, यह पुष्ट करता है कि जाति पहचान धर्म से जुड़ी हुई है।

न्यायिक उदाहरण:

- **सूसई बनाम भारत संघ (1986):** 1950 के SC आदेश में सूचीबद्ध जाति से परिवर्तित एक ईसाई धर्मावलंबी को पैराग्राफ 3 के तहत SC का दर्जा प्राप्त करने से रोक दिया गया था।
- **सी. सेल्वरानी मामला (2024):** बपतिस्मा (Baptism) और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने पर, व्यक्ति अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। केवल आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए किया गया धर्मांतरण अनुमेय नहीं है क्योंकि यह आरक्षण के सामाजिक उद्देश्य को विफल करता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- न्यायालय ने साहनी के खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपी को एफआईआर में ईसाई पादरी बताया गया था, लेकिन उसने अदालत में हिंदू SC होने का दावा किया जिससे उच्च न्यायालय ने असंगत पहचानों पर चिंता जताई।
- यह माना गया कि अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) असंगत पहचानों को बनाए रखने की अनुमति नहीं देता है।
- धर्मांतरण के बाद SC लाभों को बनाए रखना “संविधान के साथ धोखाधड़ी” के बराबर होगा। निर्देश दिया कि निचली अदालत को धार्मिक और जातिगत पहचान में विसंगति की जाँच करनी चाहिए।

महत्व:

- यह मामला धर्म और अनुसूचित जाति (SC) स्थिति के बीच के कानूनी संबंध को स्पष्ट करता है। यह सुप्रीम कोर्ट की पहले की व्यवस्थाओं को दोहराता है कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम में धर्मांतरण करता है, तो उसके SC दर्जे का स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- आरक्षण लाभ सामाजिक-ऐतिहासिक वंचना पर आधारित हैं, न कि किसी व्यक्ति के केवल दावे पर। इसलिए किसी धर्मांतरण के बाद भी SC लाभ बनाए रखना संविधान की मंशा के विपरीत माना जाएगा।
- प्रशासनिक दृष्टि से यह मामला सरकार को यह संकेत देता है कि ऐसे मामलों में पहचान और स्थिति का सत्यापन अधिक सख्ती और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।
- इस प्रकार अदालत ने स्पष्ट किया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25) व्यक्ति को दो विरोधाभासी पहचान बनाए

रखने का अधिकार नहीं देता, और SC लाभ केवल उन्हीं को मिलने चाहिए जो संवैधानिक रूप से इसके पात्र हैं।

स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर

सन्दर्भ:

हाल ही में संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 (Health Security se National Security Cess Bill, 2025) पारित किया। इसका उद्देश्य पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु संसाधन सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **संयुक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर:** यह एकीकृत उपकर स्वास्थ्य अवसंरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन सुनिश्चित करेगा, जिससे प्राथमिक क्षेत्रों के लिए स्थिर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
- **केवल अपद्रव्य (Demerit Goods) पर लागू:** यह उपकर केवल हानिकारक उत्पादों (जैसे पान मसाला) पर लगाया जाएगा। आवश्यक और सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- **उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर:** यह वास्तविक उत्पादन/बिक्री पर आधारित नहीं होगा, बल्कि स्थापित मशीनरी एवं उत्पादन क्षमता के अनुसार लगाया जाएगा, जिससे जीएसटी/एक्साइज की उपभोग आधारित प्रणाली से अलग तरीके से राजस्व प्राप्त होगा।
- **आवश्यक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं:** आम जनता पर महंगाई का प्रभाव न पड़े, इसलिए सभी आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह मुक्त रखा गया है।

उद्देश्य एवं तर्क:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्य:**
  - » हानिकारक वस्तुओं की खपत को महँगा बनाकर हतोत्साहित करना।
  - » तंबाकू और पान मसाला उत्पादों से जुड़ी दीर्घकालिक स्वास्थ्य लागत कम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसाधन:**
  - » रक्षा और सुरक्षा पर बढ़ते व्यय के लिए विश्वसनीय आय स्रोत।
  - » GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद नई वित्तीय स्रोत की आवश्यकता।
- **स्थायी एवं निर्धारित (Ring-fenced) फंडिंग:**
  - » आकस्मिक बजट पर निर्भर रहने के बजाय कानूनी रूप से सुनिश्चित निधि।

राजस्व साझाकरण एवं संघीय संरचना:

- **राज्यों के साथ राजस्व साझाकरण:**
  - » पूर्व के अधिकांश उपकरों के विपरीत, इस उपकर से प्राप्त धन राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
  - » धन का उपयोग राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होगा।
- **सहकारी संघवाद को मजबूती:**
  - » स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त पोषण में राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी।
  - » समावेशी वित्तीय संघवाद की ओर सकारात्मक बदलाव।

नीति एवं संवैधानिक महत्त्व:

- **लक्षित पाप-वस्तु (Sin goods) कराधान**: हानिकारक और अवांछित वस्तुओं पर कर लगाता है, जबकि आवश्यक उपभोग की सुरक्षा करता है। यह कराधान को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में सहायक होता है।
- **प्राथमिक क्षेत्रों हेतु संसाधन संचयन:** लगातार अल्प-वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को समर्थन देता है। साथ ही रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता (fiscal space) को भी बढ़ाता है।

- **अधिक वित्तीय जवाबदेही**: राजस्व का पृथक आवंटन (earmarking) और साझेदारी उपयोग से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि होती है।
- **व्यवहारगत प्रभाव:** क्षमता-आधारित कराधान, अवांछित-वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के अनियंत्रित विस्तार को निरुत्साहित कर सकता है।

चिंताएँ एवं चुनौतियाँ:

- **छोटे उत्पादकों / MSMEs पर बोझ:** क्षमता-आधारित कर छोटे पैमाने के उत्पादकों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **शासन में 'सेस-प्रधान' प्रवृत्ति:** सेस के अत्यधिक उपयोग से पारदर्शिता घट सकती है, विभाज्य पूल मानदंडों को दरकिनार किया जा सकता है, व्यापक कर-संरचना सुधार कमजोर पड़ सकते हैं।
- **जटिल कर संरचना:** GST और उत्पाद शुल्क के ऊपर एक अतिरिक्त परत जोड़ देता है, जिससे अनुपालन और प्रशासनिक बोझ बढ़ता है।

निष्कर्ष:

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्पादन क्षमता आधारित उपकर मॉडल राजस्व में स्थिरता, पूर्वानुमेयता और उद्देश्यपूर्ण व्यय सुनिश्चित करेगा। साथ ही, राज्यों के साथ राजस्व साझा कर यह सहकारी संघवाद व वित्तीय पारदर्शिता को भी मजबूत करता है।

भारतीय न्यायपालिका में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI)

संदर्भ:

एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधीश एआई को अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतें। साथ ही में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस किसी भी परिस्थिति में न्यायिक निर्णय-निर्माण का विकल्प नहीं बनना चाहिए।

पृष्ठभूमि:

- एआई ऐसी तकनीक है जो मानव बुद्धि जैसी क्षमताओं के साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे सोचने, सीखने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता।
- न्यायपालिका में एआई को जजों, वकीलों और न्यायालय प्रशासन की सहायता के लिए, विशेष रूप से कानूनी शोध, केस प्रबंधन और डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में एक उपयोगी उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत की न्याय प्रणाली में 4 करोड़ से अधिक लंबित मामलों का बोझ है, जिसके कारण न्याय प्रक्रिया में अत्यधिक देरी होती है, ऐसे में एआई को न्यायिक दक्षता बढ़ाने और विलंब को कम करने के एक संभावित समाधान के रूप में माना जा रहा है।

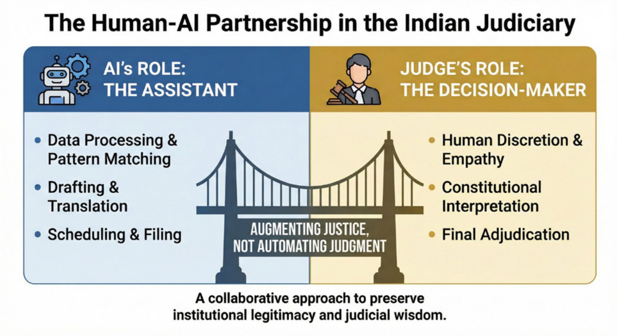

न्यायपालिका में एआई के उपयोग से जुड़ी चिंताएँ:

- **हैलुसिनेशन (गलत और काल्पनिक जानकारी का निर्माण):**
  - जेनरेटिव एआई कभी-कभी पूरी तरह झूठी या मनगढ़ंत जानकारियाँ उत्पन्न कर सकता है, जैसे नकली न्यायिक फैसले, पूर्व के फैसले के उदाहरण या शोध सामग्री।
  - उदाहरण: यूके हाई कोर्ट में वकीलों ने एआई द्वारा तैयार किए गए ऐसे कानूनी तर्क प्रस्तुत किए जिनमें उन मामलों का उल्लेख था जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थे, यह घटना एआई पर बिना सत्यापन निर्भर रहने के गंभीर जोखिम को उजागर करती है।
- **असमान व्यवहार (Disparate Treatment):**
  - यदि एआई सिस्टम गलत तरीके से विकसित या लागू किए जाएँ, तो वे व्यक्तियों या समूहों के साथ असंगत, असमान या पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं।
  - इससे लैंगिक, जातिगत, वर्ग आधारित या सामाजिक-आर्थिक पूर्वाग्रहों के जारी रहने या और बढ़ने की आशंका बनी रहती है।
- **पारदर्शिता की कमी:**
  - कई एआई एल्गोरिदम "ब्लैक बॉक्स" की तरह काम करते हैं, अर्थात् एआई ने कोई परिणाम कैसे और किन मानकों के

आधार पर दिया, इसे समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।

» यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

न्यायपालिका में एआई के संभावित लाभ:

- **दक्षता, केस प्रबंधन और लंबित मामलों में कमी:**
  - » एआई दस्तावेज़ प्रबंधन, शेड्यूलिंग, पुराने न्यायिक निर्णयों की खोज और केस सारांश तैयार करने जैसे कार्यों को स्वचालित बनाता है।
  - » यह मामलों में संभावित विलंब का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी और समयबद्ध उपयोग किया जा सके।
  - » न्यायालयों के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाकर एआई भारत में लंबित मामलों के अत्यधिक बोझ को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **बेहतर पहुँच, पारदर्शिता और सहभागिता:**
  - » अनुवाद, वॉयस-टू-टेक्स्ट और केस सारांश जैसी एआई आधारित सुविधाएँ भाषायी अल्पसंख्यकों और दूरदराज़ के वादियों के लिए न्याय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाती हैं।
  - » यह रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में मानव त्रुटियों को कम करती है और पुराने फैसलों की खोज को अधिक तेज़, सटीक और व्यवस्थित बनाती है।
  - » डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही को मजबूती मिलती है।
- **न्यायिक विवेचना में सहायता:**
  - » एआई कानूनी शोध में जजों और वकीलों को सहायता प्रदान करता है, जैसे-पूर्व के फैसले के प्रासंगिक उदाहरण की पहचान करना और विस्तृत न्यायिक फ़ैसलों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना।
  - » जटिल मामलों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने में सहयोग देता है, जबकि अंतिम निर्णय का अधिकार पूरी तरह न्यायाधीश के पास ही सुरक्षित रहता है।

निष्कर्ष:

एआई न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में एक दोधारी तलवार की तरह है, यह न्यायिक दक्षता और न्याय तक पहुँच को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके साथ अपारदर्शिता, पक्षपात और मानवीय विवेक को कमजोर करने जैसे जोखिम भी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह दृष्टिकोण कि एआई को सावधानीपूर्ण केवल सहायक उपकरण के रूप में रखा जाए। एआई को न्यायिक प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए इसे धीरे-धीरे और विनियामक (Regulated) तरीके से अपनाना अनिवार्य है, जिसमें जजों का प्रशिक्षण, एआई आउटपुट का स्वतंत्र ऑडिट, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और एक सशक्त कानूनी ढाँचा स्थापित करना शामिल है।

अवैध प्रवास पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या प्रवासियों की हिरासत से संबंधित एक हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने, रहने या बसने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। यह फैसला भारत की सीमाओं पर उसके संप्रभु अधिकार की पुष्टि करता है तथा संविधान के अंतर्गत नागरिकों और गैर-नागरिकों के अधिकारों के बीच स्पष्ट और मूलभूत अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु:

- **भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकार में अंतर:**
  - » अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(e) (भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार) केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है।
  - » विदेशी नागरिक, जिनमें अवैध प्रवासी भी शामिल हैं, विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत आते हैं। यह कानून केंद्र सरकार को अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और देश से निर्वासित (Deport) करने की पूर्ण कानूनी शक्ति प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय संसाधनों की प्राथमिकता:**
  - » अदालत ने कहा कि भारत के सीमित संसाधनों का प्राथमिक उपयोग देश की विशाल और आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या के लिए होना चाहिए।
- **संप्रभुता, सुरक्षा और जनसांख्यिकीय चिंताएँ:**
  - » अदालत ने असम के संदर्भ में वर्ष 2005 में की गई अपनी टिप्पणी को पुनः उद्धृत करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास "बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति" का रूप ले सकता है।
  - » अनुच्छेद 355 पर जोर देते हुए अदालत ने कहा कि केंद्र

सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्यों को ऐसे जनसांख्यिकीय व्यवधानों से सुरक्षित रखे और देश की संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करे।

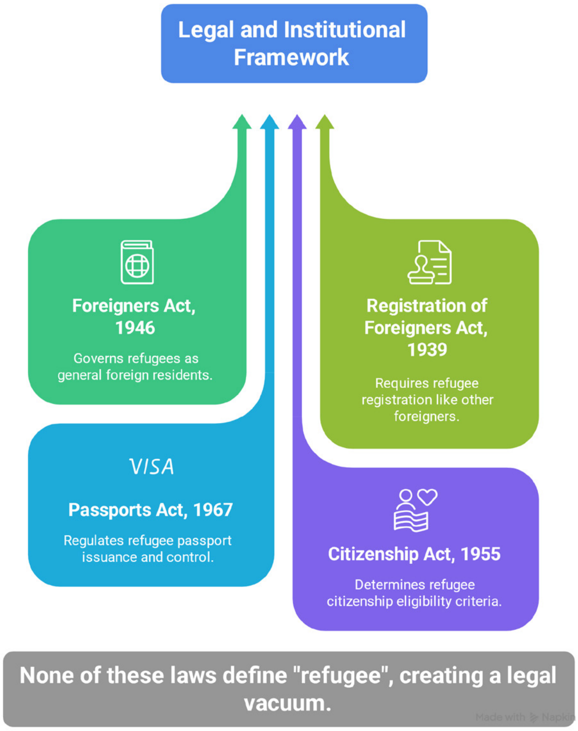

- **मानवीय संरक्षण बनाम कानूनी स्थिति:**
  - अदालत ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार" सभी व्यक्तियों "चाहे वे नागरिक हों या गैर–नागरिक" पर समान रूप से लागू होता है।
  - लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अमानवीय व्यवहार, यातना या मनमानी हिरासत से सुरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि अवैध प्रवासियों को भारत में बने रहने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि उनका निवास भारत के कानूनों के विरुद्ध है, तो अनुच्छेद 21 उन्हें निर्वासन (Deportation) से संरक्षण नहीं दे सकता।

अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून में भारत की स्थिति:

- **भारत 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सदस्य नहीं:** भारत ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। इससे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के दबाव के बजाय घरेलू प्राथमिकताओं और सुरक्षा आकलन के आधार पर शरणार्थियों की स्थिति से निपटने के लिए नीति में आवश्यक लचीलापन प्राप्त होता है।
- **रूढ़ अंतरराष्ट्रीय कानून की मान्यता:** भारत नॉन-रिफाउलमेंट अर्थात् किसी व्यक्ति को ऐसी जगह वापस न भेजना जहाँ उसे उत्पीड़न या जान का खतरा हो, के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करता है, किन्तु इसे अभी तक देश के घरेलू कानून में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया है।

कानूनी और संस्थागत ढांचा:

- भारत में शरणार्थियों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। शरणार्थियों पर वही कानून लागू होते हैं जो सभी विदेशियों पर लागू होते हैं:
  - विदेशी अधिनियम, 1946
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  - पासपोर्ट अधिनियम, 1967
  - नागरिकता अधिनियम, 1955
- इनमें से कोई भी कानून "शरणार्थी" (Refugee) शब्द को परिभाषित नहीं करता, जिससे एक कानूनी रिक्ति (Legal Vacuum) बनी रहती है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के संप्रभु अधिकारों तथा सीमा प्रबंधन की कानूनी क्षमता की मजबूत पुनर्पुष्टि है। निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय संविधान नागरिकों और गैर–नागरिकों के अधिकारों में स्पष्ट अंतर स्थापित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों की प्राथमिकता सर्वोपरि मानी जाती है और भारत के पास अब भी शरणार्थियों के लिए अलग से कोई विशेष विधि उपलब्ध नहीं है। यह निर्णय मानवीय संरक्षण के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए भी यह सुनिश्चित करता है कि अवैध प्रवासन को किसी भी परिस्थिति में कानूनी वैधता प्रदान नहीं की जा सकती।

केंद्रीय उत्पाद संशोधन विधेयक 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में 4 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हुआ। यह विधेयक 3 दिसंबर को लोकसभा से पहले ही पारित हो गया था। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करते हुए तंबाकू तथा तंबाकू-आधारित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि:

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद वर्ष 2017 में अधिकांश वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया था। किंतु तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद इसके दायरे में बने रहे। GST के साथ सरकार ने एक क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) भी लगाया, ताकि राज्यों को GST लागू होने से हुए संभावित राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके।
- वर्तमान में तंबाकू उत्पाद तीन प्रकार के करों के अंतर्गत आते हैं:
  - » वस्तु एवं सेवा कर (GST)
  - » क्षतिपूर्ति उपकर
  - » केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में कुल कर संग्रह में कमी न आए, इसलिए उत्पाद शुल्क संरचना में संशोधन आवश्यक हो गया है।

The Central Excise (Amendment) Bill, 2025

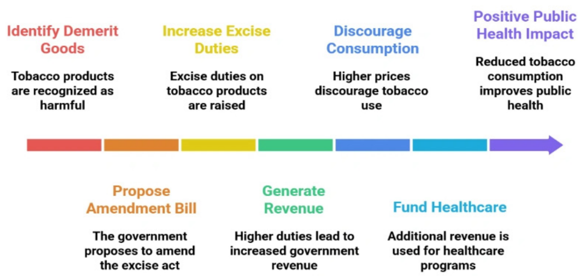

विधेयक के बारे में:

- यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन कर यह प्रावधान करता है कि GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद भी तंबाकू एवं उससे संबंधित उत्पादों पर नए या संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जा सकें। इसका उद्देश्य कुल कर संग्रह को राजस्व-तटस्थ बनाए रखना है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक पूरक विधेयक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025, भी प्रस्तुत किया है। इसका लक्ष्य पान मसाला तथा अन्य संभावित "अस्वास्थ्यकर" उत्पादों पर एक नए उपकर का प्रावधान कर राजस्व स्रोतों को और अधिक सुदृढ़ करना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **तंबाकू पर उत्पाद शुल्क वृद्धि:** अनिर्मित (कच्चे) तंबाकू जैसे सूर्य-सूखे तंबाकू पत्तों पर शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा।
- **सिगरेट पर शुल्क वृद्धि:** वर्तमान में सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क ₹200 से ₹735 प्रति हजार है, जिसे बढ़ाकर ₹2,700–₹11,000 प्रति हजार कर दिया जाएगा।
- **अन्य तंबाकू उत्पादों पर वृद्धि:**
  - » चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 100%
  - » हुक्का एवं गुड़ाकू तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 40%
  - » पाइप व सिगरेट के लिए प्रयुक्त धूम्रपान मिश्रण (smoking mixtures) पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% किया जायेगा।
  - » इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि क्षतिपूर्ति उपकर हटने के बाद भी प्रभावी कर संग्रह में कोई कमी न आए।

प्रभाव एवं निहितार्थ:

- **राजस्व सुदृढ़ीकरण:** उत्पाद शुल्क में वृद्धि से केंद्र सरकार के राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, विशेषकर उस स्थिति में जब GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हो जाएगा।
- **स्वास्थ्य नीति के अनुरूप कदम:** तंबाकू पर उच्च कराधान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के अनुरूप है, क्योंकि इससे तंबाकू उपभोग में कमी आने की संभावना रहती है।
- **राज्य सरकारों का राजस्व संरक्षण:** GST की वसूली जारी रहने से राज्यों को अपने हिस्से का राजस्व मिलता रहेगा, जिससे सहकारी संघवाद (fiscal federalism) को मजबूती मिलेगी।
- **बाजार प्रभाव:** उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि, विशेषकर सिगरेट और धूम्रपान मिश्रण पर, से बाज़ार भाव बढ़ेंगे, जिससे उपभोग पैटर्न पर असर पड़ेगा। हालाँकि, यह भी आशंका है कि यदि प्रवर्तन कमजोर रहा, तो अवैध व्यापार (illicit trade) और तस्करी बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, GST क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति के बाद राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर सरकार न केवल अपने राजस्व हितों की रक्षा कर रही है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को भी आगे बढ़ा रही है। हालाँकि, इस नीति के अपेक्षित आर्थिक एवं स्वास्थ्य-सम्बंधी लाभ तभी प्राप्त होंगे जब प्रवर्तन तंत्र मजबूत हो और अवैध व्यापार पर कड़ाई से निगरानी रखी जाए।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जाँच सीबीआई से कराने का निर्देश

संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में हो रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है।

डिजिटल अरेस्ट के बारे में:

- डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन जबरन वसूली (Extortion) का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें धोखेबाज:
  - » CBI, ED या पुलिस जैसी जांच एजेंसियों के अधिकारियों का छदम रूप धारण करते हैं;
  - » पीड़ितों पर किसी आपराधिक मामले या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं;
  - » वीडियो कॉल पर कथित "पूछताछ" करते हैं ताकि प्रक्रिया वास्तविक लगे;
  - » पीड़ितों को गिरफ्तारी, जेल, या संपत्ति जब्त होने की धमकी देते हैं और डर के माहौल में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाते हैं।
- पीड़ित घबराकर पैसे भेज देते हैं, धोखेबाज संपर्क तोड़ देते हैं। बड़ी रकम क्रिप्टोकरेंसी, वायर ट्रांसफर और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से निकाल ली जाती है, जिससे लेनदेन को ट्रेस करना भी कठिन हो जाता है। अब तक ₹3,000 करोड़ से अधिक की ठगी दर्ज की जा चुकी है, जिसमे सबसे अधिक पीड़ित वरिष्ठ नागरिक और तकनीकी रूप से कम जागरूक हैं।

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ने के कारण:

- **डिजिटल लेनदेन का तेज़ विस्तार:** ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में तेज़ बढ़ोतरी के साथ साइबर धोखाधड़ी के अवसर भी बढ़े हैं।
- **कम साइबर जागरूकता:** बहुत से उपयोगकर्ता डिजिटल सुरक्षा, सत्यापन प्रक्रियाओं और धोखाधड़ी पहचानने के तरीकों की पर्याप्त जानकारी नहीं रखते।
- **उन्नत तकनीक का दुरुपयोग:** AI-जनरेटेड आवाज़ें, डीपफेक वीडियो और वास्तविक जैसी दृश्य तकनीक का इस्तेमाल करके ठगी को और विश्वसनीय बनाया जा रहा है।
- **वैश्विक कानून प्रवर्तन की सीमाएँ:** दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय स्कैम नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय कानून और अधिकार-क्षेत्र की खामियों का लाभ उठाकर सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहे हैं।
- **मनोवैज्ञानिक दबाव:** अपराधी सरकारी संस्थाओं और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के नाम का उपयोग करके लोगों में डर पैदा करते हैं और उसी डर के आधार पर पैसे वसूलते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश:

- **CBI को पूर्ण अधिकार:** डिजिटल अरेस्ट घोटालों की जांच अब पूरे देश में CBI करेगी।
- **राज्यों की सहमति पर विशेष आदेश:** सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE) की धारा 6 के तहत CBI को अनिवार्य सहमति देने का निर्देश दिया, ऐसा केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है।
- **CBI की विशेष मल्टी-स्टेट टीम:**
  - » विभिन्न राज्यों से चयनित पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा;
  - » साइबर फॉरेंसिक, वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रांजैक्शन विशेषज्ञों को भी टीम में जोड़ा जाएगा;
  - » पूरे देश में समन्वित और संयुक्त जांच की जाएगी।
- **Interpol के साथ संयुक्त कार्रवाई:** CBI को Interpol के साथ मिलकर यह पता लगाना होगा:
  - » अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क,
  - » वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग के रूट,
  - » विदेशों में सक्रिय ठगों के सुरक्षित ठिकाने।

Tough action

The Supreme Court has asked the Central Bureau of Investigation (CBI) to crack down on 'digital arrest' scammers

THREE CATEGORIES OF CYBER SCAMS IDENTIFIED BY SC

- **Digital arrests:** Victims are made to believe government authorities are entitled to their hard-earned money, and they are subjected to coercive acts of extortion
- **Investment scams:** Victims are lured by attractive investment schemes to deposit large amounts, but eventually are duped of the money. The fraudsters continue to coin different terminologies to dupe victims. In some of the cases, the money is sought in the name of 'advance tax'
- **Part-time jobs:** Victims are paid for 'free tasks' like positive reviews or watching YouTube. They are later made to pay huge amounts for 'premium tasks'

- **RBI की भूमिका:** सुप्रीम कोर्ट ने RBI को नोटिस जारी किया है। RBI को यह स्पष्ट करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (AI/ML) तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है:
  - फर्जी लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैक करने में,
  - म्यूल अकाउंट की पहचान करने में,
  - संदिग्ध बैंकिंग पैटर्न चिन्हित करने में।
- **साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर:** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि:
  - क्षेत्रीय साइबरक्राइम समन्वय केंद्र स्थापित करें और उन्हें इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) से जोड़ें,
  - डेटा प्रबंधन, निगरानी और रोकथाम तंत्र को मजबूत करें।

सरकार और संस्थागत प्रतिक्रिया:

पहल	विवरण
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C)	साइबर अपराध के पैटर्न पहचानने और कार्रवाई के लिए बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और फिनटेक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
स्पूफ़ (Spoofed) कॉल ब्लॉकिंग	टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के सहयोग से विदेशों से आने वाले फर्जी और भ्रामक कॉलों को ब्लॉक करने की प्रणाली विकसित की गई है।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल	नागरिक cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।
CERT-In दिशा-निर्देश	जनता को कॉल की सत्यता जांचने, निजी विवरण साझा न करने और संदिग्ध या अनजान ऐप डाउनलोड न करने की सलाह व जागरूकता जारी करता है।
अंतर-मंत्रालयी समिति (मई 2024)	दक्षिण-पूर्व एशिया से संचालित ट्रांसनेशनल साइबर अपराध गिरोहों की पहचान और कार्रवाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समन्वय तंत्र।

निष्कर्ष:

डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएँ भारत की डिजिटल प्रगति का एक चिंताजनक पक्ष उजागर करती हैं, जहाँ सुविधाओं के लिए विकसित तकनीक ही जबरन वसूली और भय का साधन बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय स्पष्ट संकेत देता है कि इस संगठित साइबर खतरे से निपटना किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है; बल्कि सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और नागरिकों, सभी की संयुक्त और सतत कार्रवाई जरूरी है।

दल-बदल कानून सुधार पर निजी विधेयक

संदर्भ:

हाल ही में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें भारत के दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। यह उनका 2010 और 2021 के बाद तीसरा प्रयास है। बिल का उद्देश्य संसद सदस्यों के मतदान पर पार्टी के अत्यधिक नियंत्रण को कम करना है।

प्रस्तावित विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- व्हिप केवल निम्नलिखित मामलों में ही लागू होगा:
  - विश्वास प्रस्ताव
  - अविश्वास प्रस्ताव
  - स्थगन प्रस्ताव
  - धन विधेयक
  - ऐसे अन्य वित्तीय विषय, जो सीधे सरकार की स्थिरता को प्रभावित करते हों
- बाकी सभी विधेयकों और प्रस्तावों पर सांसद निम्न आधारों पर स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे:
  - व्यक्तिगत विवेक
  - अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित
  - नीतिगत तर्क
- प्रस्तावित प्रक्रियात्मक सुधार:
  - पार्टी के निर्देश (व्हिप) को स्पीकर/चेयरमैन द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए।
  - निर्देश का उल्लंघन करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  - सांसद को 15 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा।
  - अध्यक्ष/सभापति को अपील का निपटारा 60 दिनों के भीतर करना होगा।

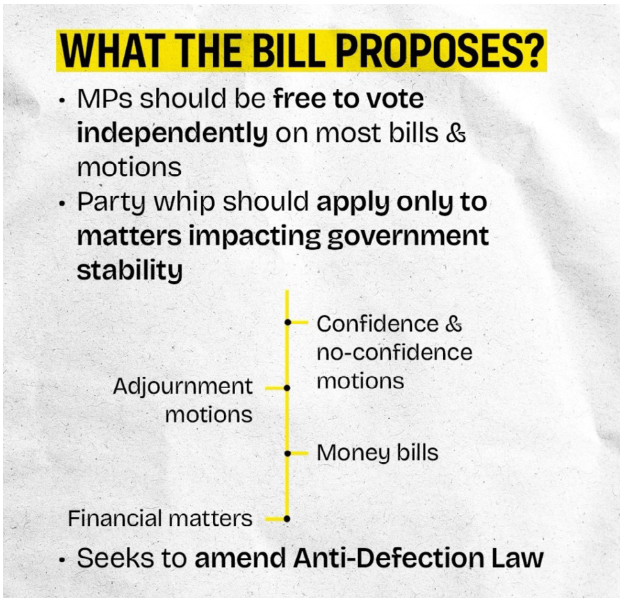

दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के बारे में:

- यह 52वां संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लागू किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - » लगातार पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना।
  - » सरकार की स्थिरता बनाए रखना।
  - » पार्टी अनुशासन को मजबूत करना और राजनीतिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना।
- **लागू:** लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों (MLC) के सदस्य।

अयोग्यता के आधार:

- **स्वेच्छा से त्यागपत्र:** पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देना।
- **पार्टी व्हिप का उल्लंघन:** बिना अनुमति पार्टी निर्देश के विपरीत वोट करना या मतदान से अनुपस्थित रहना।
- **निर्दलीय सदस्य:** चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना।
- **नामित सदस्य:** सदन की सदस्यता ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होना।

अपवाद:

- **विलय (Merger):** 91वें संविधान संशोधन, 2003 के अनुसार यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय का निर्णय लेते हैं और उसका समर्थन करते हैं, तो यह अयोग्यता के दायरे में नहीं आता।
- **अविश्वास प्रस्ताव:** ऐसे मामलों में पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप से छूट दे सकती है।

निर्णय का अधिकार और न्यायिक समीक्षा:

- **अधिकार:** अयोग्यता से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर/चेयरमैन के पास होता है।
- **न्यायिक समीक्षा:** स्पीकर/चेयरमैन के निर्णय न्यायालयों में चुनौती योग्य हैं (सुप्रीम कोर्ट: किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू, 1992 मामला)।

वर्तमान दल-बदल कानून की आलोचनाएँ:

- व्हिप का अत्यधिक प्रयोग संसद की चर्चा-योग्यता और विचार-विमर्श की क्षमता को कम करता है।
- वित्तीय जवाबदेही के मामलों में सांसदों की स्वतंत्र निगरानी-भूमिका कमजोर पड़ जाती है।

निजी सदस्य विधेयक (PMBs):

- **परिभाषा:**
  - » मंत्री को छोड़कर चुना हुआ या नामित कोई भी सांसद निजी सदस्य कहलाता है।
  - » ऐसे सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाता है।
  - » विधेयक का मसौदा तैयार करने की ज़िम्मेदारी उसी सांसद की होती है।
- **प्रक्रिया:**
  - » **नोटिस:** विधेयक पेश करने के लिए एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।
  - » **समय आवंटन:**
    - ➢ **लोकसभा:** हर शुक्रवार के अंतिम 2.5 घंटे।
    - ➢ **राज्यसभा:** हर दूसरे शुक्रवार दोपहर 2:30 से 5:00 बजे तक।
  - » **पहला पारित निजी सदस्य विधेयक:** सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी द्वारा मुस्लिम वक्फ़ विधेयक, 1952।

निष्कर्ष:

संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक भारत की दल-आधारित मतदान व्यवस्था और सांसदों की स्वतंत्रता के बीच मौजूद असंतुलन को रेखांकित करता है। दल-बदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित

करना था, लेकिन समय के साथ इसने कई मामलों में सांसदों की स्वायत्त भूमिका को सीमित कर दिया है। यदि सरकार की स्थिरता से जुड़े अहम प्रस्तावों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में सांसदों को स्वतंत्र रूप से वोट करने की अनुमति दी जाए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक मजबूत होगी और सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र व जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बन सकेंगे।

इंडिया पोस्ट ने शुरू किया ध्रुव टैग सेवा

सन्दर्भ:

हाल ही में डाक विभाग (इंडिया पोस्ट), संचार मंत्रालय के अंतर्गत, ध्रुव (DHRUVA – Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address) टैग सेवा शुरू किया गया। यह डिजिपिन व्यवस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत में नागरिकों के लिए एक डिजिटल और मानकीकृत एड्रेस सिस्टम तैयार करना है। ध्रुव को Address-as-a-Service (AaaS) प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि सरकारी और निजी सेवाओं में एक समान, जियो-कोडेड पते का उपयोग हो सके।

ध्रुव क्या है?

- ध्रुव की तुलना घर के पते के लिए यूपीआई आई.डी. से की गई है, जिससे पता साझा करना एवं सत्यापित करना सरल होगा। यह पारंपरिक डाक पता प्रणाली को पूरक बनाते हुए निम्न कार्य करेगा:
  - » डिजिटल पता पहचान संख्या (D.A.I.) उपलब्ध कराना।
  - » पते एवं डाक कोड (पिनकोड) का समान एवं मानकीकृत रूप प्रस्तुत करना।
  - » अनुमति-आधारित (कन्सेंट आधारित) तरीके से पता तैयार करने, सत्यापित करने एवं विनिमय की सुविधा देना।
  - » एड्रेस सेवा प्रदाताओं (ASP) एवं पता सत्यापन अभिकरणों (AVA) का पंजीकरण एवं अधिकरण
  - » राष्ट्रीय नेटवर्क प्रशासक एवं शासन संरचना की स्थापना जो भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) दृष्टि से संगत है।
  - » शिकायत निवारण, निर्णय (अधिनिर्णय) एवं दंडात्मक प्रावधानों की व्यवस्था।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के अनुरूप पता संबंधी जानकारी को व्यक्तिगत पहचान योग्य डेटा के रूप में संरक्षित करना।

डिजिपिन (DIGIPIN) क्या है?

- डिजिपिन भारत में डिजिटल पता प्रणाली की दिशा में प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास था। इसे इंडिया पोस्ट, आईआईटी हैदराबाद एवं इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ:

- » खुला एवं परस्पर-संचालित (Interoperable) पता-सेवा ढाँचा विकसित करता है, जिससे विभिन्न सरकारी एवं निजी डिजिटल सेवाएँ आपस में सहज रूप से कार्य कर सकें।
- » नक्शा-आधारित प्लेटफार्मों से एकीकरण सुनिश्चित करता है, उदाहरण के रूप में मैप-माय-इंडिया ने अंतिम चरण तक सटीक पता उपलब्ध कराने के लिए इसे अपनाया है।
- » भू-संदर्भित आँकड़ों को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म तथा GitHub पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे नवाचार, अनुसंधान एवं तकनीकी विकास को मजबूती मिलती है।
- » ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनौपचारिक बस्तियों में भी सटीक पता पहचान संभव होती है, जिससे समावेशी सेवा प्रदायन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी बनती हैं।

ध्रुव का महत्व:

- **सेवा वितरण में बेहतर सटीकता:** यह संचार, डाक सेवाओं और ई-कॉमर्स डिलीवरी में होने वाली त्रुटियों को कम करता है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** यह भारत के DPI को मजबूत करता है क्योंकि यह एक ऐसा इंटरऑपरेबल एड्रेसिंग सिस्टम प्रदान करता है जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- **भू-स्थानिक संप्रभुता:** यह भारत के 2021 भू-स्थानिक डेटा दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू मानचित्रण समाधानों को प्रोत्साहित करता है, जिससे विदेशी कंपनियों द्वारा अति-सटीक मानचित्रण सेवाओं को सीमित किया जाता है।
- **समावेशिता:** यह उन क्षेत्रों को भी पते प्रदान करता है जिनके पास औपचारिक मान्यता नहीं है, जिससे वित्तीय समावेश, शहरी योजना और आपातकालीन सेवाओं को सुविधाजनक बनाया जाता है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** यह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में पतों के एकीकरण को सक्षम बनाता है।

नीतिगत महत्व:

- ध्रुव यह दर्शाता है कि भारत स्वदेशी तकनीक और जन-केन्द्रित नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन देना चाहता है। यह एक खुला (Open) और परस्पर-संचालित (Interoperable) पता तंत्र तैयार करेगा, जिससे विभिन्न सरकारी और निजी सेवाएँ एक-दूसरे से अधिक सुचारु रूप से जुड़ सकेंगी।
- यह पहल भू-स्थानिक नीति, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लक्ष्य और डेटा संरक्षण व्यवस्था के अनुरूप देश को आगे बढ़ाएगी। साथ ही, इससे भारतीय कंपनियों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष:

ध्रुव भारत की पता प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पहल है, जो पारंपरिक डाक ढाँचे को आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ती है। इसके माध्यम से हर पते को एक मानकीकृत, सुरक्षित और सहमति-आधारित डिजिटल पहचान मिलेगी, जिससे सेवाओं का वितरण अधिक सटीक, तेज़ और विश्वसनीय होगा। यह ई-गवर्नेन्स की दक्षता बढ़ाएगा, नागरिकों की सुविधा में सुधार करेगा और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के लक्ष्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025

संदर्भ:

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025 हाल ही में कर्नाटक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने हेट स्पीच को परिभाषित करने और उससे निपटने हेतु एक समर्पित कानून पेश किया है। यह विधेयक नफरत और सामाजिक वैमनस्य (social disharmony) के प्रसार को रोकने के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 जैसे मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों में "हेट स्पीच" की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

विधेयक के अनुसार हेट स्पीच की परिभाषा:

- **हेट स्पीच:** ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास (sexual orientation), जन्म स्थान, भाषा, दिव्यांगता या जनजाति के आधार पर किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध चोट पहुँचाना, वैमनस्य या दुर्भावना (ill-will) उत्पन्न करना हो।
- **हेट क्राइम:** हेट स्पीच को बढ़ावा देने, प्रचारित करने, उकसाने या सहायता करने का कोई भी कृत्य, जिसका उद्देश्य शत्रुता या सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न करना हो।

Scope of 'Hate Crime' & Penalties

Definition: A 'hate crime' includes any act of promoting, propagating, inciting or abetting, or attempting hate speech to cause disharmony or feelings of enmity

First Offence: Imprisonment for a term of not less than one year, which may extend to seven years, with a fine of Rs 50,000.

Subsequent Offences: Imprisonment for a term of not less than two years, which may extend to 10 years, with a fine of Rs 1 lakh.

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **दंड (Penalties)**
  - » **प्रथम बार अपराध:** 1 से 7 वर्ष का कारावास और ₹50,000 जुर्माना
  - » **पुनरावृत्ति (Repeat Offence):** 2 से 10 वर्ष का कारावास और ₹1,00,000 जुर्माना
- **कानूनी प्रकृति:** अपराध संज्ञेय , गैर-जमानती होंगे तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) द्वारा विचारणीय होंगे।
- **मध्यस्थों की जवाबदेही:** यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेवा प्रदाता हेट-आधारित अपराधों को सुविधा या सक्षम बनाते हैं, तो उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- **ऑनलाइन सामग्री हटाना:** नामित राज्य अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हेट स्पीच या हेट क्राइम से संबंधित सामग्री को ब्लॉक या हटाने का आदेश दे सकते हैं।
- **निवारक कार्रवाई (Preventive Action):** कार्यपालिका मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी (DySP रैंक और उससे ऊपर) निवारक कदम उठा सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हेट स्पीच या हेट क्राइम किए जाने की आशंका हो।
- **संगठनों द्वारा अपराध:** संगठन/संस्थाएँ भी उत्तरदायी ठहराई जा सकती हैं। जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन किया जा

सकता हैं।

- **अपवाद:** जनहित में, या विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, विरासत या धर्म से संबंधित सामग्री को अपवाद दिया गया है, बशर्ते वह नफरत को बढ़ावा न दे या हानि के लिए उकसावे का कारण न बने।

संवैधानिक पहलू:

- **अनुच्छेद 19(1)(a)- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** यह विधेयक उन अभिव्यक्तियों को सीमित करता है जो नफरत, शत्रुता या सामाजिक वैमनस्य को भड़काती हैं। ऐसी सीमाएँ अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) के दायरे में आती हैं।
- **अनुच्छेद 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:** हेट क्राइम्स और लक्षित शत्रुता को अपराध घोषित करके यह विधेयक व्यक्तियों और समुदायों को नुकसान से बचाने का प्रयास करता है, जिससे गरिमापूर्ण जीवन (right to live with dignity) की रक्षा होती है।
- **अनुच्छेद 14- समानता का अधिकार:** यह विधेयक धर्म, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास और अन्य संरक्षित विशेषताओं के आधार पर होने वाले भेदभाव को संबोधित करता है तथा सभी नागरिकों को कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

निष्कर्ष:

कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) विधेयक, 2025 सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने, पीड़ितों के लिए स्पष्ट कानूनी उपचार उपलब्ध कराने और नफरत-प्रेरित हिंसा के बढ़ने से पहले निवारक कार्रवाई को सक्षम बनाने का प्रयास करता है। हालाँकि, आलोचकों का मत है कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। अतः मजबूत सुरक्षा उपायों, पारदर्शी प्रवर्तन और न्यायिक निगरानी की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

संदर्भ:

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत नागरिकता केवल दावों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदान की जाएगी।

पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे, ने NGO आत्मदीप की पिटीशन पर यह स्पष्ट किया।
- पिटीशन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थियों में वोटर रोल के लिए चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) के कारण देश से बाहर होने के डर को उजागर किया गया था।

प्रभावित समुदाय:

- धार्मिक अल्पसंख्यक: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
- जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए हैं, उन्हें CAA के सेक्शन 2(1)(b) के तहत "गैर-कानूनी प्रवासी" नहीं माना जाएगा।

नेचुरलाइज़ेशन और नागरिकता प्रमाणपत्र:

- सेक्शन 6B के तहत, ये व्यक्ति नेचुरलाइज़ेशन या नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
- पिटीशन में सर्टिफिकेट जारी करने में देरी का आरोप लगाया गया, जिससे संवैधानिक अधिकारों और मुद्दों के खतरे की संभावना उत्पन्न हुई।

CAA 2019 के मुख्य नियम:

- **पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए कानूनी स्थिति**
  - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को CAA के तहत कानूनी स्थिति प्रदान की गई है।
  - इन व्यक्तियों को फॉरेनर्स एक्ट, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920 के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- **रजिस्ट्रेशन/नेचुरलाइज़ेशन से नागरिकता:**
  - उपरोक्त समुदायों के लिए रहने की शर्तें कम कर दी गई हैं।
  - भारत में प्रवेश की तारीख से ही नागरिकता मानी जाएगी, जिससे माइग्रेशन स्टेटस से जुड़ी कानूनी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी।
- **लागू क्षेत्र और अपवाद**
  - इसमें असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा (छठी अनुसूची) और

इनर लाइन एरिया (बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873) के आदिवासी इलाके शामिल नहीं हैं।

» धोखाधड़ी, आपराधिक सजा या अन्य कानूनी उल्लंघन के आधार पर OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने के नियम लागू हैं।

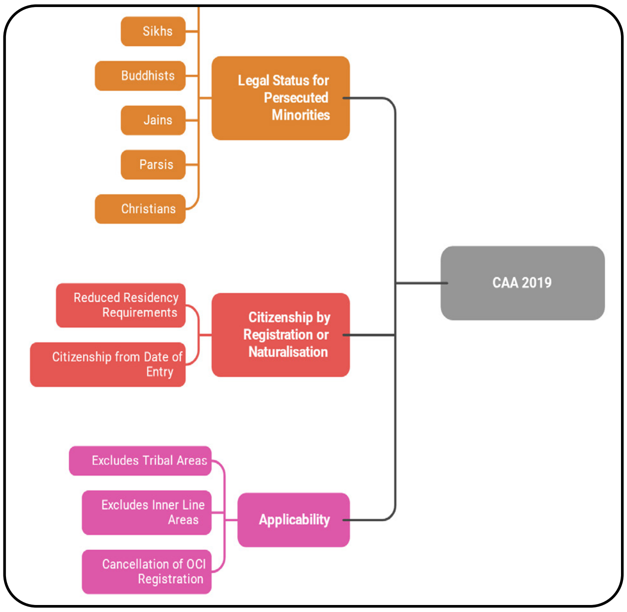

CAA 2019 के विरुद्ध प्रमुख चिंताएं:

- असम समझौता (1985) के साथ संभावित विरोधाभास और NRC अपडेट में चुनौतियां।
- अनुच्छेद 14 (कानून के सामने समानता) और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का संभावित उल्लंघन।
- अन्य शरणार्थी समूहों, जैसे तमिल श्रीलंकाई और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या, को बाहर करना।
- अवैध प्रवासी और सताए गए लोगों में अंतर करने में कठिनाई।
- प्रभावित देशों के साथ संभावित द्विपक्षीय तनाव।
- OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए अधिकारियों को अत्यधिक विवेकाधीन अधिकार।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CAA के तहत नागरिकता स्वतः नहीं मिलती। इसके लिए सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करना अनिवार्य है। हालांकि इस अधिनियम का उद्देश्य सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है, इसके लागू होने से कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं। यह मामला यह रेखांकित करता है कि नागरिकता का अधिकार कानून के शासन के साथ संतुलित होना चाहिए और राज्यहीनता या मताधिकार से वंचित होने जैसी परिस्थितियों को रोकना कितना आवश्यक है।

ज़बरन नार्को टेस्ट असंवैधानिक

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आरोपी की सहमति के बिना नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि ज़बरन नार्को एनालिसिस संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह निर्णय सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

नार्को टेस्ट के बारे में:

- नार्को टेस्ट में व्यक्ति को कुछ नशीली औषधियाँ, जैसे सोडियम पेंटोथल (एक बार्बिट्यूरेट), दी जाती हैं, जिनका उद्देश्य उसकी मानसिक सजगता और झिझक को कम करना होता है, ताकि उससे जानकारी प्राप्त की जा सके।
- व्यावहारिक रूप से नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षणों के समान ही है, क्योंकि इन सभी विधियों का लक्ष्य व्यक्ति के सचेत मानसिक नियंत्रण को कमजोर करके उसकी अवचेतन जानकारी तक पहुँच बनाना होता है।
- यद्यपि इस प्रक्रिया को शारीरिक रूप से अहिंसक माना जाता है, फिर भी यह व्यक्ति की मानसिक स्वायत्तता और निजी विचारों में गंभीर हस्तक्षेप करती है, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

संबंधित संवैधानिक संरक्षण:

- **आत्म-अभियोग के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 20(3)):**
  - » यह अधिकार किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य या गवाही देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करता है।
  - » ज़बरन नार्को टेस्ट इस अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि नशीली दवाओं के प्रभाव में दिया गया कथन स्वतंत्र इच्छा (free will) और सचेत निर्णय (conscious choice) का परिणाम नहीं होता।

» बिना स्वतंत्र, स्पष्ट और सूचित सहमति के प्राप्त कोई भी जानकारी आत्म-अभियोग के दायरे में आती है और उसे वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21):**
  - » अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शारीरिक स्वायत्तता, मानसिक निजता तथा मानव गरिमा का संरक्षण निहित है।
  - » ज़बरन नार्को टेस्ट "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की ज़रूरत का उल्लंघन करता, क्योंकि यह प्रक्रिया निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-मनमानेपन की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।
  - » यह संरक्षण मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1978) में प्रतिपादित अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तथाकथित "स्वर्ण त्रिकोण" से जुड़ा है, जिसके अनुसार किसी भी विधिक प्रक्रिया का न्यायसंगत और उचित होना अनिवार्य है।

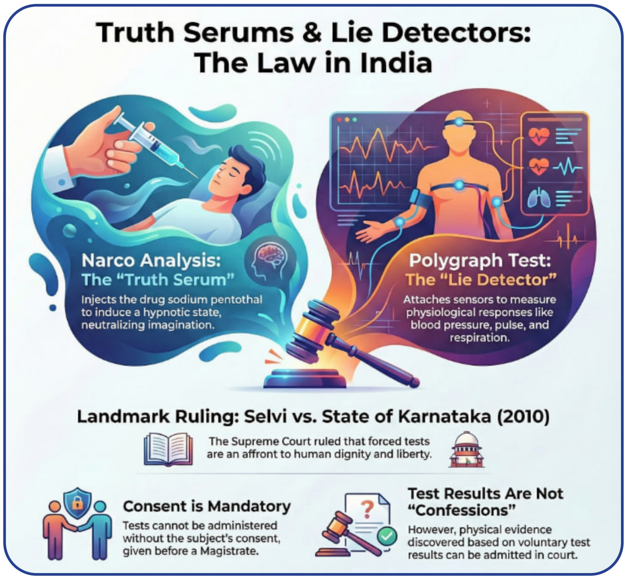

नार्को टेस्ट से जुड़े न्यायिक निर्णय:

- **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010):** न्यायालय ने बिना सहमति के नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग टेस्ट को असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही कुछ अनिवार्य सुरक्षा शर्तें तय कीं, जैसे:
  - » सहमति स्वतंत्र, पूरी जानकारी के साथ और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होनी चाहिए।
  - » टेस्ट के दौरान सख्त चिकित्सकीय और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए।
  - » टेस्ट के परिणाम अकेले साक्ष्य नहीं हो सकते; उन्हें स्वतंत्र प्रमाण से पुष्ट करना आवश्यक है।
- **बाद के न्यायिक पुष्टिकरण:**
  - » मनोज कुमार सैनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2023) और विनोभाई बनाम केरल राज्य (2025) में यह दोहराया गया कि नार्को टेस्ट के नतीजे केवल जांच में सहायता कर सकते हैं, सीधे अपराध सिद्ध नहीं कर सकते।

सहमति और नैतिक सिद्धांत:

- **सूचित सहमति:** नार्को टेस्ट केवल आरोपी की स्वतंत्र, स्वेच्छिक और पूर्णतः सूचित सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। यह सिद्धांत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 253 के अंतर्गत बचाव साक्ष्य (defence evidence) के चरण में भी समान रूप से लागू होता है।
- हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को नार्को टेस्ट कराने की मांग करने का कोई पूर्ण या निहित अधिकार प्राप्त नहीं है, भले ही वह स्वयं आरोपी ही क्यों न हो।
- **नैतिक आधार:** न्यायालय ने जर्मनी के महान दार्शनिक इमैनुएल कांत के नैतिक सिद्धांतों का संदर्भ लेते हुए यह माना कि ज़बरन कराया गया ऐसा परीक्षण निम्नलिखित मूल नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है:
  - » मानव गरिमा
  - » शारीरिक एवं मानसिक अखंडता
  - » प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर प्रभाव:

- **अधिकार-आधारित पुलिसिंग को मजबूती:** यह सुनिश्चित करता है कि जांच की प्रभावशीलता के नाम पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी न हो।
- **पीड़ितों और आरोपियों के अधिकारों में संतुलन:** न्यायिक निगरानी से प्रभावी जांच के साथ-साथ संवैधानिक संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।
- **न्यायिक निरंतरता की पुनः पुष्टि:** सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) निर्णय तथा उसके बाद आए न्यायिक फैसलों पर निरंतर भरोसा आपराधिक न्याय प्रणाली में कानूनी स्थिरता, स्पष्टता तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आपराधिक

जांच की प्रत्येक प्रक्रिया में संवैधानिक नैतिकता सर्वोपरि होनी चाहिए। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि ज़बरदस्ती या दबाव पर आधारित जांच तकनीकों के समक्ष व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी अनिवार्य है। यह निर्णय भारत की अधिकार-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत करता है।

शांति विधेयक (परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025)

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रपति ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025 (जिसे आधिकारिक रूप से परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 कहा जाता है) को मंज़ूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार करना है, ताकि निजी निवेश को सक्षम बनाया जा सके और 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता के सरकारी लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में परमाणु ऊर्जा अधिनियम निजी कंपनियों और राज्य सरकारों को परमाणु विद्युत संयंत्रों के संचालन की अनुमति नहीं देता। इसके कारण देश में सभी 24 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टरों का संचालन केवल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया जाता है।

SHANTI विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** यह विधेयक निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के पूरे वैल्यू चेन में भाग लेने की अनुमति देता है जिसमें विद्युत उत्पादन, रिएक्टर निर्माण, उपकरण निर्माण, ईंधन निर्माण तथा अन्य नागरिक परमाणु गतिविधियाँ शामिल हैं, जो पहले परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित थीं।
- **एकीकृत कानूनी ढाँचा:** विधेयक मौजूदा परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानूनों को एक सरल और सुव्यवस्थित कानून में समेकित करने का प्रस्ताव करता है। इससे लाइसेंसिंग, सुरक्षा अनुपालन, विवाद निपटान और नियामकीय स्पष्टता में सुधार होगा तथा उन नियामकीय कमियों को दूर किया जा सकेगा, जो अब तक निजी निवेश में बाधक रही हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** SHANTI विधेयक परमाणु क्षेत्र में 49% तक FDI की अनुमति देता है, जिससे वैश्विक तकनीकी भागीदारों, रणनीतिक निवेशकों और सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ सहयोग संभव होगा।
- **दायित्व और बीमा सुधार:** इस विधेयक में परमाणु दायित्व प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी (liability) को सीमित करना तथा भारतीय परमाणु बीमा पूल (Indian Nuclear Insurance Pool) के माध्यम से ऑपरेटर बीमा ढाँचे का पुनर्गठन शामिल है। इससे भारत की व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जाएगा।
- **नियामकीय सुदृढ़ीकरण:** विधेयक एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण तथा संभवतः एक विशेषीकृत परमाणु न्यायाधिकरण (Nuclear Tribunal) की स्थापना की परिकल्पना करता है, ताकि प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और नियामकीय निश्चितता सुनिश्चित की जा सके।

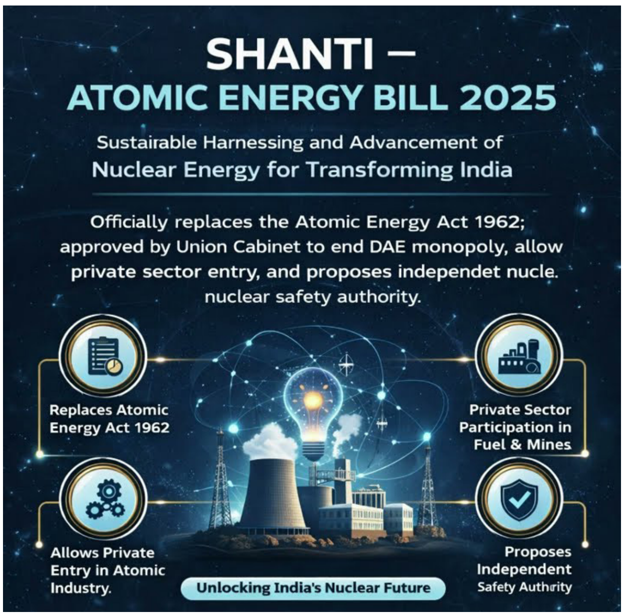

रणनीतिक महत्व:

- **ऊर्जा एवं जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति:** भारत ने 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। स्थिर बेसलोड ऊर्जा स्रोत होने के कारण परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की पूरक है और जीवाश्म ईंधनों पर

निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- **निवेश और नवाचार को बढ़ावा:** निजी क्षेत्र की भागीदारी से बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश आएगा, परमाणु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेज़ी आएगी तथा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) और अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीकों जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **घरेलू अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन:** निजी भागीदारी की अनुमति से भारत में एक प्रतिस्पर्धी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा, जिससे स्वदेशी तकनीक, कौशल विकास और बौद्धिक संपदा (IP) सृजन को बल मिलेगा।

चुनौतियाँ:

- **दायित्व और बीमा ढाँचा:** परमाणु दायित्व व्यवस्था में प्रभावी सुधार अत्यंत आवश्यक है, ताकि वैश्विक तकनीकी प्रदाताओं और घरेलू निवेशकों की जोखिम संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।
- **विनियमन और निगरानी:** स्वतंत्र, विश्वसनीय नियामकों की स्थापना और जोखिम-आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाना सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के पालन के लिए आवश्यक होगा।
- **दीर्घकालिक परियोजना अवधि:** परमाणु परियोजनाओं में लंबा समय और उच्च पूंजी निवेश लगता है इसलिए नीतिगत स्थिरता, विश्वसनीय वित्तपोषण तंत्र और मज़बूत संस्थागत क्षमता अनिवार्य होगी।

निष्कर्ष:

SHANTI विधेयक, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी भारत की परमाणु नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देती है जहाँ राज्य-प्रधान मॉडल से आगे बढ़कर एक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और नवाचार-आधारित ढाँचा अपनाया जा रहा है। यदि संसद से पारित होकर इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह विधेयक भारत की परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूती और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ संक्रमण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ:

हाल ही में सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दे दी है। यह विधायी सुधार भारत के बीमा नियामक ढाँचे के आधुनिकीकरण तथा इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानकों के व्यापक उदारीकरण का लक्ष्य रखता है।

पृष्ठभूमि:

- भारत का बीमा क्षेत्र परंपरागत रूप से तीन प्रमुख क़ानूनों द्वारा शासित रहा है:
  - » बीमा अधिनियम, 1938
  - » भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
  - » बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
- यह विधेयक इन अधिनियमों में संशोधन कर नियामकीय ढाँचे का आधुनिकीकरण, निवेश मानकों का उदारीकरण तथा बीमा क्षेत्र में निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **भारतीय बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है, जिससे पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति मिलेगी।
- **विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व निधि में कमी:** न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ की गई है, जिससे वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **शेयर अंतरण के पंजीकरण के मानदंडों में परिवर्तन:** बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्वीकृति अब तभी आवश्यक होगी जब स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य चुकता शेयर पूँजी (Paid-up Share Capital) के 5% से अधिक हो। पूर्व में यह सीमा 1% थी।
- **बीमा सहकारी समितियाँ:** ₹100 करोड़ की न्यूनतम चुकता शेयर पूँजी (Paid-up Share Capital) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे सहकारी बीमाकर्ताओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया सरल होगी।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागूता:** नियामकीय संशोधनों से संबंधित प्रावधानों का विस्तार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत मध्यस्थों तक किया गया है।
- **बीमा मध्यस्थों का विस्तार:** परिभाषा का विस्तार कर इसमें प्रबंधकीय सामान्य अभिकर्ताओं तथा बीमा अभिलेखागारों को भी शामिल किया गया है।
- **बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की शक्तियों में**

वृद्धि: प्राधिकरण को गैर-बीमा कंपनियों के साथ व्यवस्थाओं को स्वीकृत करने, पॉलिसीधारकों के हितों को जोखिम होने पर बीमाकर्ताओं के निदेशक मंडल को भंग करने, पारिश्रमिक एवं कमीशन का विनियमन करने तथा मध्यस्थों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है।

- **पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष:** पॉलिसीधारकों की सुरक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रशासित एक कोष की स्थापना का प्रावधान है, जिसे अनुदानों, दंडों एवं अन्य निर्दिष्ट स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा।

अपेक्षित प्रभाव:

- **पूँजी प्रवाह एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** पूर्ण विदेशी स्वामित्व से दीर्घकालिक वैश्विक पूँजी आकर्षित होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने तथा जोखिम प्रबंधन, अंडरराइटिंग और ग्राहक सेवा में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समावेशन की संभावना है।
- **बाज़ार विस्तार एवं बीमा पैठ में सुधार:** वैश्विक औसत की तुलना में भारत में बीमा पैठ कम है। बढ़ी हुई पूँजी और प्रतिस्पर्धा से नवाचार, उत्पाद विविधता, डिजिटल अंगीकरण तथा वंचित क्षेत्रों में बाज़ार विस्तार को गति मिल सकती है।
- **पॉलिसीधारक संरक्षण का सुदृढ़ीकरण:** पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष तथा बेहतर नियामकीय निगरानी जैसे प्रावधान उपभोक्ता विश्वास को मज़बूत करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा में सहायक होंगे।
- **संरचनात्मक एवं नियामकीय दक्षता:** पुराने क़ानूनों में संशोधन और एकीकृत नियामकीय मानकों के निर्माण से अनुपालन संबंधी जटिलताएँ कम होंगी, लाइसेंसिंग सरल होगी और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को तेज़ी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में निर्णायक कार्रवाई करने की शक्ति मिलेगी।

निष्कर्ष:

यह विधेयक उदार निवेश व्यवस्था और सुदृढ़ विनियमन के माध्यम से भारत के बीमा पारितंत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है। वैश्विक पूँजी को आकर्षित करने और बीमाधारकों की सुरक्षा को मजबूत बनाकर यह वर्ष 2047 तक सभी के लिए समावेशी बीमा कवरेज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हो सकता है।

संसद से पारित हुआ निरसन और संशोधन विधेयक 2025

संदर्भ:

हाल ही में संसद ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 को पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य कानून पुस्तिका (Statute book) को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है, ताकि ऐसे कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा सके जो समय के साथ पुराने, अनुपयोगी या अप्रासंगिक हो चुके हैं। यह पहल सरकार के निरंतर जारी विधायी सुधारों और कानूनों के युक्तिकरण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक 71 ऐसे अधिनियमों को निरस्त (रद्द) करने का प्रस्ताव करता है, जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं या जिनकी वर्तमान समय में कोई व्यावहारिक आवश्यकता नहीं रह गई है।
- इसके साथ ही, चार मौजूदा कानूनों में संशोधन का भी प्रावधान किया गया है, ताकि मसौदा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सके, शब्दावली को अद्यतन किया जा सके तथा भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाया जा सके।
- जिन अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है, उनमें भारतीय ट्रामवे अधिनियम, 1886; लेवी चीनी मूल्य समानीकरण निधि अधिनियम, 1976 तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) अधिनियम, 1988 जैसे प्रमुख उदाहरण शामिल हैं।

मुख्य संशोधन:

- **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:** इस अधिनियम की धारा 213 को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत कुछ धार्मिक समुदायों को विशिष्ट महानगरीय क्षेत्रों में वसीयत के मामलों में अनिवार्य रूप से न्यायालय से प्रोबेट (अनुमोदन) प्राप्त करना पड़ता था।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** इस अधिनियम की धारा 30 में विद्यमान एक मसौदा संबंधी त्रुटि को संशोधित किया गया है, जिसमें “रोकथाम” (prevention) शब्द के स्थान पर “तैयारी” (preparation) शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि प्रावधान का आशय स्पष्ट हो सके।
- **जनरल क्लॉज़ेज़ अधिनियम, 1897 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:** इन कानूनों में प्रयुक्त “पंजीकृत डाक” (registered post) शब्दावली को बदलकर “पंजीकरण सहित

स्पीड पोस्ट" (speed post with registration) किया गया है, जिससे प्रावधानों को वर्तमान डाक सेवाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

उद्देश्य और तर्क:

- इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर कानूनी ढांचे को वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।
- सरकार का तर्क है कि अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को हटाने से नागरिकों के लिए प्रक्रियाएँ सरल होंगी, नियमों का बोझ घटेगा और परिणामस्वरूप जीवन को सुगम बनाने तथा व्यापार करने में आसानी होगी।
- इसके अतिरिक्त, इन सुधारों का उद्देश्य औपनिवेशिक काल से चली आ रही विधायी विरासत को समाप्त करना और कानून व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना भी है।

व्यापक विधायी प्रवृत्ति:

- यह विधेयक कानूनों के युक्तिकरण (Rationalisation) की एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2014 के बाद से अब तक 1,560 से अधिक केंद्रीय कानूनों को निरस्त किया जा चुका है।
- ऐतिहासिक रूप से भी संसद समय-समय पर रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट्स पारित करती रही है, जिनके माध्यम से दर्जनों, और कई अवसरों पर सैकड़ों, अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को कानून पुस्तिका से हटाया गया है।

महत्त्व:

- **कानूनी स्पष्टता और सुलभता:** अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को हटाने से नागरिकों, व्यवसायों तथा प्रशासनिक संस्थाओं के लिए भ्रम की स्थिति कम होती है और कानूनी अनिश्चितता में कमी आती है।
- **शासन की दक्षता:** सीमित, स्पष्ट और प्रासंगिक कानूनों के होने से विधायी समन्वय बेहतर होता है तथा नीति-निर्माण और प्रशासनिक कार्यान्वयन अधिक प्रभावी बनता है।
- **प्रतीकात्मक सुधार:** यह पहल इस बात का संकेत है कि राज्य अपने कानूनी ढांचे को बदलते समय की आवश्यकताओं और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आधुनिक एवं उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष:

निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 का संसद द्वारा पारित होना भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक, सरल और प्रासंगिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है। इसके माध्यम से पुराने और अनुपयोगी कानूनों को कानून पुस्तिका से हटाया गया है तथा कुछ मौजूदा कानूनों में आवश्यक सुधार किए गए हैं। यद्यपि यह कानूनी व्यवस्था शासन सुधार और प्रशासनिक दक्षता के व्यापक उद्देश्यों को सुदृढ़ करती है, फिर भी यह आवश्यक है कि ऐसे सुधार संतुलित हों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों तथा विधिक संरक्षण को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।

उच्चतम न्यायालय का बाल तस्करी के सन्दर्भ में निर्देश

संदर्भ:

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारत में 'बाल तस्करी' और 'व्यावसायिक यौन शोषण' को एक "गहन चिंताजनक यथार्थ" के रूप में परिभाषित किया है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि कानूनी सुरक्षा तंत्रों की उपलब्धता के बाद भी, ये अपराध अपनी जड़ें जमा चुके हैं और एक सुव्यवस्थित व संस्थागत रूप ले चुके हैं।

निर्णय के विषय में:

- उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों को निर्देशित किया है कि बाल तस्करी और यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों में साक्ष्यों का मूल्यांकन 'कठोर तकनीकी मानकों' के बजाय 'व्यावहारिक संवेदनशीलता' के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का मानना है कि बच्चों की विशेष मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कमजोरियों को देखते हुए, साक्ष्य के पारंपरिक और औपचारिक मानदंडों में लचीलापन आवश्यक है।
- अदालत ने स्वीकार किया कि ये अपराध केवल व्यक्तिगत कृत्य नहीं हैं, बल्कि एक 'गहन संगठित तंत्र' का हिस्सा हैं। ये नेटवर्क इतने जटिल और रणनीतिक तरीके से कार्य करते हैं कि कानून की उपस्थिति के बावजूद शोषण का एक निरंतर चक्र बना रहता है। न्यायालय ने इसे एक 'प्रणालीगत वास्तविकता' माना है जिसे साधारण आपराधिक मामलों से अलग देखा जाना चाहिए।
- निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकांश पीड़ित समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों से आते हैं। उनकी गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक परिवेश अक्सर उन्हें अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त, तस्करी नेटवर्क की

भ्रामक और जटिल कार्यप्रणाली के कारण, किसी भी नाबालिग के लिए घटनाओं का क्रमिक और सटीक विवरण देना कठिन होता है।

- यदि पीड़ित ने शोषण के समय तुरंत विरोध नहीं किया या भागने का प्रयास नहीं किया, तो इसे उसकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे सहमति के बजाय 'विवशता' के रूप में देखा जाना चाहिए। बयानों में छोटी-मोटी कमियों या विरोधाभासों को संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय 'न्यायिक संवेदनशीलता' और 'मानवीय यथार्थवाद' के साथ परखा जाना चाहिए।

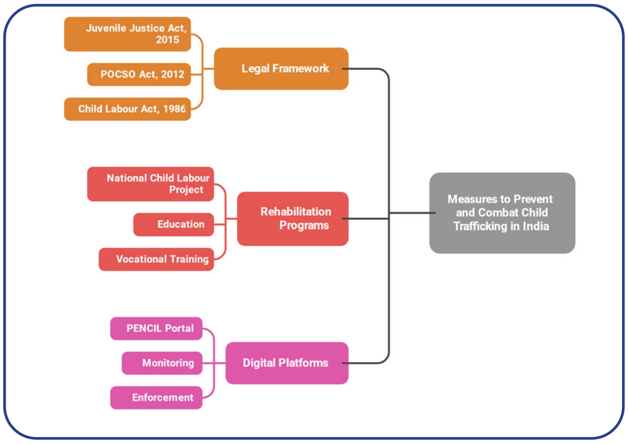

भारत में बाल तस्करी को रोकने के उपाय:

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** तस्करी के शिकार और असुरक्षित बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण का प्रावधान करता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें बच्चों के अनुकूल जांच और सुनवाई प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- **बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है और 14-18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों को प्रतिबंधित करता है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP):** जिला स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम लागू करती है, जिसमें बचाए गए बाल श्रमिकों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उन्हें मुख्यधारा में लाना शामिल है।
- **पेंसिल (PENCIL) पोर्टल:** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य बाल श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना और पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- ये कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी उपाय, जब न्यायिक संवेदनशीलता के साथ पूरक होते हैं, एक ऐसा सुरक्षात्मक तंत्र बनाने का प्रयास करते हैं जो शोषण को रोकता है, प्रवर्तन को मजबूत करता है और पुनर्वास में सहायता करता है।

निष्कर्ष:

यह निर्णय बाल तस्करी के मामलों में 'पीड़ित-केंद्रित' (Victim-Centric) न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संगठित अपराध की जटिलताओं और बच्चों की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, न्यायालय यह सिद्धांत स्थापित करता है कि न्याय को कानूनी कठोरता और सामाजिक वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। प्रक्रियात्मक तकनीकी (Procedural Technicalities) कभी भी बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और सारभूत सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर कैग ऑडिट रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने लोकसभा में पेश अपनी ऑडिट रिपोर्ट में केंद्र सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)" के क्रियान्वयन में पाई गई कई गंभीर अनियमितताओं, कमज़ोरियों और प्रशासनिक कमियों को उजागर किया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बारे में:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना, उनकी रोजगारयोग्यता बढ़ाना तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह योजना निःशुल्क, परिणाम-आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था पर आधारित है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को तीन चरणों "PMKVY 1.0 (2015–16), PMKVY 2.0 (2016–20) और PMKVY 3.0 (2021–22) में लागू किया गया। इन सभी चरणों में कुल ₹14,450 करोड़ का प्रावधान किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या से निपटना है, जो मई 2025 में 15–29 आयु

वर्ग में लगभग 15% दर्ज की गई थी।

CAG रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- दिसंबर 2025 में जारी ऑडिट रिपोर्ट में CAG ने PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 के क्रियान्वयन में कई गंभीर प्रणालीगत तथा संचालन संबंधी कमियों को उजागर किया है:
  - **बैंक खातों में अनियमितताएँ:** हजारों लाभार्थियों के मामलों में अमान्य या फर्जी बैंक खाता नंबर (जैसे "11111111111"), एक ही खाते का बार-बार उपयोग तथा निरर्थक प्रविष्टियाँ दर्ज पाई गईं।
  - **फोटो संबंधी गड़बड़ियाँ:** बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में अनेक उम्मीदवारों के लिए एक ही फोटो का बार-बार उपयोग किया गया।
  - **निष्क्रिय प्रशिक्षण केंद्र:** कई प्रशिक्षण केंद्र वास्तविक रूप से बंद पाए गए, जबकि पोर्टल पर उन्हें सक्रिय दिखाया जा रहा था।
  - **भुगतान में देरी:** 34 लाख से अधिक प्रमाणित उम्मीदवारों को अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत भुगतान नहीं मिल पाया।
  - **गुणवत्ता पर सवाल:** ऐसे नियोक्ताओं द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए जो "Best-in-Class" श्रेणी में शामिल नहीं थे, जिससे प्रदान किए गए कौशल की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।
  - **कमज़ोर संचार व्यवस्था:** ईमेल भेजने में 36.51% तक की विफलता दर दर्ज की गई और उम्मीदवारों की ओर से प्रतिक्रिया लगभग नगण्य रही।

मुख्य प्रभाव:

- CAG की रिपोर्ट नीति के घोषित उद्देश्यों और ज़मीनी स्तर पर उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच मौजूद गहरी खाई को स्पष्ट रूप से उजागर करती है:
  - **प्रौद्योगिकी–शासन अंतर:** स्किल इंडिया पोर्टल (SIP) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता के बावजूद, कमजोर डेटा सत्यापन, सीमित निगरानी और अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र के कारण योजना अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हो सकी।
  - **निगरानी तंत्र की विफलता:** बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्रों का संचालनरत दिखाया जाना और एक ही प्रकार के प्रमाणपत्रों का बार-बार जारी होना यह दर्शाता है कि निरीक्षण, सत्यापन और ऑडिट व्यवस्था कमजोर रही।
  - **समानता और समावेशन पर नकारात्मक असर:** DBT भुगतान में देरी और संचार की कमज़ोर व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव हाशिए पर रहने वाले और वंचित लाभार्थियों पर पड़ा, जिससे योजना के समावेशी उद्देश्य को आघात पहुँचा।
  - **प्रतिक्रियात्मक जवाबदेही की प्रवृत्ति:** आधार आधारित e-KYC, जियो-टैगिंग, QR-कोड युक्त प्रमाणपत्र और कौशल समीक्षा केंद्र जैसे सुधारात्मक कदम तब अपनाए गए जब प्रणालीगत कमियाँ पहले ही उजागर हो चुकी थीं, न कि उन्हें पहले से रोकने के लिए।

निष्कर्ष:

CAG की ऑडिट रिपोर्ट भारत की प्रमुख कौशल विकास योजना की रूपरेखा, डेटा की विश्वसनीयता तथा निगरानी तंत्र में लंबे समय से बनी आ रही कमज़ोरियों को उजागर करती है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव लाखों युवा लाभार्थियों पर पड़ा है। यद्यपि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत की रोजगार सृजन और मानव पूंजी विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है, फिर भी यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि कौशल प्रशिक्षण को वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ रोजगार में परिवर्तित करने के लिए मजबूत संस्थागत निगरानी, बेहतर तकनीकी एकीकरण और सख्त अनुपालन तंत्र को तत्काल सुदृढ़ करना आवश्यक है।

प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025 (Securities Markets Code Bill, 2025) प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारत में प्रतिभूति बाज़ार के विनियमन को एकीकृत और व्यापक रूप से पुनर्गठित करना है। विस्तृत समीक्षा के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में भारत के प्रतिभूति बाज़ार विभिन्न कालखंडों में बनाए गए अनेक क़ानूनों द्वारा शासित हैं जिनमें प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, सेबी अधिनियम, 1992, तथा डिपॉजिटरीज़ अधिनियम, 1996 प्रमुख हैं। समय के साथ इन क़ानूनों में परस्पर आच्छादित प्रावधान, अप्रासंगिक हो चुकी विनियामक अवधारणाएँ तथा प्रक्रियात्मक जटिलताएँ विकसित हो गई हैं, जिससे नियामक

अस्पष्टता और अनुपालन से जुड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

- प्रस्तावित विधेयक इन बिखरे हुए क़ानूनों को निरस्त कर उनके स्थान पर एक एकीकृत, सिद्धांत-आधारित प्रतिभूति बाज़ार संहिता लागू करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य विकसित होती बाज़ार प्रथाओं, तकनीकी नवाचार और वैश्विक मानकों के अनुरूप नियामक स्पष्टता, सुसंगतता और लचीलापन सुनिश्चित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **एकीकरण और सरलीकरण**
  - यह विधेयक प्रतिभूति बाज़ार को शासित करने वाले तीन पुराने क़ानूनों को एक संयुक्त वैधानिक संहिता में समाहित करता है। इस एकीकरण से दोहराव वाले प्रावधान समाप्त होते हैं और क़ानूनी भाषा सरल बनती है, जिससे व्याख्यात्मक विवाद कम होंगे तथा बाज़ार सहभागियों पर अनुपालन का बोझ घटेगा।
- **सेबी को सुदृढ़ बनाना**
  - प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) संहिता के अंतर्गत मुख्य नियामक के रूप में कार्य करता रहेगा।
  - सेबी बोर्ड के सदस्यों की संख्या नौ से बढ़ाकर अधिकतम पंद्रह करने का प्रस्ताव है, जिससे विविध विशेषज्ञता और निर्णय-क्षमता में वृद्धि होगी।
  - हितों के टकराव से संबंधित कठोर मानदंड लागू किए गए हैं, जिनके तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हितों का प्रकटीकरण अनिवार्य होगा। यदि ऐसे हित नियामक स्वतंत्रता या न्यासीय दायित्वों को प्रभावित करते हैं, तो सरकार को बोर्ड सदस्य को हटाने का अधिकार होगा।
- **विनियामक ढाँचा और प्रवर्तन**
  - मामूली प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नागरिक दायित्व के रूप में निपटाने का प्रस्ताव है, जिससे व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - गंभीर अपराध—जैसे बाज़ार का दुरुपयोग, नियामक निर्देशों का पालन न करना तथा जाँच में बाधा डालना—पर कड़े दंड लागू रहेंगे।
  - एक एकीकृत और सुव्यवस्थित निर्णय-निर्धारण व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें जाँच और अंतरिम आदेशों के लिए समयबद्ध सीमाएँ निर्धारित होंगी, जिससे प्रवर्तन की पूर्वानुमेयता, एकरूपता और दक्षता बढ़ेगी।
- **निवेशक संरक्षण और बाज़ार की शुचिता**
  - संहिता निवेशक अधिकार-पत्र, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा अनसुलझी शिकायतों के लिए लोकपाल की नियुक्ति को वैधानिक आधार प्रदान करती है।
  - सेबी को नियामक सैंडबॉक्स स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे प्रणालीगत स्थिरता और निवेशक हितों की सुरक्षा के साथ नवाचारी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का नियंत्रित परीक्षण संभव होगा।
- **अंतर-नियामक समन्वय**
  - विधेयक वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न नियामकों के बीच बेहतर समन्वय को सक्षम बनाता है तथा उन वित्तीय उपकरणों की सूचीबद्धता और निगरानी को सुगम करता है, जो एक से अधिक नियामक अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।

निष्कर्ष:

प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक, 2025 भारत के पूँजी बाज़ार ढाँचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है। एक सुसंगत और सिद्धांत-आधारित विनियामक संरचना प्रस्तुत कर यह विधेयक निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ करने, नियामक शासन में सुधार लाने तथा घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। अनुपालन सरलीकरण, समयबद्ध प्रवर्तन, नवाचार को समर्थन और बाज़ार की शुचिता पर इसका ज़ोर भारत के व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधारों के अनुरूप है, जो पूँजी बाज़ार को गहरा करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने की दिशा में उन्मुख हैं।

एआई जनित सामग्री पर न्यायिक हस्तक्षेप और व्यक्तित्व अधिकार

संदर्भ:

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अंतरिम राहत देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एआई से जुड़ी संस्थाओं को उनके मॉर्फ्ड या बदले हुए चित्रों एवं वीडियो के प्रसारण पर रोक का आदेश दिया है। इसी तरह, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर. माधवन की छवि के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए एआई जनित सामग्री को हटाने और उनकी समानता का उपयोग कर बनाए गए मर्चेंडाइज की बिक्री पर रोक का आदेश दिया। ये मामले इस बात को दर्शाते हैं कि अब कई सेलिब्रिटी जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर उनके नाम, छवि और पहचान के दुरुपयोग

के खिलाफ व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालयों का सहारा ले रहे हैं।

भारत में व्यक्तित्व अधिकार:

- **परिभाषा**
  - व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत गुणों, जैसे- नाम, छवि, आवाज़, समानता तथा विशिष्ट अभिव्यक्तियों या गुणों के उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करते हैं।
  - ये अधिकार व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक दोनों प्रकार के शोषण को शामिल करते हैं।
- **भारत में कानूनी स्थिति:**
  - भारत में व्यक्तित्व अधिकार किसी एक विशेष क़ानून में स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध नहीं हैं। हालांकि, इन्हें विभिन्न मौजूदा क़ानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त है।

प्रमुख घटक:

- **प्रचार का अधिकार:** किसी व्यक्ति की छवि या समानता के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकता है। आंशिक रूप से ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संरक्षित।
- **निजता का अधिकार:** बिना सहमति किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ निर्णय (2017) में स्पष्ट किया गया।

मृत्युोपरांत व्यक्तित्व अधिकार:

- भारत में मृत्यु के बाद व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर कोई स्पष्ट वैधानिक मान्यता नहीं है।
- प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम, 1950 महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री की छवि के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- दीपा जयकुमार बनाम ए.एल. विजय मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **आईसीसी डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम अर्वी एंटरप्राइजेज:** इसमें प्रचार अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन माना गया।
- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस:** न्यायालय ने माना कि डिजिटल स्पेस में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का कानूनी महत्व भौतिक दुनिया के समान है।
- **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस:** किसी सेलिब्रिटी के नाम या छवि का अनधिकृत उपयोग व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है।

आदेशों का महत्व:

- **डिजिटल निजता की सुरक्षा:** एआई और डीपफेक तकनीक के कारण किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो या पहचान का गलत इस्तेमाल आसान हो गया है। व्यक्तित्व अधिकार ऐसे दुरुपयोग से व्यक्ति की डिजिटल निजता की रक्षा करते हैं।
- **निवारक न्यायिक हस्तक्षेप:** अब न्यायालय नुकसान होने के बाद नहीं, बल्कि नुकसान होने से पहले ही रोक लगाने वाले आदेश (निषेधाज्ञा) जारी कर रहे हैं। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को होने वाली अपूरणीय क्षति रोकी जा सकती है।
- **तकनीकी उत्तरदायित्व:** न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि एआई का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। एआई का प्रयोग संविधान और क़ानून की सीमाओं के अन्दर, जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

शिल्पा शेट्टी और आर. माधवन मामले में दी गई अंतरिम राहत और दिल्ली हाईकोर्ट के समान आदेश यह दर्शाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका डिजिटल व्यक्तित्व की रक्षा के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। एआई आधारित हेरफेर और दुरुपयोग से उत्पन्न नई चुनौतियों के संदर्भ में, ये निर्णय भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन के एक महत्वपूर्ण विकास चरण को दर्शाते हैं।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत–रूस रणनीतिक साझेदारी: महत्त्व और निहितार्थ

सन्दर्भ:

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में 4–5 दिसंबर को दो दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर थे। यह यात्रा 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के साथ सम्पन्न हुई, जिसने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की। इस शिखर सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि दशकों से चली आ रही रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहभागिता पर आधारित द्विपक्षीय संबंध, तीव्र वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद, लचीले और सुदृढ़ बने हुए हैं।

भारत–रूस संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **आधार और शीत युद्ध:**
  - » स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखना था। किंतु व्यवहार में, रणनीतिक आवश्यकताओं के चलते भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान, जब पश्चिमी देशों ने हथियार प्रतिबंध लगाए तब सोवियत संघ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता बना।
  - » सामग्री सहायता के साथ-साथ, सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर भारत को कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई। सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान–प्रदान ने भी इस संबंध को सुदृढ़ किया।
- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - » आधुनिक भारत–रूस साझेदारी का औपचारिक रूप अक्टूबर 2000 में पुतिन की पहली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के रूप में सामने आया। इस ढाँचे के अंतर्गत वार्षिक शिखर सम्मेलन, अंतर-मंत्रालयी समितियाँ और कार्य समूह स्थापित किए गए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नियमित और संरचित संवाद संभव हुआ।
  - » समय के साथ यह साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुई, जो सहयोग की गहराई और व्यापकता को दर्शाती है।
  - » इस उन्नत साझेदारी में रक्षा सहयोग, कूटनीतिक परामर्श, ऊर्जा सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदान–प्रदान तथा जन–जन संपर्क शामिल रहे हैं। शीत युद्ध के बाद के दौर से लेकर रूस–यूक्रेन संघर्ष तक, वैश्विक भू-राजनीतिक उतार–चढ़ाव के बावजूद यह संबंध स्थिर बना है।
- **रक्षा और प्रौद्योगिकीय सहयोग:**
  - » दशकों से रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, जिसने लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बियाँ और मिसाइल प्रणालियाँ प्रदान की हैं। केवल आयात तक सीमित न रहते हुए, यह सहयोग प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-उत्पादन तक विस्तारित हुआ है, जिससे भारत की स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि हुई।
  - » टी-90 टैंकों और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों का सह-उत्पादन भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में इस सहयोगी दृष्टिकोण का उदाहरण है। अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण, उपग्रह प्रक्षेपण और संयुक्त रॉकेट इंजन परियोजनाएँ, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों के सहयोग और गहन रणनीतिक परस्पर निर्भरता को दर्शाती हैं, जो भारत की सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय

आकांक्षाओं को सुदृढ़ करती हैं।

- **ऊर्जा और आर्थिक संबंध:**
  - » ऊर्जा, भारत–रूस संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ रही है। रूस ने भारत को कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस और कोयला आपूर्ति किया है। 2022 के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रियायती तेल आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई और पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटी।
  - » हालाँकि, द्विपक्षीय व्यापार में एक संरचनात्मक असंतुलन बना हुआ है। भारत का आयात मुख्यतः ऊर्जा पर केंद्रित है, जबकि भारतीय निर्यात सीमित है। दोनों पक्ष व्यापार को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार करते रहे हैं।

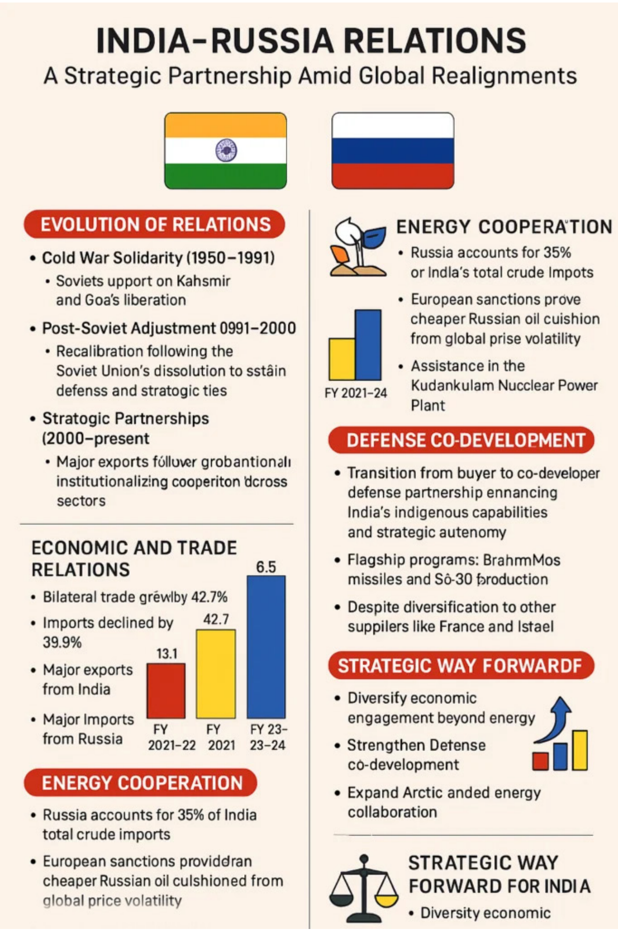

23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का रणनीतिक महत्व:

- 23वाँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (4–5 दिसंबर 2025) कई पक्षों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि:
  - » वर्ष 2000 की रणनीतिक साझेदारी घोषणा के 25 वर्ष पूरे हुए जो द्विपक्षीय संबंधों की दीर्घकालिकता और विश्वास-आधारित प्रकृति की पुष्टि करता है।
  - » विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई, जिसमें एक-दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के सम्मान और रणनीतिक अभिसरण पर बल दिया गया।
  - » समान और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित भारत–रूस संबंधों को वैश्विक शांति और स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया।
- संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि जटिल और अनिश्चित भू-राजनीतिक वातावरण के बावजूद, द्विपक्षीय संबंधों ने लचीलापन, अनुकूलनशीलता और निरंतरता प्रदर्शित की है। इसमें भारत–रूस संबंधों को साझा विदेश नीति प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और मानवीय क्षेत्रों में सहयोग की पूर्ण क्षमता को साकार करना है।
- कज़ान और येकातेरिनबर्ग में भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन, राजधानी-केंद्रित कूटनीति से आगे बढ़ते हुए, अंतर-क्षेत्रीय जुड़ाव, व्यापार सुविधा और जन–जन संपर्क पर बढ़ते पक्ष को दर्शाता है।

2025 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **विजन 2030 आर्थिक रोडमैप:** शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण विज़न 2030 आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की घोषणा थी, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है। यह रोडमैप ऊर्जा से परे व्यापार विविधीकरण, गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने और व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपया और रूबल) के उपयोग और वैकल्पिक भुगतान तंत्र के विकास पर भी बल दिया गया है, ताकि बाहरी दबावों से व्यापार को सुरक्षित रखा जा सके।
- **ऊर्जा और आपूर्ति आश्वासन:** रूस ने भारत को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति का आश्वासन दिया, जो वैश्विक ऊर्जा प्रतिस्पर्धा और रूसी ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंधों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आश्वासन भारत की बढ़ती घरेलू माँग और औद्योगिक निरंतरता के

लिए आवश्यक है।

- **रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग:** शिखर सम्मेलन में रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें सुखोई-57 लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणालियों के संभावित सह-उत्पादन पर चर्चा शामिल थी। अंतरिक्ष सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा अनुसंधान पर संवाद ने सैन्य-तकनीकी सहयोग के भविष्यन्मुखी स्वरूप को रेखांकित किया।

बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन:

- संयुक्त वक्तव्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर मजबूत सहमति बनी:
  - संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, जिसमें भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन दोहराया गया।
  - जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में सहयोग को सुदृढ़ करना, विशेषकर:
    - वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएँ
    - बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार
    - आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और महत्वपूर्ण खनिज
  - वैश्विक तथा एशियाई स्तर पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता।

आतंकवाद-रोधी सहयोग:

- आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण।
- पहलगाम (2025) और मॉस्को (2024) में हुए आतंकी हमलों की संयुक्त निंदा।
- निम्नलिखित के लिए समर्थन:
  - अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को शीघ्र अपनाना
  - आतंकवादियों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर दिल्ली घोषणा का कार्यान्वयन
- राज्य उत्तरदायित्व पर बल और दोहरे मानदंडों की अस्वीकृति।
- समग्र रूप से, संयुक्त वक्तव्य रणनीतिक स्वायत्तता, पुनर्गठित बहुपक्षवाद, आतंकवाद-रोधी सहयोग और वैश्विक स्थिरता पर भारत–रूस के बीच मजबूत सामंजस्य को रेखांकित करता है।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ:

- **भारत के लिए:**
  - रणनीतिक स्वायत्तता: इस यात्रा ने यह स्पष्ट किया कि भारत रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत जुड़ाव रख सकता है।
  - आर्थिक विविधीकरण: व्यापार असंतुलन को दूर करने और रूस में भारतीय निर्यात बढ़ाने के प्रयास, अधिक संतुलित और रणनीतिक आर्थिक सहभागिता की ओर संकेत करते हैं।
- **रूस के लिए:**
  - रूस के लिए भारत, एशिया में एक अनिवार्य रणनीतिक साझेदार बना हुआ है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में सहायक है।
  - यह यात्रा रूस को एक प्रमुख एशियाई शक्ति के साथ संबंधों की पुनः पुष्टि और वैश्विक दबावों के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है।
- **वैश्विक प्रभाव:**
  - यह शिखर सम्मेलन द्विध्रुवीय गुटों में विश्व को बाँटने के प्रयासों के विरुद्ध बहुध्रुवीय सहयोग के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
  - इस यात्रा पर पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाएँ इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि यूरेशियाई भू-राजनीति में भारत–रूस संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।
  - चीन की संतुलित प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हुआ कि क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरण गतिशील हैं और वैश्विक दक्षिण की कूटनीति में भारत की भूमिका केंद्रीय है।

निष्कर्ष:

व्लादिमीर पुतिन की 2025 की भारत यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी। इसने ऐतिहासिक विश्वास पर आधारित बहुआयामी साझेदारी की पुनः पुष्टि की, साथ ही समकालीन रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप उसके विकास को भी रेखांकित किया। यह यात्रा भारत की सूक्ष्म कूटनीति को दर्शाती है, जिसमें रणनीतिक स्वायत्तता के साथ बहुपक्षीय जुड़ाव संतुलित रूप से साधा गया है, जबकि रूस ने इस साझेदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बीच अपनी स्थिरता और प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास किया। भविष्य की ओर देखते हुए, विज़न 2030 रोडमैप, आर्थिक विविधीकरण, रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार और ऊर्जा साझेदारी भारत–रूस संबंधों को एक

तेजी से बदलती दुनिया में रणनीतिक स्थिरता का आधार बनाते हैं। यह सिद्ध करता है कि स्थायी साझेदारियाँ केवल इतिहास की देन नहीं होतीं, बल्कि दूरदर्शी और सतत कूटनीति का परिणाम भी होती हैं। 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को समय-परीक्षित, विश्वास-आधारित और भविष्यन्मुखी संबंध के रूप में पुनः स्थापित किया जहाँ रणनीतिक गहराई, आर्थिक व्यावहारिकता और बहुध्रुवीय विश्व के लिए साझा दृष्टि एक साथ समाहित हैं।

संक्षिप्त मुद्दे

23वां भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

संदर्भः

हाल ही में 4–5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 23वां भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 2000 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर के साथ संपन्न हुआ। पिछले 25 वर्षों में भारत–रूस संबंध निरंतर विकसित होकर "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्वरूप में परिवर्तित हो चुके हैं, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामः

- इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि 2030 तक भारत–रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के लिए व्यापक कार्यक्रम को अपनाना रही, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए इसे अधिक विविध बनाना है।
- दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुँचाने के लक्ष्य की पुनर्पुष्टि की। इसके लिए टैरिफ एवं गैर–टैरिफ बाधाओं को कम करने, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने और राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी।
- सहयोग के नए क्षेत्रों में उर्वरक, कृषि, हाई–टेक विनिर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री परिवहन और श्रमिक गतिशीलता को शामिल किया गया।
- ऊर्जा और परमाणु सहयोग के क्षेत्र में रूस को भारत का दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदार के रूप में फिर से रेखांकित किया गया। नागरिक परमाणु सहयोग को और मजबूत करते हुए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) के लिए ईंधन चक्र सहयोग, रखरखाव और समर्थन पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही VVER रिएक्टरों और स्थानीय विनिर्माण आधारित नई परमाणु परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
- उन्नत एवं अत्याधुनिक तकनीकों "जैसे रॉकेट इंजन, उपग्रह नेविगेशन और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग" में सहयोग को गति देने पर सहमति हुई। रक्षा क्षेत्र में दोनों पक्षों ने परंपरागत खरीदार–विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर संयुक्त शोध, सह–विकास और सह–उत्पादन के मॉडल पर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- भविष्य की योजनाओं में स्पेयर पार्ट्स का स्थानीय विनिर्माण (Make in India के तहत), संयुक्त रखरखाव एवं सर्विसिंग केंद्रों की स्थापना, और स्थानीय रूप से निर्मित रूस–मूल रक्षा प्लेटफॉर्मों के संभावित निर्यात को भी शामिल किया गया है।

रणनीतिक महत्वः

- इस शिखर सम्मेलन ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत

किया तथा वैश्विक शक्ति–प्रतिस्पर्धा और ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय माहौल के बीच भारत की संतुलित और स्वतंत्र कूटनीतिक नीति के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत दिया।

- साझेदारी का विस्तार परमाणु ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल्स और नवाचार जैसे उच्च–प्रभावी और भविष्य–उन्मुख क्षेत्रों में होने से भारत–रूस संबंधों को आने वाले दशक की भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित किया गया है।
- दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए, आर्कटिक सहयोग और नॉर्दर्न सी रूट से जुड़ी पहलें भारत के लिए वैश्विक कनेक्टिविटी, व्यापार मार्गों में विविधता और लॉजिस्टिक दक्षता के नए अवसर प्रस्तुत करती हैं।
- रक्षा क्षेत्र में सह–उत्पादन, तकनीकी सहयोग और विनिर्माण क्षमता के विस्तार से भारत की आत्मनिर्भरता, सैन्य तैयारी और रणनीतिक मजबूती को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ:

- प्रमुख चुनौतियों में रूस की रक्षा एवं ऊर्जा आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता, पश्चिमी देशों से बढ़ता भू–राजनीतिक दबाव, तथा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन से जुड़े व्यावहारिक जोखिम शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, वैश्विक अनिश्चितताएँ, जैसे प्रतिबंध, आपूर्ति–श्रृंखला में बाधाएँ और वस्तु बाज़ार में उतार–चढ़ाव भी निर्धारित परिणामों एवं सहयोग योजनाओं की प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत–रूस संबंध:

- भारत–रूस संबंध ऐतिहासिक, रणनीतिक और बहुआयामी हैं। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान-प्रौद्योगिकी और वैश्विक कूटनीति, सभी क्षेत्रों में दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग रहा है।
- वर्ष 2010 में इस साझेदारी को 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया।

मुख्य सहयोग क्षेत्र:

- **रक्षा (Defence)**
  - रूस, भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है।
  - प्रमुख प्लेटफॉर्म: S-400, ब्रह्मोस, सुखोई-30 MKI, T-90 टैंक।
  - संयुक्त उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और दीर्घकालीन लॉजिस्टिक सहयोग।
- **ऊर्जा:**
  - रियायती रूसी कच्चा तेल और उर्वरकों की आपूर्ति।
  - परमाणु ऊर्जा में साझेदारी: कुडनकुलम परियोजना।
  - LNG, आर्कटिक ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में भविष्य की संभावनाएँ।
- **व्यापार एवं संपर्क:**
  - द्विपक्षीय व्यापार USD 65 बिलियन से अधिक।
  - चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, INSTC जैसे प्रोजेक्ट सहयोग बढ़ाते हैं।
  - **लक्ष्य:** 2030 तक व्यापार को USD 100 बिलियन तक पहुँचाना।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**
  - अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और उभरती तकनीकों में सहयोग।
- **भू-राजनीति:**
  - BRICS, SCO, G20 जैसे मंचों पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन।
  - यूरेशियन और वैश्विक मुद्दों पर सामरिक समन्वय।

निष्कर्ष:

23वां शिखर सम्मेलन भारत–रूस साझेदारी के संरचनात्मक उन्नयन का प्रतीक है, जिससे यह संबंध उभरते वैश्विक भू–राजनीतिक परिदृश्य और नई अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप और अधिक सशक्त हुआ है। यदि घोषित योजनाओं और पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो भविष्य में भारत के ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकीय क्षमता में विस्तार और बहु–ध्रुवीय वैश्विक भूमिका जैसे प्रमुख रणनीतिक लक्ष्यों को उल्लेखनीय रूप से गति प्रदान कर सकता है।

भारत 2026–27 के लिए आईएमओ परिषद में पुनः निर्वाचित

संदर्भ:

हाल ही में भारत को 2026–27 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद के सदस्य के रूप में दोबारा चुना गया है, जो वैश्विक समुद्री शासन में उसकी मजबूत और निरंतर होती भूमिका का प्रमाण है। लंदन में आयोजित आईएमओ असेंबली के 34वें सत्र के दौरान

संपन्न चुनाव में भारत ने 169 वैध मतों में से 154 मत प्राप्त किए, जो उसके वर्ग के सभी उम्मीदवारों में सर्वाधिक थे।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद के बारे में:

- आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिपिंग को विनियमित करने, समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वैश्विक मानकों का निर्धारण करना है।
- आईएमओ परिषद असेंबली की कार्यकारी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसे प्रत्येक दो वर्ष के लिए चुना जाता है तथा यह असेंबली के सत्रों के बीच संगठन के कार्य कार्यक्रम, बजट और नियामकीय ढांचे की समग्र निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है।
- परिषद में कुल 40 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों से चुना जाता है। भारत श्रेणी 'B' में आता है, जो उन देशों के लिए आरक्षित है जिनका अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण हित होता है। इस श्रेणी में कुल 10 सदस्य देश शामिल रहते हैं।
- 2026–27 कार्यकाल के लिए परिषद के चुनाव 28 नवंबर 2025 को 34वीं आईएमओ असेंबली के दौरान गुप्त मतदान के माध्यम से आयोजित किए गए।

भारत के दोबारा चुने जाने का महत्व:

- **वैश्विक मान्यता:** 169 में से 154 वोट प्राप्त करना और अपने वर्ग में सर्वाधिक मत हासिल करना, यह दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय भारत की समुद्री नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग शासन में उसकी रचनात्मक और विश्वसनीय भूमिका पर गहरा विश्वास रखता है।
- **समुद्री सहभागिता में निरंतरता:** पुनर्निर्वाचन से भारत को आईएमओ के महत्वपूर्ण निर्णयों पर निरंतर प्रभाव बनाए रखने का अवसर मिलता है, जिसमें शिपिंग से जुड़े नियम, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरणीय मानक और महासागरों के सतत एवं जिम्मेदार उपयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- **समुद्री कूटनीति और ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन:** यह प्रबल जनादेश भारत की समुद्री विकास आकांक्षाओं को और गति प्रदान करता है तथा बंदरगाह अवसंरचना, जहाज निर्माण और जल-मार्गों के विस्तार जैसे क्षेत्रों में चल रही पहलों को विजन 2047 जैसी दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीतियों के अनुरूप मजबूत समर्थन देता है।
- **वैश्विक समुद्री व्यवस्था में रणनीतिक प्रभाव:** आईएमओ परिषद में भारत की उपस्थिति उसे समुद्री सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी, जहाज रीसाइक्लिंग, प्रदूषण नियंत्रण और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे वैश्विक मानकों के निर्माण और सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करती है, जिससे न केवल भारत बल्कि व्यापक वैश्विक दक्षिण के हितों को भी सुदृढ़ समर्थन मिलता है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- **नियमों पर प्रभाव:** भारत पर्यावरण-अनुकूल शिपिंग, हरित जहाज रीसाइक्लिंग, समुद्री पर्यावरण संरक्षण और विकासशील देशों की क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों के लिए मजबूती से आवाज उठा सकेगा।
- **घरेलू समन्वय:** आईएमओ में भारत की सक्रिय भूमिका देश के तेजी से विकसित हो रहे समुद्री बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने में सहायक होगी, जिससे वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ भारत का अधिक सुगम और कुशल एकीकरण संभव हो सकेगा।
- **कूटनीतिक बढ़त:** यह उपलब्धि भारत की सॉफ्ट पावर को और सुदृढ़ बनाती है तथा उसे विकसित और विकासशील समुद्री देशों के बीच एक सेतु एवं सहमति-निर्माता के रूप में स्थापित करती है।
- **सतत विकास में नेतृत्व:** भारत को वैश्विक मंचों पर समावेशी, जलवायु-संवेदी और सतत समुद्री विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने तथा उसे नीति-निर्माण के केंद्र में लाने का अवसर मिलता है।

निष्कर्ष:

2026–27 के लिए आईएमओ परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन और वह भी सर्वाधिक मतों के साथ, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है। यह न केवल भारत की उभरती समुद्री शक्ति की स्थिति को और सुदृढ़ करता है, बल्कि उसे वैश्विक शिपिंग मानकों के निर्माण और सुधार में सक्रिय

योगदान देने का व्यापक अवसर भी प्रदान करता है।

ऑपरेशन सागर बंधु

सन्दर्भः

हाल ही में श्रीलंका में आए चक्रवात 'दित्वाह' (Cyclone Ditwah) से बड़े पैमाने पर विनाश होने के कारण भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। यह एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत मिशन था, जिसका उद्देश्य प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता, राहत सामग्री और आवश्यक समर्थन प्रदान करना था। यह कदम भारत की "पड़ोसी प्रथम नीति" और "विजन महासागर के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें भारत समुद्री क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा और मानवीय सहायता को प्राथमिकता देता है।

पृष्ठभूमिः

- चक्रवात 'दित्वाह' एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने श्रीलंका में तेज़ हवाओं, भारी वर्षा और समुद्री तूफ़ानी लहरें (storm surges) के कारण भारी जान-माल की क्षति और विस्थापन पैदा किया।
- भारत की प्रतिक्रिया का लक्ष्य था, सैन्य एवं नागरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए त्वरित और प्रभावी मानवीय सहायता प्रदान करना ताकि लोगों की पीड़ा कम हो सके।

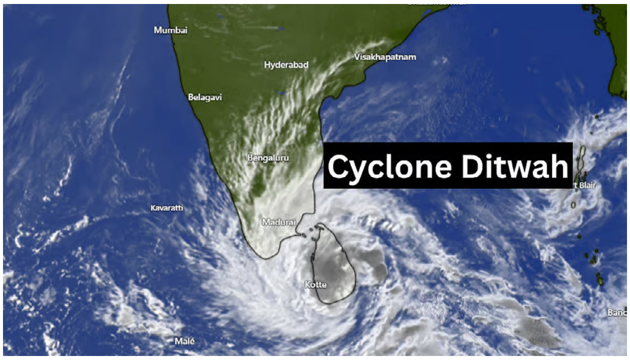

महत्वः

- **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत क्षमताः** भारत ने यह दिखाया कि वह अपने पड़ोसी देशों को तेज़, संगठित और प्रभावी तरीके से आपदा राहत प्रदान करने में सक्षम है।
- **रणनीतिक कूटनीतिः** इस ऑपरेशन ने भारत-श्रीलंका संबंधों को और मजबूत किया तथा पड़ोसी प्रथम नीति को वास्तविक रूप में लागू करने का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **समुद्री एवं वायु शक्ति का उपयोगः** भारतीय नौसेना और वायुसेना ने युद्ध भूमिकाओं से आगे बढ़कर मानवीय मिशनों में अपनी लचीलापन और क्षमता प्रदर्शित की।
- **क्षेत्रीय नेतृत्वः** इससे भारत की छवि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक उत्तरदायी, सक्षम और विश्वसनीय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत हुई।

चक्रवातों के बारे में:

- **घूमने की दिशा (Rotation)**
  - उत्तरी गोलार्धः एंटीक्लॉकवाइज़
  - दक्षिणी गोलार्धः क्लॉकवाइज़
- **शब्द की उत्पत्ति :**
  - "Cyclone" शब्द ग्रीक भाषा के "Cyclos" से आया है, जिसका अर्थ है — "साँप की कुंडली।"
  - यह नाम हेनरी पिडिंगटन द्वारा दिया गया।
- **चक्रवातों के प्रकार (Types)**
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones):** कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बनते हैं। वायु की गति 63 किमी/घंटा से अधिक
  - **बहिर्उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extratropical Cyclones):** 35°–65° अक्षांश के मध्य, गर्म और ठंडी हवा के मिलने से बनते हैं।
- **बनने की अवस्थाएँ**
  - **निर्माण (Formation):**
    - गर्म समुद्र, नमी
    - ऊर्ध्वाधर वायुवहन
    - घना बादल बनना
  - **परिपक्व अवस्था (Mature Stage):**
    - आई (eye) का निर्माण
    - बादलों की वलयों जैसी संरचना
  - **क्षीणन (Decay):**
    - भूमि पर आने पर या ठंडे जल पर पहुँचने पर नमी कम हो जाती है, चक्रवात कमजोर हो जाता है।
- **नामकरणः**
  - 8 देश "भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड" मिलकर नाम तय करते हैं।
  - उदाहरणः हुदहुद, अम्फान, फानी, वायु आदि।

- **वैश्विक नाम**
  - अटलांटिक / कैरेबियन क्षेत्र: हरिकेन
  - पश्चिमी प्रशांत / चीन सागर: टाइफून
  - ऑस्ट्रेलिया: विली-विली
  - अमेरिका / पश्चिमी अफ्रीका: टॉरनेडो

निष्कर्ष:

ऑपरेशन सागर बंधु भारत के सैन्य लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञता और पड़ोसी देशों के प्रति मानवीय प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह न केवल भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमता को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जलवायु-जनित आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों के समय भारत भारतीय महासागर क्षेत्र में एक मानवीय शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध

संदर्भ:

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, 9 दिसंबर, 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है।

प्रतिबंध के पीछे का तर्क:

- एल्गोरिथम-संचालित अनिवार्य जुड़ाव से सुरक्षा, जो नशे की लत वाले व्यवहार को सुदृढ़ कर सकता है।
- उत्पीड़न, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण के संपर्क को कम करना।
- स्वैच्छिक आयु सत्यापन और अभिभावकीय नियंत्रणों में अंतराल को संबोधित करना, जो प्लेटफार्मों पर अपर्याप्त और असंगत हैं।
- तकनीकी कंपनियों द्वारा केवल स्व-नियमन पर निर्भर रहने के बजाय, एक स्पष्ट, प्रवर्तनीय कानूनी ढांचा स्थापित करना।

आयु-आधारित डिजिटल विनियमन में वैश्विक रुझान:

- **यूरोप:**
  - **यूनाइटेड किंगडम:** ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम हानिकारक सामग्री से सुरक्षा अनिवार्य करता है, लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करता है।
  - **फ्रांस:** 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
  - **जर्मनी:** 13-16 वर्ष की आयु के किशोरों को अभिभावक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे कभी-कभी प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन के आधार पर सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं।
- **एशिया:**
  - **चीन:** डिवाइस-स्तर के नियंत्रण, अनिवार्य स्क्रीन-टाइम सीमा और ऑनलाइन गतिविधियों पर प्रतिबंध के साथ एक सख्त "माइनर मोड"; अधिकांश अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया गया है।
  - **मलेशिया:** ऑस्ट्रेलिया के समान, मलेशिया भी 16 वर्ष से कम उम्र के प्रतिबंध पर विचार कर रहा है।
  - **अफ़ग़ानिस्तान और ईरान:** सीमित या फ़िल्टर्ड सोशल मीडिया एक्सेस के साथ अत्यधिक प्रतिबंधात्मक वातावरण।
  - **उत्तर कोरिया:** नागरिक केवल राज्य-नियंत्रित इंट्रानेट तक पहुंच सकते हैं; वैश्विक इंटरनेट पर प्रतिबंध है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - COPPA (बच्चों का ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम): 13 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा संग्रह को नियंत्रित करता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करता है।

आयु-आधारित प्रतिबंधों के साथ चुनौतियाँ:

- **प्रवर्तन सीमाएँ:** प्लेटफ़ॉर्म मुख्य रूप से उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज की गई उम्र को ही मानते हैं।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** गोपनीयता से समझौता किए बिना मजबूत आयु सत्यापन लागू करना मुश्किल है।
- **जटिल व्यवहार संबंधी चिंताएँ:** अकेले कानूनी उपाय गहरे विकासात्मक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकते हैं।

नीति और समाज के लिए महत्व:

- बाल डिजिटल सुरक्षा, स्क्रीन की लत, साइबरबुलिंग और हानिकारक सामग्री के बारे में बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है।
- विधान, डिजिटल साक्षरता, माता-पिता की भागीदारी और तकनीकी सुरक्षा उपायों के संयोजन वाले संतुलित दृष्टिकोणों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

- भारत के लिए संदर्भ-विशिष्ट सबक प्रदान करता है, जिसे लाभकारी डिजिटल पहुंच को प्रतिबंधित किए बिना बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए।

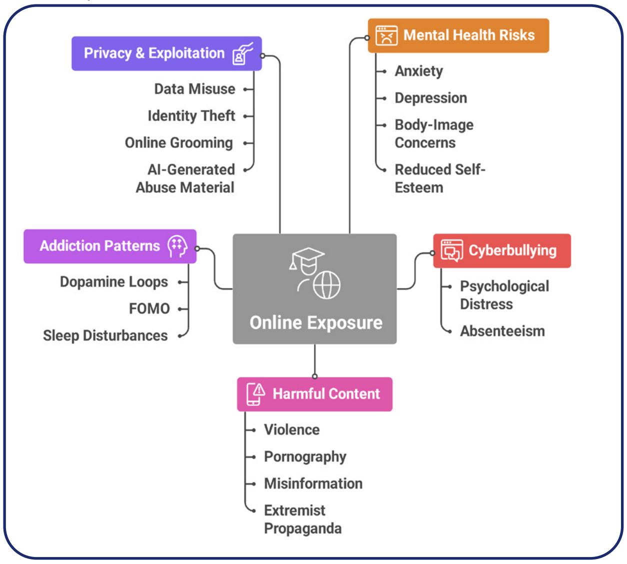

भारत में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग

- **अधिक पहुँच:** 2021 में लगभग 43% भारतीय बच्चों (8-18 वर्ष) के सक्रिय सोशल मीडिया एकाउंट थे।
- **समय व्यतीत:** कई लोग प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक ऑनलाइन बिताते हैं; महाराष्ट्र में, 17% प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक खर्च करते हैं।
- **प्लेटफ़ॉर्म प्राथमिकताएँ:**
    - 14-15 वर्ष के 76% बच्चे सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।
    - वीडियो और ओटीटी (OTT) प्लेटफार्मों तक भी व्यापक रूप से पहुंचा जाता है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ:

- **मानसिक स्वास्थ्य जोखिम:** ऑनलाइन संपर्क से जुड़ी चिंता, अवसाद और सम्मान का कम होना।
- **साइबरबुलिंग:** 3 में से 1 भारतीय बच्चे ने साइबरबुलिंग (यूनिसेफ, 2019) का सामना किया है, जिससे मनोवैज्ञानिक संकट और अनुपस्थिति होती है।
- **हानिकारक सामग्री के संपर्क में:** इसमें हिंसा, अश्लीलता, गलत सूचना और चरमपंथी प्रचार शामिल हैं।
- **आदत के पैटर्न:** एआई (AI)-संचालित एल्गोरिदम डोपामाइन लूप, एफओएमओ (FOMO - कुछ छूट जाने का डर), और नींद में गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।
- **गोपनीयता और शोषण का जोखिम:** इसमें डेटा का दुरुपयोग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ग्रूमिंग और एआई-जनित दुर्व्यवहार सामग्री जैसे उभरते खतरे शामिल हैं।

भारत में नियामक और नीतिगत संदर्भ:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023:
    - बच्चों के डेटा की सुरक्षा करता है,
    - माता-पिता की सहमति आवश्यक है,
    - बच्चों को लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
- हालांकि, प्रवर्तन तंत्र और प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही में अंतराल बना हुआ है।

निष्कर्ष:

ऑस्ट्रेलिया का 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध डिजिटल शासन में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत में अमेरिका के सीओपीपीए (COPPA) के समान कोई कानून नहीं है, जो विशेष रूप से बच्चों की ऑनलाइन पहुंच, डेटा प्रबंधन और डिजिटल अधिकारों को विनियमित करता हो। यह निर्णय वैश्विक सरकारों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वे एल्गोरिद्म, कॉर्पोरेट हितों और बच्चों की नाजुक मानसिकता के बीच संतुलन स्थापित करें।

मेक्सिको द्वारा भारत पर 50% तक टैरिफ

सन्दर्भ:

मेक्सिको ने हाल ही में भारत, चीन तथा अन्य एशियाई देशों से आयातित वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क (Tariff) लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ उन देशों पर प्रभावी होगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है। भारत इस श्रेणी में शामिल है। यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू होगा जिससे 1400 से अधिक उत्पाद प्रभावित होंगे। यह कदम वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद (Protectionism) को दर्शाता है।

मेक्सिको के निर्णय के पीछे प्रमुख कारण:

- **घरेलू उद्योग संरक्षण:** पिछले कुछ वर्षों में एशियाई देशों विशेषकर भारत और चीन, से सस्ते औद्योगिक उत्पादों की बढ़ती आयात ने मेक्सिको के घरेलू विनिर्माण आधार पर भारी दबाव डाला है। जिससे

मेक्सिको के एमएसएमई, ऑटो-पार्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील और प्लास्टिक उद्योग प्रभावित हुए हैं।

- **रोज़गार सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता:** मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। सस्ते आयात के कारण जब स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है, तो इसका सीधा असर रोज़गार कटौती और मजदूरी दबाव के रूप में सामने आता है। टैरिफ बढ़ाने के माध्यम से सरकार स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर घरेलू रोजगार की रक्षा करना चाहती है। यह कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक दबावों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेरोज़गारी में वृद्धि आंतरिक असंतोष को जन्म दे सकती है।

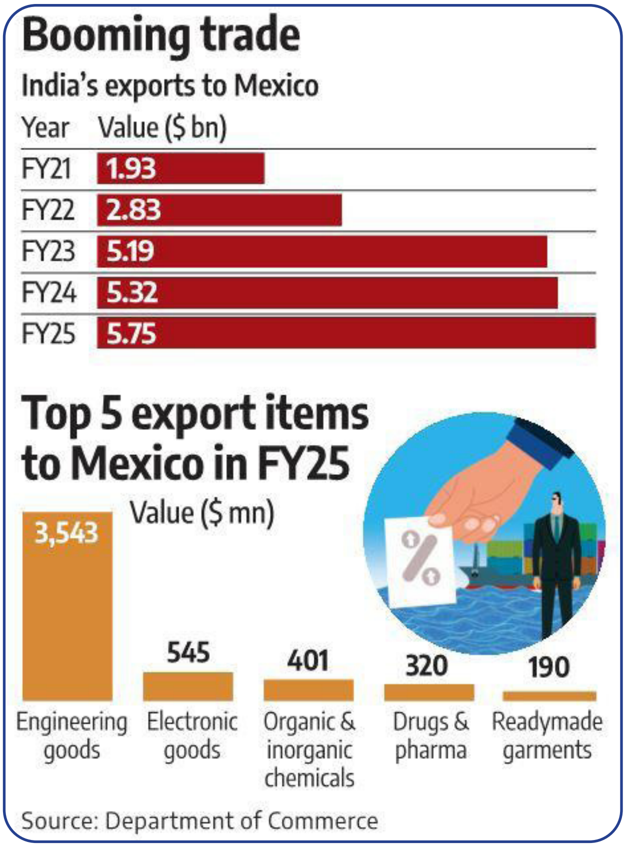

- **भू-आर्थिक (Geo-economic) रणनीति:** मेक्सिको का यह निर्णय व्यापक भू-आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के तहत मेक्सिको उत्तर अमेरिका की आपूर्ति शृंखला का एक महत्वपूर्ण अंग है। एशियाई आयात पर उच्च टैरिफ लगाकर मेक्सिको, क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क को मजबूत करना और उत्तर अमेरिका के भीतर ही विनिर्माण गतिविधियों को केंद्रित करना चाहता है। यह रणनीति वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के विखंडन और "री-शोरिंग" व "नियर-शोरिंग" जैसी प्रवृत्तियों के अनुरूप है।
- **वैश्विक संरक्षणवादी रुझानों का प्रभाव:** मेक्सिको का कदम वैश्विक स्तर पर उभरते संरक्षणवादी माहौल से भी प्रेरित है। अमेरिका और यूरोप पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार संरक्षण और रणनीतिक उद्योगों के नाम पर टैरिफ और गैर-शुल्क बाधाएँ बढ़ा चुके हैं। इसी प्रवृत्ति का विस्तार अब लैटिन अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है। WTO-आधारित मुक्त व्यापार व्यवस्था की कमजोर होती प्रभावशीलता ने देशों को अधिक एकतरफा और हित-आधारित व्यापार नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया है, और मेक्सिको का निर्णय इसी वैश्विक प्रवाह का हिस्सा है।

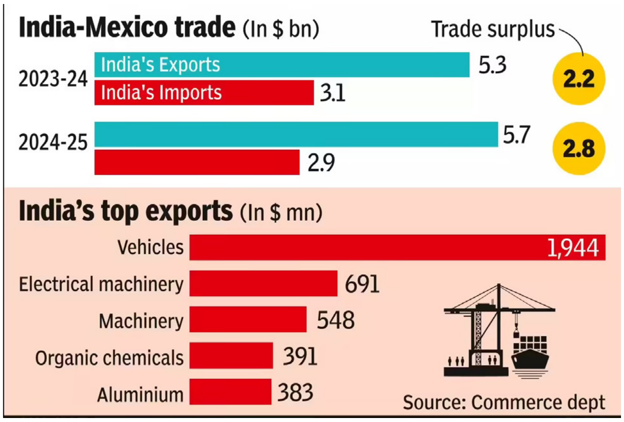

भारत पर संभावित प्रभाव:

- **निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी:** मेक्सिको में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग घट सकती है। जिसमें ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील एवं धातु उत्पाद, रसायन एवं प्लास्टिक, टेक्सटाइल आदि क्षेत्र प्रभावित होंगे।
- **लैटिन अमेरिका रणनीति पर असर:** मेक्सिको, भारत के लिए लैटिन अमेरिका में प्रवेश द्वार माना जाता है; यह निर्णय भारत की निर्यात-विविधीकरण नीति को प्रभावित कर सकता है।
- **'चीन + 1' रणनीति को झटका:** वैश्विक कंपनियाँ चीन पर निर्भरता घटाकर भारत जैसे देशों को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही थीं। किंतु एशियाई देशों पर सामूहिक रूप से उच्च टैरिफ लगाए जाने से भारत को मिलने वाला सापेक्ष लागत-लाभ और बाज़ार पहुँच का लाभ कम हो सकता है। इससे भारत की वह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त सीमित होती है, जो वह चीन के विकल्प के रूप

में विकसित करने का प्रयास कर रहा था।

व्यापक वैश्विक और नीतिगत निहितार्थ:

- मेक्सिको का यह कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की कमजोर होती प्रासंगिकता को भी उजागर करता है। एकतरफा टैरिफ वृद्धि मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन (MFN) जैसे सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से कमजोर बनाती है।
- साथ ही, विकासशील देशों के बीच ही बढ़ती व्यापार बाधाएँ दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए नकारात्मक संकेत देती हैं। यह प्रवृत्ति वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के बढ़ते क्षेत्रीयकरण को भी रेखांकित करती है।

निष्कर्ष:

मेक्सिको द्वारा भारत सहित एशियाई देशों पर उच्च टैरिफ लगाया जाना बदलती वैश्विक आर्थिक राजनीति का स्पष्ट संकेत है। यह घटना दर्शाती है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा अब राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं से संचालित हो रही है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह सक्रिय व्यापार कूटनीति, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार और बाजार विविधीकरण के माध्यम से अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करे।

भारतीय प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा

सन्दर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16–17 दिसंबर 2025 को इथियोपिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा की। यह यात्रा भारत–अफ्रीका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रही। इस दौरान भारत और इथियोपिया ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग को दीर्घकालिक और व्यापक बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - » कूटनीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया।
  - » दोनों देशों ने क्षेत्रीय शांति, आतंकवाद-रोधी प्रयासों और ग्लोबल साउथ की साझा प्राथमिकताओं पर बल दिया।
- **सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित:**
  - » प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया गया।
  - » यह सम्मान भारत को एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में इथियोपिया की मान्यता को दर्शाता है।
- **आठ समझौता ज्ञापन (MoUs) और समझौते:**
  - » यात्रा के दौरान भारत और इथियोपिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इनमें G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण में सहयोग और व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग शामिल है।
  - » इसके अलावा, ICCR छात्रवृत्तियों का विस्तार, ITEC के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमति बनी, जिसके तहत अदीस अबाबा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल का उन्नयन किया जाएगा।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- आर्थिक सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है:
  - » **द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2024–25):** 550.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **भारतीय निर्यात:** 476.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर
  - » **भारतीय आयात:** 73.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- व्यापार संबंध मुख्य रूप से निर्यात-आधारित हैं, जो भारतीय वस्तुओं के लिए इथियोपिया के एक महत्वपूर्ण बाज़ार होने को दर्शाते हैं। इथियोपिया को भारत की ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना

का लाभ प्राप्त है, जो अल्पविकसित देशों (LDCs) के लिए है।

इथियोपिया में भारतीय निवेश:

- इथियोपिया में 675 से अधिक भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत हैं।
- कुल भारतीय निवेश 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिससे भारत देश के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बन गया है।

रक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग:

- रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2025 में पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग जारी रखने पर भी सहमति बनी, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इथियोपिया ने आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य-सहिष्णुता नीति का समर्थन किया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ–भारत सहभागिता तंत्र तथा ISA, CDRI, IBCA और GBA जैसी वैश्विक पहलों सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

इथियोपिया का रणनीतिक महत्व:

- अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और अफ्रीकी संघ (AU) के मुख्यालय का मेज़बान होने के कारण इथियोपिया, भारत की अफ्रीका और ग्लोबल साउथ रणनीति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। भारत के लिए इथियोपिया का महत्व निम्न कारणों से है:
    - अफ्रीका की कूटनीतिक राजधानी के रूप में इसकी भूमिका
    - हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसकी रणनीतिक स्थिति, जो समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है
    - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय भागीदारी
    - बड़ा घरेलू बाज़ार और बढ़ती आर्थिक संभावनाएँ
- यह रणनीतिक साझेदारी शांति, विकास और बहुध्रुवीय वैश्विक शासन में साझा हितों को दर्शाती है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया यात्रा और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भारत–अफ्रीका संबंधों के लिए एक अहम कदम है। इससे सुरक्षा, विकास, डिजिटल ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। अफ्रीका के कूटनीतिक केंद्र के रूप में इथियोपिया, भविष्य में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

संदर्भ:

हाल ही में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक अहम द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और गहरा करना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना तथा पेशेवरों और श्रमिकों की आवाजाही (Labour Mobility) को सरल और सुगम बनाना है।

CEPA की प्रमुख विशेषताएँ:

- **व्यापार उदारीकरण और शुल्क-मुक्त पहुँच:**
    - ओमान, भारत को अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करेगा, जिससे ओमान को होने वाले भारत के कुल निर्यात का लगभग 99.38% हिस्सा शामिल होगा।
    - भारत ने भी ओमान से होने वाले आयात के लिए 77.79% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में रियायत देने की पेशकश की है, जो ओमान से भारत के लगभग 94.81% आयात को शामिल करती है।

» कई श्रम-प्रधान और उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शुल्क समाप्त किए जाने की संभावना है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
 ➢ रत्न एवं आभूषण
 ➢ वस्त्र और चमड़ा उद्योग
 ➢ जूते एवं खेल सामग्री
 ➢ प्लास्टिक और फर्नीचर
 ➢ कृषि उत्पाद
 ➢ इंजीनियरिंग उत्पाद
 ➢ औषधियाँ तथा चिकित्सा उपकरण
 ➢ ऑटोमोबाइल

- **क्षेत्रीय और सेवा क्षेत्र से जुड़े लाभ:**
  » इस समझौते के अंतर्गत भारत के सेवा क्षेत्र को व्यापक रियायतें दी गई हैं, जिनमें पेशेवरों और कुशल मानव संसाधन की आवाजाही पर विशेष जोर दिया गया है।
  » कुछ संवेदनशील वस्तुओं को घरेलू हितों की रक्षा के लिए इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:
   ➢ डेयरी उत्पाद
   ➢ चाय और कॉफी
   ➢ रबर और तंबाकू
   ➢ सोना और चाँदी (बुलियन)
   ➢ आभूषण
   ➢ चुनिंदा जूते और खेल सामग्री
- **बेहतर श्रम गतिशीलता**
  » ओमान ने सेवा व्यापार के अंतर्गत मोड-4 के तहत श्रम गतिशीलता को बढ़ाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिससे भारतीय पेशेवरों को ओमान के श्रम बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे।
  » इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी (ICTs) के लिए निर्धारित कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
  » अनुबंधित सेवा प्रदाताओं को दो वर्षों तक रहने की अनुमति होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
  » सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और अन्य पेशेवर सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल भारतीय पेशेवरों के प्रवेश और निवास की शर्तों को और अधिक सरल बनाया गया है।

आर्थिक और रणनीतिक महत्व:

- वर्ष 2024–25 में भारत ने ओमान को लगभग 4.06 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया, जबकि इसी अवधि में ओमान से भारत का आयात लगभग 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। यह आँकड़े दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं।
- CEPA के माध्यम से भारत को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रवेश द्वार प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह समझौता पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों तक पहुँच को आसान बनाता है, जिससे भारत के व्यापार का विविधीकरण और विस्तार संभव होगा।
- यह समझौता कई कारणों से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि:
  » वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद यह ओमान का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।
  » वर्ष 2022 में भारत–संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) CEPA के बाद यह किसी खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देश के साथ

भारत का दूसरा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है।

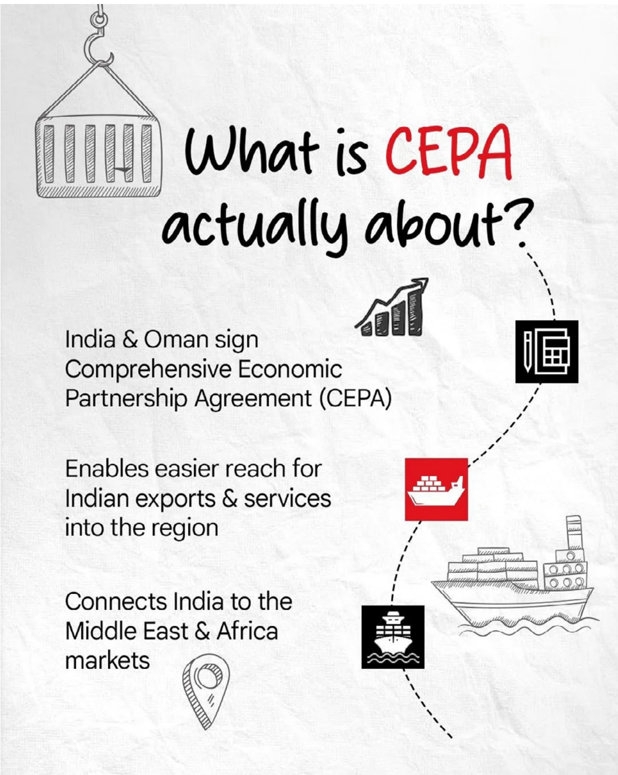

CEPA के प्रभाव:

- **व्यापार वृद्धि:** कम शुल्क और बेहतर बाजार पहुँच के कारण भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान और उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण क्षेत्रों में। इससे भारत–ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का समग्र स्तर और गहराई दोनों बढ़ेंगी।
- **रोजगार और कौशल विकास:** बेहतर श्रम गतिशीलता से भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। साथ ही आईटी, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल हस्तांतरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **रणनीतिक साझेदारी:** ओमान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और सुदृढ़ करते हैं। यह समझौता भारत की 'एक्ट वेस्ट नीति' को बल देता है तथा क्षेत्रीय संपर्क, समुद्री सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाता है।
- **युवा और नवाचार:** CEPA से उद्यमिता, नवाचार और स्टार्ट-अप सहयोग के नए अवसर खुलने की संभावना है। इससे दोनों देशों के युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा और यह भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता तथा दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। यह समझौता व्यापार उदारीकरण, सेवा क्षेत्र की बेहतर पहुँच और श्रम गतिशीलता को एक समग्र ढाँचे में समाहित करता है। शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच, रियायती टैरिफ तथा पेशेवरों की सरल और सुगम आवाजाही के माध्यम से यह आर्थिक संबंधों के साथ-साथ रणनीतिक साझेदारी और लोगों-से-लोगों के संपर्क को भी सशक्त बनाता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से व्यापार विस्तार, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय स्तर पर भारत की भूमिका तथा प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही, यह समझौता भविष्य में होने वाले अन्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों के लिए एक प्रभावी और व्यावहारिक मॉडल के रूप में भी उभर सकता है।

भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15–16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन की यात्रा की, जहाँ जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत हुई। यह प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी। यह यात्रा भारत–जॉर्डन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई।

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।
- दोनों नेताओं ने आगामी पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया तथा जॉर्डन की डिजिटल भुगतान प्रणाली को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जोड़ने की संभावना पर विचार किया।
- दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने तथा पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता हेतु मिलकर कार्य करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
- **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoUs):** यात्रा के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन एवं विकास, पेट्रा (जॉर्डन) और एलोरा (भारत) के बीच ट्विनिंग

समझौता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025–2029) का नवीकरण तथा जन-स्तर पर डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल समाधानों को साझा करने से संबंधित आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत–जॉर्डन संबंध:

- भारत और जॉर्डन के बीच दशकों से सौहार्दपूर्ण एवं मित्रतापूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं, जो राजनीतिक सद्भावना, संवाद तथा बढ़ते आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं। वर्ष 1950 में स्थापित ये संबंध नियमित उच्चस्तरीय संवाद, संस्थागत तंत्रों तथा क्षेत्र-विशेष सहयोग के माध्यम से परिपक्व हुए हैं।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क:

- पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी की 2018 में जॉर्डन की ट्रांजिट यात्रा तथा उसी वर्ष राजा अब्दुल्ला द्वितीय की भारत की राजकीय यात्रा उल्लेखनीय रही।
- 2018 की यात्रा के दौरान 12 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, C-DAC उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई तथा जॉर्डन को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की औषधि सहायता प्रदान की गई।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग:

- भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- वित्त वर्ष 2023–24 में द्विपक्षीय व्यापार 2.875 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- भारत से जॉर्डन को निर्यात में अनाज, फ्रोजेन मांस, पेट्रोलियम उत्पाद एवं पशु चारा शामिल हैं, जबकि जॉर्डन से भारत को उर्वरक, फॉस्फेट तथा पोटाश की आपूर्ति की जाती है।
- **प्रमुख पहलें:**
  - » जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइज़र कंपनी (JIFCO) भारत के लिए फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करती है।
  - » जॉर्डन के क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल ज़ोन (QIZs) में 15 से अधिक NRI-स्वामित्व वाली परिधान निर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं।
  - » वर्ष 2025 में पर्यटन संवर्धन कार्यक्रमों, व्यापार संगोष्ठियों तथा तृतीय अंतरराष्ट्रीय फूड एवं फूड टेक्नोलॉजी एक्सपो में भारतीय कंपनियों की भागीदारी से वाणिज्यिक सहयोग को बल मिला।

रक्षा सहयोग:

- वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता भारत-जॉर्डन रक्षा संबंधों का आधार है।
- सहयोग के अंतर्गत सैन्य प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण गतिविधियाँ तथा SOFEX जैसे रक्षा प्रदर्शनों में संयुक्त भागीदारी शामिल है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा:

- अल-हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्थित भारतीय-जॉर्डन आईटी उत्कृष्टता केंद्र (IJCOEIT) जॉर्डन के पेशेवरों को साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं बिग डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- भारत द्वारा ITEC प्रशिक्षण स्लॉट, ICCR छात्रवृत्तियाँ एवं उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 2,500 से अधिक जॉर्डन के नागरिक भारतीय संस्थानों से स्नातक हो चुके हैं।

सांस्कृतिक एवं जनसंपर्क:

- सांस्कृतिक सहयोग के अंतर्गत बॉलीवुड फिल्मों, भारतीय नृत्य-संगीत प्रस्तुतियों तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नियमित आयोजनों का आयोजन किया जाता है।
- वीज़ा सुविधा उपायों एवं प्रत्यक्ष हवाई संपर्क से आवागमन में वृद्धि हुई है।
- जॉर्डन में लगभग 17,500 की भारतीय प्रवासी आबादी वस्त्र, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण

योगदान दे रही है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा दर्शाती है कि सतत राजनीतिक संवाद किस प्रकार आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ कर सकता है। भारत–जॉर्डन संबंध आपसी विश्वास, बढ़ते व्यापारिक एकीकरण एवं रणनीतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो भारत की व्यापक पश्चिम एशिया नीति में जॉर्डन की भूमिका को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में सुदृढ़ करते हैं।

थाईलैंड–कंबोडिया ने संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ:

हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया ने अपनी साझा विवादित सीमा पर जारी तीव्र संघर्ष को रोकने के लिए संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई हफ्तों तक चले इस संघर्ष में भारी जान-माल की क्षति हुई और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। यह समझौता तनाव कम करने और दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे पुराने सीमा विवादों में से एक में, दीर्घकालिक शांति की संभावना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संघर्षविराम समझौते की प्रमुख शर्तें:

- यह समझौता सीमा क्षेत्र में हुई बैठक के दौरान थाईलैंड के रक्षा मंत्री नत्थाफोन नार्कफानित और कंबोडिया के रक्षा मंत्री टी सेइहा द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
- संघर्षविराम के तहत तुरंत सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र में किसी भी नई सैन्य तैनाती, सैनिकों की बढ़ोतरी या आक्रामक कार्रवाइयों से दूर रहने का वादा दिया।
- समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आसियान (ASEAN) पर्यवेक्षकों की निगरानी और दोनों देशों के बीच निरंतर समन्वय तंत्र की व्यवस्था की गई है, ताकि इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, थाईलैंड ने यह भी सहमति दी है कि यदि संघर्षविराम 72 घंटे तक बिना किसी उल्लंघन के बना रहता है, तो पहले की झड़पों के दौरान हिरासत में लिए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा कर दिया जाएगा।

विवाद का कारण:

- थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लगभग 817 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा है, जिसके कई हिस्से आज भी स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हैं। इसी वजह से लंबे समय से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद चलता आ रहा है।
- इस टकराव का मुख्य कारण दो प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर "प्रेह विहियर और ता मुएन थॉम" हैं। इन मंदिरों का निर्माण खमेर साम्राज्य (9वीं से 15वीं शताब्दी) के दौरान हुआ था। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के कारण अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं।

विवाद का इतिहास:

- इस सीमा विवाद के प्रमुख कारण औपनिवेशिक काल के मानचित्रण में हैं। वर्ष 1904 से 1907 के बीच फ्रांसीसी सर्वेक्षणकर्ताओं ने, फ्रांसीसी इंडोचाइना के तहत, कंबोडिया और थाईलैंड (तत्कालीन सियाम) के बीच सीमा रेखा दर्शाने वाले मानचित्र तैयार किए।
- 1907 के फ्रांसीसी मानचित्र में प्रेह विहियर मंदिर को कंबोडिया की सीमा में दिखाया गया, जबकि यह भौगोलिक रूप से थाईलैंड के अधिक करीब है। प्रारंभ में थाईलैंड (तत्कालीन सियाम-Siam) ने इस मानचित्र को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि यह प्राकृतिक

जल-विभाजक रेखाओं के अनुरूप है, लेकिन बाद में इसकी सटीकता पर सवाल उठाए गए और इसे भ्रामक बताया गया।

- वर्ष 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रेह विहियर मंदिर कंबोडिया की संप्रभुता में आता है। न्यायालय ने कहा कि थाईलैंड ने 1907 के मानचित्र को कई दशकों तक मौन रूप से स्वीकार किया था। इसके तहत थाई सैनिकों को क्षेत्र खाली करने और हटाई गई कलाकृतियाँ लौटाने का आदेश दिया गया।
- हालांकि, यह निर्णय केवल मंदिर के स्वामित्व तक सीमित था और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर विवाद बना रहा। बढ़ते तनाव के कारण कंबोडिया ने न्यायालय से पुनः स्पष्टीकरण मांगा।
- वर्ष 2013 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फिर से कंबोडिया की संप्रभुता की पुष्टि की और मंदिर के आसपास के क्षेत्र से भी थाई सेना को हटने का निर्देश दिया।
- इन न्यायिक निर्णयों के बावजूद आस-पास के इलाकों को लेकर अस्पष्टता बनी रही, जिससे समय-समय पर दोनों देशों के बीच सशस्त्र झड़पें होती रहीं।

क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहलू:

- इस संघर्षविराम समझौते का चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया और आसियान सहित कई देशों और संगठनों ने समर्थन किया है। सभी ने इस कदम का स्वागत करते हुए शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के लिए निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- भविष्य में और वार्ताओं की योजना बनाई गई है, जिनमें चीन की मेजबानी में होने वाली त्रिपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। इन बैठकों का उद्देश्य आपसी विश्वास बहाल करना और संघर्षविराम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है।

निष्कर्ष:

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह संघर्षविराम समझौता हाल के समय में हुए हिंसक टकराव के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेह विहियर और ता मुएन थॉम जैसे ऐतिहासिक मंदिरों को लेकर चल रहे विवाद ने लंबे समय तक दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है। यह हालिया समझौता संवाद, विश्वास निर्माण और निरंतर कूटनीति के माध्यम से सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक सकारात्मक मार्ग प्रदान करता है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया

संदर्भ:

हाल के समय में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों (विशेषकर हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों) के विरुद्ध बढ़ती हिंसा की घटनाएँ सामने आई हैं। इन घटनाओं को लेकर भारत में कूटनीतिक स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसके चलते नई दिल्ली और ढाका के बीच कुछ हद तक कूटनीतिक असहजता भी देखने को मिली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। साथ ही, क्षेत्रीय स्थिरता, मानवाधिकारों की रक्षा तथा भारत–बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों के दीर्घकालिक हितों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती से रेखांकित भी किया है।

भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्व:

- **कड़ी निंदा:** विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों) के विरुद्ध हो रही हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है और ऐसे कृत्यों को अत्यंत गंभीर, चिंताजनक तथा किसी भी रूप में अस्वीकार्य बताया है।
- **घटनाओं को हल्का बताने का विरोध:** भारत ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों पर बार-बार होने वाले हमलों को अलग-अलग घटनाएँ मानकर या उन्हें केवल राजनीतिक अशांति का परिणाम बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
- **जवाबदेही और सुरक्षा:** नई दिल्ली ने बांग्लादेशी प्रशासन से न्याय सुनिश्चित करने, दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी और निरंतर सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। भारत ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सभी नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना प्रत्येक संप्रभु राज्य की मूल जिम्मेदारी है।
- **कूटनीतिक टकराव से संयम:** अपनी चिंताओं को स्पष्ट और दृढ़ता से रखते हुए भी भारत ने दबावपूर्ण या टकरावपूर्ण कूटनीति अपनाने से बचाव किया है। संवाद और सहयोग की संभावनाएँ खुली रखते हुए भारत ने मानवाधिकारों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति अपनाई है।

भारत–बांग्लादेश संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत और बांग्लादेश के संबंध इतिहास, संस्कृति और साझा संघर्षों

की मजबूत नींव पर आधारित हैं। 1947 के विभाजन ने दोनों ओर व्यापक विस्थापन, मानवीय संकट और गहरी पीड़ा को जन्म दिया है।

- 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने सैन्य, कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर निर्णायक समर्थन प्रदान किया। इसी क्रम में भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना।
- दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यतागत संबंध हैं, विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र में। साझा इतिहास और बलिदान की स्मृति में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जो दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी का प्रतीक है।

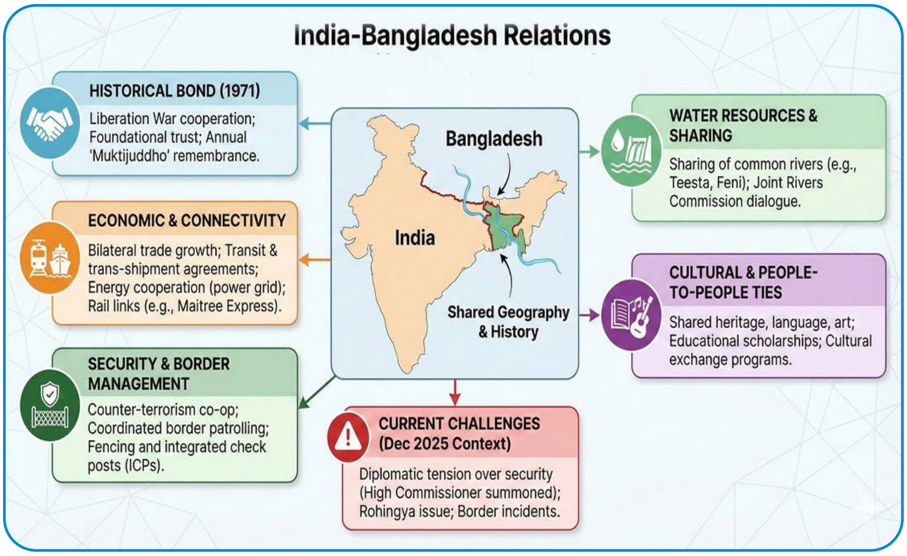

भारत के लिए बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व:

- बांग्लादेश भारत के भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ इसकी 4,096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा होती है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा तथा संपर्क व्यवस्था के लिए अहम है।
- आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जहां द्विपक्षीय व्यापार 18 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति', क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं तथा साझा नदियों और सुंदरबन जैसे पारिस्थितिक तंत्रों पर सहयोग के लिए भी केंद्रीय भूमिका निभाता है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां:

- इन संबंधों के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जिनमें अवैध प्रवासन, सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे, तीस्ता जैसे जल-बंटवारे के लंबित विवाद, गैर-शुल्कीय व्यापार बाधाएं और 'बेल्ट एंड रोड पहल' के तहत बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती भागीदारी शामिल हैं।

निष्कर्ष:

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की प्रतिक्रिया एक सिद्धांतवादी लेकिन व्यावहारिक कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े अपने जायज सरोकारों को सामने रखता है, वहीं वह बांग्लादेश के रणनीतिक महत्व और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को भी ध्यान में रखता है। द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक दिशा को बनाए रखने और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संवाद, विकास सहयोग और आपसी संवेदनशीलता

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

अरावली पर्वतमाला संरक्षण: पर्यावरणीय सुरक्षा, न्यायिक हस्तक्षेप और सतत विकास की चुनौती

संदर्भ:

भारत की भौगोलिक संरचना में कुछ प्राकृतिक तत्त्व केवल स्थलाकृति नहीं होते, बल्कि वे पूरे क्षेत्र की जलवायु, जीवन-पद्धति और सभ्यतागत निरंतरता को आकार देते हैं। अरावली पर्वतमाला भी ऐसा ही एक तत्त्व है। गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला न केवल भारत की सबसे पुरानी भू-संरचनाओं में से एक है, बल्कि यह उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करती रही है।

हाल ही में 29 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने उस फैसले को स्थगित कर दिया जिसमें केंद्र सरकार की अरावली क्षेत्र की नई भौगोलिक परिभाषा को मान्यता दी थी, जिसके अनुसार केवल वही क्षेत्र 'अरावली' माने जाएंगे जो आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि वर्तमान कार्यवाही अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती, तब तक मौजूदा ढांचे के आधार पर कोई भी अपरिवर्तनीय प्रशासनिक या पारिस्थितिक कार्रवाई न की जाए। इस विषय पर अगली कार्यवाही 21 जनवरी 2026 को की जाएगी। फैसले के स्थगन से पूर्व इसके खिलाफ राजस्थान सहित कई राज्यों में #SaveAravalli अभियान और विरोध प्रदर्शन हुए थे।

विकास बनाम संरक्षण:

- अरावली विवाद यह दर्शाता है कि भारत में अब भी विकास और पर्यावरण को परस्पर विरोधी माना जाता है। वास्तविकता यह है कि अरावली का संरक्षण विकास के विरुद्ध नहीं, बल्कि विकास की पूर्वशर्त है।
  - » जल-सुरक्षा के बिना शहरी विकास अस्थिर है।
  - » स्वच्छ वायु के बिना आर्थिक उत्पादकता घटती है।
  - » पारिस्थितिक असंतुलन आपदा-जोखिम को बढ़ाता है।
- अतः अरावली का क्षरण अल्पकालिक आर्थिक लाभ दे सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता, तीनों के लिए हानिकारक है।

अरावली का पारिस्थितिक महत्व:

- **मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध:** अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक भौगोलिक अवरोध का कार्य करती है। यह पश्चिमी राजस्थान से उठने वाली रेत, धूल और गर्म हवाओं को पूर्व और उत्तर की ओर फैलने से रोकती है। यदि अरावली कमजोर होती है, तो हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है, जिसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और खाद्य-सुरक्षा पर पड़ेगा।
- **वायु गुणवत्ता और शहरी जलवायु:** अरावली क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर के लिए एक ग्रीन बफर का कार्य करता है। वृक्षावरण और भू-आकृति मिलकर धूल-कणों को रोकते हैं तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसके क्षरण से वायु प्रदूषण, हीट-आइलैंड प्रभाव और चरम तापमान की घटनाएँ बढ़ सकती हैं जो पहले से ही शहरी भारत की प्रमुख समस्याएँ हैं।
- **जल-सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण:** अरावली की चट्टानी संरचना वर्षा जल को धीरे-धीरे भूमि के भीतर पहुँचाकर भूजल भंडारों को पुनर्भरित करती है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह भूमिका रणनीतिक महत्व रखती है। अरावली का क्षरण वस्तुतः भारत की जल-सुरक्षा को कमजोर करता है।
- **जैव विविधता और स्थानीय आजीविका:** अरावली क्षेत्र विविध वनस्पतियों, औषधीय पौधों और वन्यजीवों का आश्रय है। इसके साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका पशुपालन, चारागाह, लघु वन-उत्पाद भी इसी पारिस्थितिकी पर निर्भर है। इसका क्षरण केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असंतुलन को भी जन्म देता है।

संवैधानिक और विधिक आयाम:

- **राज्य के दायित्व:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण और वनों की रक्षा व संवर्धन का दायित्व सौंपता है। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि पर्यावरण संरक्षण कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
- **नागरिक कर्तव्य:** अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदियाँ, झीलें और वन्यजीव की रक्षा का कर्तव्य सौंपता है। यदि राज्य स्वयं संरक्षण से पीछे हटता है, तो यह नागरिक कर्तव्यों की भावना को भी कमजोर करता है।
- **न्यायिक सिद्धांत:** भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर सतत विकास, सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत और अंतर-पीढ़ीगत न्याय जैसे सिद्धांतों को स्थापित किया है। अरावली को संकीर्ण परिभाषाओं के माध्यम से संरक्षण से बाहर करना इन सिद्धांतों की आत्मा के विपरीत प्रतीत होता है।

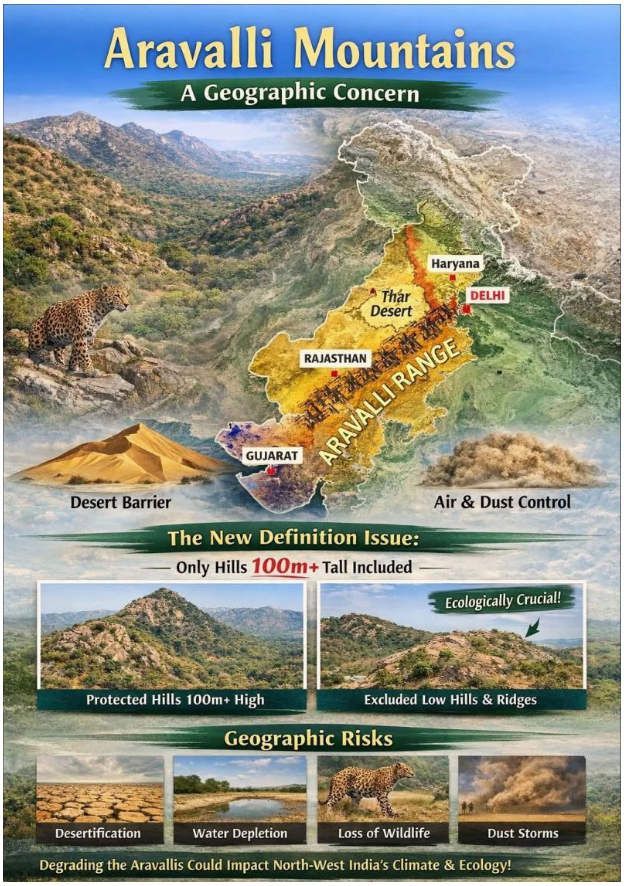

चुनौतियाँ:

- **संघवाद और बहु-राज्यीय समन्वय:** अरावली कई राज्यों में फैली है। संरक्षण के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय और साझा दृष्टि अनिवार्य है।
- **जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन:** बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा के दौर में अरावली जैसे प्राकृतिक अवरोध जलवायु-अनुकूलन अवसंरचना की भूमिका निभाते हैं।
- **शहरी शासन की विफलता:** अरावली पर दबाव यह दर्शाता है कि भारत का शहरी नियोजन अभी भी पर्यावरण-केंद्रित नहीं हो पाया है।

आगे की राह:

- अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक, विज्ञान-आधारित और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

सर्वप्रथम, अरावली की पहचान केवल ऊँचाई आधारित मानकों तक सीमित न होकर भू-वैज्ञानिक संरचना, पारिस्थितिक निरंतरता और ऐतिहासिक विकास जैसे व्यापक मापदंडों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे इसकी वास्तविक पारिस्थितिक भूमिका को मान्यता मिल सके।

- द्वितीय, कानूनी स्तर पर संरक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत अरावली के व्यापक भू-भाग को इको-सेंसिटिव ज़ोन, विशेष संरक्षण क्षेत्र या संरक्षण-प्रधान लैंड-यूज़ श्रेणी में लाया जाना चाहिए, ताकि विकास गतिविधियों पर स्पष्ट और बाध्यकारी सीमाएँ तय की जा सकें।
- तृतीय, खनन और भूमि-उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य है। अवैध खनन, अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण पर सख़्त निगरानी, दंडात्मक कार्रवाई और तकनीकी निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- चतुर्थ, संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सह-प्रबंधन मॉडल अपनाकर पारंपरिक ज्ञान, आजीविका सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

अंततः, शहरी नियोजन में अरावली को केवल अविकसित भूमि नहीं, बल्कि ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों की जल-सुरक्षा, वायु गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

- अरावली क्षेत्र की परिभाषा और संरक्षण को लेकर उत्पन्न नीतिगत और न्यायिक बहस ने इस पर्वतमाला को एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। यह बहस केवल भूमि-वर्गीकरण की तकनीकी चर्चा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा, जल-संकट, जलवायु परिवर्तन और विकास बनाम संरक्षण के गहरे द्वंद्व को उजागर करती है।
- अरावली संकट का मूल केवल खनन या अतिक्रमण नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय शासन में दृष्टिकोण की समस्या भी है। 100 मीटर ऊँचाई आधारित परिभाषा भू-वैज्ञानिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करती है, क्योंकि अरावली एक प्राचीन, क्षरित और अपेक्षाकृत नीची पर्वत श्रृंखला है। इसकी पहचान ऊँचाई से नहीं, बल्कि भू-संरचना, पारिस्थितिक भूमिका और भौगोलिक निरंतरता से होती है।
- अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की 'महान प्राकृतिक दीवार' है जो मरुस्थलीकरण, जल-संकट, प्रदूषण और जलवायु अस्थिरता से रक्षा करती है। इसका संरक्षण केवल पर्यावरणीय विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व, विकासात्मक विवेक और पीढ़ीगत उत्तरदायित्व का प्रश्न है। यदि भारत को सतत, समावेशी और लचीले विकास की ओर बढ़ना है, तो अरावली को नीतिगत अस्पष्टताओं से मुक्त कर दृढ़, वैज्ञानिक और दूरदर्शी संरक्षण दृष्टि अपनानी ही होगी।

संक्षिप्त मुद्दे

सिलीसेढ़ झील एवं कोपरा जलाशय रामसर सूची में शामिल

संदर्भ:

हाल ही में राजस्थान की सिलीसेढ़ झील तथा छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 96 हो गई है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिस पर 1971 में ईरान के रामसर नगर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य विश्व-भर में आर्द्रभूमियों का संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इस कन्वेंशन में शामिल देश अपने नामित आर्द्रभूमि स्थलों के पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
- इस संधि के अंतर्गत नामित आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ कहा जाता है।

रामसर मान्यता का महत्व:

- वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक महत्त्व की मान्यता
- संरक्षण एवं सतत प्रबंधन ढाँचे को मजबूती
- जैव विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता तथा स्थानीय आजीविकाओं को समर्थन

सिलीसेढ़ झील (राजस्थान) के बारे में:

- **स्थान एवं पृष्ठभूमि**
  - » अलवर ज़िले, राजस्थान में स्थित एक मानव-निर्मित झील, जिसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल नदी की एक सहायक धारा पर बाँध बनाकर किया गया
  - » सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बफ़र ज़ोन में स्थित, जिससे आर्द्रभूमि और वन्यजीव संरक्षण का एकीकृत स्वरूप विकसित होता है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व**:
  - » 149 से अधिक निवासी एवं प्रवासी पक्षी प्रजातियों तथा 17 स्तनधारी प्रजातियों सहित समृद्ध जैव विविधता का पाया जाना
  - » प्रमुख प्रजातियाँ: रिवर टर्न (असुरक्षित) तथा बाघ (संकटग्रस्त)
  - » अर्ध-शुष्क क्षेत्र में जल आपूर्ति, भूजल पुनर्भरण, पारिस्थितिक पर्यटन एवं स्थानीय आजीविकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका
- **खतरे:**
  - » कृषि गतिविधियों का तीव्रीकरण
  - » मानव बस्तियों का विस्तार
  - » जल संसाधनों एवं प्राकृतिक आवासों पर बढ़ता दबाव

कोपरा जलाशय (छत्तीसगढ़) के बारे में:

- **स्थान एवं पृष्ठभूमि:**
  - » छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निकट, महानदी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित
  - » मूल रूप से सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित, किंतु समय के साथ इसका पारिस्थितिक महत्त्व बढ़ा
- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - » विस्तृत खुले जल क्षेत्र तथा पोषक-तत्वों से भरपूर उथले बैकवॉटर वाला जलाशय-प्रकार का आर्द्रभूमि क्षेत्र
  - » 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का आवास, जिससे यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र बनता है।
  - » **प्रमुख प्रजातियाँ:** ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (असुरक्षित) तथा सफ़ेद गिद्ध (संकटग्रस्त)
  - » जलवैज्ञानिक संपर्क, जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय पर्यटन, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण में सहायक
- **खतरे:**
  - » गाद जमाव
  - » आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ
  - » आसपास के क्षेत्रों में तीव्र कृषि गतिविधियाँ

भारत के लिए निहितार्थ

- 96 रामसर स्थलों के साथ भारत की बढ़ती सूची आर्द्रभूमि संरक्षण पर रणनीतिक जोर को दर्शाती है।
- आर्द्रभूमियाँ निम्नलिखित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
  - » जैव विविधता का संरक्षण
  - » जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता
  - » जल सुरक्षा
  - » मत्स्य पालन एवं पारिस्थितिक पर्यटन सहित सतत आजीविकाएँ
- रामसर मान्यता से प्रायः बेहतर कानूनी संरक्षण, वित्तीय संसाधनों तक पहुँच, वैज्ञानिक निगरानी तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

सिलीसेढ़ झील और कोपरा जलाशय को रामसर सूची में शामिल किया जाना भारत की प्रगतिशील आर्द्रभूमि संरक्षण नीति को रेखांकित करता

है। यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता न केवल महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि बढ़ती पर्यावरणीय एवं जलवायु चुनौतियों के बीच सतत विकास के साथ संरक्षण के संबंध को भी सुदृढ़ करती है।

यूएनईए में भारत का प्रस्ताव अपनाया गया

संदर्भ:

केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र (UNEA-7) में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "वनाग्नि (Wildfires) के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना" को सदस्य देशों के व्यापक समर्थन के साथ औपचारिक रूप से अपनाया गया।

प्रस्ताव के पीछे का तर्क:

- हाल के वर्षों में वनाग्नि अब केवल मौसमी और स्थानीय घटनाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि वे व्यापक स्तर पर बार-बार घटित होने वाली गंभीर आपदाओं का रूप ले चुकी हैं, जो अनेक महाद्वीपों को प्रभावित कर रही हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन (विशेष रूप से तापमान में निरंतर वृद्धि और लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा) भूमि-उपयोग के बदलते स्वरूप तथा बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ हैं।
- UNEP की रिपोर्ट "स्प्रेडिंग लाइक वाइल्डफायर" (Spreading Like Wildfire) का उल्लेख करते हुए भारत ने चेतावनी दी कि यदि वर्तमान स्थिति ऐसे ही जारी रही, तो वैश्विक स्तर पर वनाग्नि की घटनाएँ 2030 तक 14%, 2050 तक 30% और 2100 तक 50% तक बढ़ सकती हैं।

प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ:

क्षेत्र	प्रमुख प्रावधान
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम और जंगल की आग के रिस्क असेसमेंट टूल्स साझा करना
सक्रिय रोकथाम	इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट के ज़रिए रिएक्टिव फायर सप्रेशन से प्लानिंग, रिस्क कम करने, तैयारी और इकोसिस्टम रेजिलिएंस की ओर बदलाव
सामुदायिक कार्रवाई	कम्युनिटी-बेस्ड अलर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना; पॉलिसी बनाने वालों, फ़ॉरेस्ट मैनेजरों और लोकल कम्युनिटी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग
ज्ञान साझा करना	बेस्ट प्रैक्टिस, साइंटिफिक रिसर्च और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान; बेहतर संस्थागत सहयोग
राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय योजना	रीजनल रेजिलिएंस लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के लिए सपोर्ट
वित्त और तकनीकी सहायता	विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट और एनवायरनमेंटल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग तक बेहतर पहुंच

वैश्विक प्रभाव:

- वनाग्नि को अब एक गंभीर वैश्विक जलवायु जोखिम के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और असंगत भूमि-उपयोग प्रथाओं के कारण और भी गंभीर हो गया है।
- यह प्रस्ताव सीमा-पार वनाग्नि खतरों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करता है और वनाग्नि प्रबंधन को UNFCCC तथा जैव विविधता सम्मेलन (CBD) जैसे वैश्विक ढाँचों के साथ समन्वित करता है।

भारत के लिए महत्त्व:

- **पर्यावरणीय शासन में नेतृत्व:** वैश्विक पर्यावरण नीति के निर्माण और दिशा निर्धारण में भारत की सक्रिय भूमिका को और सुदृढ़ करता है।
- **घरेलू प्राथमिकताओं से तालमेल:** बढ़ते वनाग्नि जोखिमों के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों का समर्थन करता है।
- **दक्षिण–दक्षिण सहयोग:** विकासशील देशों के लिए समानता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सुलभ वित्त पर जोर देता है।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र में भारत के प्रस्ताव को अपनाया जाना वैश्विक पर्यावरण सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, ज्ञान के आदान-प्रदान और एकीकृत अग्नि प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है, जिससे वनाग्नि जोखिमों के प्रति वैश्विक लचीलापन बढ़ता है। साथ ही, यह सतत विकास, जलवायु अनुकूलन और पारिस्थितिकी संरक्षण को भी मजबूती प्रदान करता है।

कैरिबियन में प्रवाल भित्तियों का तीव्र क्षरण

सन्दर्भः

हाल ही में वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी नेटवर्क (Global Coral Reef Monitoring Network) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 1980 से 2024 के बीच कैरिबियन क्षेत्र में कठोर कोरल कवर लगभग 48% तक घट चुका है। कैरिबियन क्षेत्र दुनिया के कुल प्रवाल भित्ति क्षेत्र का लगभग 9.7% हिस्सा रखता है, इसलिए यह गिरावट वैश्विक पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत गंभीर है। कोरल रीफ पृथ्वी के सबसे अधिक जैव-विविध (biodiverse) पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। ये लगभग समुद्री प्रजातियों के एक-तिहाई को आश्रय देते हैं और साथ ही तटीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा लाखों लोगों की आजीविका को सहारा प्रदान करते हैं।

हार्ड (स्टोनी) कोरल क्या हैं?

- हार्ड कोरल समुद्री जीव होते हैं, जो हजारों सूक्ष्म पॉलिप्स (polyps) से मिलकर बने होते हैं। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं, जिससे चूना-पत्थर जैसी संरचना बनती है और वही कोरल रीफ का ढांचा तैयार करती है।
- **हार्ड कोरल का पारिस्थितिक महत्वः**
  - » जटिल रीफ संरचनाएँ बनाकर समुद्री जैव-विविधता को सहारा देना।
  - » तूफानों और तटीय कटाव (coastal erosion) से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करना।
  - » मत्स्य पालन, पर्यटन और तटीय आजीविकाओं को बनाए रखना।
  - » सॉफ्ट कोरल के विपरीत, हार्ड कोरल ही रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य निर्माता होते हैं। इनका पतन होने पर संरचनात्मक जटिलता समाप्त होती है, जैव-विविधता में कमी आती है और पूरा तंत्र अस्थिर हो जाता है।

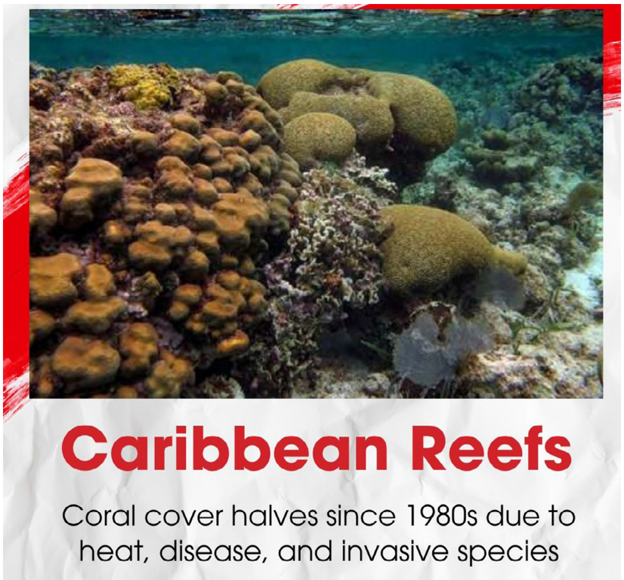

कोरल पतन के प्रमुख कारणः

- **महासागरीय तापवृद्धि और सामूहिक ब्लीचिंगः**
  - » समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण 1998, 2005 तथा 2023–24 में बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग घटनाएँ हुईं।
  - » तापीय तनाव के कारण कोरल अपने सहजीवी शैवाल (zooxanthellae) को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ऊर्जा की कमी होती है और व्यापक मृत्यु होती है।
- **कोरल रोग – SCTLD:**
  - » स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिज़ीज़ (SCTLD) पहली बार 2014 में मियामी के पास दर्ज की गई। इसके बाद यह 30 से अधिक कैरिबियन देशों में फैल चुकी है।
  - » यह बीमारी 30 से अधिक कोरल प्रजातियों को प्रभावित करती है, नवजात कोरल (recruits) तक को नष्ट कर देती है और इसे अब तक की सबसे विनाशकारी कोरल बीमारी माना जाता है।
- **प्रमुख रीफ निर्माताओं का पतनः**
  - » **एक्रोपोरा कोरलः** 1970 के दशक में इनका आवरण लगभग 16% था, जो 1980 के बाद घटकर 1.8% रह गया।
  - » **ऑर्बिसेला कोरलः** 1998 की ब्लीचिंग के बाद इनमें भारी गिरावट आई और वर्तमान में यह लगभग 5% पर स्थिर हैं।
  - » पोराइट्स जैसे तनाव-सहिष्णु कोरल की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु वे खोई हुई रीफ संरचना की भरपाई करने में सक्षम नहीं हैं।

- **शाकाहारी जीवों का क्षय और शैवाल प्रभुत्व:**
  - डायडेमा सी अर्चिन का 1980 के दशक में तथा पुनः 2022 में पतन हुआ। पैरटफिश की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।
  - इसके परिणामस्वरूप चराई में कमी आई और मैक्रो-एल्गी का आवरण लगभग 85% तक बढ़ गया, जिससे रीफ कोरल-प्रधान से शैवाल-प्रधान पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो गए।
- **मानवीय दबाव और आक्रामक प्रजातियाँ:**
  - रीफ से 20 किमी के भीतर तटीय जनसंख्या में 2000–2020 के बीच 27.6% की वृद्धि हुई, जिससे प्रदूषण और पोषक तत्वों का बहाव बढ़ा।
  - लायनफिश तथा आक्रामक सॉफ्ट कोरल (Unomia, Xenia, Latissimia) कठोर कोरल को विस्थापित कर रहे हैं और रीफ पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

1980 के दशक से कैरिबियन कोरल रीफ का आधा नष्ट हो जाना, जलवायु परिवर्तन के समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर पड़ रहे तीव्र प्रभावों की एक गंभीर वैश्विक चेतावनी है। बढ़ता समुद्री तापमान, रोगों का प्रसार, पारिस्थितिक असंतुलन और मानवीय दबाव मिलकर कोरल रीफ को अपरिवर्तनीय पतन की ओर धकेल रहे हैं। यदि तत्काल जलवायु शमन और पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण नहीं अपनाया गया, तो 'समुद्र के वर्षावन' कहे जाने वाले कोरल रीफ मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाले पहले प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बन सकते हैं।

औद्योगिक युग पूर्व काल के बाद जैव-विविधता ह्रास

संदर्भ:

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उप-सहारा अफ्रीका ने औद्योगिक युग पूर्व की अवधि की तुलना में अपनी लगभग 24% जैव-विविधता खो दी है। जैव-विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, सतत विकास और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन में जैव विविधता अक्षुण्णता सूचकांक (Biodiversity Intactness Index (BII)) तथा 200 अफ्रीकी जैव-विविधता विशेषज्ञों के प्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक मूल्यांकन किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

- **कुल जैव-विविधता की स्थिति**
  - उप-सहारा अफ्रीका का अनुमानित BII लगभग 76% है।
  - स्थानीय कशेरुकी जीवों एवं वनस्पतियों की आबादी अपने औद्योगिक युग पूर्व के स्तर की तुलना में 76% तक घट चुकी है।
  - नुकसान अलग-अलग समूहों में अलग दिखाई देता है:
    - ➢ शाकीय पौधों में कमी 20% से कम।
    - ➢ कुछ बड़े स्तनधारियों में कमी 80% तक।
- **देश के अनुसार स्थिति:**
  - **सबसे कम अच्छी स्थिति:** रवांडा और नाइजीरिया (BII 55% से कम)।
  - **सबसे अच्छी स्थिति:** नामीबिया और बोत्सवाना (BII 85% से अधिक)।
  - मध्य अफ्रीकी देशों में लगातार नमी वाले घने जंगलों के कारण जैव-विविधता अपेक्षाकृत बेहतर बनी रहती है।
  - पश्चिम अफ्रीका में खेती के विस्तार और अत्यधिक कटाई से जंगल और सवाना का क्षरण अधिक, जिससे जैव-विविधता की स्थिति कमज़ोर है।

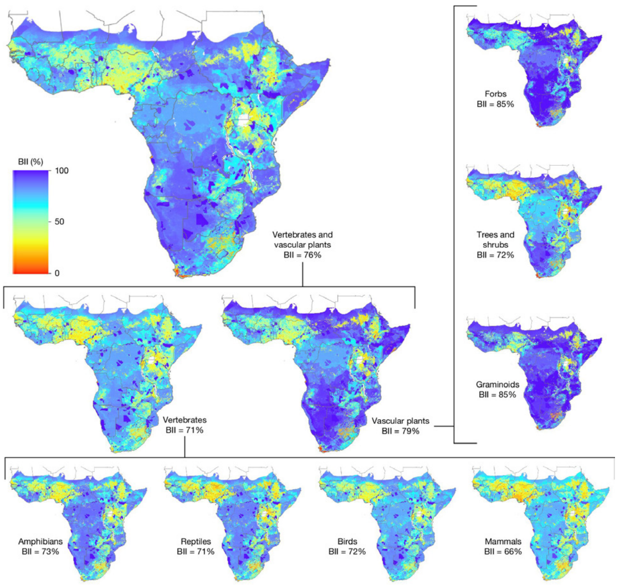

- **पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े प्रमुख कारण:**
  - **घास के मैदान और फिनबोस:** यहाँ जैव-विविधता का नुकसान मुख्य रूप से खेती के लिए भूमि-परिवर्तन के कारण होता है।
  - **जंगल:** खेती के अतिरिक्त मानवीय गतिविधियों का प्रभाव

यहाँ अधिक नुकसान पहुँचाता है।
  - » सवाना क्षेत्रों पर खेती और गैर-खेती दोनों तरह के दबाव देखे जाते हैं।
  - » उच्च उत्पादकता वाली कृषि भूमि अपेक्षाकृत कम सुरक्षित रहती है, जबकि कम उत्पादकता वाली छोटी खेती की भूमि में सीमित सुरक्षा बची रहती है जो यह दिखाता है कि गहन खेती का पर्यावरणीय प्रभाव अधिक होता है।
- **मानव निर्भरता और संरक्षण की आवश्यकता:**
  - » बची हुई 80% से अधिक जैव-विविधता, असुरक्षित प्राकृतिक जंगलों और चरागाहों में पाई जाती है, जहाँ मानव और वन्यजीव एक साथ रहते हैं।
  - » ये क्षेत्र 500 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का आधार हैं, जिससे स्पष्ट है कि संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी वाली टिकाऊ रणनीतियों की आवश्यकता है।
- **भविष्य की संभावित स्थिति:**
  - » अनुमान है कि 2050 तक खेती के लिए उपयोग होने वाली भूमि दोगुनी और अनाज की मांग तीन गुना हो सकती है।
  - » कृषि प्रणालियों में बदलाव से जैव-विविधता पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।
  - » कुल कृषि भूमि का 75% हिस्सा छोटे किसानों के पास है, जिनकी उत्पादकता कम है। यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और संरक्षण दोनों के लिए समानांतर चुनौतियाँ पैदा करती है।

महत्व और उपयोगिता:

- यह अध्ययन नीति-निर्माताओं के लिए तथ्य-आधारित और उपयोगी डेटा उपलब्ध कराता है।
- यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए विशेष संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- कृषि विस्तार और जैव-विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है।
- यह स्पष्ट करता है कि कार्यात्मक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे जंगल और चरागाह की सुरक्षा सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सब-सहारा अफ्रीका के विषय में:

- सब-सहारा अफ्रीका वह क्षेत्र है जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है। यह एक विस्तृत और अत्यंत विविध क्षेत्र है, जिसमें 48–49 देश, 1,000 से अधिक भाषाएँ और 1.1 बिलियन से अधिक आबादी शामिल है।

निष्कर्ष:

सब-सहारा अफ्रीका में जैव-विविधता का नुकसान देश और पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार अलग-अलग है और इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं। प्रभावी संरक्षण के लिए ऐसे समन्वित और संतुलित उपाय आवश्यक हैं, जो खाद्य सुरक्षा, स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों, और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को साथ लेकर चलें।

प्लास्टिक प्रदूषण पर रिपोर्ट

संदर्भ:

प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट (Pew Charitable Trusts) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर मजबूत कदम नहीं उठाए गए, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण दोगुने से भी अधिक बढ़कर 280 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुँच जाएगा। यह स्थिति इतनी गंभीर होगी कि हर एक सेकंड में एक कचरा ट्रक बराबर प्लास्टिक समुद्र या पर्यावरण में जायेगा।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- 2025 में लगभग 130 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक पर्यावरण में को प्रभावित कर रहा है और यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो 2040 तक यह बढ़कर 280 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा।
- प्लास्टिक उत्पादन, विशेषकर पैकेजिंग और वस्त्रों में कचरा प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।
- माइक्रोप्लास्टिक्स अब कुल प्रदूषण का लगभग 13% हैं, जिनके मुख्य स्रोत में "टायरों का घिसना, पेंट, कृषि संबंधी गतिविधियाँ तथा रीसाइक्लिंग प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- प्लास्टिक से होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 58% बढ़कर 4.2 गीगाटन CO_2e प्रति वर्ष तक पहुँच सकता है, जो लगभग एक अरब पेट्रोल कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है।
- प्लास्टिक और उससे जुड़े जहरीले रसायनों के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेंगे। 2025 में अनुमानित 5.6 मिलियन स्वस्थ जीवन–वर्ष का नुकसान, जो 2040 में बढ़कर 9.8 मिलियन तक हो सकता है।
- 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 52% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि कचरा प्रबंधन क्षमता केवल 26% बढ़ेगा, इससे पर्यावरणीय प्रदूषण और आर्थिक भार दोनों बढ़ेंगे।
- कचरा प्रबंधन पर वैश्विक खर्च बढ़कर 140 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, जबकि बिना संग्रहित प्लास्टिक कचरे का

हिस्सा 19% से बढ़कर 34% हो सकता है।

अनुशंसित उपाय:

यदि उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण 83% तक कम किया जा सकता है।

- **प्लास्टिक उत्पादन कम करना**
  - » 2040 तक उत्पादन में 44% कमी संभव।
  - » अनावश्यक सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (SUP) को समाप्त करना।
  - » रीफिल और पुन: उपयोग (Reuse) प्रणाली को बढ़ावा देना।
- **रसायनों और उत्पादों का पुनःडिज़ाइन**
  - » कम और सुरक्षित रसायनों का उपयोग।
  - » पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग के लिए सर्कुलर डिज़ाइन अपनाना।
- **कचरा प्रबंधन का विस्तार**
  - » बेहतर पृथक्करण और संग्रहण।
  - » अनौपचारिक कचरा अलग करने वालों को शामिल करना।
  - » स्थानीय स्तर पर रीसाइक्लिंग ढाँचे में निवेश।
- **आपूर्ति शृंखला की पारदर्शिता बढ़ाना**
  - » प्लास्टिक प्रवाह, एडिटिव्स और माइक्रोप्लास्टिक्स की अनिवार्य ट्रैकिंग।

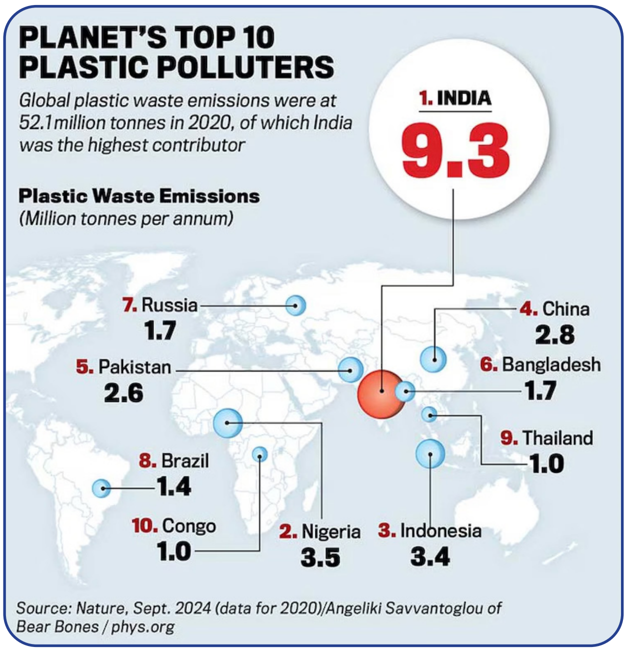

Source: Nature, Sept. 2024 (data for 2020)/Angeliki Savvantoglou of Bear Bones / phys.org

प्लास्टिक प्रदूषण के कारण और विस्तार:

- **बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत**
  - » दुनिया भर में प्लास्टिक का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है।
  - » सस्ते कच्चे माल और ज़्यादा उपयोगिता से प्रेरित।
- **सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUPs)**
  - » बैग, बोतलें, कटलरी और पैकेजिंग कचरे के मुख्य कारण हैं।
  - » यह एक "फेंक दो और नया ले लो" संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।
- **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन**
  - » भारत में हर वर्ष लगभग ~9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।
  - » इसका अधिकतम हिस्सा इकट्ठा नहीं किया जाता और खुले में फेंक दिया जाता है।
  - » खराब सेग्रीगेशन और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर
  - » ज़्यादा एनवायर्नमेंटल लीकेज।
- **गैर-जैवनिम्नीकरणीयता**
  - » प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है।
  - » माइक्रोप्लास्टिक्स (<5 मिमी) और नैनोप्लास्टिक्स में टूट जाते हैं, जिससे उनका विघटन बहुत मुश्किल होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव:

- **पर्यावरण क्षति**
  - » समुद्री जीवन: निगलना, उलझना, आवास का नष्ट होना।
  - » ज़मीनी क्षेत्र: नालियों के चोक होने से शहरी बाढ़।
  - » प्लास्टिक आक्रामक प्रजातियों को फैलने में मदद करते हैं।
  - » ग्रीनहाउस गैसों द्वारा जलवायु परिवर्तन को तेज़ करते हैं।
- **मानव स्वास्थ्य**
  - » BPA, थैलेट्स (Phthalates) जैसे जहरीले रसायन हार्मोनल गड़बड़ी, कैंसर और प्रजनन समस्याओं से जुड़े हैं।
  - » मनुष्यों के खून, फेफड़ों और प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक पाए जा चुके हैं।
- **आर्थिक नुकसान**
  - » पर्यटन, मछली पालन और खेती पर असर पड़ता है।
  - » सफ़ाई का खर्च अधिक आता है।
  - » रीसाइक्लिंग योग्य मूल्यवान सामग्री का नुकसान।

भारत की नीतियाँ और नियामक ढाँचा:

- **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM) नियम 2016 और इसके संशोधन**
  - » कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 120 माइक्रोन निर्धारित की गई है।
  - » 2022 से कई प्रकार के सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) उत्पादों

पर पूरे देश में प्रतिबंध लागू है।

» विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस लेकर उसका पुनर्चक्रण (recycling) या सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

- **सहायक पहलें:**
  - » स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक-मुक्ति को बढ़ावा।
  - » इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट, उद्योग द्वारा संचालित एक सर्कुलर इकॉनमी पहल, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक पैकेजिंग को अधिक टिकाऊ और रीसायकल योग्य बनाना है।
  - » सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग, जिससे कचरे का उपयोगात्मक मूल्य बढ़ता है और सड़कें अधिक टिकाऊ बनती हैं।
  - » नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और घर-स्तर पर कचरे के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अभियान।

निष्कर्ष:

प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का रूप ले रहा है। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यदि समय पर व्यापक और समन्वित कदम नहीं उठाए गए, तो 2040 तक प्लास्टिक कचरा दोगुने से भी अधिक बढ़कर प्राकृतिक पारितंत्रों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सहित पूरी दुनिया को प्लास्टिक उत्पादन कम करने, सामग्रियों और उत्पादों का पुनःडिज़ाइन करने, कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे बहु-स्तरीय उपाय अपनाने होंगे, ताकि प्लास्टिक प्रदूषण टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्रगति को बाधित न कर सके।

आक्रामक प्रजातियों का भारत के प्राकृतिक पारितंत्र पर प्रभाव

संदर्भ:

नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने चेतावनी दी है कि भारत के प्राकृतिक पारितंत्र (Ecosystems) आक्रामक विदेशी पौधों (Invasive Alien Plants) के बढ़ते प्रसार से तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि समाज, स्थानीय समुदायों और लोगों की आजीविका पर भी गहरा असर डाल रही है।

आक्रामक प्रजातियों के बारे में:

- आक्रामक प्रजातियाँ वे बाहरी (गैर-देशी) पौधे या जीव होते हैं, जो किसी नए क्षेत्र में पहुँचने के बाद तेज़ी से फैलने लगते हैं और स्थानीय वनस्पतियों व जीवों को प्रभावित करते हैं।
- इनके फैलाव से पारितंत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी संरचना व कार्यप्रणाली में कई बदलाव आने लगते हैं।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - » आक्रामक विदेशी पौधों के कारण भारत में हर वर्ष लगभग 15,500 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक क्षेत्र का नुकसान होता है।
  - » देश के करीब दो-तिहाई प्राकृतिक पारितंत्र अब 11 प्रमुख आक्रामक पौधों से प्रभावित हैं, जिनमें लैंटाना कैमरा, क्रोमोलेना ओडोराटा और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं।

Name of invasive species	Total infested area (in Ha.)	Area removed upto October 2025 (in Ha.)	Remaining area to be removed (in Ha.)
Lanta camara	144034	26735	117299
Prosopis juliflora	23454	4685	18769
Senna spectabilis	2446	1963	483
Wattle	7429	1327	6102
Total	177363	34710	142653

आक्रामक पौधों के फैलाव के कारण:

- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और बार-बार लगने वाली आग आक्रामक पौधों के प्रसार को तेज़ कर देते हैं।
- **भूमि उपयोग में बदलाव:** जंगलों, घासभूमियों और आर्द्रभूमियों को कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य विकास गतिविधियों में बदलने से पारितंत्र कमजोर होते हैं।
- **जैव विविधता में गिरावट:** जब स्थानीय प्रजातियाँ कम हो जाती हैं, तो पारितंत्र का प्रतिरोध कम होता है और आक्रामक पौधों को आसानी से फैलने का अवसर मिल जाता है।

- **आग और चराई के बदलते पैटर्न:** आग की आवृत्ति में बदलाव और पशुओं की चराई के दबाव में अंतर विभिन्न प्रकार के आक्रामक पौधों के तेज़ी से बढ़ने में सहायक बनते हैं।

भारत में प्रमुख आक्रामक प्रजातियाँ:

- **लैंटाना कैमरा (Lantana camara):** अधिकांश राज्यों में प्रमुख रूप से फैली हुई; जंगलों और घास के मैदानों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
- **क्रोमोलेना ओडोराटा (Chromolaena odorata):** भारत में सबसे तेजी से फैलने वाले आक्रामक पौधों में से एक; इसका व्यापक प्रसार देशी पारितंत्रों को काफी हद तक बदल देता है।
- **प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (Prosopis juliflora):** रेगिस्तान बनने से रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था; लेकिन अब यह सूखे इलाकों में पूरी तरह हावी होकर वन्यजीवों और चरवाहों के लिए आवश्यक देसी झाड़ियों की जगह ले रहा है।
- **अन्य उल्लेखनीय प्रजातियाँ:** एगेराटिना एडेनोफोरा (Ageratina adenophora), मिकानिया माइक्रान्था (Mikania micrantha), ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम (Xanthium strumarium)

सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र:

- **पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर भारत:** इन अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक पौधों का फैलाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से हो रहा है।
- **शुष्क और आर्द्र घासभूमियाँ:**
  - पेनिनसुलर भारत की शुष्क घासभूमियाँ
  - गंगा–ब्रह्मपुत्र बेसिन की आर्द्र घासभूमियाँ
  - पश्चिमी घाट की शोला घासभूमियाँ
  - सवाना क्षेत्र
  - » यदि इन क्षेत्रों में समय रहते संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो एक ही पीढ़ी में पूरे पारितंत्र की प्रकृति आक्रामक प्रजातियों के पक्ष में बदल सकती है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव:

- **रोज़गार और आजीविका पर असर:** आक्रामक पौधों के फैलाव से चारा, ईंधन लकड़ी और पानी की उपलब्धता कम हो जाती है और मिट्टी की उर्वरता घटती है।
- **आर्थिक नुकसान:** 1960 से 2020 के बीच आक्रामक प्रजातियों के कारण भारत को लगभग ₹8,30,000 करोड़ (127.3 बिलियन डॉलर) का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** कई आक्रामक पौधों के उत्सर्जन से सांस संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं और कुछ स्थानों पर पोषण की कमी जैसी चुनौतियाँ भी गहरी हो जाती हैं।
- **प्रवास:** संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण और चरवाहा समुदायों को चारा, पानी और अन्य जरूरतों के लिए पहले से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

पर्यावरणीय और पारितंत्र संबंधी नुकसान:

- **जैव विविधता में गिरावट:** आक्रामक पौधे स्थानीय वनस्पतियों जानवरों को बाहर कर देते हैं।
- **पारितंत्र के व्यवहार में परिवर्तन:** आक्रामक प्रजातियाँ मिट्टी की नमी, आग लगने के चक्र, प्रकाश उपलब्धता और चराई के पैटर्न को बदल देती हैं।
- **आक्रामकता का तेज़ विस्तार:** जो पौधे पहले केवल शुष्क क्षेत्रों तक सीमित थे, वे अब हिमालयी जंगलों, नम वनों और सदाबहार पारितंत्रों में भी पहुँच रहे हैं।

निष्कर्ष:

आक्रामक विदेशी पौधे भारत के प्राकृतिक पारितंत्रों को बेहद तेज़ी से रूपांतरित कर रहे हैं। इससे जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और करोड़ों लोगों की आजीविका पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि समय रहते एक समन्वित, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई न की गई तो, यह समस्या आने वाले वर्षों में एक बड़े सामाजिक–पारिस्थितिक संकट का रूप ले सकती है। भारत की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और ग्रामीण समुदायों की आजीविका सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति मिशन की स्थापना अब अत्यंत आवश्यक हो गई है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट

संदर्भ:

हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले क्षेत्र में जैव-विविधता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नई प्रजातियों की खोज हुई है। वर्ष 2021 से अब तक इस क्षेत्र में लगभग 40 नई प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से लगभग आधी केवल वर्ष 2025 में ही दर्ज की गई हैं।

मुख्य खोजें:

- इन खोजों में सबसे उल्लेखनीय खोज नई साँप प्रजाति (Lycodon

irwini) है, जिसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादी स्टीव इरविन के सम्मान में नामित किया गया है। अब तक इस प्रजाति के केवल चार ही वैज्ञानिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। इसकी अत्यंत सीमित भौगोलिक उपस्थिति और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ताओं ने अनुशंसा की है कि इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में "संकटग्रस्त" (Endangered) श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

- इसी क्षेत्र से एक संभावित नई पक्षी प्रजाति "ग्रेट निकोबार क्रेक (Rallina sp)" की भी रिपोर्ट की गई है। पिछले पूरे दशक में यह केवल तीन बार देखी गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी विशिष्ट शारीरिक संरचना और आकृतिगत विशेषताएँ संकेत देती हैं कि यह संभवतः एक पूर्णतः नई प्रजाति हो सकती है।

परियोजना के बारे में:

- नीति आयोग द्वारा परिकल्पित और 2021 में प्रारंभ की गई ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख बुनियादी ढाँचे का विकास करना है:
  - अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
  - ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  - आधुनिक टाउनशिप
  - गैस–सौर ऊर्जा संयंत्र
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
- यह परियोजना मैरीटाइम विजन 2030 के अनुरूप है तथा अमृत काल विज़न 2047 की एक प्रमुख पहल के रूप में सम्मिलित है।

रणनीतिक महत्व:

- **ट्रांसशिपमेंट और व्यापार**
  - यह परियोजना सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर भारत की निर्भरता को कम करेगी।
  - वैश्विक सप्लाई चेन में भारत के एकीकरण (Integration) को मजबूत करेगी।
- **दोहरे उपयोग वाला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा**
  - नागरिक हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही, रक्षा तैयारियों और सैन्य तैनाती क्षमता को बेहतर बनाएगा।
- **सामरिक भौगोलिक स्थिति के लाभ**
  - ग्रेट निकोबार प्रमुख वैश्विक शिपिंग गलियारों "मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य" के अत्यंत निकट स्थित है।
  - यह महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर प्रभावी निगरानी क्षमता प्रदान करता है।
  - कई महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों के समीप स्थित है, जैसे:
    - ➢ सबांग (इंडोनेशिया)
    - ➢ कोको द्वीप (म्यांमार)
    - ➢ प्रस्तावित क्रा नहर (थाईलैंड)
  - यह "कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर" तीनों के लगभग समान दूरी पर स्थित है, जिससे भारत इंडो-पैसिफिक समुद्री व्यापार नेटवर्क के केंद्र में स्थापित होता है।

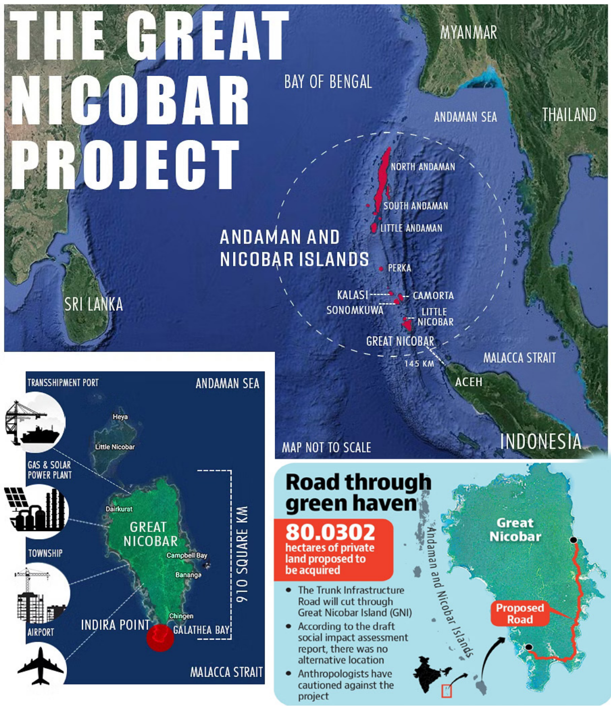

- **समुद्री सुरक्षा:**
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री सुरक्षा की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
  - इनकी समुद्री सीमाएँ म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ साझा होती हैं।
  - UNCLOS (1982) के तहत विस्तृत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) पर भारत के समुद्री अधिकारों के प्रभावी उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है।
  - नौसेना की पहुंच और कार्रवाई क्षमता निम्न खतरों के विरुद्ध मजबूत होती है:
    - ➢ समुद्री डकैती
    - ➢ तस्करी
    - ➢ आतंकवाद

➢ महाशक्तियों की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा (विशेषकर चीनी नौसेना की उपस्थिति)

ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में:

- ग्रेट निकोबार, 836 द्वीपों वाले अंडमान–निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और टेन डिग्री चैनल के पार स्थित है।
- यह 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तथा घने वर्षावनों से आच्छादित है।
- इसी द्वीप पर इंदिरा प्वाइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी भूभाग है और सुमात्रा से लगभग 90 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।
- द्वीप पर निम्न पाए जाते हैं:
  - » शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय
  - » दो राष्ट्रीय उद्यान
  - » एक नामित बायोस्फियर रिज़र्व
- ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिज़र्व को वर्ष 2013 में यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) सूची में जोड़ा गया था।

निष्कर्ष:

ग्रेट निकोबार में लगभग 650 पादप प्रजातियाँ तथा 1,800 से अधिक जीव-जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 24% प्रजातियाँ स्थानिक (Endemic) हैं, अर्थात ये केवल इसी द्वीप पर पाई जाती हैं। हाल के वर्षों में लगातार हो रही नई खोजें यह स्पष्ट करती हैं कि यह द्वीप जैव-विविधता का अत्यंत मूल्यवान भंडार है। इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्य को सक्षम बनाने का रोडमैप

संदर्भ:

भारत ने 2 दिसंबर 2025 को कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए पहला अनुसंधान एवं विकास रोडमैप जारी किया है। यह रोडमैप विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा तैयार किया गया है। इस रोडमैप का उद्देश्य समन्वित और संगठित कार्रवाई को बढ़ावा देना, सहयोग को सुदृढ़ करना तथा सीसीयूएस तकनीकों के देशव्यापी अनुप्रयोग को तेज़ी प्रदान करना है।

- यह पहल भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य को मजबूत समर्थन देती है और विकसित भारत@2047 की दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप है।

रणनीतिक महत्व और उद्देश्य:

- **जलवायु शमन:** बिजली, सीमेंट और इस्पात जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर देश के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को उल्लेखनीय रूप से घटाना।
- **तकनीकी प्रगति:** वर्तमान उपलब्ध तकनीकों के व्यावसायिक उपयोग और भविष्य के अत्याधुनिक वैज्ञानिक समाधानों के विकास के बीच संतुलित प्रगति सुनिश्चित करना।
- **वैश्विक नेतृत्व:** जलवायु संरक्षण और कार्बन न्यूनीकरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका को एक उत्तरदायी और सक्षम वैश्विक सहयोगी के रूप में और अधिक सुदृढ़ करना।
- **सतत विकास:** आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि को पर्यावरणीय संरक्षण तथा संसाधन दक्षता के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करना।

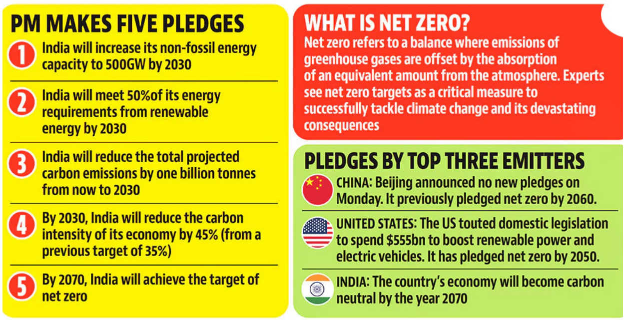

कार्यान्वयन ढांचा:

- **रूपांतरित अनुसंधान (Translational R&D):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने औद्योगिक वातावरण में CCUS टेस्ट-बेड स्थापित किए हैं, ताकि तकनीकों को वास्तविक वातावरण में परखा जा सके।
- **पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):** तेज़ी से तकनीक लागू करने के लिए नवोन्मेषी साझेदारियों को प्रोत्साहित किया गया है।
- **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने CCUS क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं।
- **सहायक ढाँचा:** कुशल मानव संसाधन, मजबूत नियामक और सुरक्षा मानक, साझे अनुसंधान ढाँचे तथा आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है।
- **वित्तीय सहायता एवं रणनीतिक दिशा:** यह रोडमैप ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना से

संरेखित है, जो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी, निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

भारत की नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता के बारे में:

- भारत 2070 तक नेट-ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह प्रतिबद्धता COP26 (ग्लासगो, 2021) में की गई पंचामृत घोषणा से जुड़ी हुई है।

कम अवधि और लंबी अवधि के जलवायु लक्ष्य के बारे में:

- » 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना।
- » 2030 तक देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करना।
- » 2030 तक CO_2 उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना।
- » 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% से नीचे लाना।
- उपरोक्त सभी लक्ष्य मिलकर 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के राष्ट्रीय संकल्प की मजबूत आधारशिला बनाते हैं।

भारत द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियाँ:

- सौर, पवन और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर तीव्र संक्रमण को बढ़ावा देना।
- हाइड्रोजन ऊर्जा पहलों का समर्थन, जिसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentives) शामिल हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करना।
- उभरती तकनीकों का विकास और प्रायोगिक कार्य, जैसे 2G एथेनॉल पायलट, हाइड्रोजन वैलीज़, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए कंफर्ट क्लाइमेट बॉक्स और हीटिंग एवं कूलिंग वर्चुअल रिपॉजिटरी।
- **जैव-आधारित अर्थव्यवस्था:** 2025 तक $150 बिलियन के लक्ष्य की दिशा में वृद्धि करना, जिसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल और वेस्ट-टू-एनर्जी तकनीकों को विशेष समर्थन दिया गया है।

निष्कर्ष:

सीसीयूएस अनुसंधान और विकास रोडमैप भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक उपकरण है, जो तकनीकी विकास, वित्तीय निवेश और समन्वित सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। यह न केवल भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाता है, बल्कि सतत विकास को भी मजबूत करता है और वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भारत की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) संरक्षण

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) की योजना, मार्ग निर्धारण और क्रियान्वयन की रूपरेखा को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के अनुरूप पुनः परिभाषित किया है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में शामिल है, जिसकी प्राकृतिक अवस्था में बची आबादी अब केवल कुछ दर्जन तक सिमट गई है। इसका मुख्य प्राकृतिक आवास राजस्थान और गुजरात तक सीमित रह गया है।
- ओवरहेड विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराव, प्राकृतिक आवासों का विखंडन तथा अन्य मानव-जनित गतिविधियों के कारण इस प्रजाति की संख्या में तीव्र और निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक प्रमुख राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ना है। यह परियोजना 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य का एक अहम स्तंभ है।
- GEC में राज्य के भीतर संचालित इंट्रा-स्टेट तथा राज्यों को आपस में जोड़ने वाली इंटर-स्टेट, दोनों प्रकार की ट्रांसमिशन प्रणालियाँ शामिल हैं।
- विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब प्रस्तावित कई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण और संवेदनशील आवास क्षेत्रों से होकर गुजरने लगीं, जिससे जैव विविधता संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार के बीच सीधा और गंभीर टकराव सामने आया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश:

- **संरक्षण क्षेत्र और 'नो-गो' क्षेत्र**
  - » न्यायालय ने स्पष्ट किया कि GIB का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और इसके लिए संशोधित प्राथमिक संरक्षण क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया है:
    - ➢ राजस्थान में 14,013 वर्ग किलोमीटर
    - ➢ गुजरात में 740 वर्ग किलोमीटर
  - » ये क्षेत्र अब कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और भविष्य में सभी अवसंरचना तथा ऊर्जा परियोजनाओं में इन्हें अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना होगा।
- **प्राथमिक क्षेत्रों में नवीकरणीय अवसंरचना पर प्रतिबंध**
  - » इन क्षेत्रों में नई ओवरहेड विद्युत ट्रांसमिशन लाइनें केवल विशेष रूप से चिन्हित पावर कॉरिडोरों में ही लगाई जा सकेंगी।
  - » 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली पवन और सौर परियोजनाओं को प्राथमिक संरक्षण क्षेत्रों में लगाने पर प्रतिबंध होगा, ताकि पक्षियों के मरने का जोखिम न्यूनतम हो।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का पुनर्संरेखण**
  - » GEC अब समर्पित और संकरे कॉरिडोरों से होकर गुजरेगा, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मुख्य आवास क्षेत्रों को बचाया जा सके।
  - » उदाहरण के लिए, राजस्थान में डेज़र्ट नेशनल पार्क के दक्षिण में 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं।
  - » कई उच्च-क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों को पुनः मार्गित करना, भूमिगत करना या चरणबद्ध रूप से विलंबित करना आवश्यक हो सकता है, जिससे संचालन और लागत संबंधी चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।
- **समय-सीमा और अनुपालन**
  - » प्राथमिक संरक्षण क्षेत्रों में मौजूद मौजूदा उच्च-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को दो वर्षों के भीतर भूमिगत किया जाना या उनका मार्ग बदलना अनिवार्य है।
  - » गुजरात में कुछ ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय-सीमा 2028 तक दी गई है।
- **तकनीकी और नियामक संतुलन**
  - » न्यायालय ने सभी विद्युत लाइनों को सार्वभौमिक रूप से भूमिगत करने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि तकनीकी, भूवैज्ञानिक और वित्तीय सीमाएँ हैं।
  - » बस्तियों के पास छोटी वितरण लाइनों के लिए सीमित छूट दी गई है, जहाँ भूमिगत करना व्यावहारिक नहीं होगा।

महत्त्व:

- **नई योजना-दृष्टि:** इस निर्णय के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को सीधे ऊर्जा और अवसंरचना योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।
- **नियामक स्पष्टता:** परियोजनाओं को विकसित करने वालों के लिए स्पष्ट दिशा और नियम तय किए गए हैं, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े पर्यावरणीय मानक सुनिश्चित किए गए हैं।
- **संरक्षण को प्राथमिकता:** यह कदम संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा के संवैधानिक दायित्व को मजबूत करता है।
- **जलवायु और जैव विविधता का संतुलन:** यह निर्णय दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण की अनदेखी नहीं की जा सकती, बल्कि दोनों का संतुलित समन्वय आवश्यक है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का यह निर्णय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति और शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को पूरी तरह रोकता नहीं है, लेकिन अवसंरचना योजना में स्पष्ट और बाध्यकारी पारिस्थितिक सीमाएँ स्थापित करता है। यह फैसला एक मूल सिद्धांत को रेखांकित करता है—भारत का ऊर्जा संक्रमण जैव विविधता की कीमत पर नहीं, बल्कि विकास और संरक्षण के संतुलित सह-अस्तित्व के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ब्लूबर्ड-6 प्रक्षेपण: भारत के अंतरिक्ष व्यावसायीकरण की नई दिशा

सन्दर्भ:

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लंबे समय से अपनी वैज्ञानिक दक्षता और लागत-कुशलता के लिए जाना जाता रहा है। हाल ही में 24 दिसंबर 2025 को ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (ब्लूबर्ड-6) संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के स्वरूप में एक निर्णायक परिवर्तन को रेखांकित करता है, जिसमें राज्य-नेतृत्व वाली वैज्ञानिक पहल से आगे बढ़कर भारत अब एक व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी और भू-राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। श्रीहरिकोटा से एलवीएम3-एम6 रॉकेट के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा निष्पादित यह मिशन मात्र एक नियमित उपग्रह प्रक्षेपण नहीं है।

यह वैश्विक स्तर पर भारी वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण और अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष-आधारित कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत के आगमन का संकेत देता है। ब्लूबर्ड-6 मिशन को विशिष्ट बनाने वाला तत्व केवल इसकी तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि वह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा तंत्र जिसमें सार्वजनिक क्षमता, निजी उद्यम, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक महत्वाकांक्षा एक साथ मिल रहे हैं।

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह:

- एएसटी स्पेसमोबाइल इनकारपोरेशन द्वारा विकसित ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह अगली पीढ़ी के ऐसे उपग्रह समूह का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। लगभग 6,500 किलोग्राम वज़न वाला ब्लूबर्ड-6 इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए अब तक के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है, जो भारत की प्रक्षेपण प्रणालियों की परिपक्वता और मजबूती को दर्शाता है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से सीधे साधारण स्मार्टफ़ोन तक सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है, जिससे विशेष ग्राउंड टर्मिनल या अवसंरचना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- ब्लूबर्ड-6 उपग्रह की एक प्रमुख विशेषता इसका विशाल फेज़्ड-ऐरे एंटीना तंत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,400 वर्ग फ़ुट है। ये उन्नत एंटीना व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में निरंतर और उच्च-गति कनेक्टिविटी सक्षम बनाते हैं, विशेषकर उन दूरस्थ, ग्रामीण और वंचित इलाक़ों में जहाँ स्थलीय नेटवर्क कमज़ोर या अनुपस्थित हैं। अंतरिक्ष से सीधे उपकरण तक संचार को संभव बनाकर, ब्लूबर्ड उपग्रह समूह वैश्विक डिजिटल विभाजन को पाटने का लक्ष्य रखता है तथा आपातकालीन संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और आपदा प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक सेवाओं को समर्थन देता है।

एलवीएम-3 रॉकेट: भारत की भारी-वहन क्षमता का आधार:

- ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह की सफल तैनाती इसरो के सबसे शक्तिशाली परिचालन प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 के माध्यम से संभव हुई, जिसे पहले जीएसएलवी मार्क-3 के नाम से जाना जाता था। एलवीएम-3 एक त्रि-चरणीय, सर्व-मौसम रॉकेट है, जिसमें ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। यह निम्न

पृथ्वी कक्षा में लगभग 8,000 किलोग्राम तथा भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में लगभग 4,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिससे यह भारत की भारी-वहन आवश्यकताओं का केंद्रीय आधार बनता है।

- एलवीएम-3 ने चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब उपग्रहों के कई बैचों सहित अनेक उच्च-प्रोफ़ाइल अभियानों के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की है। यह भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए नामित प्रक्षेपण यान भी है। ब्लूबर्ड-6 जैसे जटिल और भारी वाणिज्यिक पेलोड का सफल प्रक्षेपण एलवीएम-3 को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण मंच के रूप में और अधिक सुदृढ़ करता है।

इसरो की वाणिज्यिक शाखाएँ: एंट्रिक्स व एनएसआईएल:

- वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की बढ़ती उपस्थिति इसरो के अंतर्गत दो प्रमुख वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा संचालित है। पहली, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1992 में इसरो की मूल वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में की गई थी। एंट्रिक्स विश्व स्तर पर इसरो की मौजूदा क्षमताओं, जैसे प्रक्षेपण सेवाएँ, उपग्रह ट्रांसपोंडर, दूरसंवेदी आँकड़े और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, का प्रचार-प्रसार करती है।
- दूसरी और अपेक्षाकृत नई संस्था है न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2019 में अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के तहत की गई। एनएसआईएल अधिक व्यापक भूमिका निभाती है, जिसमें उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएँ और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंधों का निष्पादन शामिल है। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने, औद्योगिक क्षमता बढ़ाने और भारत को सरकारी-प्रधान अंतरिक्ष कार्यक्रम से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
- ब्लूबर्ड-6 मिशन एनएसआईएल की विकसित होती भूमिका का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ भारत केवल प्रक्षेपण सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि वाणिज्यिक, कूटनीतिक और औद्योगिक उद्देश्यों को एक ही मिशन में समेकित करता है।

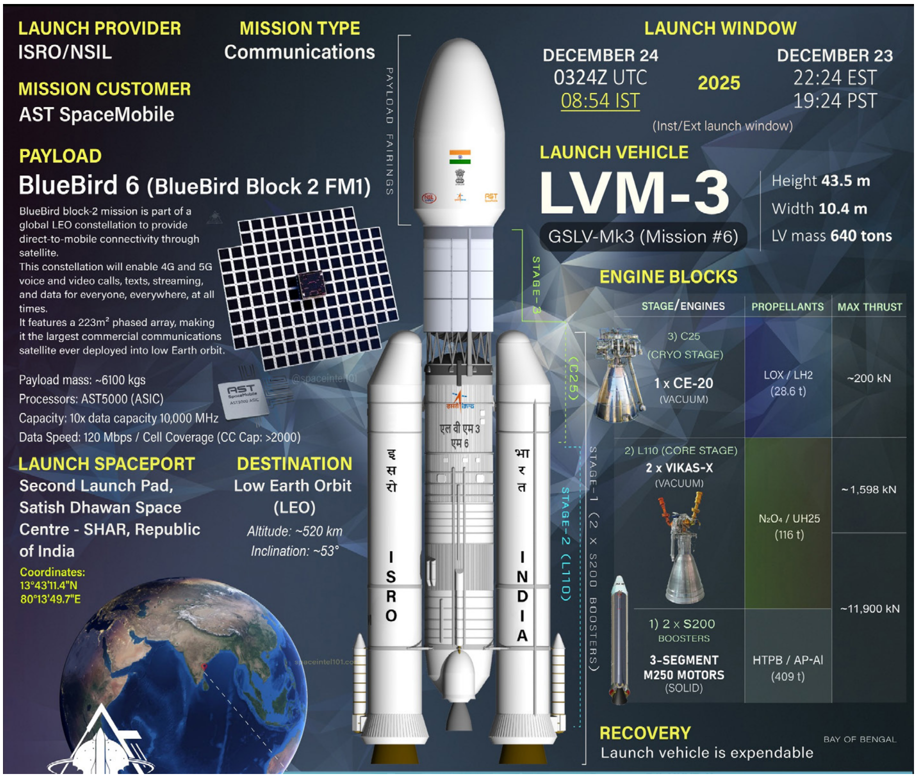

ब्लूबर्ड-6 प्रक्षेपण के रणनीतिक निहितार्थ:

- रणनीतिक दृष्टि से, एक उन्नत अमेरिकी वाणिज्यिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत-अमेरिका सहयोग को रेखांकित करता है। अंतरिक्ष सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, नौवहन प्रणालियाँ, पृथ्वी अवलोकन और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मिलित हैं। इतनी जटिलता वाले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर भारत अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रक्षेपण साझेदार के रूप में अपनी साख मज़बूत करता है।
- यह मिशन स्थापित वैश्विक प्रक्षेपण प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भारत की तत्परता का भी संकेत देता है, जहाँ किफ़ायती, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रस्तुत किए जाते

हैं। इससे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है और एक उत्तरदायी अंतरिक्ष राष्ट्र के रूप में उसकी भूमिका और मज़बूत होती है।

आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व:

- आर्थिक दृष्टि से, ब्लूबर्ड-6 मिशन भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बड़ा प्रोत्साहन देता है। एनएसआईएल के माध्यम से भारत उच्च-मूल्य अंतरराष्ट्रीय अनुबंध आकर्षित कर सकता है, विदेशी राजस्व अर्जित कर सकता है और अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला में रोज़गार तथा औद्योगिक भागीदारी का विस्तार कर सकता है। भारतीय कंपनियों को निर्माण, परीक्षण, एकीकरण और सहायक सेवाओं से जुड़े अवसर प्राप्त होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह मिशन भारत को तीव्र गति से बढ़ती वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, विशेषकर निम्न पृथ्वी कक्षा आधारित ब्रॉडबैंड उपग्रह समूहों, में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की स्थिति में रखता है। विश्व-भर में उपग्रह-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती माँग के बीच, बड़े और उन्नत संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने की भारत की क्षमता उसे मज़बूत प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रदान करती है।

भारत का उभरता अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण पारिस्थितिकी तंत्र:

- इसरो के नेतृत्व वाले सरकारी-प्रधान मॉडल से एक जीवंत, निजी क्षेत्र-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक गहरे परिवर्तन से गुजर रहा है। वर्ष 2022 में लगभग 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2033 तक लगभग 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार का 8 से 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना है। यह तीव्र वृद्धि नीतिगत सुधारों, स्टार्ट-अप नवाचार, वैश्विक निवेश और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के विस्तार से प्रेरित है।
- इस परिवर्तन का एक प्रमुख चालक भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 है, जिसने निजी भागीदारी के द्वार खोले, कई क्षेत्रों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी और गैर-सरकारी इकाइयों के लिए स्पष्ट नियामक ढाँचा प्रदान किया। इन सुधारों से निजी पूँजी प्रवाह और नवाचार को बल मिला है। परिणामस्वरूप, भारत में अब 400 से अधिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप सक्रिय हैं, जो प्रक्षेपण सेवाओं, उपग्रह निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, आँकड़ा विश्लेषण और अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों में कार्यरत हैं। पिक्सेल, स्काईरूट एयरोस्पेस और अग्निकुल कॉसमॉस जैसी कंपनियाँ भारत की उभरती निजी प्रक्षेपण और उपग्रह क्षमताओं का उदाहरण हैं। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और एनएसआईएल जैसे सरकारी सहयोगी संस्थान अनुमोदन, अवसंरचना पहुँच और उद्योग सहयोग को सुगम बनाते हैं, जबकि नए उद्यम पूँजी कोष और वैश्विक निवेशक इस वृद्धि को और गति दे रहे हैं।

प्रमुख क्षेत्र और गतिविधियाँ:

- भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष वृद्धि कई क्षेत्रों में फैली हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में निजी कंपनियाँ उपग्रहों, उपप्रणालियों और प्रक्षेपण यान घटकों का निर्माण बढ़ा रही हैं। प्रक्षेपण सेवाओं में स्टार्ट-अप छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों जैसे किफ़ायती समाधान विकसित कर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष तक पहुँच सरल हो रही है।
- अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग भी एक प्रमुख विकास क्षेत्र हैं। उपग्रह आँकड़े कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, आपदा राहत, शहरी नियोजन, जलवायु निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक हैं। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग जैसे अभियानों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन योजनाओं के माध्यम से उच्च-स्तरीय क्षमताओं को भी आगे बढ़ा रहा है, जो उसकी बढ़ती तकनीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

एलवीएम-3 एम-6 के माध्यम से ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (ब्लूबर्ड-6) संचार उपग्रह का प्रक्षेपण भारत के विकसित होते अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की एक निर्णायक उपलब्धि है। यह इसरो की भारी-वहन क्षमता, एनएसआईएल की बढ़ती वाणिज्यिक भूमिका और भारत की विस्तारित अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को प्रदर्शित करता है। व्यापक रूप से, यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों की सफलता, निजी उद्यम के उदय और अगली पीढ़ी के उपग्रह संचार तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करता है। जैसे-जैसे भारत का अंतरिक्ष वाणिज्यीकरण तेज़ होता जा रहा है, ब्लूबर्ड-6 जैसे मिशन उस भविष्य का प्रतीक हैं जहाँ वैज्ञानिक उत्कृष्टता, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग एक साथ संरेखित होते हैं और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करते हैं।

सौर चुम्बकीय गतिविधि का अन्वेषण

सन्दर्भ:

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों ने कोडैकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त 2015 से 2025 तक के 11 वर्षों के कैल्शियम-पोटेशियम (Ca-K) स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा का उपयोग करते हुए अक्षांशों के अनुसार सौर चुम्बकीय गतिविधि का मानचित्र तैयार किया है।

सौर चुम्बकीय गतिविधि का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

- सूर्य लगभग 11-वर्षीय सौर चक्र से गुजरता है, जिसमें उसकी चुम्बकीय गतिविधि लगातार बदलती रहती है। इस दौरान होने वाले सौर व्यवधान (Solar Disturbances) पृथ्वी को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं, जैसे-उपग्रह संचार में बाधा उत्पन्न होना, GPS और नेविगेशन प्रणालियों पर असर पड़ना, विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुँचना तथा जलवायु और वायुमंडलीय परिवर्तनों पर प्रभाव डालना। इसलिए सौर चुम्बकीय गतिविधि का निरंतर अध्ययन पृथ्वी की तकनीकी और प्राकृतिक प्रणालियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इस गतिविधि का मानचित्रण करने से अंतरिक्ष मौसम (Space Weather) की सटीक भविष्यवाणी में सहायता मिलती है जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष-आधारित अवसंरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष:

- सूर्य की अधिकतर गतिविधि 40° उत्तर और 40° दक्षिण अक्षांशों के बीच पाई गई। इन क्षेत्रों में भी 15–20° अक्षांश के आसपास दोनों तरफ (उत्तर और दक्षिण) सबसे ज्यादा सौर गतिविधि देखी गई।
- गोलार्धों की तुलना में यह पाया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में ऊँचे अक्षांशों की तरफ जाते हुए गतिविधि अधिक तेजी से बढ़ती है। यानी उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में गतिविधि में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।
- स्पेक्ट्रल अवलोकनों से यह भी पता चला कि चुम्बकीय गतिविधि का पैटर्न सनस्पॉट (सूर्य के काले धब्बे) और चुम्बकीय क्षेत्र के फैलाव से मेल खाता है।
- यह अध्ययन सौर चक्र 24 के चरम से लेकर सौर चक्र 25 के चरम तक किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य की 11-वर्षीय गतिविधि नियमित और अनुमानित तरीके से बदलती रहती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए महत्व:

- **सौर डायनेमो की बेहतर समझ:** इस अध्ययन से सौर डायनेमो की बेहतर समझ विकसित होती है। यह तापमान में परिवर्तन, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव तथा क्रोमोस्फीयर में चुम्बकीय संरचनाओं के विकास जैसे पहलुओं के विश्लेषण में सहयोग प्रदान करता है।
- **अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार:** यह अध्ययन अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाता है। इससे सौर तूफानों, कोरोनल मास इजेक्शंस (CMEs) तथा रेडियो ब्लैकआउट जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान करने में मदद मिलती है, जो ISRO के उपग्रहों, संचार नेटवर्क, उड्डयन और रक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **संभावित उपयोग:** इसके कई संभावित उपयोग सामने आते हैं, जिनमें शांत सौर काल में उपग्रह प्रक्षेपण का बेहतर निर्धारण, पावर ग्रिड संरक्षण हेतु पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करना और विकिरण-प्रतिरोधी अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन शामिल है।

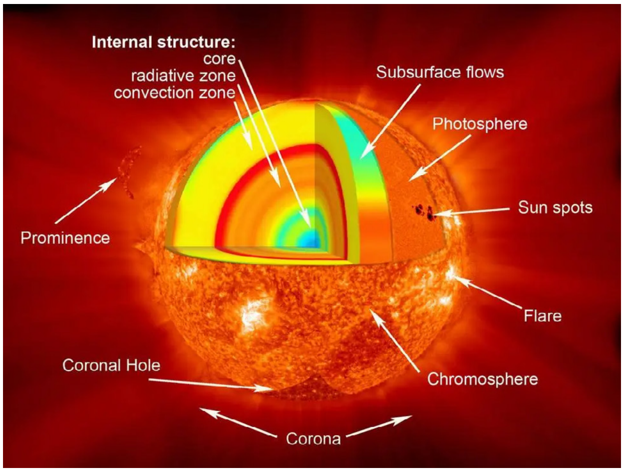

भारत के संदर्भ में प्रासंगिकता:

- यह अध्ययन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में उपग्रहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल संचार पर निर्भरता भी निरंतर बढ़ रही है। साथ ही, भारत की विद्युत ग्रिड प्रणाली अंतरिक्ष-आधारित व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है, जिससे सौर गतिविधियों के दौरान संचार व ऊर्जा तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- यह शोध भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (Space Situational Awareness) क्षमता को बढ़ाता है, सौर भौतिकी अनुसंधान (Solar Physics Research) को मजबूत करता है तथा स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

निष्कर्ष:

कोडैकनाल सौर वेधशाला के दीर्घकालिक Ca-K डाटा और नवीन अक्षांश-बैंड तकनीक ने सौर चुम्बकीय गतिविधि के अक्षांशीय विकास को बेहतर रूप से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह शोध अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान, उपग्रह एवं संचार सुरक्षा तथा सूर्य के चुम्बकीय डायनेमो की वैज्ञानिक समझ को मजबूत करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।

प्रारंभिक ब्रह्माण्ड में सर्पिल गैलेक्सी की खोज

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय रेडियो खगोलभौतिकी केन्द्र (NCRA–TIFR), पुणे में एक विशाल एवं सुविकसित सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है, जिसे 'अलकनंदा' नाम दिया गया है। यह गैलेक्सी उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्माण्ड मात्र 1.5 अरब वर्ष पुराना था (अर्थात वर्तमान आयु का लगभग 10%)। इस महत्वपूर्ण खोज से संबंधित निष्कर्ष प्रतिष्ठित यूरोपीय "खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी" (Astronomy and Astrophysics) पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं।

खोज का महत्व:

- यह खोज प्रचलित सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से चुनौती देती है, क्योंकि अब तक यह माना जाता रहा कि प्रारंभिक ब्रह्माण्ड की गैलेक्सियाँ अत्यंत अव्यवस्थित, खंडित, अशांत तथा अस्थिर स्वरूप की थीं। इसके विपरीत, अलकनंदा एक पूर्णतः सुसंगठित एवं पारंपरिक सर्पिल संरचना प्रदर्शित करती है, जो अपने आकार-प्रकार में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अत्यंत समीप प्रतीत होती है।
- यह तथ्य संकेत देता है कि जटिल एवं विकसित गैलेक्सी संरचनाओं का निर्माण हमारी पूर्व धारणाओं की तुलना में काफी पहले प्रारंभ हो चुका था।

अलकनंदा की मुख्य विशेषताएँ:

- **संरचना:** इसमें दो प्रमुख सर्पिल भुजाएँ हैं, जो एक उज्ज्वल केंद्रीय उभार (central bulge) के चारों ओर व्यवस्थित रूप से घूमती हैं।
- **आकार:** लगभग 30,000 प्रकाश-वर्ष व्यास।
- **दूरी:** लगभग 12 अरब प्रकाश-वर्ष जो प्रारंभिक ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधित्व करती है।
- **नामकरण:** इसका नाम हिमालय की अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसे मिल्की वे (मन्दाकिनी) की "बहन" के रूप में देखा जाता है।

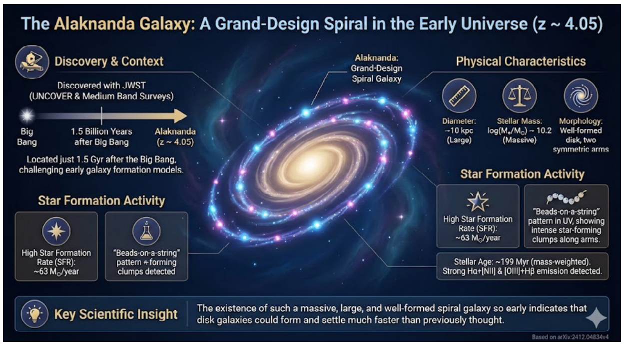

अवलोकन तकनीक:

- इस खोज के लिए NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग किया गया। JWST उस समय की गैलेक्सियों को देखने में सक्षम है, जो बिग बैंग के कुछ सौ मिलियन वर्ष बाद बनी थीं।
- भविष्य के अध्ययन में JWST और चिली स्थित ALMA टेलीस्कोप का उपयोग करके गैस और तारों की गति (kinematics) और सर्पिल भुजाओं के निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाएगा।

ब्रह्माण्ड विज्ञान के लिए महत्व:

- यह खोज बताती है कि प्रारंभिक ब्रह्माण्ड हमारी पूर्व समझ से काफी परिपक्व (mature) था। इससे गैलेक्सी निर्माण के नए विकास मार्ग (alternative evolutionary pathways) की संभावना को बल मिलता है। अलकनंदा की डिस्क ठंडी है या गर्म, इसका पता लगने से यह समझने में मदद मिलेगी कि सर्पिल संरचना कैसे बनी।

भारतीय हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएँ

संदर्भ:

हाल ही में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने पुष्टि की कि चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (बेंगलुरु) सहित कई प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) स्पूफिंग या GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) हस्तक्षेप की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

जीपीएस स्पूफिंग के विषय में:

- जीपीएस स्पूफिंग वह प्रक्रिया है जिसमें नकली उपग्रह संकेत भेजकर जीपीएस रिसीवर को गलत स्थान, गति या समय का अनुमान लगाने के लिए धोखा दिया जाता है।
- यह जामिंग (Jamming) से अलग है, जिसमें सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, जबकि स्पूफिंग में डेटा में हेरफेर किया जाता है बिना रिसीवर को किसी प्रकार का पता चले।
- उड्डयन क्षेत्र में स्पूफिंग के कारण पायलट या ऑटोपायलट सिस्टम गलत दिशा, मार्ग या लैंडिंग कर सकते हैं। GPS केवल विमान नेविगेशन के लिए ही नहीं, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स और निगरानी प्रणालियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण स्पूफिंग एक बहु-स्तरीय और गंभीर खतरा बन जाती है।

घटनाएँ और प्रभाव:

- चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और अमृतसर में उड़ानों में अस्थायी GPS गड़बड़ियाँ देखी गईं।
- पायलटों को सुरक्षित लैंडिंग और एप्रोच के लिए ग्राउंड-बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का सहारा लेना पड़ा।
- कोई बड़ी दुर्घटना या उड़ान रद्द नहीं हुई; केवल मामूली मार्ग परिवर्तन हुआ। इससे पता चलता है कि बैकअप सिस्टम प्रभावी रहे।

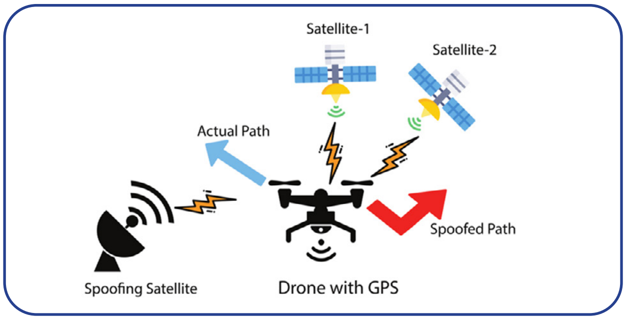

जोखिम और संवेदनशीलताएँ:

- स्पूफिंग से विमान की स्थिति, ऊँचाई और मार्ग पर गलत जानकारी मिल सकती है, जो सुरक्षा को खतरे में डालती है।
- यह एक साथ कई प्रणालियों जैसे कार्गो ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और डिजिटल संचार को प्रभावित कर सकती है।
- बार-बार होने वाली घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि यह साइबर खतरों या जानबूझकर नागरिक उड्डयन को प्रभावित करने का प्रयास भी हो सकता है।

सरकारी प्रतिक्रिया:

- वायरलेस मॉनिटरिंग संगठन (WMO) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को हस्तक्षेप के स्रोतों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।
- GNSS गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए SOPs जारी किए गए हैं।
- बैकअप के रूप में ग्राउंड-बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का सक्रिय उपयोग किया जा रहा है।
- साइबर सुरक्षा एजेंसियों जैसे CERT-In और NCIIPC के साथ समन्वय बढ़ाया गया है, ताकि उड्डयन अवसंरचना को साइबर खतरों से सुरक्षित किया जा सके।

नीति और सुरक्षा के लिए निहितार्थ:

- मजबूत GNSS सुरक्षा ढाँचा और रीयल-टाइम स्पूफिंग डिटेक्शन सिस्टम की तत्काल आवश्यकता है।
- नियामक निगरानी को ऑडिट, आकस्मिक योजना और एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।
- ये घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, विशेषकर भारत के रणनीतिक इंडो-पैसिफिक हवाई क्षेत्र में।

निष्कर्ष:

- चेन्नई और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर हुई GPS स्पूफिंग घटनाओं ने भारत की उड्डयन प्रणाली की साइबर सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया है। हालांकि बैकअप सिस्टम ने तत्काल दुर्घटनाओं को रोका, यह घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि भारत को बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी:
    - सुरक्षित GNSS सिस्टम
    - रीयल-टाइम निगरानी
    - कड़े नियामक उपाय
    - साइबर-प्रतिरोध क्षमता का निर्माण

तकनीकी आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना भारत में सुरक्षित, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा।

कम उम्र में होने वाले मुख कैंसर पर शोध

संदर्भ:

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) के अंतर्गत एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (ACTREC) द्वारा हाल ही में किए

गए एक व्यापक अध्ययन में पता लगाया गया है कि कुछ भारतीय तंबाकू चबाने वालों में अन्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम उम्र में मुख कैंसर क्यों विकसित हो जाता है। यह अध्ययन पहली बार ठोस आनुवंशिक (Genetic) प्रमाण प्रदान करता है कि समान तंबाकू सेवन की आदत होने के बावजूद दो लोगों के बीच बीमारी की शुरुआत और परिणामों में इतना बड़ा अंतर क्यों देखा जाता है।

मुख कैंसर के बारे में:

- मुख कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो मुंह के भीतर उत्पन्न होता है और होंठ, जीभ, मसूड़ों, गालों के अंदरूनी हिस्से, मुंह के निचले भाग (फ्लोर ऑफ माउथ) तथा ऊपरी भाग (रूफ ऑफ माउथ) सहित कई जगहों पर विकसित हो सकता है।
- यह तब विकसित होता है जब मुंह की कोशिकाओं के DNA में परिवर्तन (Mutation) हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं और अंततः एक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है।
- प्रारंभिक अवस्था में यह अक्सर बिना दर्द वाली गांठ, लाल या सफेद पैच या न भरने वाला घाव के रूप में दिखाई दे सकता है; लेकिन यदि समय पर पहचान और उपचार न मिले तो यह तेजी से फैलकर जानलेवा साबित हो सकता है।
- भारत में मुख कैंसर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, हर वर्ष लगभग 1,41,342 नए मामले दर्ज किए जाते हैं।

मुख्य आनुवंशिक निष्कर्ष:

- **महत्वपूर्ण आनुवंशिक मार्करों की पहचान:**
  - » अध्ययन में क्रोमोसोम 5 और 6 पर कुछ विशिष्ट आनुवंशिक स्थान (Genetic Loci) पाए गए, जो मुख कैंसर के अधिक जोखिम से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। ये स्थान (Luci) निम्नलिखित जीन के पास स्थित हैं:
    - ➢ **CLPTM1L–TERT:** टिलोमियर की लंबाई और कोशिकाओं की उम्र बढ़ने (Cell Aging) से संबंधित
    - ➢ **HLA-DRB1 और HLA-DQB1:** प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune Function) के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
    - ➢ **CEP43:** कोशिकाओं की संरचनात्मक एवं संगठनात्मक प्रक्रियाओं में शामिल
- **आनुवंशिक संवेदनशीलता से कैंसर की जल्दी शुरुआत:**
  - » अध्ययन में सभी प्रतिभागियों के लिए पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर (PRS) की गणना की गई।
  - » जिन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में PRS अधिक पाया गया, उनमें बक्कल म्यूकोसा कैंसर (गाल के अंदर विकसित होने वाला कैंसर) कम पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर वाले व्यक्तियों की तुलना में लगभग 10 वर्ष पहले विकसित हो गया।
- **तंबाकू उपयोगकर्ताओं में कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम:**
  - » केवल तंबाकू चबाने की आदत ही मुख कैंसर के खतरे को 26 गुना बढ़ा देती है।
  - » वहीं तंबाकू चबाने वालों में, जिन व्यक्तियों में उच्च-जोखिम वाले आनुवंशिक मार्कर मौजूद थे, उनमें मुख कैंसर होने की संभावना कम आनुवंशिक जोखिम वाले लोगों की तुलना में लगभग दोगुनी दर्ज की गई।

जन स्वास्थ्य और नीति के लिए प्रभाव:

पहलू	प्रभाव
स्क्रीनिंग और शीघ्र पहचान	आनुवंशिक जोखिम प्रोफाइलिंग और PRS-आधारित स्क्रीनिंग से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की शुरुआती पहचान और नियमित निगरानी संभव हो सकेगी, चाहे रोग के लक्षण प्रारंभिक चरण में दिखाई दें या नहीं।
लक्षित रोकथाम रणनीतियाँ	उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष एंटी-तंबाकू अभियान, काउंसलिंग और व्यवहारिक हस्तक्षेप योजनाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण एवं उच्च-प्रचलन वाले क्षेत्रों में लागू की जा सकती हैं।

प्रिसिजन मेडिसिन और उपचार	आनुवंशिक परिवर्तनों की जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत (Personalized) उपचार, लक्षित दवाओं का उपयोग और अधिक प्रभावी चिकित्सीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
नीति सुदृढ़ीकरण	तंबाकू नियंत्रण नीतियों को और अधिक कठोर और व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल — विशेष रूप से बिना धुएं वाले तंबाकू, सुपारी और पान मसाला जैसे उत्पादों पर जो भारत में मुख कैंसर के प्रमुख कारण हैं।

डब्ल्यूएचओ के GLP-1 वज़न-कमी दवाओं पर नए दिशानिर्देश

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक मोटापा संकट का समाधान करने के उद्देश्य से पहली बार GLP-1 (ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1) आधारित दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मोटापे के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार मोटापा, शरीर में वसा (फैट) का अत्यधिक या असामान्य रूप से जमा होना है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं।
- वयस्कों के मामले में, यदि बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 30 या उससे अधिक हो, तो उसे मोटापा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बच्चों और किशोरों में मोटापे का निर्धारण BMI परसेंटाइल के आधार पर किया जाता है, जिसे WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड से तुलना करके आंका जाता है।

मोटापा और वैश्विक बोझ:

- **वर्तमान स्थिति:** विश्वभर में लगभग 1 अरब लोग मोटापे से प्रभावित हैं, जिनमें 1.88 करोड़ स्कूल-आयु के बच्चे और किशोर शामिल हैं।
- **भविष्य का अनुमान:** यदि प्रभावी रोकथाम और उपचार नहीं किए गए, तो 2030 तक मोटापे की संख्या दोगुनी होने की संभावना है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** मोटापा मधुमेह, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक विकारों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख जोखिम कारक है।

GLP-1 दवाओं के बारे में:

- **GLP-1 उपचार:** वर्तमान में 12 GLP-1 दवाएँ मोटापा या टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए अनुमोदित हैं।
- **विकास पाइपलाइन:** 40 से अधिक नई दवाएँ GLP-1 या बहु-रिसेप्टर टार्गेट पर आधारित हैं और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- **कार्य प्रणाली:** ये दवाएँ वजन घटाने में मदद करती हैं और जीवनशैली में बदलाव (जैसे डाइट और व्यायाम) के साथ मिलकर और अधिक प्रभावी परिणाम देती हैं।
- **लक्षित समूह:** WHO के अनुसार, इन दवाओं का उपयोग वयस्कों (गर्भवती महिलाओं को छोड़कर) में किया जाना चाहिए और इसे गहन व्यवहारिक थेरेपी के साथ जोड़ना अनिवार्य है।

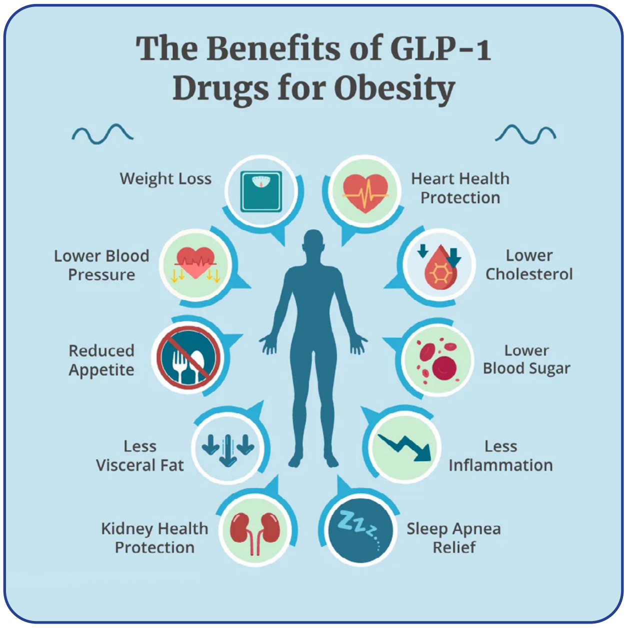

WHO दिशानिर्देशों की मुख्य सिफ़ारिशें:

- **व्यापक मोटापा देखभाल**
  - » मोटापे की स्क्रीनिंग, शुरुआती पहचान और उससे जुड़े रोगों का समुचित प्रबंधन शामिल किया जाए।
  - » दवाओं, सर्जरी और जीवनशैली सुधार को मिलाकर समग्र और व्यक्तिगत उपचार प्रदान किया जाए।
- **GLP-1 दवाओं का दीर्घकालीन उपयोग**
  - » GLP-1 दवाओं का उपयोग दीर्घकालिक उपचार के रूप में किया जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि की सुरक्षा, डोज़ समायोजन और उपचार बनाए रखने के तरीकों पर वर्तमान में

सीमित प्रमाण उपलब्ध हैं। निरंतर निगरानी और आगे के शोध पर जोर दिया गया है।

- **दवाओं तक समान और न्यायसंगत पहुंच**
  - GLP-1 दवाओं को WHO की आवश्यक दवाओं की सूची (EML) में शामिल किया गया है।
  - जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके क्रय के लिए प्री-क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है।
- **स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना**
  - स्वास्थ्य कर्मियों को मोटापा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
  - मरीजों के लिए रजिस्ट्री और रेफरल सिस्टम विकसित किए जाएं।
  - दवाओं की सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए।
  - उपचार के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करती है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया के सभी लोगों को सर्वोच्च संभव स्वास्थ्य स्तर प्रदान किया जा सके।
- डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित करता है: "स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः कुशल एवं संतुलित स्थिति है।"

निष्कर्ष:

WHO के दिशानिर्देश मोटापे को एक दीर्घकालिक बीमारी के रूप में मानते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। इसमें जीवनशैली में बदलाव, व्यवहारिक थेरेपी और GLP-1 दवाओं का संयोजन शामिल है, जो मिलकर प्रभावी परिणाम प्रदान करता है। दिशानिर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि मोटापे के प्रबंधन में दीर्घकालीन शोध, दवाओं तक समान और न्यायसंगत पहुंच, तथा स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत में ओज़ेम्पिक (Ozempic) लॉन्च

संदर्भ:

हाल ही में डेनमार्क की फार्मास्युटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में ओज़ेम्पिक (इंजेक्शन योग्य सेमाग्लूटाइड) लॉन्च किया। ओज़ेम्पिक एक साप्ताहिक इंजेक्शन है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस (T2DM) के प्रभावी प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक मेटाबॉलिक रोग है, जिसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या इंसुलिन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता (इंसुलिन रेसिस्टेंस), जिसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

ओज़ेम्पिक के बारे में:

- **श्रेणी:** GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (GLP-1 RA)
- **कार्य प्रणाली:**
  - रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने पर यह अग्न्याशय (pancreas) को ग्लूकोज़-निर्भर तरीके से इंसुलिन स्राव करने के लिए प्रेरित करता है।
  - यह यकृत (लिवर) में होने वाले अत्यधिक ग्लूकोज़ उत्पादन को नियंत्रित करता है।
  - मस्तिष्क के भूख-नियंत्रण केंद्रों पर प्रभाव डालकर भूख को कम करता है और भोजन की मात्रा को संतुलित करता है।
- **प्रयोग:**
  - उन वयस्क रोगियों में जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं हो पा रही है।
  - इसे संतुलित आहार और नियमित शारीरिक व्यायाम के साथ सहायक उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- **अतिरिक्त लाभ:**
  - टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित वजन घटाने में सहायक।
  - डायबिटीज़ से जुड़ी हृदय तथा किडनी संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मददगार।

GLP-1 दवाओं के बारे में:

- GLP-1 दवाएं, जैसे सेमाग्लूटाइड (Ozempic/Wegovy) और टिर्ज़ेपाटाइड (Mounjaro/Zepbound), शरीर में पाए जाने वाले प्राकृतिक ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) हार्मोन की तरह कार्य करती हैं।
- ये दवाएं रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने, इंसुलिन की

प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने, पेट की खाली होने की गति को धीमा करने और भूख को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं।

- परिणामस्वरूप, ये न केवल टाइप 2 डायबिटीज़ के नियंत्रण में मदद करती हैं, बल्कि मोटापे को कम करने और समग्र मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण लाभ दिखाती हैं।

GLP-1 दवाओं के लाभ:

- **बेहतर इंसुलिन स्राव:** GLP-1 दवाएं अग्न्याशय (पैंक्रियास) से ग्लूकोज़-निर्भर इंसुलिन स्राव को बढ़ाती हैं और यकृत (लिवर) में होने वाले अतिरिक्त ग्लूकोज़ निर्माण को कम करती हैं।
- **हृदय और गुर्दे से जुड़े लाभ:** नैदानिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में हृदय संबंधी जोखिम को कम करने के साथ-साथ गुर्दों (किडनी) की सुरक्षा भी प्रदान करती हैं।
- **वज़न घटाने में सहायक:** भूख को नियंत्रित करके और पाचन प्रक्रिया को धीमा करके, GLP-1 दवाएं निरंतर तथा चिकित्सकीय रूप से प्रभावी वज़न घटाने में मदद करती हैं।

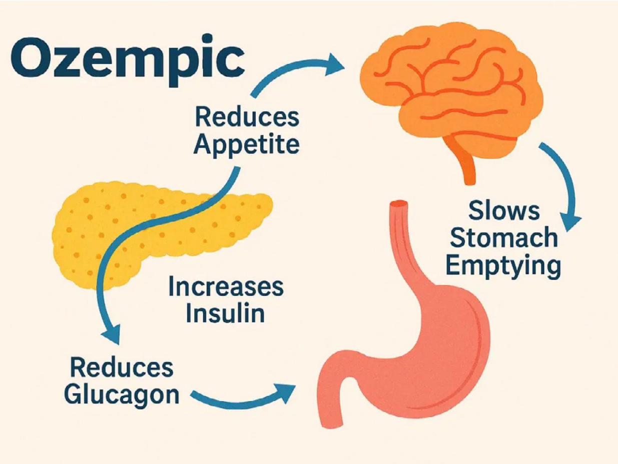

ओज़ेम्पिक की प्रभावकारिता:

- यह HbA1c स्तर को उल्लेखनीय रूप से कम करने के साथ-साथ वज़न घटाने के स्पष्ट लाभ प्रदान करने में क्लिनिकल रूप से प्रमाणित है।
- टाइप 2 डायबिटीज़ के रोगियों में हृदय तथा किडनी से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में सहायक पाई गई है।
- साप्ताहिक इंजेक्शन होने के कारण, यह दैनिक मौखिक (ओरल) दवाओं की तुलना में उपचार का नियमित पालन (adherence) आसान बनाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे की बढ़ती तथा उच्च व्यापकता प्रभावी और दीर्घकालिक उपचार विकल्पों की आवश्यकता को स्पष्ट करती है।
- ओज़ेम्पिक और अन्य GLP-1 दवाएं दीर्घकालिक मेटाबॉलिक रोगों के बेहतर प्रबंधन में सहायक हो सकती हैं, जिससे जटिलताओं में कमी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
- इन दवाओं को व्यापक स्तर पर अपनाने से भारत के रोकथाम-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को बल मिल सकता है, विशेष रूप से शहरी आबादी में, जहां जीवनशैली से जुड़े रोगों का बोझ अधिक है।

निष्कर्ष:

भारत में ओज़ेम्पिक का लॉन्च टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे के प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, विशेष रूप से उन रोगियों के लिए जिन्हें समग्र और दीर्घकालिक मेटाबॉलिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हालांकि यह दवा कई सिद्ध चिकित्सकीय लाभ प्रदान करती है, फिर भी इसका उपयोग चिकित्सकीय निगरानी में ही किया जाना आवश्यक है, ताकि इसकी सुरक्षा, किफ़ायती उपलब्धता और उचित प्रिस्क्रिप्शन सुनिश्चित किया जा सके। आने वाले समय में उपचार विकल्पों के विस्तार, व्यक्तिगत उपचार दृष्टिकोण और संभावित लागत में कमी के साथ, ओज़ेम्पिक भारत में डायबिटीज़ और मोटापे से निपटने में एक प्रभावी और महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर सकता है।

प्रोजेक्ट सनकैचर

संदर्भ:

हाल ही में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल कंपनी ने एक दीर्घकालिक अनुसंधान पहल प्रोजेक्ट सनकैचर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से संचालित डेटा केंद्रों को अंतरिक्ष में स्थापित करना है।

गूगल के प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में:

- प्रोजेक्ट सनकैचर गूगल द्वारा घोषित एक दीर्घकालिक अनुसंधान पहल है, जिसके अंतर्गत संगणनात्मक कार्यभार (computational workloads) को क्रमिक रूप से अंतरिक्ष-आधारित, सौर ऊर्जा

चालित उपग्रह समूहों में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - » प्रारंभिक चरण के प्रायोगिक मॉडल के रूप में उपग्रहों पर छोटे पैमाने के डेटा केंद्र रैक की तैनाती।
    - » बड़े पैमाने की मशीन लर्निंग आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित, गूगल द्वारा विकसित विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्स (टेंसर प्रोसेसिंग इकाइयों) का उपयोग।
    - » उपग्रह समूहों के बीच डेटा केंद्र-स्तरीय संगणना को सक्षम करने हेतु प्रकाशीय (लेज़र आधारित) अंतर-उपग्रह संपर्क प्रणाली।
    - » सौर ऊर्जा पर पूर्ण निर्भरता, जिससे निरंतर, स्वच्छ और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
    - » कठोर अंतरिक्ष परिस्थितियों को सहन करने के लिए विकिरण-प्रतिरोधक क्षमता वाली चिप्स का उपयोग।
- गूगल, इस पहल के अंतर्गत सीखने और सत्यापन के उद्देश्य से, वर्ष 2027 की शुरुआत तक प्लैनेट लैब्स के सहयोग से दो प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है।

अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों के पीछे कारण:

- **पृथ्वी पर पर्यावरणीय सीमाएँ:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा केंद्र अत्यधिक मात्रा में विद्युत और जल उपयोग करते हैं। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक डेटा केंद्रों से वैश्विक विद्युत माँग में तीव्र वृद्धि होगी, जिससे जलवायु पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।
- **अंतरिक्ष के लाभ:** लगभग असीमित सौर ऊर्जा की उपलब्धता, जल की शून्य खपत तथा भूमि उपयोग संबंधी न्यूनतम बाधाएँ।
- **ऊर्जा और अवसंरचना सुरक्षा:** पृथ्वी पर स्थित डेटा केंद्र प्राकृतिक आपदाओं, केबल बाधाओं और विद्युत ग्रिड विफलताओं के जोखिम से ग्रस्त रहते हैं, जबकि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का संपर्क अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और पूर्वानुमेय होता है।
- **डेटा संप्रभुता से जुड़े प्रश्न:** 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (outer Space Treaty) एक कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न करती है, जिससे पारंपरिक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों से परे बहु-देशीय डेटा होस्टिंग की संभावना बनती है।
- **अंतरिक्ष तक पहुँच की घटती लागत:** पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण यानों और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण अंतरिक्ष तक पहुँच की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

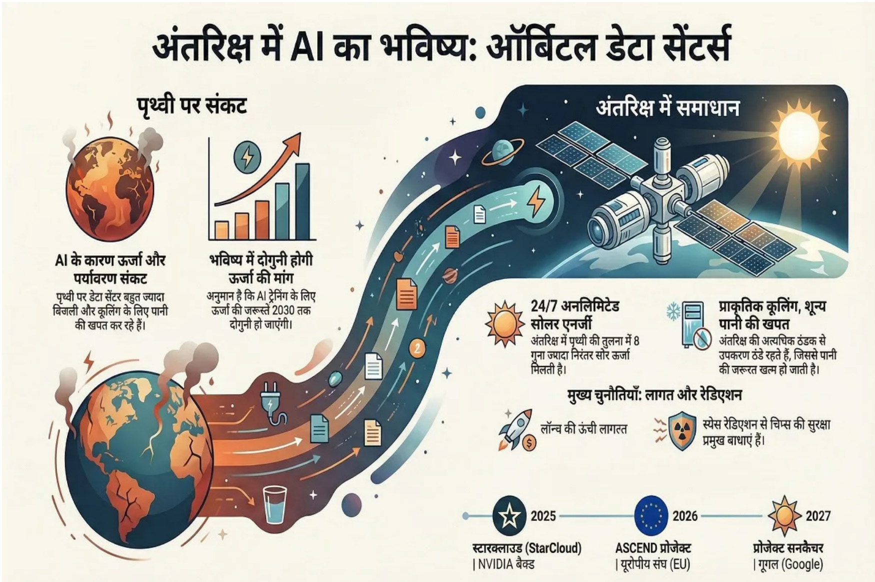

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- **उच्च लागत:** प्रक्षेपण, रखरखाव तथा कक्षा में मरम्मत अब भी अत्यधिक महँगी और तकनीकी रूप से जटिल प्रक्रियाएँ हैं।
- **विलंब संबंधी समस्याएँ:** लंबी संचार दूरी के कारण डेटा संप्रेषण में विलंब होता है, जिससे वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** अंतरिक्ष-आधारित डेटा अवसंरचना की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर स्पष्ट मानकों और प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।
- **विनियामक रिक्तता:** कानूनी अस्पष्टता के कारण अंतरिक्ष अवसंरचना का संकेन्द्रण कुछ बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के हाथों में होने का खतरा है।

अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की खोज में अन्य कंपनियाँ:

कंपनी	पहल
ओपनएआई (सैम ऑल्टमैन)	डाइसन क्षेत्र जैसी संरचना वाले, सौर ऊर्जा चालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों की परिकल्पना

एनविडिया	एच100 ग्राफिक्स प्रसंस्करण तकनीक से युक्त 'स्टारक्लाउड' उपग्रह का प्रक्षेपण
लोनस्टार डेटा होल्डिंग्स	8 टेराबाइट भंडारण क्षमता वाले लघु डेटा केंद्र को चंद्रमा पर स्थापित किया
अमेज़न (जेफ बेजोस)	ब्लू ओरिजिन के माध्यम से डेटा केंद्रों सहित प्रदूषणकारी उद्योगों को पृथ्वी से बाहर स्थानांतरित करने का समर्थन
एरिक श्मिट	रिलेटिविटी स्पेस के सहयोग से कक्षीय डेटा केंद्रों का प्रस्ताव

भारत और वैश्विक शासन के लिए निहितार्थ:

- **भारत के लिए:**
  - अंतरिक्ष-आधारित संगणना और क्लाउड अवसंरचना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की संभावनाएँ
  - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार के लिए इसकी प्रासंगिकता
  - अंतरिक्ष-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड संगणना और डेटा भंडारण में स्वदेशी क्षमताओं के विकास की आवश्यकता
- **वैश्विक शासन के लिए:** निम्नलिखित क्षेत्रों में त्वरित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की आवश्यकता:
  - अंतरिक्ष में वाणिज्यिक संगणन गतिविधियों के नियमन हेतु वैश्विक नियम
  - अंतरिक्ष-आधारित डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा ढाँचा
  - समान पहुँच सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष अवसंरचना के एकाधिकार को रोकने वाले सिद्धांत

निष्कर्ष:

गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर पृथ्वी पर संसाधनों की सीमाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यभार की तीव्र वृद्धि के संदर्भ में अंतरिक्ष-आधारित संगणना की ओर एक संभावित बदलाव का संकेत देता है। हालाँकि यह ऊर्जा स्थिरता, जलवायु शमन और डेटा लचीलापन के दृष्टिकोण से आशाजनक है, फिर भी इससे लागत, विनियमन और समानता से जुड़ी गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। आगामी वर्षों में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक होगा कि बाह्य अंतरिक्ष एक साझा, सुरक्षित और सतत वैश्विक सार्वजनिक संपदा के रूप में बना रहे।

माइक्रोप्रोसेसर DHRUV64

संदर्भ:

15 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने DHRUV64 माइक्रोप्रोसेसर के शुभारंभ की घोषणा की। DHRUV64 भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज़, 64-बिट ड्यूल-कोर माइक्रोप्रोसेसर है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MDP) के अंतर्गत विकसित किया गया है।

DHRUV64 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **आर्किटेक्चर:** DHRUV64 एक 64-बिट, ड्यूल-कोर माइक्रोप्रोसेसर है, जो 1.0 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर कार्य करता है। इसमें सुपरसकेलर डिज़ाइन और आउट-ऑफ-ऑर्डर एग्ज़ीक्यूशन जैसी आधुनिक आर्किटेक्चरल विशेषताएँ शामिल हैं, जो कुशल मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करती हैं।
- **ओपन-सोर्स RISC-V ISA:** यह प्रोसेसर RISC-V ओपन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो पूर्णतः रॉयल्टी-फ्री है। इससे विदेशी और मालिकाना तकनीकों पर निर्भरता घटती है तथा स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **डिज़ाइन और फैब्रिकेशन इकोसिस्टम:** DHRUV64 भारत के डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका डिज़ाइन C-DAC द्वारा विकसित किया गया है और इसे स्वदेशी चिप डिज़ाइन, सत्यापन एवं प्रोटोटाइपिंग को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न राष्ट्रीय पहलों का समर्थन प्राप्त है।

उपयोग और अनुप्रयोग क्षेत्र:

- DHRUV64 को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग के उद्देश्य से विकसित किया गया है:
  - **दूरसंचार:** 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तथा नेटवर्किंग उपकरणों में उपयोग, जहाँ विश्वसनीय, सुरक्षित और उच्च-क्षमता वाली प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है।
  - **औद्योगिक स्वचालन:** मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रोबोटिक्स और नियंत्रण इकाइयों में, जहाँ रियल-टाइम संचालन के लिए कुशल और स्थिर प्रोसेसर आवश्यक होते हैं।
  - **ऑटोमोबाइल सिस्टम:** वाहनों में प्रयुक्त एम्बेडेड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग, जैसे सुरक्षा प्रणालियाँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम और वाहन नियंत्रण इकाइयाँ।
  - **उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT:** स्मार्ट डिवाइस, सेंसर और कनेक्टेड उपकरण, जिन्हें स्वदेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद कंप्यूट प्लेटफॉर्म से लाभ प्राप्त होता है।
  - **रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोग:** रक्षा प्रणालियों में संभावित उपयोग, जहाँ सप्लाई-चेन सुरक्षा, उच्च विश्वसनीयता और हार्डवेयर की भरोसेमंदता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व:

- **आयात पर निर्भरता में कमी:** DHRUV64 विदेशी माइक्रोप्रोसेसरों पर भारत की निर्भरता को कम करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलती है।
- **घरेलू इकोसिस्टम को सशक्त बनाना:** यह SHAKTI, AJIT, VIKRAM और THEJAS64 जैसे पूर्व स्वदेशी प्रोसेसर प्रयासों की निरंतरता में विकसित किया गया है तथा चिप डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को और सुदृढ़ करता है।
- **नवाचार को बढ़ावा:** रॉयल्टी-फ्री RISC-V आर्किटेक्चर स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत को स्वदेशी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने और उनका विस्तार करने के लिए सक्षम बनाता है।
- **कौशल विकास और अनुसंधान:** यह परियोजना भारत की सैद्धांतिक ज्ञान और डिज़ाइन विशेषज्ञता को व्यवहारिक, उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तित करती है, जिससे अनुसंधान एवं विकास तंत्र को मजबूती मिलती है और 'धनुष' जैसे अगली पीढ़ी के प्रोसेसरों के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

नीतिगत और कार्यक्रम आधारित समर्थन:

- DHRUV64 का विकास एक समन्वित एवं सुदृढ़ सरकारी नीति ढांचे के अंतर्गत किया गया है:
  - डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम ओपन-आर्किटेक्चर आधारित चिप डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।
  - माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MDP) स्वदेशी प्रोसेसरों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसके लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा सुनिश्चित करता है।
  - चिप्स टू स्टार्टअप (C2S), डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) जैसी पूरक पहलें सेमीकंडक्टर डिज़ाइन से लेकर विनिर्माण तक पूरे इकोसिस्टम को व्यापक समर्थन प्रदान करती हैं।
- ये सभी पहलें उन्नत तकनीकों तथा महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष:

DHRUV64 का लॉन्च सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल आयात पर निर्भरता को कम करता है, बल्कि स्वदेशी चिप डिज़ाइन और विनिर्माण इकोसिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है। DHRUV64 विभिन्न क्षेत्रों में एक भरोसेमंद, घरेलू कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और नवाचार के क्षेत्र में एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

मलेरिया मामलों पर आईसीएमआर रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (ICMR–NIMR) और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल (NCVBDC) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई तकनीकी रिपोर्ट "इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स मलेरिया एलिमिनेशन – टेक्निकल रिपोर्ट 2025" के अनुसार, भारत के मलेरिया मामले में उल्लेखनीय कमी हुई है।

मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया एक वेक्टर-जनित संक्रामक बीमारी है जो प्लास्मोडियम

परजीवियों के कारण होती है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है।

» **लक्षण:** बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, थकान, और गंभीर मामलों में अंग विफलता और मृत्यु।

» **प्लास्मोडियम के प्रकार:** पी. फाल्सीपेरम, पी. विवैक्स, पी. मलेरी, पी. ओवेल, और पी. नोलेसी।

» **वैश्विक बोझ:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **मामलों और मौतों में गिरावट:**
  - » 2015 में मामले 1.17 मिलियन थे, जो 2024 में घटकर लगभग 2.27 लाख रह गए हैं, जिससे 80–85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह, मौतें 384 से घटकर लगभग 83 हो गई हैं, जो करीब 78 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। साथ ही, लगभग 92 प्रतिशत जिलों में वार्षिक परजीवी घटना (API) 1 से कम दर्ज की गई है, जो यह संकेत देता है कि भारत बड़े पैमाने पर उन्मूलन-पूर्व चरण में पहुँच चुका है।
- **प्रगति के चालक:**
  - » मजबूत की गई रोग निगरानी प्रणालियाँ।
  - » समय पर निदान और प्रभावी उपचार तक विस्तारित पहुँच।
  - » लक्षित वेक्टर नियंत्रण हस्तक्षेप।
  - » राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निरंतर राजनीतिक और कार्यक्रमबद्ध प्रतिबद्धता।

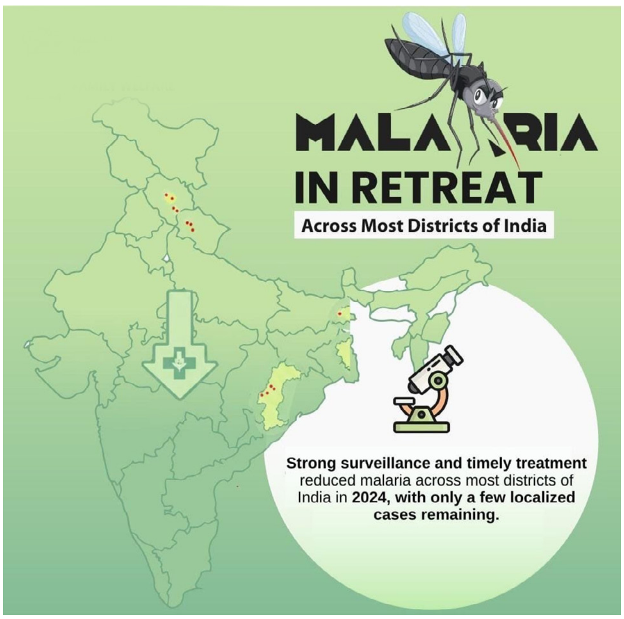

उन्मूलन चरण में उभरती चुनौतियाँ:

- **असमान और स्थानीय संचरण:** शेष मामले अब अधिकतर स्थानीय, छिटपुट या बाहर से हैं।
- **जमीनी कार्य में कठिनाई:** संचरण कम होने पर मामलों की पहचान, जाँच और त्वरित कार्रवाई करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **शहरी क्षेत्रों की चुनौतियाँ:** कंटेनरों में मच्छरों का पनपना, निर्माण स्थल, अनौपचारिक बस्तियाँ, अधिक जनसंख्या घनत्व और बिखरी हुई स्वास्थ्य सेवाएँ।
- **स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियाँ:** निजी क्षेत्र की कमजोर रिपोर्टिंग, सीमित कीट-विज्ञान क्षमता, दवाओं और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध, दूरदराज़ और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने की दिक्कतें तथा कभी-कभी जाँच और इलाज की कमी।
- **सीमा-पार संक्रमण:** म्यांमार और बांग्लादेश से मामलों का आना, जिससे पूर्वोत्तर सीमावर्ती जिले प्रभावित हो रहे हैं।

नीतिगत निहितार्थ:

- **मजबूत निगरानी:** रोग का शीघ्र पता लगाना और त्वरित प्रतिक्रिया बेहद आवश्यक है, विशेषकर कम संचरण वाले और शहरी क्षेत्रों में।
- **डेटा-आधारित हस्तक्षेप:** स्थानीय पारिस्थितिक, जनसांख्यिकीय और व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुसार सूक्ष्म और लक्षित रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
- **बहुक्षेत्रीय समन्वय:** स्वास्थ्य के साथ-साथ शहरी विकास, जल एवं स्वच्छता, तथा सीमा प्रबंधन क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है।
- **आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती:** जाँच किट, दवाओं व वेक्टर-नियंत्रण सामग्री की निरंतर और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** निजी स्वास्थ्य संस्थानों में अनिवार्य रिपोर्टिंग लागू करना और उनकी क्षमता-वृद्धि करना जरूरी है।

निष्कर्ष:

भारत पर मलेरिया के बोझ में गिरावट सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, निगरानी, उपचार प्रोटोकॉल और वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों की सफलता को दर्शाती है। हालाँकि, मलेरिया नियंत्रण से उन्मूलन की ओर संक्रमण जटिल परिचालन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। लक्षित, डेटा-संचालित और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणों के माध्यम से इन्हें संबोधित करना, 2030 तक मलेरिया-मुक्त भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारत में मुद्रा अवमूल्यन: कारण, परिणाम और आर्थिक स्थिरता के निहितार्थ

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय रुपये का पहली बार 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार करना वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में से एक है। यह वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में बन रहे गहरे दबावों का संकेत है। किसी मुद्रा का ऐसे मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर को पार करना आयात लागत, मुद्रास्फीति, बचत, घरेलू बजट, व्यावसायिक निर्णयों और समग्र आर्थिक भावना पर प्रभाव डालता है। यह ऐसे समय में भारत की बाहरी आर्थिक बुनियादों पर कठिन प्रश्न खड़े करता है, जब वैश्विक अनिश्चितताएँ पहले से ही उच्च स्तर पर हैं।

यद्यपि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन मुद्रा का प्रदर्शन अक्सर केवल घरेलू वृद्धि के बजाय बाहरी संतुलन और पूंजी प्रवाह के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है। अतः रुपये की लगातार कमजोरी को भू-राजनीतिक तनावों, व्यापारिक चुनौतियों और बाज़ार अपेक्षाओं के व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

यह स्तर क्यों महत्वपूर्ण है?

- 90 रुपये प्रति डॉलर का स्तर पार करने से प्रतीकात्मक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। वित्तीय बाज़ार आमतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण संख्याओं पर स्वचालित स्टॉप-लॉस और हेजिंग आदेश रखते हैं। इन स्तरों के टूटते ही डॉलर की अतिरिक्त मांग बढ़ जाती है, जिससे गिरावट और तीव्र हो जाती है।
- इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि रुपये की कमजोरी सीधे परिवारों को प्रभावित करती है। विदेश में छात्रों को भेजने वाले परिवारों के लिए 1,00,000 डॉलर की फीस विनिमय दर 85 से 90 होने पर 5 लाख रुपये बढ़ जाती है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय के दोगुने से भी अधिक की छलांग है। विदेश यात्रा, रेमिटेंस और आयात-आधारित दैनिक उपभोग वस्तुएँ भी अचानक महंगी हो जाती हैं।

रुपये की कमजोरी के पीछे वैश्विक कारक:

- **मजबूत अमेरिकी डॉलर:** अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की कड़ी मौद्रिक नीति और सुरक्षित संपत्तियों के प्रति वैश्विक निवेशकों की प्राथमिकता ने डॉलर को मजबूत बनाए रखा है। मामूली वैश्विक झटके भी निवेश को डॉलर-आधारित परिसंपत्तियों की ओर धकेलते हैं, जिससे उभरते बाज़ारों की मुद्राएँ कमजोर होती हैं।
- **भू-राजनीतिक अनिश्चितता:** संघर्ष, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान और बढ़ती वस्तु कीमतों ने वैश्विक निवेशकों को जोखिम से बचने वाला बना दिया है। पश्चिम एशिया और यूरोप में तनाव भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अक्सर कच्चे तेल के आयात बिल को बढ़ा देते हैं।
- **वैश्विक वस्तु मूल्यों में उतार-चढ़ाव:** भले ही कच्चे तेल की कीमतें चरम पर न हों, तेल आयात पर भारत की 85% निर्भरता का अर्थ है कि कीमतें बढ़ते ही मुद्रा पर सीधा दबाव बढ़ता है। धातुओं, उर्वरकों और खाद्य वस्तुओं की बढ़ी कीमतें भी डॉलर की मांग बढ़ाती हैं।

घरेलू अवमूल्यन कारक:

- **उच्च आयात निर्भरता:** ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल, उर्वरक और औद्योगिक कच्चा माल भारत की आयात टोकरी का बड़ा हिस्सा

हैं। जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं या घरेलू मांग बढ़ती है, तो डॉलर का बहिर्वाह बढ़ जाता है।

- **चालू खाते का दबाव:** महंगे आयात और ठहरे हुए निर्यात के कारण बढ़ा चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था में डॉलर की उपलब्धता घटा देता है।
- **पूंजी निकासी:** 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाज़ार से धन निकाल रहे हैं और उच्च रिटर्न देने वाले विकसित बाज़ारों में निवेश कर रहे हैं। हर निकासी रुपये को डॉलर में बदलने की मांग बढ़ाती है, जिससे रुपया और कमजोर होता है।
- **सीमित आरबीआई हस्तक्षेप:** भारत के केंद्रीय बैंक ने केवल अत्यधिक अस्थिरता होने पर रूपए पर हस्तक्षेप किया है। यह रणनीति विदेशी मुद्रा भंडार बचाती है, लेकिन बाज़ार को यह संकेत भी देती है कि मुद्रा और गिर सकती है।

रुपये की कमजोरी भारत-विशिष्ट क्यों दिखाई देती है?

- हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर सूचकांक में भारी वृद्धि नहीं हुई है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू कारक, विशेष रूप से भारत में उच्च डॉलर मांग, अधिक प्रभावी हैं।
- कॉरपोरेट अधिक हेजिंग कर रहे हैं, आयातक अग्रिम भुगतान कर रहे हैं और विदेशी ऋण चुकौती बढ़ी है। ये सभी कारक मिलकर रुपये पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा उभरते बाज़ारों में निवेश कम करने से भी स्थिति बिगड़ी है।

वस्तु कीमतों पर प्रभाव:

- कमजोर रुपये का सीधा असर आयातित महंगाई पर देखा जाता है। भले ही वैश्विक कीमतें अपरिवर्तित रहें, भारतीय उपभोक्ताओं को रुपये के संदर्भ में अधिक भुगतान करना पड़ता है। प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - » **कच्चा तेल और ईंधन:** उच्च लैंडिंग लागत से ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे परिवहन और रसद लागत भी बढ़ जाती है। इसका भोजन, माल ढुलाई, विनिर्माण और खुदरा कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
  - » **खाद्य तेल:** भारत ताड़ और सोयाबीन तेल के दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। कमजोर मुद्रा से सीधे रसोई का खर्च और खाद्य महंगाई बढ़ती है।
  - » **सोना और चांदी:** त्योहार और शादी-ब्याह के मौसम में आभूषण खरीदना महंगा हो जाता है। भारत का सोने का आयात भी व्यापार घाटे को बढ़ाता है, जिससे मुद्रा पर दबाव और बढ़ता है।
  - » **औद्योगिक धातुएँ:** तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य धातुएँ अधिक महंगी हो जाती हैं, जिससे बुनियादी ढाँचे, निर्माण और विनिर्माण उद्योगों के लिए इनपुट लागत बढ़ जाती है।

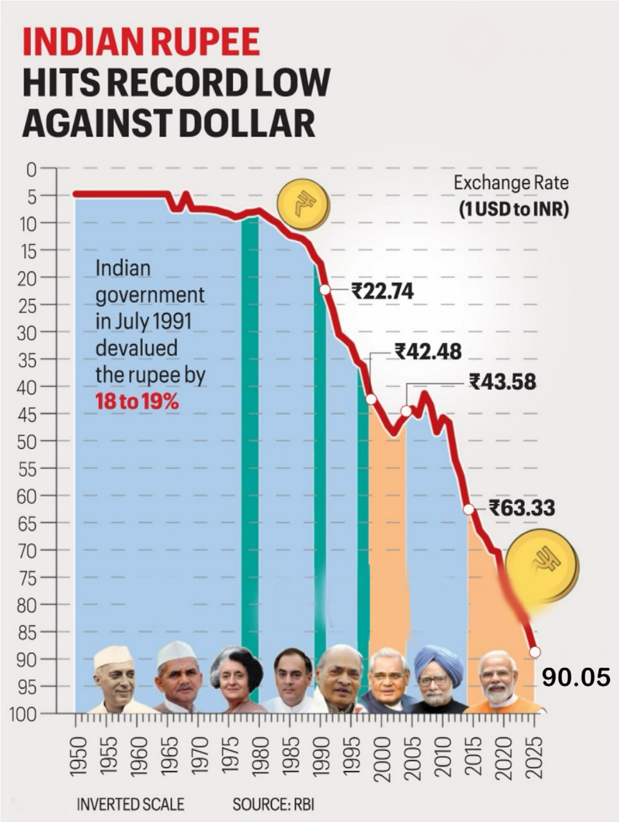

परिवारों और छात्रों पर प्रभाव:

- गिरता रुपया:
  - » विदेशी शिक्षा को अत्यधिक महंगा बना देता है।
  - » विदेश यात्रा की लागत बढ़ाता है।
  - » आयातित वस्तुओं और गैजेटों को महंगा करता है।
  - » मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है—5% अवमूल्यन से लगभग 35 आधार अंक बढ़ सकते हैं।

यदि रुपया और कमजोर होता है?

- आयातित मुद्रास्फीति और तीव्र होगी
  - » चालू खाता घाटा और बढ़ेगा

- सरकारी व कॉरपोरेट उधारी लागत बढ़ेगी
- निवेशक भावना कमजोर होगी
- फिर भी मजबूत घरेलू खपत, स्थिर जीडीपी वृद्धि और स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार कुछ राहत प्रदान करते हैं।

उपलब्ध नीतिगत विकल्प

- **मौद्रिक नीति:** ब्याज दर समायोजन, तरलता प्रबंधन
- **RBI का FX प्रबंधन:** डॉलर बेचना, नियंत्रित अवमूल्यन, फ़ॉरवर्ड ऑपरेशन
- **सरकारी उपाय:** एफडीआई आकर्षण, निर्यात-उन्मुख विनिर्माण, आयात निर्भरता में कमी (ऊर्जा संक्रमण, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन)

निष्कर्ष:

रुपये का 90 रुपये प्रति डॉलर को पार करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। गिरावट की गति और समय यह संकेत देता है कि भारत गहरे संरचनात्मक दबावों का सामना कर रहा है। वैश्विक तनाव, पूंजी प्रवाह अस्थिरता और व्यापार घाटा इस गिरावट के प्रमुख कारण रहे हैं, जबकि उच्च आयात निर्भरता ने प्रभाव को और बढ़ाया है। ईंधन और उद्योग से लेकर विदेश में पढ़ने की आकांक्षाओं तक, कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था की हर परत को प्रभावित करता है। इस अस्थिरता को संभालने के लिए आरबीआई हस्तक्षेप, व्यापार सुधार और बाहरी क्षेत्र को मजबूत करने की दीर्घकालिक रणनीतियों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। यह परिघटना इस तथ्य की याद दिलाती है कि मुद्रा स्थिरता घरेलू विकास के साथ-साथ वैश्विक वित्तीय प्रणाली में देश की स्थिति पर भी निर्भर करती है। निर्यात प्रतिस्पर्धा, स्थिर पूंजी प्रवाह और कम आयात निर्भरता इस चुनौतीपूर्ण दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

संक्षिप्त मुद्दे

पश्चिम बंगाल में मनरेगा का पुनः आरम्भ

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तीन साल बाद मनरेगा का क्रियान्वयन फिर से शुरू कर दिया है। यह निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि सरकार 1 अगस्त, 2025 से योजना को फिर से लागू करे और इसके साथ "विशेष शर्तें" भी लागू कर सकती है।

पृष्ठभूमि:

- पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन 9 मार्च, 2022 से स्थगित थी।
- इस रोक का आधार मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 27 थी, जिसके तहत "केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने" के कारण यह निर्णय लिया गया।

पुनः प्रारंभ के मुख्य बिंदु:

- **तत्काल प्रभाव:**
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 दिसंबर, 2025 को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में MGNREGA का आगामी क्रियान्वयन शुरू कर दिया।
- **विशेष शर्तें और निगरानी उपाय**
  - योजना की पुनः शुरुआत कुछ विशेष शर्तों के साथ की गई है, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
  - ये शर्तें जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति, वित्तीय प्रबंधन, श्रम बजट, कार्यों की निगरानी, जवाबदेही तंत्र, वसूली प्रक्रिया और दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित हैं।
- **कर्मचारियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी**
  - किसी भी मज़दूरी रजिस्टर (मस्टर रोल) को जारी करने से पहले सभी श्रमिकों की 100% ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है।
- **त्रैमासिक श्रम बजट**
  - अब पश्चिम बंगाल में श्रम बजट वार्षिक नहीं, बल्कि त्रैमासिक आधार पर अनुमोदित किया जाएगा, जो प्रदर्शन और विशेष शर्तों के अनुपालन पर आधारित होगा।
- **कामों की लागत सीमा**
  - MGNREGA के तहत ₹20 लाख से अधिक की कोई भी

परियोजना नहीं की जाएगी।

» सभी सामुदायिक कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अनिवार्य होगी और ₹20 लाख तक की परियोजनाओं के लिए इसे जिला मजिस्ट्रेट और जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) से अनुमोदित कराना होगा।

» सभी अनुमान SECURE सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके तैयार किए जाएंगे।

पुनः प्रारंभ का महत्व:

- **लाभार्थियों के लिए राहत:** तीन साल बाद योजना के पुनः शुरू होने से लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आय का लाभ मिलेगा।
- **राजनीतिक प्रभाव:** पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। योजना की पुनः शुरुआत ग्रामीण मतदाताओं की आर्थिक कठिनाइयों को कम कर सकती है और राज्य तथा केंद्र दोनों के लिए राजनीतिक महत्व रखती है।
- **प्रशासनिक सुधार:** अनिवार्य ई-केवाईसी, त्रैमासिक श्रम बजट और DPR आधारित अनुमोदन से जवाबदेही बढ़ेगी, कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

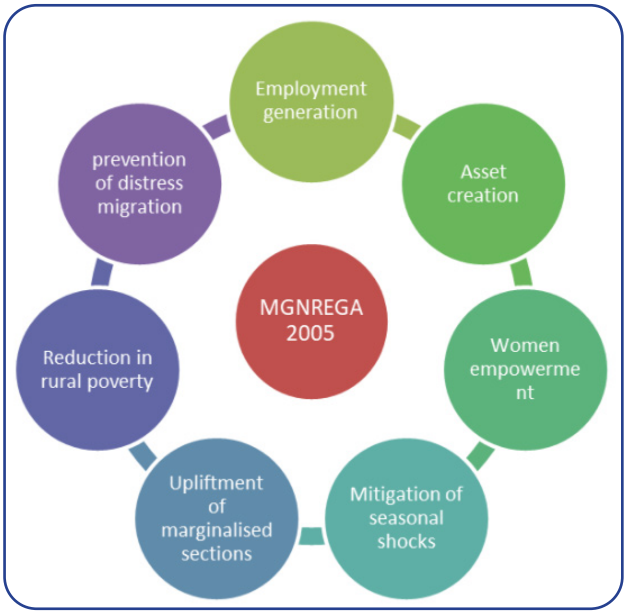

मनरेगा (MGNREGA) के बारे में:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के अधिनियम के तहत लागू है और यह विश्व की सबसे बड़ी अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है।
- यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है।

मनरेगा के उद्देश्य:

- ग्रामीण परिवारों की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना।
- जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे टिकाऊ संसाधनों का निर्माण करना।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देना और मजबूरी में होने वाले ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करना।
- अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति और छोटे किसानों को सशक्त बनाना।

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ:

- **अधिकार-आधारित ढांचा:** कानूनी रूप से वेतन रोजगार की गारंटी।
- **मांग-आधारित दृष्टिकोण:** रोजगार मांग पर उपलब्ध; यदि 15 दिनों में काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
- **सर्वसमावेशी ग्रामीण कवरेज:** सभी ग्रामीण परिवार पात्र, इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- **न्यूनतम 100 दिन का रोजगार:** राज्य अपनी निधियों से अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान कर सकते हैं।
- **सामाजिक ऑडिट:** ग्राम सभाओं द्वारा कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- **समयबद्ध वेतन भुगतान:** मजदूरी 15 दिनों के भीतर भुगतान की जाती है; विलंब होने पर मुआवजा देना अनिवार्य है।
- **महिलाओं की भागीदारी:** कम से कम एक-तिहाई श्रमिक महिलाएं; कई राज्यों में यह संख्या 50% से अधिक है।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** ग्राम सभाएं और पंचायतें योजना बनाने, कार्यों की प्राथमिकता तय करने और निगरानी में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2025 की अंतिम मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती का निर्णय लिया है, जिसके बाद रेपो दर घटकर 5.25% हो गई

है। यह 2025 में रेपो दर में की गई चौथी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25–25 bps तथा जून में 50 bps की कटौती की गई थी, जबकि अगस्त और अक्टूबर की बैठकों में दरें स्थिर रखी गई थीं।

उद्देश्य और तर्क:

- रेपो दर में कटौती के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - बाज़ार में तरलता (Liquidity) बढ़ाना।
  - बैंकिंग, रियल एस्टेट और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे ब्याज दर–संवेदनशील क्षेत्रों में खर्च और मांग को बढ़ावा देना।
  - आर्थिक विकास को तेज़ करना, साथ ही मुद्रास्फीति को आरबीआई के लक्षित दायरे में बनाए रखना।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय RBI के विकास-केन्द्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है , जो यह स्पष्ट करता है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट प्रवाह और मांग-आधारित रिकवरी को समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्य प्रभाव”

- **गृह कर पर प्रभाव:**
  - रेपो दर में कटौती का सबसे प्रत्यक्ष असर फ़्लोटिंग–रेट होम लोन पर पड़ता है, क्योंकि अधिकांश गृह ऋण सीधे रेपो दर से जुड़े होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार गृह ऋण धारकों को महत्वपूर्ण राहत मिलने की संभावना है:
    - ➢ ₹50 लाख के 20 साल की अवधि वाले होम लोन पर 8% ब्याज दर के साथ EMI ₹41,822 से घटकर ₹41,047 हो जाएगी, अर्थात लगभग ₹775 की मासिक बचत।
    - ➢ 15 साल की अवधि वाले लोन पर EMI ₹47,783 से घटकर ₹47,064 हो जाएगी, जिसमें लगभग ₹719 की मासिक राहत।
    - ➢ यदि 2025 के दौरान कुल 125 bps की कटौती के प्रभाव को जोड़ा जाए, तो 20 साल की अवधि वाले लोन पर कुल मासिक राहत लगभग ₹3,939 और 15 साल के लोन पर लगभग ₹7,649 तक हो सकती है।
  - मौजूदा होम लोन ग्राहक भी इससे लाभान्वित होंगे। वे चाहें तो EMI कम कर सकते हैं या फिर EMI समान रखते हुए लोन की अवधि कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि 2025 की शुरुआत में 9% ब्याज दर पर ₹50 लाख का 20 साल का होम लोन लिया गया था, तो मौजूदा दर कटौतियों के बाद यह लोन लगभग 43 महीने पहले समाप्त हो सकता है, जबकि 15 साल अवधि वाले लोन की समयावधि लगभग 22 महीने कम हो सकती है।

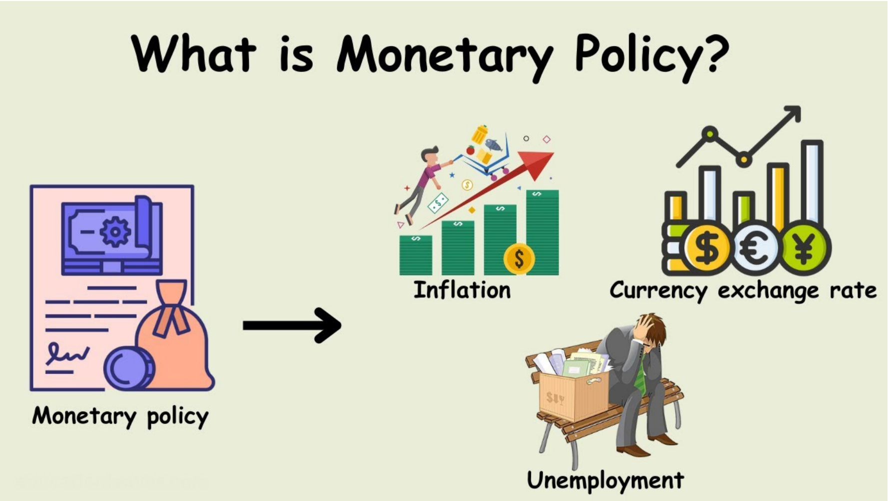

- **रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव:**
  - रेपो दर में कटौती से रियल एस्टेट क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सकारात्मक बढ़त मिलेगी, क्योंकि डेवलपर्स के लिए कार्यशील पूंजी जुटाना, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना और टाउनशिप व इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जैसे निर्माण कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा।
  - उपभोक्ता क्षेत्र पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। EMI घटने से उपभोक्ताओं की उपलब्ध आय बढ़ेगी, जिससे सतत उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य उत्पादों पर खर्च बढ़ने की संभावना मजबूत होगी।

मौद्रिक नीति के बारे में:

- मौद्रिक नीति का तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और क्रेडिट की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपकरणों के उपयोग से है, ताकि व्यापक आर्थिक नीतियों के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य

स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को मौद्रिक नीति को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में प्रावधान है।

निष्कर्ष:

दिसंबर 2025 में RBI द्वारा की गई रेपो दर कटौती एक संतुलित नीति दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो आर्थिक विकास को गति देती है, क्रेडिट प्रवाह को प्रोत्साहित करती है और होम लोन ग्राहकों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करती है, साथ ही मूल्य स्थिरता को भी बनाए रखती है। यह निर्णय निवेश, उपभोग और रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी लाने की संभावना को मजबूत करता है।

भारत के जीडीपी सांख्यिकी को 'सी-ग्रेड'

सन्दर्भ:

हाल ही में IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्टिकल IV कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी करते हुए भारत के राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों जिनमें GDP और GVA शामिल हैं को 'C' ग्रेड दिया है। यह IMF की चार-स्तरीय ग्रेडिंग प्रणाली (A, B, C, D) में दूसरा सबसे निम्न स्तर है। 'C' ग्रेड का आशय यह है कि आँकड़े उपलब्ध तो हैं, परंतु उनमें अभी भी पद्धतिगत और संरचनात्मक कमियाँ मौजूद हैं अर्थात डेटा की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूपता में सुधार की आवश्यकता है। अन्य आँकड़ा श्रेणियाँ "मूल्य, राजकोषीय, बाह्य क्षेत्र और वित्तीय आँकड़े" को 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ, जो उनकी "सामान्यतः उपयुक्त" स्थिति को दर्शाता है।

IMF द्वारा 'C' ग्रेड देने के प्रमुख कारण:

- **पुराना आधार वर्ष (Base Year 2011–12):**
  - » भारत अभी भी 2011–12 को GDP, GVA और अन्य सूचकांकों का आधार वर्ष का उपयोग करता है।
  - » पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना — सेक्टोरल कम्पोज़ीशन, मूल्य-गतिशीलता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्लेटफ़ॉर्म आधारित सेवाएँ, तेज़ी से बदली हैं।
  - » पुराना बेस वर्ष वास्तविक मूल्य-वर्धन और विकास दर को विकृत कर देता है।
- **डिफ्लेशन पद्धति की समस्याएँ:**
  - » भारत कई सेक्टरों में वास्तविक GDP निकालने के लिए WPI (Wholesale Price Index) का उपयोग करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार PPI (Producer Price Index) या सेक्टर-विशिष्ट डिफ्लेटर उपयोग करने चाहिए।
  - » इससे क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के अंतर को सही से कैप्चर नहीं किया जा सकता।
  - » परिणामस्वरूप, वास्तविक विकास दर की गणना प्रभावित होती है।

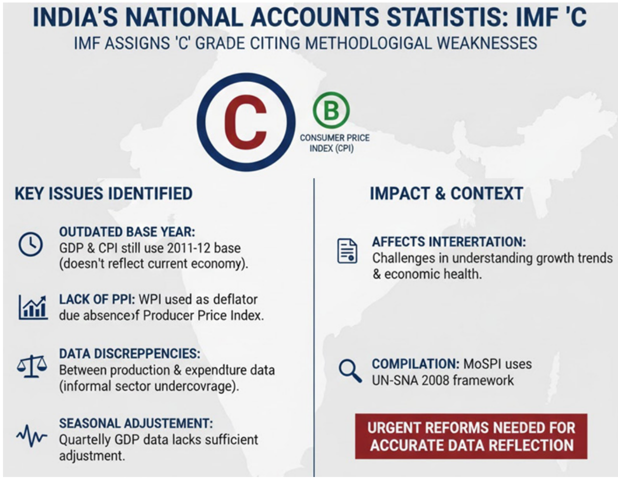

- **अनौपचारिक क्षेत्र के आँकड़ों में कमी:**
  - » भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है।
  - » छोटे उद्यम, बिना पंजीकृत सेवाएँ, घरेलू उद्यम, असंगठित श्रम, इन सभी पर उपलब्ध आँकड़े अपर्याप्त हैं।
  - » इससे व्यय-आधारित GDP और वास्तविक उपभोग का सटीक अनुमान प्रभावित होता है।

IMF के मूल्यांकन का महत्व:

- » **नीति-निर्माण एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन:** विश्वसनीय GDP, GVA, मुद्रास्फीति, राजकोषीय आँकड़े ही मौद्रिक नीति, बजट, सामाजिक योजनाओं और पूर्वानुमान के लिए आधार बनते हैं।
- » **निवेशक विश्वास एवं वैश्विक छवि:** अंतरराष्ट्रीय निवेशक, रेटिंग एजेंसियाँ और बहुपक्षीय संस्थाएँ विश्वसनीय आँकड़ों पर निर्भर करती हैं। पद्धतिगत समस्याएँ निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकती हैं।
- » **पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनविश्वास:** सटीक आँकड़े लोकतांत्रिक विमर्श, जनता के भरोसे और उत्तरदायी शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- IMF का 'C' ग्रेड भारत की आँकड़ा-प्रणाली में मौजूद कमियों की ओर संकेत करता है। यह एक प्रकार की चेतावनी है, जो बताती है कि GDP आँकड़ों को अधिक विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं।

आगे की राह:

सुधार क्षेत्र	नियोजित कदम
नया GDP आधार वर्ष (Base Year 2022–23)	फरवरी 2026 में जारी होगी; इसमें नई आर्थिक संरचना, नए सेक्टरों के वजन और आधुनिक डेटा स्रोत शामिल होंगे।
CPI एवं अन्य सूचकांकों का पुनरीक्षण	उपभोग-बास्केट और बेस ईयर को अपडेट किया जाएगा जिससे मुद्रास्फीति के आँकड़े अधिक यथार्थपरक बनेंगे।
डेटा कवरेज और पद्धति में सुधार	अनौपचारिक क्षेत्र के बेहतर अनुमान, GST/कॉरपोरेट/टैक्स डेटा का उपयोग, उद्यम एवं परिवार सर्वेक्षणों को मज़बूती, WPI की जगह PPI या सेक्टर-वाइज डिफ्लेटर्स का उपयोग।
संस्थागत मज़बूती एवं पारदर्शिता	आँकड़ों की पद्धति को अधिक खुला, सुसंगत और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।

निष्कर्ष:

भारत के GDP आँकड़ों में वर्तमान में कुछ संरचनात्मक और पद्धतिगत कमजोरियाँ मौजूद हैं, जिनके कारण IMF ने उन्हें 'C' ग्रेड दिया है। हालांकि, चल रहे सुधार प्रयास, विशेषकर 2026 में प्रस्तावित नई GDP श्रृंखला, भारत की आँकड़ा-व्यवस्था को अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव न केवल नीति-निर्माण पर पड़ेगा, बल्कि निवेशकों के भरोसे, आर्थिक पारदर्शिता, और समग्र व्यापक आर्थिक प्रबंधन को भी मजबूत करेगा।

श्योक सुरंग

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के प्रयासों के तहत श्योक सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग सीमा क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास है।

श्योक सुरंग के बारे में:

- श्योक सुरंग लद्दाख में एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो श्योक नदी घाटी के रास्ते दुरबुक और दौलत बेग ओल्डी (DBO) को जोड़ती है।
- यह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कनेक्टिविटी और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।
- यह सुरंग प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) द्वारा किया गया है।

सुरंग की मुख्य बातें:

- **स्थान:** यह सुरंग दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DS-DBO) सड़क पर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो गलवान घाटी के पास से गुजरती है।

- **उद्देश्य:**
  - » इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के लिए साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जिससे दौलत बेग ओल्डी (DBO) जैसे सबसे उत्तरी सैन्य चौकियों तक सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की तेजी से आवाजाही हो सके।
  - » यह सड़क के एक कमजोर हिस्से को बाईपास करता है जो सर्दियों और मानसून के दौरान भूस्खलन, बर्फ और नदी में बाढ़ के कारण अक्सर बंद हो जाता था।

रणनीतिक महत्व:

- **साल भर आवाजाही सुनिश्चित करना:** यह सुरंग भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक बाधाओं के कारण होने वाली मौसमी रुकावटों को दूर करती है, जिससे सीमा की आगे की चौकियों तक लगातार और निर्बाध पहुंच संभव होती है।
- **प्रतिक्रिया समय कम करना:** लेह और डीबीओ (DBO) के बीच यात्रा का समय लगभग दो दिन से घटाकर केवल छह घंटे कर दिया गया है, जिससे सैनिकों की तेजी से तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट सुनिश्चित होता है।
- **सुरक्षा बढ़ाना:** यह सुरंग विश्वसनीय भूमि संपर्क प्रदान करती है, जिससे महंगी और मौसम पर निर्भर हवाई आपूर्ति की जरूरत कम होती है और दूरदराज की सीमा चौकियों तक आवश्यक संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का समर्थन:** श्योक सुरंग लद्दाख में व्यापक रणनीतिक सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का हिस्सा है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर निगरानी, सुरक्षा और तेजी से सैनिक लामबंदी को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष:

श्योक सुरंग केवल एक परिवहन परियोजना नहीं है, बल्कि यह चीन के साथ LAC पर भारत के सशस्त्र बलों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी, ऑपरेशनल तत्परता और लॉजिस्टिकल लचीलापन सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। इसका सफल निर्माण भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है और साथ ही दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और क्षेत्रीय एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

संदर्भ:

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), जिन्हें कभी निर्यात-आधारित विकास (export-led growth) के प्रमुख इंजन के रूप में देखा गया था, वर्तमान में गंभीर दबाव में हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए हालिया आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 से 2025 (FY21–FY25) के बीच देश के सात प्रमुख SEZs में कुल 466 इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, कोविड-19 महामारी से जुड़े व्यवधानों तथा वियतनाम और मलेशिया जैसे उभरते विनिर्माण केंद्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच देखी गई है।

मुख्य आँकड़े (FY21–FY25):

- पिछले पाँच वर्षों में 466 SEZ इकाइयाँ बंद हुईं।
- वित्त वर्ष 25 में अकेले 100 इकाइयाँ बंद हुईं,कोविड के बाद की अवधि में सर्वाधिक निकास देखने को मिले।
- रोज़गार वित्त वर्ष 2024 में 31.94 लाख से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 31.77 लाख रह गया।
- निर्यात दोगुना होकर वित्त वर्ष 2021 में ₹7.59 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹14.63 लाख करोड़ हो गया।

- निवेश इसी अवधि में ₹6.17 लाख करोड़ से बढ़कर ₹7.82 लाख करोड़ हो गया।

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- **कमजोर R&D और तकनीकी उन्नयन:** विशेष आर्थिक क्षेत्र में नवाचार, ऑटोमेशन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) अवसंरचना में सीमित निवेश के कारण उच्च मूल्य-वर्धित विनिर्माण में पिछड़ापन बना हुआ है।
- **बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक स्तर पर वियतनाम जैसे देश, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए मजबूत समझौते, अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन तथा सुचारु लॉजिस्टिक्स और प्रभावी व्यापार-सुविधा तंत्र उपलब्ध है।
- **नकारात्मक धारणा और सीमित ब्रांडिंग:** भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण से यह भी सामने आया है कि अनेक अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से अत्यधिक कठोर, नीतियों के मामले में अनिश्चित तथा लागत की दृष्टि से कम प्रतिस्पर्धी मानते हैं।
- **उत्पादकता से जुड़ी समस्याएँ:** श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, विशेष रूप से रत्न एवं आभूषण उद्योग में, हाल के वर्षों में गंभीर गिरावट देखी गई है। इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत इकाइयों की संख्या में तेज कमी आई है तथा निर्यात में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर वित्त वर्ष 2021 में 15.7 प्रतिशत तक रह गई।

SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ)

Need of SEZs

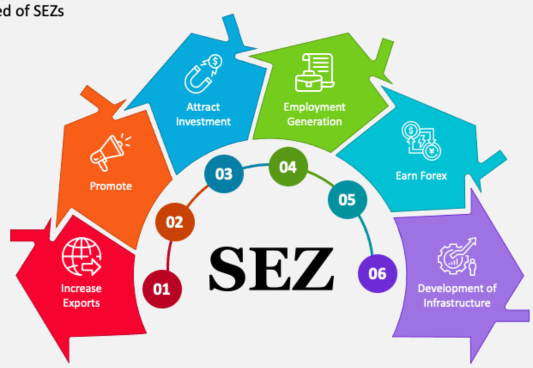

सरकारी पहल:

- पिछले तीन वर्षों से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय SEZ सुधारों पर कार्य कर रहा है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:
  - » विनिर्माण में लचीलापन बढ़ाने हेतु रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति।
  - » अनुपालन को सरल बनाने के लिए नियामकीय सुधार।
  - » देरी कम करने हेतु डिजिटाइज्ड कस्टम्स प्रक्रियाएँ।

DESH फ्रेमवर्क के अंतर्गत परिवर्तन:

- Development of Enterprise and Services Hub (DESH) पहल के तहत व्यापक क्षेत्रीय और नियामकीय सुधार किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य SEZs को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक हब के रूप में पुनर्गठित करना है।
- **हालिया संशोधन (2025):**
  - » सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक्स SEZs के लिए भूमि-आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई।
  - » इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों को उपयुक्त शुल्क के साथ घरेलू बिक्री की अनुमति।
  - » भूमि को ऋण, विवाद या किसी भी प्रकार के कानूनी बंधन से मुक्त रखने की शर्तों में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) क्या हैं?

- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे शुल्क-मुक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है।
- इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन करना तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्लस्टरों का विकास करना है।
- **भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास:**
  - » **1965:** भारत ने गुजरात के कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) स्थापित किया। बाद में सूरत, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, फाल्टा और नोएडा में EPZ स्थापित हुए।
  - » **2000:** सरकार ने SEZ नीति लागू की और सभी आठ EPZs को विश्वस्तरीय अवसंरचना एवं प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहनों के साथ SEZs में परिवर्तित किया।
  - » **2005:** संसद ने SEZ अधिनियम, 2005 पारित किया, जो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। इसके साथ SEZ नियम बनाए गए, जिससे एक व्यापक विधायी एवं प्रशासनिक ढाँचा तैयार हुआ।

निष्कर्ष:

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र इस समय एक निर्णायक मोड़ पर हैं। जहाँ बड़े पैमाने पर इकाइयों का बंद होना गहरी संरचनात्मक समस्याओं को दर्शाता है, वहीं निर्यात और निवेश में वृद्धि इनके अंतर्निहित सामर्थ्य को भी उजागर करती है। यदि निरंतर सुधार, व्यापार करने में आसानी , तकनीकी क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण और रणनीतिक क्षेत्रीय फोकस बनाए रखा जाए, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र भविष्य में भी रोज़गार, निवेश और निर्यात वृद्धि के सशक्त इंजन बन सकते हैं तथा भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति-शृंखला हब बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

रोजगार पर एनसीएईआर की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने एक अध्ययन "इंडियाज एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स: पाथवेज टू जॉब्स" जारी किया। इस अध्ययन में बताया गया है कि भारत की रोजगार समस्या को हल करने के लिए कौशल विकास और छोटे उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **भारत में रोजगार वृद्धि की प्रकृति:**
  - » हाल के वर्षों में रोजगार बढ़ोतरी मुख्य रूप से स्वरोजगार के कारण हुई है, न कि वेतन वाली नौकरियों के विस्तार से।
  - » भारत में अधिकांश स्वरोजगार आर्थिक मजबूरी के कारण हैं, न कि नए व्यवसाय या नवाचार के कारण।
  - » अधिकांश गैर-निगमित घरेलू उद्यम केवल जीविका चलाने के स्तर पर काम कर रहे हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ हैं:
    - ➢ कम पूंजी निवेश
    - ➢ कम उत्पादकता
    - ➢ तकनीक का सीमित उपयोग
- **कौशल और कार्यबल की गुणवत्ता की भूमिका:**
  - » भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त के बावजूद कुशल कार्यबल की ओर बदलाव की गति धीमी रही है।
  - » रोजगार वृद्धि में मध्यम-कौशल वाले कार्यों का योगदान अधिक है, विशेषकर सेवा क्षेत्र में, जबकि विनिर्माण क्षेत्र अब भी मुख्यतः कम-कौशल आधारित है।
  - » रिपोर्ट के अनुसार:
    - ➢ यदि कुशल श्रमिकों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत बढ़ाई जाए, तो 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार 13% से अधिक बढ़ सकता है।
    - ➢ यदि कुशल श्रमिकों की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत की वृद्धि हो, तो 2030 तक लगभग 93 लाख नई नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं।
- **छोटे उद्यम, ऋण और तकनीक:**
  - » छोटे उद्यमों की उत्पादकता भारत के रोजगार भविष्य का मुख्य निर्धारक है।
  - » डिजिटल तकनीक अपनाने से रोजगार सृजन की क्षमता में बड़ा सुधार होता है।
    - ➢ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले उद्यम, गैर-डिजिटल उद्यमों की तुलना में 78% अधिक कर्मचारियों को काम पर रखते हैं।
  - » ऋण तक बेहतर पहुँच रोजगार पर मजबूत प्रभाव डालती है।
    - ➢ ऋण तक पहुँच में मात्र 1% की वृद्धि, नियोजित कर्मचारियों की संख्या में 45% तक बढ़ोतरी कर सकती है।
- **क्षेत्रवार रोजगार संभावनाएँ:**
  - » श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार को मजबूत करने से लगभग 8% जीडीपी वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है।
  - » रोजगार सृजन की अधिक संभावना वाले प्रमुख क्षेत्र हैं:
    - ➢ विनिर्माण: वस्त्र, परिधान, जूते, खाद्य प्रसंस्करण
    - ➢ सेवाएँ: व्यापार, होटल, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य
- **अंतर-क्षेत्रीय गुणक प्रभाव:**
  - » श्रम-प्रधान उप-क्षेत्रों के उत्पादन में मध्यम वृद्धि से 2030 तक कई गुना रोजगार सृजित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर:
    - ➢ वस्त्र, परिधान और संबद्ध विनिर्माण में रोजगार में 53% वृद्धि
    - ➢ व्यापार, होटल और संबंधित सेवाओं में रोजगार में 79% वृद्धि

नीतिगत सिफारिशें:

- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का फोकस श्रम-प्रधान उद्योगों पर किया जाना चाहिए।
- उभरती तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित औपचारिक कौशल विकास और पुनः-कौशल प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना चाहिए।

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को आसान और सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- छोटे उद्यमों में डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए नीतिगत सहयोग और समर्थन को मजबूत किया जाना चाहिए।

भारत के लिए महत्व:

- भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रबल संभावना है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी में इसकी 128वीं रैंक यह स्पष्ट करती है कि रोजगार-आधारित विकास की तत्काल आवश्यकता है।
- यह रिपोर्ट भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए संरचनात्मक सुधारों और उत्पादकता बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है।

निष्कर्ष:

भारत की रोजगार चुनौती का मूल कारण कम उत्पादकता है। यदि कौशल विकास को मजबूत किया जाए, ऋण तक पहुँच को आसान बनाया जाए और छोटे उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, विशेष रूप से श्रम-प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, तो भारत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करते हुए उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सकता है।

सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा सुधार

सन्दर्भ:

सेबी ने म्यूचुअल फंड से संबंधित नियमों में एक व्यापक सुधार को मंज़ूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना, निवेश की लागत को कम करना तथा नियमों के अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह नया नियामक ढांचा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 के नाम से लागू किया जाएगा, जो लगभग तीन दशक पुराने 1996 के विनियमों का स्थान लेगा। इसमें व्यय संरचना, निधि संचालन तथा शासकीय मानकों से संबंधित व्यापक सुधारों को शामिल किया गया है।

म्यूचुअल फंड नियमों में प्रमुख बदलाव:

- **व्यय अनुपात ढांचे में बदलाव:** सेबी ने कुल व्यय अनुपात को पुनर्परिभाषित करते हुए आधार व्यय अनुपात की शुरुआत की है। वस्तु एवं सेवा कर, प्रतिभूति लेन–देन कर, स्टांप शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क आधार व्यय अनुपात में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इन्हें वास्तविक आधार पर अलग से वसूला जाएगा। इससे निवेशकों को फंड की लागत का स्पष्ट और पारदर्शी विवरण मिलेगा।
- **व्यय सीमा में कमी:** विभिन्न म्यूचुअल फंड श्रेणियों में आधार व्यय अनुपात की अधिकतम सीमा घटाई गई है। सूचकांक फंड और विनिमय कारोबार निधि के लिए व्यय सीमा 1.0 प्रतिशत से घटाकर 0.9 प्रतिशत कर दी गई है (वैधानिक शुल्क को छोड़कर)। अन्य फंड श्रेणियों में भी इसी प्रकार की कटौती से दीर्घकाल में निवेश प्रतिफल बेहतर होने की संभावना है।

- **ब्रोकरेज सीमा में कटौती:** सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं में लेन–देन से जुड़े अधिकतम ब्रोकरेज शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की है। इक्विटी नकद बाज़ार में यह सीमा 12 बेसिस प्वाइंट से घटाकर 6 बेसिस प्वाइंट तथा डेरिवेटिव लेन–देन में 5 बेसिस प्वाइंट से घटाकर 2 बेसिस प्वाइंट कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य लेन–देन की छिपी हुई लागतों को नियंत्रित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा म्यूचुअल फंड संचालन को अधिक निवेशक-हितैषी और पारदर्शी बनाना है।
- **"स्किन इन द गेम" नियम:** एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के वरिष्ठ कर्मचारियों को अब अपने वेतन का एक हिस्सा उन्हीं म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करना होगा जिन्हें वे प्रबंधित करते हैं। इससे फंड मैनेजर और निवेशकों के हितों में सामंजस्य बनेगा और जवाबदेही बढ़ेगी।
- **अनिवार्य स्ट्रेस टेस्टिंग:** म्यूचुअल फंड योजनाओं को विपरीत बाजार परिस्थितियों में स्ट्रेस टेस्ट करना अनिवार्य होगा। इन परीक्षणों के परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को जोखिम का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।

- **न्यू फंड ऑफर निवेश नियम:** न्यू फंड ऑफर (NFO) से जुटाई गई राशि को 30 कार्यदिवसों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है, तो निवेशकों को बिना एग्ज़िट लोड के बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा।

निवेशकों पर प्रभाव और लाभ:

- **अधिक पारदर्शिता:** प्रबंधन शुल्क और वैधानिक खर्चों को अलग-अलग प्रदर्शित करने से निवेशकों को निवेश की वास्तविक लागत की स्पष्ट और सही जानकारी मिल सकेगी।
- **संभावित रूप से कम लागत:** कम व्यय अनुपात और ब्रोकरेज पर निर्धारित सीमा के कारण निवेश की अधिक राशि बाज़ार में बनी रहेगी, जिससे शुद्ध प्रतिफल (नेट रिटर्न) बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी।
- **बेहतर गवर्नेंस:** कर्मचारियों के अनिवार्य निवेश और सार्वजनिक स्ट्रेस टेस्ट जैसी व्यवस्थाएँ म्यूचुअल फंड उद्योग में जवाबदेही बढ़ाकर निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करेंगी।
- **निवेश निर्णय में आसानी:** स्पष्ट स्कीम नामकरण और एक ही AMC के अंतर्गत समान रणनीतियों वाली योजनाओं की संख्या कम होने से निवेशकों के लिए उपयुक्त योजना का चयन करना अधिक सरल होगा।

निष्कर्ष:

सेबी का यह सुधार भारत के म्यूचुअल फंड ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और निवेशक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लागत में कमी, स्पष्ट व्यय संरचना और मज़बूत गवर्नेंस मानकों के माध्यम से ये सुधार निवेशक विश्वास बढ़ाने, रिटेल भागीदारी को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि म्यूचुअल फंड प्रणाली में निवेशकों के हित सर्वोपरि रहें।

आईसीटी शुल्क और सौर सब्सिडी पर चीन की आपत्ति

संदर्भ:

हाल ही में चीन ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान समझौते के तहत भारत के साथ औपचारिक परामर्श की मांग की है। यह शिकायत मुख्य रूप से भारत द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर लगाए गए शुल्क और सौर ऊर्जा क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी से संबंधित है। चीन का आरोप है कि भारत की ये नीतियाँ विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत नियमों का उल्लंघन करती हैं, जिनमें राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत और आयात-प्रतिस्थापन आधारित सब्सिडी पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह वर्ष 2025 में भारत के खिलाफ चीन द्वारा दायर किया गया दूसरा विवाद है। इससे पहले चीन ने इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी से जुड़ी सब्सिडी को लेकर भी भारत के खिलाफ शिकायत की थी। इन घटनाओं से दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का संकेत मिलता है।

विवाद के प्रमुख मुद्दे:

चीन की शिकायत मुख्य रूप से भारत द्वारा अपनाई गई दो प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाओं पर केंद्रित है:

- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शुल्क:**
  - भारत ने घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयातित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर अपेक्षाकृत उच्च शुल्क बनाए रखे हैं। यह नीति मेक इन इंडिया और विभिन्न उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का हिस्सा है।
  - चीन का तर्क है कि ये शुल्क विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिबद्धताओं से अधिक हैं, और राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसके अनुसार किसी भी आयातित वस्तु को घरेलू बाजार में प्रवेश के बाद समान घरेलू वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए।
- **सौर क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी:**
  - भारत ने सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की हैं। इनका उद्देश्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर घरेलू सौर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
  - चीन का तर्क है कि इनमें से कुछ प्रोत्साहन योजनाएँ आयात-प्रतिस्थापन आधारित सब्सिडी के समान हैं, जिन्हें विश्व व्यापार संगठन के नियम सीमित करते हैं, क्योंकि ये लाभ को घरेलू उत्पादों के उपयोग से जोड़ती हैं और आयातित वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करती हैं तथा घरेलू उत्पादकों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती हैं।

विश्व व्यापार संगठन और विवाद निपटान तंत्र:

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 1995 में सामान्य सीमा

शुल्क एवं व्यापार समझौते (GATT) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था है।

- इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुचारू, पूर्वानुमेय और भेदभाव-रहित बनाना है। WTO व्यापार वार्ताओं का संचालन करता है, व्यापार समझौतों की निगरानी करता है और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- विश्व व्यापार संगठन की एक प्रमुख विशेषता इसकी बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली है, जिसे विवाद निपटान निकाय द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
  - **परामर्श:** अधिकतम 60 दिन के लिए, ताकि पक्षकार आपसी सहमति से समाधान निकाल सकें।
  - **पैनल कार्यवाही:** स्वतंत्र विशेषज्ञ विवाद की जांच और विश्लेषण करते हैं।
  - **अपील समीक्षा:** कानूनी बिंदुओं पर अपील की जाती है।
  - **निर्णय का क्रियान्वयन और अनुपालन निगरानी:** निर्णय लागू होने पर इसकी निगरानी की जाती है।
  - **प्रतिशोधात्मक उपाय:** यदि निर्णय लागू नहीं होता, तो WTO सदस्य देशों को सीमित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की अनुमति देता है।
- वर्ष 2019 से WTO की अपील व्यवस्था प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि कुछ देशों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोक दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाद निपटान की प्रभावशीलता कमजोर हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए चीन और यूरोपीय संघ सहित कुछ देशों ने अस्थायी बहु-पक्षीय अपील व्यवस्था (MPIA) को अपनाया है।

निष्कर्ष:

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शुल्क और सौर क्षेत्र की सब्सिडी को लेकर भारत के विरुद्ध चीन द्वारा विश्व व्यापार संगठन में परामर्श की मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को दर्शाती है। यह विवाद भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है कि एक ओर उसे रणनीतिक औद्योगिक नीति और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और प्रतिबद्धताओं का पालन भी सुनिश्चित करना है। इन परामर्शों का परिणाम न केवल भारत–चीन आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह इस व्यापक बहस में भी योगदान देगा कि उभरती अर्थव्यवस्थाएँ विकास की अपनी आवश्यकताओं और बहुपक्षीय व्यापार नियमों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकती हैं।

भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024-25

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी का हैंडबुक, 2024–25 से यह स्पष्ट होता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दक्षिणी राज्यों का वर्चस्व निरंतर बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थानों पर अधिकांश दक्षिणी राज्य ही शामिल हैं और वे बड़े उत्तरी राज्यों की तुलना में अब भी उल्लेखनीय रूप से आगे हैं। यह स्थिति भारत में उत्तर–दक्षिण आर्थिक असमानता के गहरे और स्थायी स्वरूप को रेखांकित करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष दस राज्यों में पाँच दक्षिणी राज्य शामिल हैं। दिल्ली के बाद तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, जहाँ वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹3,87,623 दर्ज किया गया है।
- इसके पश्चात कर्नाटक (₹3,80,906), तमिलनाडु (₹3,61,619), केरल (₹3,08,338) और आंध्र प्रदेश (₹2,66,240) का स्थान है।
- इसके विपरीत, महाराष्ट्र ₹3,09,340 की प्रति व्यक्ति आय के साथ छठे स्थान पर स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश (₹1,52,615), उत्तर प्रदेश (₹1,08,572) और बिहार (₹69,321) सूची के निचले पायदान पर बने हुए हैं। विशेष रूप से, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले दक्षिणी राज्य और बिहार के बीच का अंतर पाँच गुना से भी अधिक है, जो भारत में क्षेत्रीय आय असमानताओं की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

आर्थिक उत्पादन और दक्षिणी राज्यों की बढ़त:

- कुल आर्थिक उत्पादन के आँकड़े भी दक्षिणी राज्यों की आर्थिक मजबूती और समृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक दक्षिण भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में उभरकर सामने आते हैं, जिनका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः ₹27.92 लाख करोड़ और ₹26.03 लाख करोड़ दर्ज किया गया है।
- इनके बाद तेलंगाना (₹14.87 लाख करोड़) और आंध्र प्रदेश

(₹14.22 लाख करोड़) का स्थान है, जबकि केरल का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ₹11.11 लाख करोड़ रहा है। यद्यपि महाराष्ट्र ₹39.57 लाख करोड़ के साथ भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बना हुआ है, किंतु प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में वह केरल से केवल मामूली रूप से ही आगे है।

- वहीं, उत्तर प्रदेश का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद लगभग ₹26 लाख करोड़ है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के समकक्ष है, फिर भी उसकी प्रति व्यक्ति आय देश में न्यूनतम स्तरों में बनी हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण कुल आय में हुई वृद्धि का लाभ प्रति व्यक्ति स्तर पर सीमित रह जाता है।

राजकोषीय स्थिति और राजस्व क्षमता:

- यह हैंडबुक राज्यों की राजस्व संग्रहण क्षमता में मौजूद उल्लेखनीय असमानताओं को उजागर करती है। तमिलनाडु और कर्नाटक ने क्रमशः ₹1.95 लाख करोड़ और ₹1.89 लाख करोड़ का सशक्त स्वयं का कर राजस्व अर्जित किया है। इनके पश्चात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल का स्थान आता है।
- लगभग सभी राज्यों में राजकोषीय घाटा अपेक्षाकृत ऊँचा बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु का राजकोषीय घाटा सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र ₹3.42 लाख करोड़ के साथ स्वयं का कर राजस्व संग्रहण में अग्रणी होने के बावजूद उल्लेखनीय राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है। वहीं, बिहार में सीमित राजस्व आधार के बावजूद लगातार बना हुआ घाटा उधारी तथा केंद्र से प्राप्त अनुदानों पर उसकी संरचनात्मक निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

महँगाई, ग़रीबी और सामाजिक परिणाम:

- सामाजिक संकेतकों में भी स्पष्ट क्षेत्रीय असमानताएँ दिखाई देती हैं। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में महँगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित बनी रही, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में महँगाई दर तुलनात्मक रूप से अधिक दर्ज की गई।
- ग़रीबी के आँकड़े सबसे तीव्र अंतर को सामने लाते हैं, केरल में बहुआयामी ग़रीबी दर मात्र 0.55 प्रतिशत है, जो देश में न्यूनतम है, जबकि बिहार में यह दर 33.76 प्रतिशत तक पहुँच जाती है।
- स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय राज्यों के बीच अपेक्षाकृत समान पाया गया है, क्योंकि यह मुख्यतः जनसंख्या के आकार और जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं से प्रभावित होता है, न कि केवल आय स्तर से।

निष्कर्ष:

समग्र रूप से, यह हैंडबुक भारत के विकास पथ में उत्तर–दक्षिण विभाजन की निरंतरता को उजागर करती है और इस तथ्य पर बल देती है कि अधिक समावेशी तथा समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास की तत्काल आवश्यकता है।

7 आंतरिक सुरक्षा

जैव-आतंकवाद और जैव-सुरक्षा: भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जैविक हथियार सम्मेलन की प्रासंगिकता

सन्दर्भ:

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) को वैश्विक स्तर पर जैविक हथियारों के निषेध की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। वर्ष 2025 जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention – BWC) की 50वीं वर्षगांठ ऐसे समय में आई है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियाँ भी जटिल होती जा रही हैं। यह एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जैविक हथियारों का पूर्ण उन्मूलन करना है। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री ने गंभीर चिंता को रेखांकित किया कि विश्व अभी भी जैव-आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है तथा गैर-राज्य तत्वों से उत्पन्न खतरा निरंतर बढ़ रहा है। आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी तथा दोहरे उपयोग (dual-use) अनुसंधान के तीव्र प्रगति ने जैविक हथियार के खतरे की प्रकृति को बदल दिया है, जिससे अधिक सशक्त, समन्वित वैश्विक जैव-सुरक्षा ढाँचे तथा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

जैव-आतंकवाद: उभरता हुआ खतरा

- इंटरपोल (INTERPOL) जैव-आतंकवाद को रोग, भय या राजनीतिक दबाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से जैविक एजेंटों या विषाक्त पदार्थों के जानबूझकर उपयोग करने के रूप में परिभाषित करता है। यह कई विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है:
  - » **उच्च जनहानि की संभावना:** तीव्र प्रसार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डाल सकता है।
  - » **पहचान और दोषारोपण में कठिनाई:** जैविक हमले प्रायः प्राकृतिक प्रकोप जैसे प्रतीत होते हैं।
  - » **द्वि-उपयोग अनुसंधान के जोखिम:** जीन संपादन और सिंथेटिक बायोलॉजी में प्रगति से दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है।
  - » **कम लागत, उच्च प्रभाव की प्रकृति:** जैविक हथियार परमाणु या रासायनिक विकल्पों की तुलना में कहीं अधिक सस्ते होते हैं।
  - » **मनोवैज्ञानिक और आर्थिक व्यवधान:** घबराहट और दुष्प्रचार समाज और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं।
- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर प्रकोप पहचान, प्रतिक्रिया और समन्वय की गंभीर कमजोरियों को उजागर किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों का प्रबंधन कितना चुनौतीपूर्ण है।

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) के बारे में:

- जैविक हथियार सम्मेलन, जिसका औपचारिक नाम "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) एवं विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण के निषेध तथा उनके विनाश पर सम्मेलन" है, एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो जैविक एवं विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
- इस सम्मेलन की एक विशिष्ट विशेषता अनुच्छेद-I के अंतर्गत निहित सामान्य उद्देश्य मानदंड (General Purpose Criterion) है, जिसके तहत किसी विशिष्ट एजेंट या प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध करने के बजाय उन सभी जैविक एजेंटों, विषाक्त पदार्थों और संबंधित सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनका कोई वैध

शांतिपूर्ण, सुरक्षात्मक या निवारक उपयोग नहीं है। यह लचीला और प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष दृष्टिकोण सम्मेलन को तीव्र वैज्ञानिक प्रगति के युग में भी प्रासंगिक बनाए रखता है।

- BWC को 1972 में हस्ताक्षर के लिए लाया गया और यह 1975 में प्रभाव में आया। भारत ने इसे 1974 में अनुमोदित किया था। सम्मेलन के प्रावधानों को वैज्ञानिक, तकनीकी और सुरक्षा संबंधी परिवर्तनों के अनुरूप बनाए रखने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, BWC 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसने केवल जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, न कि उनके विकास या भंडारण को।
- एक व्यापक निषेध व्यवस्था स्थापित कर BWC हथियारों के सामूहिक विनाश की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करने वाली पहली बहुपक्षीय संधि बनी।

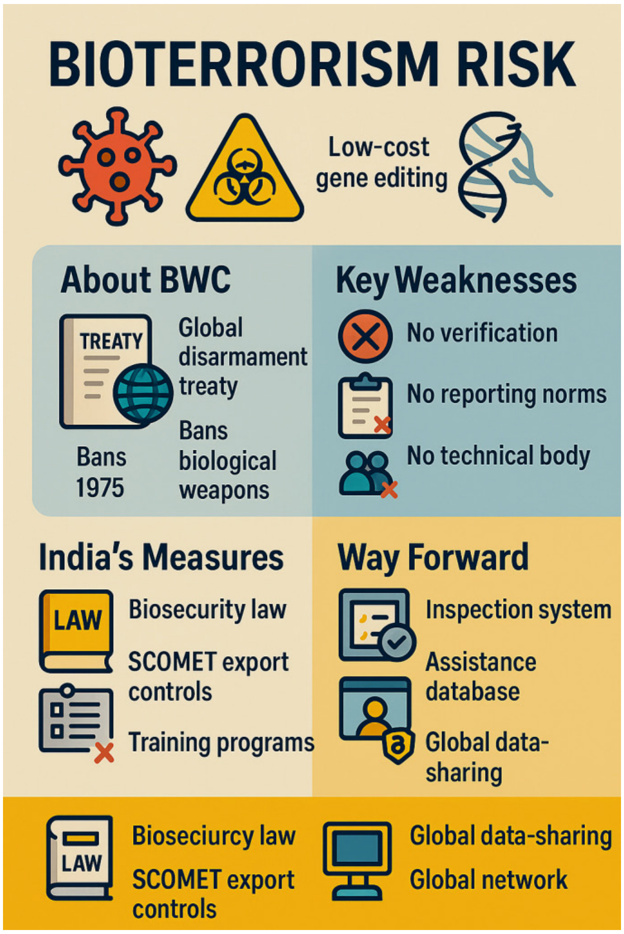

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) की प्रमुख विशेषताएँ:

- » **जैविक एवं विषैले हथियारों की परिभाषा:** जैविक हथियारों को ऐसे सूक्ष्मजीवों (जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फफूँद) या विषाक्त पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें मनुष्यों, पशुओं या पौधों में रोग या मृत्यु उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर प्रयोग किया जाता है।
- » **सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) श्रेणी पर व्यापक प्रतिबंध:** BWC हथियारों के सामूहिक विनाश की एक संपूर्ण श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि है, जिसने भविष्य के हथियार नियंत्रण ढाँचों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) वे हथियार हैं जो बड़े पैमाने पर जनसंहार और विनाश करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार शामिल हैं।
- » **गतिविधियों पर प्रतिबंध:** यह जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है।
- » **शांतिपूर्ण सहयोग का संवर्धन:** सम्मेलन चिकित्सा, कृषि, जन-स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है तथा इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि जैव-विज्ञान का उपयोग जीवन के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए।

- इन प्रावधानों के माध्यम से BWC जैविक विज्ञान के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सशक्त मानकात्मक ढाँचा स्थापित करता है।

भारत और जैविक हथियार सम्मेलन:

- भारत ने जैविक हथियार सम्मेलन के प्रावधान को घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जो वैश्विक जैव-सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत के नियामक ढाँचे के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:
  - » खतरनाक सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित नियम, 1989
  - » सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी प्रणालियाँ (अवैध गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005
  - » विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ (SCOMET) सूची के अंतर्गत निर्यात नियंत्रण
- ये उपाय अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन, द्वि-उपयोग अनुसंधान

के विनियमन और राष्ट्रीय जैव-सुरक्षा तैयारी को सुदृढ़ करते हैं। भारत BWC मंचों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और सिंथेटिक बायोलॉजी तथा उभरती जैव-प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों को संबोधित करने के लिए संधि तंत्र के आधुनिकीकरण की लगातार वकालत करता रहा है।

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) में अंतराल और सीमाएँ:

- अपनी अग्रणी भूमिका के बावजूद, BWC में कुछ संरचनात्मक सीमाएँ विद्यमान हैं:
  - » **सत्यापन तंत्र का अभाव:** रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) के विपरीत, जिसे रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन (OPCW) के माध्यम से लागू किया जाता है, BWC में कोई स्वतंत्र सत्यापन एवं निरीक्षण व्यवस्था नहीं है।
  - » **ISU का सीमित अधिकार क्षेत्र:** कार्यान्वयन सहायता इकाई (ISU) मुख्यतः प्रशासनिक कार्य करती है और उसके पास प्रवर्तन का कोई अधिकार नहीं है।
  - » **उभरते विज्ञान की अपर्याप्त निगरानी:** जैव-प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और सिंथेटिक बायोलॉजी में तीव्र प्रगति की संधि के अंतर्गत व्यवस्थित निगरानी नहीं की जाती।
  - » **गैर-राज्य तत्वों के प्रति संवेदनशीलता:** जैविक हथियारों की सुलभता, कम लागत और उच्च प्रभाव के कारण आतंकवादी संगठनों द्वारा उनके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।

वैश्विक जैव-सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय:

- जैविक हथियार सम्मेलन और वैश्विक जैव-सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है:
  - » **सुदृढ़ राष्ट्रीय कार्यान्वयन:** द्वि-उपयोग अनुसंधान की निगरानी, उच्च-जोखिम रोगजनकों की अनिवार्य रिपोर्टिंग और संरचित आपात प्रतिक्रिया तंत्र।
  - » **जैव-फोरेंसिक एवं दोषारोपण क्षमता:** प्रकोपों के स्रोत की पहचान और जांच में सहायक वैज्ञानिक अवसंरचना।
  - » **ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान:** टीकों, औषधियों और प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच के माध्यम से सामूहिक लचीलापन बढ़ाना।
  - » **द्वि-उपयोग अनुसंधान का नियमन:** नैतिक समीक्षा और नियामक तंत्र के माध्यम से दुरुपयोग की रोकथाम।
  - » **अनुच्छेद VII सहायता तंत्र:** जैविक खतरों का सामना कर रहे देशों की सहायता हेतु भारत-फ्रांस द्वारा प्रस्तावित वैश्विक सहायता डेटाबेस।
  - » **अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण:** रोग निगरानी, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण में सहयोग।
  - » **विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs):** डेटा साझा करना, सुविधा घोषणाएँ और विधायी पारदर्शिता।
  - » **समर्थक समझौते:** 2000 का कार्टाजेना जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे समझौते आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं।
- इन उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में जैविक हथियार सम्मेलन की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करेगा।

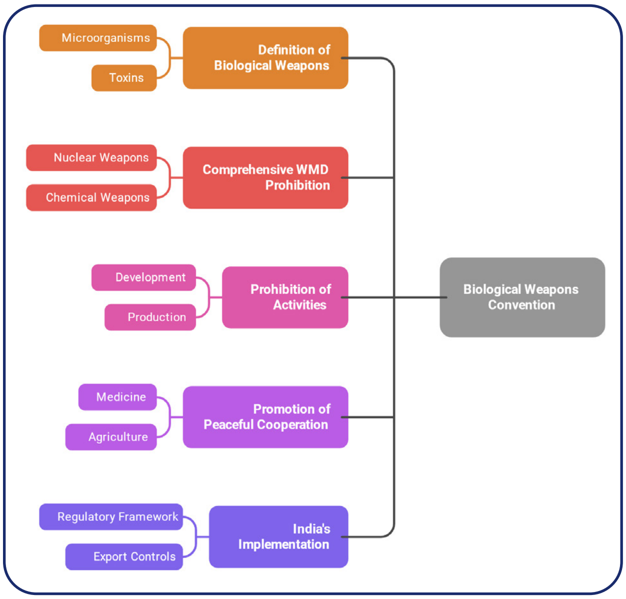

भारत का दृष्टिकोण:

- यद्यपि जैविक हथियार सम्मेलन ने जैविक हथियारों के विरुद्ध एक वैश्विक मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी वर्तमान खतरे का परिदृश्य अधिक अनुकूलनशील और सक्रिय दृष्टिकोण की माँग करता है। जैव-प्रौद्योगिकी की द्वि-उपयोग प्रकृति यह संकेत देती है कि पारंपरिक सत्यापन तंत्र मात्र पर्याप्त नहीं हो सकते। साथ ही, खतरे की प्रकृति भी बदल चुकी है, जहाँ गैर-राज्य तत्वों के पास ऐसे उपकरण और सूचनाएँ उपलब्ध हैं जिनकी परिकल्पना संधि के प्रारंभिक दौर में नहीं की गई थी।

- मजबूत अनुपालन तंत्र, नैतिक निगरानी और ग्लोबल साउथ देशों की अधिक भागीदारी के लिए भारत की वकालत केवल मानकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। संवेदनशील देश जैविक खतरों से असमान रूप से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे उन्हें वैश्विक जैव-सुरक्षा योजना में सम्मिलित करना अनिवार्य हो जाता है। इस संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक क्षमता-निर्माण और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र प्राकृतिक प्रकोपों और जानबूझकर जैविक दुरुपयोग—दोनों को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

जैविक हथियार सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ उपलब्धियों को स्वीकार करने के साथ-साथ निरंतर और उभरती कमजोरियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है। यद्यपि जैविक हथियार सम्मेलन ने जैविक हथियारों को अवैध ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी जैव-आतंकवाद, द्वि-उपयोग जैव-प्रौद्योगिकी और गैर-राज्य तत्वों से उत्पन्न बढ़ते खतरे सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। सत्यापन तंत्र को सुदृढ़ करना, उभरते विज्ञान की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ पर बल देते हुए एक लचीली, न्यायसंगत और प्रभावी वैश्विक जैव-सुरक्षा संरचना के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

संक्षिप्त मुद्दे

भारतीय नौसेना ने आईएनएस तारागिरी को कमीशन किया

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस तारागिरी (यार्ड 12653) को मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई से औपचारिक रूप से प्राप्त किया। यह विकास भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आईएनएस तारागिरी :

- परियोजना 17ए के तहत निर्मित चौथा फ्रिगेट है, तथा एमडीएल द्वारा निर्मित तीसरा जहाज़ है।
- **परियोजना 17ए / नीलगिरि वर्ग:** परियोजना 17ए, पहले की परियोजना 17 (शिवालिक वर्ग) का उन्नत संस्करण है। इसके अंतर्गत कुल 7 आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट निर्मित किए जा रहे हैं:
  - » 4 जहाज़ – एमडीएल (मुंबई) द्वारा
  - » 3 जहाज़ – जीआरएसई (कोलकाता) द्वारा
- इन फ्रिगेटों को भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार बनाया गया है कि वे "सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा वायु रक्षा" तीनों में सक्षम हों।

आईएनएस तारागिरी की प्रमुख विशेषताएँ और क्षमताएँ:

- **नाम और विरासत**
  - » इसका नाम पुराने आईएनएस तारागिरी (एफ-33) के सम्मान में रखा गया है, जो लींडर वर्ग का फ्रिगेट था और 1980 से 2013 तक सेवा में रहा।

- **वजन और डिज़ाइन**

» लगभग 6,670 टन विस्थापन
» रडार के प्रभाव और अवरक्त संकेत (इन्फ्रारेड सिग्नेचर) को कम करने वाली उन्नत स्टील्थ डिज़ाइन

- **निर्माण पद्धति**
  » समन्वित निर्माण पद्धति (इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन)
  » निर्माण अवधि को 93 महीनों से घटाकर 81 महीने कर दिया गया, जो यह भारत की बढ़ती दक्षता का प्रमाण है।
- **स्वदेशीकरण**
  » लगभग 75% घटक स्वदेशी
  » 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की भागीदारी
  » लगभग 4,000 प्रत्यक्ष तथा 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार
- **प्रणोदन प्रणाली (Propulsion System)**
  » संयोजित डीज़ल अथवा गैस प्रणाली (CODOG) का उपयोग।
  » **डीज़ल इंजन –** सामान्य गति तथा लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त।
  » **गैस टरबाइन –** उच्च गति की तात्कालिक आवश्यकता के समय प्रयोग।
  » **नियंत्रित पिच वाले प्रोपेलर –** संचालन में अधिक नियंत्रण और दक्षता प्रदान करते हैं।
- **प्लेटफॉर्म नियंत्रण प्रणाली**
  » समेकित प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS) स्थापित।
  » ऊर्जा प्रबंधन को स्वचालित रूप से संचालित करता है।
  » क्षति नियंत्रण की उन्नत व्यवस्था।
  » उच्च स्तरीय स्वचालन (Automation) जो जहाज़ की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाता है।
  » युद्धाभ्यास के दौरान जीवटता और तत्परता को मजबूत करता है।
- **सतही प्रहार क्षमता**
  » लंबी दूरी पर अत्यधिक सटीक प्रहार करने वाली अतिध्वनिक (Supersonic) क्रूज़ मिसाइलों से लैस।
- **वायु रक्षा क्षमता**
  » बहु-कार्य रडार (Multi-Function Radar) से लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग।
  » मध्यम दूरी की सतह-से-वायु मिसाइल प्रणाली (MRSAM) से हवाई खतरों का प्रभावी प्रतिरोध।
- **गन प्रणाली एवं रक्षा**
  » 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (SRGM) — तेज़ और सटीक प्रहार के लिए।
  » 30 मिमी तथा 12.7 मिमी CIWS — अत्यंत नज़दीकी खतरों को रोकने के लिए प्रभावी।
- **पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता (Anti-Submarine Warfare – ASW)**
  » टॉरपीडो नलिकाएँ — पनडुब्बियों पर सटीक प्रहार के लिए।
  » रॉकेट लॉन्चर — त्वरित एंटी-सबमरीन प्रतिक्रिया हेतु।
  » उन्नत सोनार प्रणाली — पनडुब्बियों की सटीक पहचान और ट्रैकिंग में सक्षम।
- **संचालन भूमिका (Operational Role):** आईएनएस तारागिरी एक बहु-भूमिका स्टील्थ फ्रिगेट है, जो निम्न सभी कार्यों में सक्षम है :
  » गहरे समुद्र में संचालन
  » तटीय युद्ध
  » समुद्री निगरानी
  » नेटवर्क-आधारित समुद्री सुरक्षा
  » मानवीय सहायता एवं आपदा राहत
  » समुद्री डकैती रोध

रणनीतिक महत्व:

पहलू	महत्व
समुद्री सुरक्षा	हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नौसैनिक क्षमता को सशक्त करता है।
आत्मनिर्भरता	मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति।
बहु-भूमिका क्षमता	सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु सुरक्षा, निगरानी, आपदा राहत आदि में सक्षम।
आर्थिक लाभ	हजारों रोजगार तथा तकनीक का विस्तार।
निवारक क्षमता	पड़ोसी और दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भारत की शक्ति और उपस्थिति बढ़ती है।

निष्कर्ष:

आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक उन्नत, स्टील्थ, बहु-भूमिका फ्रिगेट है। यह न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि स्वदेशी रक्षा निर्माण, समुद्री प्रभुत्व, और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

डीआरडीओ की नई रॉकेट-स्लेड इजेक्शन टेस्ट प्रणाली

सन्दर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (RTRS) केंद्र में फाइटर विमान के इमरजेंसी एस्केप सिस्टम का उच्च गति वाला रॉकेट-स्लेड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

रॉकेट-स्लेड इजेक्शन टेस्ट क्या है?

- रॉकेट-स्लेड एक उच्च गति भूमि-आधारित परीक्षण प्रणाली है, जिसमें स्लेड को रेल पटरियों पर रॉकेट मोटरों द्वारा तेज गति से दौड़ाया जाता है। इसका उद्देश्य विमान की उड़ान के दौरान होने वाली वायुगतिकीय परिस्थितियों का वास्तविक अनुकरण करना होता है, ताकि इजेक्शन सीट जैसी सुरक्षा प्रणालियों का सुरक्षित परीक्षण किया जा सके।
- DRDO ने इस परीक्षण को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अंतर्गत स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) के अग्र-भाग को कई ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटरों की चरणबद्ध फायरिंग द्वारा लगभग 800 किमी/घंटा तक गति प्रदान की गई।
- पहले भारत को ऐसी डायनेमिक इजेक्शन टेस्ट के लिए विदेशी परीक्षण सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे लागत अधिक और समय में विलंब होता था। यह सुविधा भारत को उन सीमित देशों की श्रेणी में शामिल करती है जो आत्मनिर्भर रूप से उन्नत एयरोस्पेस सुरक्षा मूल्यांकन कर सकते हैं।
- यह उपलब्धि पायलट सुरक्षा बढ़ाने, स्वदेशी रक्षा तकनीकों को सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है

तकनीकी महत्व:

- यह गतिशील परीक्षण विमान की उड़ान-स्थितियों जैसे ऊँचाई में परिवर्तन, अत्यधिक (सुपरसोनिक) गति, उल्टी उड़ान तथा स्पिन को भूमि पर ही वास्तविक रूप में पुनः निर्मित करता है। आधुनिक इजेक्शन सीट में लगाए गए विस्फोटक कार्ट्रिज और रॉकेट मोटर मिलीसेकंड के भीतर पायलट को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकालते हैं।
- परीक्षण क्रम में पहले कैनोपी को हटाया जाता है, इसके तुरंत बाद इजेक्शन सीट बाहर निकलती है, हवा में स्थिर होती है और अंत में पैराशूट खुलता है।
- मानव-आकृति डमी में लगे सेंसर पायलट पर पड़ने वाले दबाव, झटकों और त्वरण से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े दर्ज करते हैं, जबकि ग्राउंड और ऑनबोर्ड कैमरों द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे सुरक्षा प्रणाली का वैज्ञानिक और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।

भारत के लिए सामरिक महत्व:

- यह परीक्षण भारत की वायु सुरक्षा और रक्षा तकनीक को कई स्तरों पर मजबूत करता है। इससे पायलट की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि यह उच्च गति और जटिल उड़ान स्थितियों में भी सुरक्षित इजेक्शन सुनिश्चित करता है।
- इस क्षमता के साथ भारत की विदेशी परीक्षण प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी, जिससे समय और लागत दोनों में 4–5 गुना तक बचत संभव है। यह प्रणाली भविष्य के लड़ाकू विमानों हेतु स्वदेशी इजेक्शन सीट और कैनोपी तंत्र में निरंतर सुधार तथा डिजाइन-अपग्रेड को सक्षम बनाती है।
- यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के सामरिक और तकनीकी सशक्तिकरण का संकेत देती है तथा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को गति प्रदान करती है।
- RTRS सुविधा इससे पूर्व गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट परीक्षण जैसे मानव सुरक्षा-केन्द्रित महत्वपूर्ण अभियानों में भी सफलतापूर्वक योगदान दे चुकी है।

निष्कर्ष:

डीआरडीओ (DRDO) का यह रॉकेट-स्लेड इजेक्शन परीक्षण भारत की

वायु सेना की सुरक्षा अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण विकास है। इससे पायलट की जीवन-रक्षा क्षमता बढ़ती है और भारत की एयरोस्पेस तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ समर्थन मिलता है। यह उपलब्धि रक्षा नवाचार, परिचालन तत्परता और वैश्विक एयरोस्पेस प्रतिस्पर्धा में भारत की प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट 'DSC A20'

संदर्भ:

भारतीय नौसेना ने 16 दिसंबर 2025 को कोच्चि में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट- DSC A20 को नौसेना में शामिल (कमीशन) कर लिया है। यह भारत में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) है।

डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) के बारे में:

- डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पाँच छोटे श्रेणी के विशेष डाइविंग सहायता जहाज़ों की एक श्रृंखला है, जिनका निर्माण टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- इन जहाज़ों को तटीय जल क्षेत्रों में होने वाले पानी के नीचे अभियानों, जैसे निरीक्षण, मरम्मत और सहायता कार्यों के प्रभावी समर्थन हेतु अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
- ये पोत कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम्स (CCDTs) की परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि जटिल और संवेदनशील अभियानों को सुरक्षित व कुशलता से अंजाम दिया जा सके।

सामान्य विशेषताएँ:

पैरामीटर	विवरण
प्रकार	डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट
विस्थापन	380 टन (370 लॉन्ग टन; 420 शॉर्ट टन)
लंबाई	30 मीटर
चौड़ाई (बीम)	12 मीटर
ड्राफ्ट	2.5 मीटर से कम
गति	12 नॉट
चालक दल	डाइविंग टीम
हथियार	1 × 12.7 मिमी SRCG

डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की विशेषताएँ:

- DSC A20 पाँच डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की श्रृंखला का पहला पोत है, जिसका निर्माण एम/एस टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL), कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना के लिए किया गया है।
- यह पोत तटीय जल क्षेत्रों में डाइविंग तथा अन्य पानी के नीचे होने वाले अभियानों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है और इसमें उच्चतम सुरक्षा एवं परिचालन मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक डाइविंग प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं।
- जहाज़ में कैटामरैन पतवार डिज़ाइन अपनाया गया है, जिससे बेहतर स्थिरता, अधिक डेक क्षेत्र और समुद्री परिस्थितियों में श्रेष्ठ संचालन क्षमता प्राप्त होती है। इसका कुल विस्थापन लगभग 390 टन है।
- यह पोत इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के नौसैनिक नियमों एवं मानकों के अनुरूप डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु इसका विस्तृत हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण और मॉडल परीक्षण नौसैनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), विशाखापत्तनम में किया गया।

रणनीतिक महत्त्व:

- DSC A20 का नौसेना में कमीशन होना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और यह समुद्री क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल की व्यावहारिक सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- यह पोत भारतीय नौसेना, स्वदेशी जहाज़ निर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के बीच प्रभावी एवं समन्वित सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके परिणामस्वरूप एक तकनीकी रूप से उन्नत, विशेष उद्देश्य वाला जहाज़ विकसित किया गया है।
- इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की डाइविंग सहायता, पानी के नीचे निरीक्षण, बचाव एवं सैल्वेज कार्य, तथा तटीय अभियानों से जुड़ी परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- DSC A20 की तैनाती कोच्चि में की जाएगी और यह दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत संचालित होगा।

निष्कर्ष:

डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट- DSC A20 का भारतीय नौसेना में कमीशन होना न केवल नौसेना की तकनीकी और परिचालन क्षमताओं को सशक्त

बनाता है, बल्कि स्वदेशी नौसैनिक निर्माण, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी नई मजबूती प्रदान करता है।

आईएनएएस 335 'ऑस्प्रे'

संदर्भ:

भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को गोवा स्थित आईएनएस हंसा में अपने दूसरे एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, आईएनएएस 335 (ओस्प्रे) को औपचारिक रूप से कमीशन कर लिया है। यह कार्यक्रम नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ। यह कमीशनिंग भारतीय नौसेना के नौसैनिक विमानन के निरंतर आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो समुद्री अभियानों की प्रभावशीलता और परिचालन क्षमता को उल्लेखनीय रूप मजबूत करती है।

पृष्ठभूमि:

- एमएच-60आर सीहॉक एक आधुनिक बहु-भूमिका समुद्री हेलीकॉप्टर है, जिसे अमेरिकी कंपनी सिकॉर्स्की द्वारा विकसित किया गया है, जो वर्तमान में लॉकहीड मार्टिन समूह का हिस्सा है। भारत ने इन हेलीकॉप्टरों की खरीद अमेरिका के साथ विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) व्यवस्था के अंतर्गत की है।
- इसका पहला स्क्वाड्रन, आईएनएएस 334, पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है, जो नौसैनिक विमानन क्षमता के निरंतर आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है।
- एमएच-60आर एक अत्यंत बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है, जो निम्नलिखित प्रमुख मिशनों में तैनात किया जा सकता है:
  - पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW)
  - एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW)
  - निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखना
  - खोज और बचाव (एसएआर)
  - चिकित्सा निकासी (MEDEVAC) और वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट (VERTREP)

आईएनएएस 335 'ऑस्प्रे' का रणनीतिक महत्व:

- **समुद्री सुरक्षा में सुदृढ़ता:** यह स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना की हवाई पनडुब्बी रोधी तथा बहु-भूमिका युद्ध क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से सशक्त करता है। इसके माध्यम से समुद्र के नीचे मौजूद संभावित खतरों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और विस्तृत समुद्री क्षेत्रों में निरंतर व सटीक निगरानी सुनिश्चित होती है। भारतीय महासागर क्षेत्र में बढ़ती बाहरी नौसैनिक उपस्थिति के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
- **बलों का आधुनिकीकरण:** आईएनएएस 335 की तैनाती भारतीय नौसेना के निरंतर आधुनिकीकरण की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिसके तहत उन्नत और आधुनिक विदेशी प्लेटफॉर्म को शामिल किया जा रहा है। अत्याधुनिक सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से युक्त एमएच-60आर हेलीकॉप्टर अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के साथ संचालन में बेहतर तालमेल स्थापित करता है तथा एक प्रभावी बल-गुणक के रूप में कार्य करता है।
- **ब्लू-वॉटर नौसैनिक क्षमता में वृद्धि:** स्वतंत्र रूप से तथा युद्धपोतों से संचालित होने में सक्षम ये उन्नत हेलीकॉप्टर भारत की दूरसमुद्री संचालन क्षमता को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के खतरों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लंबे समय तक चलने वाले नौसैनिक अभियानों को प्रभावी ढंग से सफल बनाने में संभव हो पाता है।
- **भारतीय महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति:** पनडुब्बी रोधी और बहु-भूमिका विमानन संसाधनों का विस्तार भारतीय महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित, स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के भारत के उद्देश्य को मजबूती प्रदान करता है। यह क्षेत्र न केवल वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक ढांचे के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आईएनएस हंसा के बारे में:

- गोवा स्थित आईएनएएस हंसा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु अड्डा है। यह लंबे समय से विभिन्न नौसैनिक वायु स्क्वाड्रनों की तैनाती और संचालन का केंद्र रहा है।
- भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर नौसैनिक वायु शक्ति के प्रभावी प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाता है। आईएनएएस 335 की कमीशनिंग के लिए गोवा का चयन पश्चिमी तट के रणनीतिक और परिचालन महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग:

- एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टरों की खरीद और उनकी तैनाती भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत होते रक्षा सहयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। ये हेलीकॉप्टर संयुक्त सैन्य अभ्यासों, तकनीकी सहयोग और रक्षा उपकरणों के आदान-प्रदान के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। इसके माध्यम से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संचालन संबंधी तालमेल, आपसी विश्वास और सामरिक

सहयोग को नई मजबूती मिलती है।

निष्कर्ष:

गोवा में आईएनएएस 335 'ऑस्प्रे' के रूप में दूसरे एमएच-60 आर सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमीशनिंग भारतीय नौसेना की विमानन क्षमता और समुद्री युद्धक तैयारियों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल भारत को एक जिम्मेदार और सक्षम समुद्री शक्ति के रूप में और अधिक सशक्त करती है, जो भारतीय महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, साथ ही प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती प्रदान करती है।

आईएनएस अंजदीप

सन्दर्भ:

भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं निर्मित पनडुब्बी-रोधी युद्ध उथले जल पोत (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट – ASW-SWC) आईएनएस अंजदीप को अपने बेड़े में सम्मिलित किया है। यह भारत की तटीय एवं निकट-तटीय (Littoral) समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाता है।

आईएनएस अंजदीप के बारे में:

- **प्रकार:** पनडुब्बी-रोधी युद्ध उथले जल पोत (ASW-SWC)
- **निर्माण स्थल:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता
- **डिज़ाइन:** भारतीय नौसेना के इन-हाउस डिज़ाइन संगठन द्वारा विकसित
- **वर्ग:** अर्नाला-वर्ग (GRSE द्वारा निर्मित संस्करण)
- **श्रृंखला:** भारतीय नौसेना के लिए नियोजित 16 ASW-SWC पोतों की श्रृंखला का हिस्सा
- **परिचालन भूमिका:** उथले एवं तटीय जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना

पनडुब्बी-रोधी युद्ध उथले जल पोत (ASW-SWC):

ASW-SWC श्रेणी के पोत उथले जल क्षेत्रों में परिचालन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए नई पीढ़ी के युद्धपोत हैं, जिन्हें तटीय एवं निकट-तटीय पनडुब्बी-रोधी अभियानों के लिए विकसित किया गया है।

- **पोत निर्माण कार्यक्रम**
  - **दो भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्माण:**
    - गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE): 8 पोत (अर्नाला-वर्ग)
    - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL): 8 पोत (माहे-वर्ग)
  - कुल नियोजित पोत: 16
- **डिज़ाइन एवं तकनीकी विशेषताएँ**
  - **लंबाई:** लगभग 77–78 मीटर
  - **चौड़ाई (बीम):** लगभग 10.5 मीटर
  - **प्रणोदन प्रणाली:**
    - डीज़ल इंजनों के साथ जल-जेट प्रणोदन
    - उथले जल क्षेत्रों में उच्च गतिशीलता और कुशल संचालन की क्षमता
  - **गति:** लिटोरल एवं निकट-तटीय वातावरण में लगभग 25 नॉट
- **युद्धक क्षमताएँ**
  - जल के भीतर निगरानी और लक्ष्य पहचान के लिए उन्नत सोनार प्रणालियाँ
  - **हथियार प्रणाली:**
    - हल्के भार वाले टॉरपीडो
    - स्वदेशी पनडुब्बी-रोधी रॉकेट
  - **बहु-भूमिका क्षमताएँ:**
    - पनडुब्बी-रोधी युद्ध
    - माइन बिछाने के अभियान
    - सीमित सतही एवं वायु रक्षा
    - तटीय क्षेत्रों में खोज एवं बचाव (SAR) मिशन

रणनीतिक महत्त्व:

- **तटीय पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करना:** यह पोत हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता को बढ़ाता है, विशेषकर उन उथले एवं तटीय जल क्षेत्रों में जहाँ बड़े युद्धपोतों की परिचालन सीमाएँ होती हैं।
- **नौसैनिक बेड़े का आधुनिकीकरण:** ASW-SWC पोत पुराने अभय-वर्ग के कार्वेट्स का स्थान लेते हुए आधुनिक, अधिक फुर्तीले और तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ावा:** इन पोतों में स्वदेशी सामग्री की उच्च मात्रा है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है तथा घरेलू शिपबिल्डिंग पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देती है।
- **स्तरीकृत समुद्री रक्षा प्रणाली:** ये पोत पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती

विमानों तथा बड़े सतही युद्धपोतों के साथ मिलकर एक मजबूत, बहु-स्तरीय तटीय रक्षा संरचना का निर्माण करते हैं।

- **महत्वपूर्ण समुद्री परिसंपत्तियों की सुरक्षा:** बंदरगाहों, हार्बरों, अपतटीय प्रतिष्ठानों तथा द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।

निष्कर्ष:

आईएनएस अंजदीप का नौसेना में शामिल होना तटीय सुरक्षा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन तथा समुद्री डोमेन जागरूकता पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाता है। ASW-SWC कार्यक्रम निकट-तटीय क्षेत्रों में उभरते जलमग्न खतरों से निपटने की भारतीय नौसेना की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करता है, जिससे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलती है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)

संदर्भ:

हाल के समय में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) प्रति माह लगभग 45,000 डेटा अनुरोधों को प्रोसेस कर रहा है। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच एजेंसियाँ और राज्य पुलिस रियल-टाइम इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पर पहले की तुलना में कहीं अधिक निर्भर होती जा रही हैं।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है?

- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक केंद्रीकृत इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म है, जो सुरक्षा और जांच से जुड़े मामलों में विभिन्न एजेंसियों के डेटाबेस को एकीकृत कर रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है।
- इसकी परिकल्पना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों (2008) के बाद की गई थी, जब एक एकीकृत इंटेलिजेंस तंत्र की आवश्यकता गहराई से महसूस हुई।
- यह प्रणाली 21 सरकारी एजेंसियों (जैसे बैंक, दूरसंचार, अप्रवासन, कराधान और सिक्योरिटीज) के डेटा को जोड़ने का उद्देश्य रखती है, ताकि आतंकवाद-रोधी प्रयासों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है और मुख्य रूप से इंटेलिजेंस तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की प्रमुख विशेषताएँ:

- **डेटा इंटीग्रेशन:** वित्तीय, दूरसंचार, यात्रा और संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड को कई सरकारी डेटाबेस से जोड़कर एकीकृत सूचना उपलब्ध कराता है।
- **रियल-टाइम एक्सेस:** महत्वपूर्ण सूचनाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, जिससे निर्णय-प्रक्रिया की गति और प्रभावशीलता बढ़ती है।
- **क्वेरी आधारित सिस्टम:** संबंधित एजेंसियां सिस्टम में पूछताछ (query) दर्ज करती हैं और प्लेटफ़ॉर्म बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा देता है।

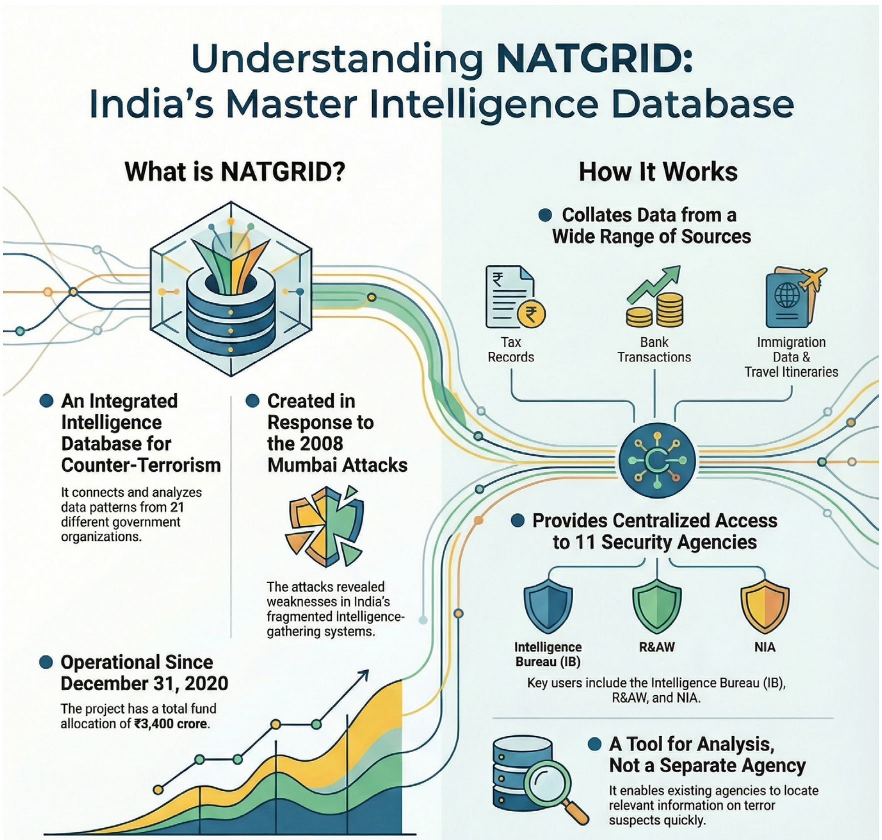

- **सुरक्षित ढांचा:** डेटा के दुरुपयोग या लीक को रोकने के लिए

अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का उपयोग करने वाली एजेंसियाँ शामिल हैं:

» खुफिया ब्यूरो (आईबी)
» केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
» प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
» राज्य पुलिस खुफिया शाखाएँ

- कुछ राज्यों ने अभी तक अपने इंटेलिजेंस डेटा को पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया है, जिसके कारण इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव सीमित हो जाता है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का महत्व:

- **आतंकवाद विरोधी:** संदिग्ध व्यक्तियों की समग्र प्रोफाइल तैयार करने में मदद करता है और आतंक फंडिंग, यात्रा गतिविधियों तथा संचार नेटवर्क की ट्रैकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **आपराधिक जांच:** वित्तीय अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध से जुड़े जटिल मामलों की परतें खोलने और उन्हें सुलझाने में प्रभावी सहायता प्रदान करता है।
- **सीमा सुरक्षा:** देश की सीमाओं पर संभावित सुरक्षा खतरों की निगरानी, विश्लेषण और पहचान को मजबूत बनाता है।
- **नीतिगत योजना:** समेकित इंटेलिजेंस सरकार को जोखिम मूल्यांकन, प्राथमिकताओं के निर्धारण और संसाधनों के प्रभावी आवंटन में मदद करती है।

चुनौतियाँ:

- **डेटा गोपनीयता चिंताएँ:** व्यापक डेटा एकीकरण नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है यदि इसकी कड़ी निगरानी न की जाए।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** इसकी वास्तविक क्षमता तभी सामने आएगी जब केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच निरंतर, सहज और विश्वसनीय सहयोग स्थापित होगा।
- **संचालन संबंधी सीमाएँ:** कुछ डेटाबेस अब भी पूर्ण रूप से उपलब्ध, अद्यतन या डिजिटाइज्ड नहीं हैं, जिससे सिस्टम की पहुंच और प्रभावशीलता बाधित होती है।
- **प्रशिक्षण की आवश्यकता:** डेटा को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने और विश्लेषण करने के लिए कर्मियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- अधिक व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कवरेज के लिए राज्य-स्तरीय इंटीग्रेशन को तेजी से आगे बढ़ाना।
- नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने हेतु साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुरक्षा तंत्र को और मजबूत व पारदर्शी बनाना।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नियमित क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नयन और विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देना।
- प्रणाली की प्रभावशीलता का समय-समय पर मूल्यांकन करना, ताकि बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक, समयोचित और उपयोगी इंटेलिजेंस आउटपुट सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष:

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भारत की इंटेलिजेंस संरचना को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि इसकी प्रगति धीरे-धीरे हो रही है, लेकिन इसका मौजूदा परिचालन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यदि इसके उपयोग को अधिक कुशल बनाया जाए और साथ ही मजबूत सुरक्षा तथा गोपनीयता उपाय लगातार सुनिश्चित किए जाएँ, तो आने वाले वर्षों में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का एक अत्यंत निर्णायक और रणनीतिक साधन बनकर उभर सकता है।

आकाश एनजी मिसाइल

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आकाश न्यू जेनरेशन (Akash NG) मिसाइल प्रणाली के यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स (UETs) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा इससे इस मिसाइल प्रणाली के शीघ्र ही सशस्त्र बलों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होता है।

आकाश एनजी मिसाइल के बारे में:

- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए विकसित आकाश एनजी, एक मध्यम दूरी की, मोबाइल सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक हवाई खतरों से प्रभावी रक्षा करना और वायु सेना की संचालन क्षमता को बढ़ाना है।

- आकाश एनजी, आकाश मार्क-I और आकाश प्राइम का उन्नत संस्करण है। इसके विकास को सितंबर 2016 में ₹470 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जो पूर्व में प्रयुक्त एयर-ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली की तुलना में अधिक हल्की, विश्वसनीय और प्रभावी है।
- इस प्रणाली में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) मल्टी-फंक्शन रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम (EOTS) तथा ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज शामिल हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर मिसाइल की सटीकता बढ़ाती हैं और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जामिंग व अन्य काउंटरमेजर्स से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

- आकाश एनजी एक साथ दस लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है तथा इसकी अधिकतम मारक दूरी 70–80 किलोमीटर है। यह उच्च दर से फायर करने में सक्षम है, जिसके अंतर्गत 20 सेकंड के भीतर तीन मिसाइलें दागी जा सकती हैं।
- आकाश एनजी को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह 20 मिनट से कम समय में परिवहन अवस्था से पूर्ण रूप से फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसमें कू-बैंड एक्टिव रडार सीकर लगाया गया है, जिसे 2023 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।
- उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर (ECCM) तकनीक के कारण यह कम रडार पहचान वाले लक्ष्यों को भी सभी मौसम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नष्ट करने में सक्षम है। इन विशेषताओं के कारण आकाश NG भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और सशक्त घटक बनती है।

महत्व:

- **मजबूत वायु रक्षा क्षमता:** लंबी मारक दूरी, तीव्र प्रतिक्रिया समय और एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेदने की क्षमता के कारण आकाश एनजी भारत की वायु रक्षा प्रणाली को विमानों, ड्रोन तथा मिसाइल खतरों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी बनाती है।
- **स्वदेशी तकनीकी सामर्थ्य:** यह प्रणाली पूर्णतः देश में विकसित और निर्मित की गई है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी शामिल है। यह उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उदाहरण है।
- **रणनीतिक प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि:** इसकी उच्च गतिशीलता, त्वरित तैनाती और परिचालन लचीलापन सीमा सुरक्षा, वायु क्षेत्र की निगरानी तथा क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करता है।
- **तकनीकी बढ़त और भविष्य-तत्परता:** एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार, कू-बैंड सीकर और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणालियों का एकीकृत उपयोग इसे अधिक सटीक, सुरक्षित और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रणालियों के लिए पूर्णतः उपयुक्त बनाता है।

निष्कर्ष:

यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल्स की सफलता और आकाश एनजी का जल्द सेना में शामिल होना 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मजबूत करता है। यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देता है और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करता है। बेहतर गतिशीलता, अधिक मारक दूरी और तेज प्रतिक्रिया क्षमता के साथ आकाश एनजी ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और तेज रफ्तार विमानों जैसे आधुनिक हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करता है। कुल मिलाकर, यह प्रणाली भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा तैयारी की स्पष्ट झलक है।

ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS)

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया है। यह कदम भारत की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों और समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा को अधिक संगठित, प्रभावी और समन्वित बनाना है।

समर्पित पोर्ट सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता:

- पूर्व में भारत में बंदरगाह और तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ भारतीय

नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य समुद्री पुलिस तथा बंदरगाह प्राधिकरण जैसी अनेक एजेंसियों में विभाजित थीं।

- यह बहु-एजेंसी व्यवस्था संचालन की दृष्टि से सक्षम थी, किंतु किसी एक केंद्रीय वैधानिक नियामक के अभाव में समन्वय की कमी, अधिकार क्षेत्रों का अतिव्यापन तथा सुरक्षा मानकों के असमान क्रियान्वयन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं।
- इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना एक नोडल नियामक प्राधिकरण के रूप में की, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के समान भूमिका निभाते हुए पोर्ट सुरक्षा को एकीकृत, मानकीकृत और अधिक प्रभावी बनाने का कार्य करता है।

ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में:

- ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 की धारा 13 के अंतर्गत की गई है तथा इसका प्रशासनिक नियंत्रण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है।
- इसकी प्रकृति नियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक है और यह एक गैर-संचालनात्मक संस्था के रूप में प्रमुख एवं गैर-प्रमुख बंदरगाहों, जहाज़ों तथा समुद्री अवसंरचना पर लागू होती है।
- BoPS का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण, सुरक्षा मानकों का निर्धारण, अनुपालन सुनिश्चित करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तथा निगरानी करना है, जबकि फील्ड-स्तरीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित संचालन एजेंसियाँ निभाती हैं।
- यह पारंपरिक एवं उभरते समुद्री खतरों जैसे समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन, समुद्री डकैती, अवैध शिकार तथा बंदरगाह-संबंधी संगठित अपराधों से निपटने पर केंद्रित है। साथ ही, आधुनिक बंदरगाहों की डिजिटल निर्भरता को देखते हुए, BoPS राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से बंदरगाहों की सूचना एवं परिचालन प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अंतरराष्ट्रीय दायित्व:

- ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) यह सुनिश्चित करता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय जहाज़ और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा संहिता" का अनुपालन करे, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार से जुड़े बंदरगाहों और जहाज़ों के लिए न्यूनतम वैश्विक सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।

पोर्ट सुरक्षा में CISF की भूमिका:

- पोर्ट सुरक्षा के संदर्भ में, BoPS ढाँचे के अंतर्गत "केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल" को एक मान्यता-प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया गया है। इसके तहत CISF की प्रमुख जिम्मेदारियों में मानकीकृत पोर्ट सुरक्षा योजनाओं का निर्माण, सुरक्षा आकलन करना तथा बंदरगाहों पर तैनात निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

CISF की प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

- मानकीकृत पोर्ट सुरक्षा योजनाओं का निर्माण
- सुरक्षा आकलन करना
- बंदरगाहों पर तैनात निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देना

रणनीतिक महत्व:

- रणनीतिक महत्व की दृष्टि से, BoPS की स्थापना मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप है। यह विश्व-स्तरीय बंदरगाह अवसंरचना के विकास, हरित और दक्ष शिपिंग को बढ़ावा देने, सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्ग सुनिश्चित करने तथा इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा ढाँचे में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने से संबंधित लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

भारत का समुद्री और तटीय परिदृश्य:

- भारत का समुद्री और तटीय परिदृश्य इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक है, जिससे समुद्री सुरक्षा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
- वर्ष 2025 तक भारत में केंद्र सरकार के अधीन 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जबकि 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह मौजूद हैं, जिनमें से 66 बंदरगाहों पर कार्गो संचालन होता है। प्रमुख बंदरगाह भारत के कुल समुद्री कार्गो यातायात का 50 प्रतिशत से अधिक संभालते हैं।

निष्कर्ष:

ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना भारत की समुद्री सुरक्षा शासन व्यवस्था को संस्थागत, समन्वित और भविष्य-उन्मुख बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए, BoPS भारत की बढ़ती समुद्री अवसंरचना को पारंपरिक एवं उभरते खतरों से सुरक्षित रखने की क्षमता को मजबूत करता है। हालाँकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता सहकारी संघवाद, उन्नत तकनीकी एकीकरण तथा संचालन एजेंसियों के साथ निर्बाध समन्वय पर निर्भर करेगी।

सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से एकीकृत किया

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) से एकीकृत किया है। इस एकीकरण से कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों को उपलब्ध डेटा का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। अब अधिकृत एजेंसियाँ एक सुरक्षित खुफिया मंच के माध्यम से लगभग 119 करोड़ निवासियों से जुड़े जनसांख्यिकीय और परिवार-स्तरीय विवरणों तक पहुँच बना सकेंगी।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के बारे में:

- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) एक सुरक्षित और केंद्रीकृत डेटा-साझाकरण मंच है, जिसे आतंकवाद-रोधी और आपराधिक जांच के लिए विभिन्न सरकारी तथा कुछ चयनित निजी डेटाबेस से रियल-टाइम सूचना उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया है।
- इसकी परिकल्पना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी, ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया समन्वय को मज़बूत किया जा सके और सूचना प्राप्ति में होने वाली देरी को कम किया जा सके।
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड से पहले, एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु अलग-अलग विभागों को औपचारिक अनुरोध भेजने पड़ते थे।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर:

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) एक डेटाबेस है, जिसका प्रबंधन रजिस्टॉर जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसमें भारत के निवासियों से संबंधित व्यक्तिगत तथा परिवार-स्तरीय विवरण शामिल होते हैं।
- इसे पहली बार 2011 की जनगणना के दौरान संकलित किया गया था तथा 2015 में अंतिम बार अद्यतन किया गया। यह लगभग 119 करोड़ निवासियों को शामिल करता है और पहचान सत्यापन (Identity Validation) एवं सार्वजनिक योजना निर्माण के लिए एक आधारभूत डेटासेट के रूप में कार्य करता है।

एकीकरण की प्रमुख विशेषताएँ:

- **विस्तारित डेटा पहुँच:** अब पुलिस और जांच एजेंसियाँ राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के रिकॉर्ड तक रियल-टाइम पहुँच बना सकती हैं। इसमें घर-स्तरीय (Household-Level) और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल हैं, जो जांच और खुफिया विश्लेषण में सहायक होंगे।
- **व्यापक एजेंसी कवरेज:** पहले राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की पहुँच मुख्यतः कुछ केंद्रीय एजेंसियों तक सीमित थी। इस एकीकरण के बाद राज्य पुलिस बलों, विशेषकर पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी इस प्रणाली के उपयोग की अनुमति दी गई है।
- **उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण:** राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड में गांडीव (Gandiva) जैसे उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो डेटा एनालिटिक्स, एंटिटी रेज़ोल्यूशन तथा संभावित रूप से फेसियल रिकॉग्निशन जैसी क्षमताएँ प्रदान करते हैं।

महत्व:

- **जांच प्रक्रिया में सुधार:** यह एकीकरण एजेंसियों को व्यक्तियों की पहचान, पारिवारिक कड़ियों (Family Linkages) की ट्रैकिंग तथा विभिन्न खुफिया डेटासेट्स के बीच सहसंबंध स्थापित करने में सहायता करता है, जिससे आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा-पार अपराधों की जांच तेज़ होती है।
- **आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण:** जनसांख्यिकीय डेटा को यात्रा, दूरसंचार और वित्तीय लेन-देन डेटासेट्स से जोड़कर राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को और मज़बूत बनाता है।

चिंताएँ और सुरक्षा उपाय:

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच से गोपनीयता और डेटा संरक्षण (Data Protection) से जुड़ी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। स्पष्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑडिट ट्रेल और दुरुपयोग रोकने हेतु सख़्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।
- **कानूनी और संस्थागत ढांचा:** वर्तमान में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड किसी समर्पित संसदीय क़ानून के बजाय कार्यकारी आदेशों के आधार पर संचालित हो रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और विधायी निगरानी से जुड़े प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का यह एकीकरण भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। जहाँ यह तेज़ और डेटा-आधारित खुफिया प्रणाली को सशक्त करता है, वहीं इसके साथ-साथ मज़बूत डेटा संरक्षण क़ानून, प्रभावी निगरानी तंत्र और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी)

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित दो-दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन–2025 के दौरान देश का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी) की शुरुआत की। यह ऐतिहासिक पहल विभिन्न राज्यों में सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क की पहचान, जांच और उनके उन्मूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन का संकेत देती है।

संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी) के बारे में:

- ओसीएनडी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उन्नत विश्लेषणात्मक मंच है, जिसे विभिन्न राज्यों और एजेंसियों से संबंधित संगठित अपराध के डेटा को त्वरित रूप से जोड़ने, समेकित करने तथा उसका गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- यह राज्य पुलिस बल एवं 'राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड' के सहयोग से 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी' द्वारा विकसित किया गया।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **एकीकृत राष्ट्रीय भंडार:** यह विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्राथमिकी, आरोप पत्र, अपराधियों की फाइलें और अन्य आपराधिक रिकॉर्ड को एक ही खोज योग्य प्रणाली में जोड़ता है।
  - **तत्काल खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा:** जांच एजेंसियाँ और प्रवर्तन संस्थान देशभर की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रश्न प्रणाली:** अधिकारी सामान्य भाषा में प्रश्न पूछकर जटिल संगठित अपराध नेटवर्क और अपराधी प्रोफाइल का विश्लेषण कर सकते हैं।
  - **बायोमेट्रिक एवं फॉरेंसिक उपकरण:** इसमें आवाज़ मिलान और उंगलियों के निशान से जुड़ा डेटा शामिल है, जिससे संदिग्धों की पहचान अधिक सटीक हो जाती है।
  - **केंद्रीय समन्वय व्यवस्था:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय समन्वयक की भूमिका निभाते हुए सत्यापित और कार्रवाई-योग्य खुफिया सूचना का प्रसार सुनिश्चित करती है।

ओसीएनडी क्यों महत्वपूर्ण है?

- ओसीएनडी से पूर्व संगठित अपराध से संबंधित खुफिया जानकारी विभिन्न राज्यों और एजेंसियों में बिखरी हुई थी, जिसका लाभ उठाकर अपराधी गिरोह प्रशासनिक सीमाओं के पार अपनी गतिविधियाँ संचालित करते थे।
- यह एकीकृत डेटाबेस इन संरचनात्मक खामियों को दूर करता है और देशभर में वास्तविक समय में उपयोगी एवं कार्रवाई-योग्य जानकारी उपलब्ध कराता है।
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के माध्यम से विभिन्न रिकॉर्ड को जोड़कर ओसीएनडी पहले से अलग-अलग उपलब्ध डेटा को एक साझा विश्लेषणात्मक मंच पर लाता है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और गहन जांच संभव होती है।

महत्व और प्रभाव:

- ओसीएनडी की शुरुआत पारंपरिक एवं बिखरी हुई पुलिसिंग व्यवस्था से आगे बढ़कर तकनीक आधारित तथा खुफिया जानकारी पर केंद्रित जांच प्रणाली की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे अपेक्षा की जाती है कि:
  - जांच प्रक्रियाओं में होने वाली देरी तथा सूचना की असमानता में कमी आएगी।
  - विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और वास्तविक समय में खतरे का आकलन संभव हो सकेगा।
  - संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के आपसी संबंधों की पहचान करने तथा उन्हें प्रभावी रूप से बाधित करने की क्षमता सुदृढ़ होगी।

संगठित अपराध के बारे में:

- संगठित अपराध से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित और लगातार किए जाने वाले आपराधिक कृत्यों से है, जिन्हें किसी समूह द्वारा आर्थिक या भौतिक लाभ के उद्देश्य से अंजाम दिया जाता है।
- इनमें हिंसा, धमकी, दबाव, भ्रष्टाचार और अन्य अवैध तरीकों का उपयोग शामिल है। ये गतिविधियाँ अक्सर भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं को पार करती हैं और सिस्टमैटिक योजना एवं समन्वय के माध्यम से संचालित होती हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 के अनुसार, संगठित अपराध को निरंतर अवैध गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अपहरण, लूट, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, हथियार या अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी शामिल हैं, जिन्हें किसी समूह द्वारा मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अंजाम दिया जाता है।

पावर पैक्ड न्यूज

पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित

- भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित पार्वती-अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) घोषित किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी दी।
- यह अभयारण्य लगभग 1,084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और गोंडा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें पार्वती और अर्गा नामक दो महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं, जो लगभग 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। यह क्षेत्र मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रमुख शीतकालीन आवास है।
- प्रत्येक सर्दी में यहाँ 40,000 से अधिक प्रवासी जलपक्षी आते हैं, जबकि बैंगनी मूरहेन, दलदली मुर्गी तथा राज्य पक्षी सारस क्रेन जैसे स्थानीय पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ जिम्मेदार पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है।

पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनीं

- भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को 2026–2029 कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इस भूमिका के साथ वे BWF परिषद की सदस्य भी होंगी, जिससे खिलाड़ियों को वैश्विक निर्णय-निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी मिलेगी।
- सिंधु का चयन साथी खिलाड़ियों द्वारा किया गया, जो उनके नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय अनुभव पर विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष, इंडोनेशिया की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ग्रेसिया पोली (2021–2025) के योगदान की सराहना की।
- सिंधु 2017 से BWF एथलीट्स कमीशन से जुड़ी हैं और 2020 से इंटीग्रिटी एंबेसडर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। रियो 2016 ओलंपिक में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली सिंधु भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं। यह नियुक्ति भारतीय खेल कूटनीति के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत

- हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग (Industrial Hemp) की खेती को वैध रूप से शुरु कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु ने 'ग्रीन टू गोल्ड' पहल के तहत 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की घोषणा की।
- इस पहल का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थ व्यापार से हटकर भांग को जैव-अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना है। औद्योगिक भांग का उपयोग वस्त्र, कागज, पैकेजिंग, सौंदर्य प्रसाधन, जैव-ईंधन और औषधीय उद्योगों में किया जाएगा। राज्य में अनुमत खेती में THC की मात्रा 0.3% से कम रखी जाएगी, जिससे यह नशीले उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
- यह फसल जलवायु-प्रतिरोधी है और कपास की तुलना में लगभग 50% कम पानी की आवश्यकता होती है। पालमपुर स्थित CSK HPKV और नौनी के डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। 'हेम्प-हब' की परिकल्पना राज्य को हेम्पक्रीट जैसे हरित निर्माण पदार्थों का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापार में सभी टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त

- 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया की सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए आयात शुल्क शून्य हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस घोषणा को भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) की तीसरी वर्षगांठ से जोड़ा।

- इस समझौते से श्रम-प्रधान क्षेत्रों, MSMEs, किसानों और श्रमिकों को व्यापक लाभ मिलेगा। 2024–25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 8% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात में 16% की वृद्धि हुई।
- ECTA पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता विनिर्माण, रसायन, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है।
- उल्लेखनीय है कि भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध 1941 में प्रारंभ हुए और 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे। यह निर्णय भारत की व्यापार विविधीकरण रणनीति को सुदृढ़ करता है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन

- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर को 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें 23 नवंबर को हृदय और फेफड़ों की गंभीर समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने दो कार्यकाल (1991–1996 तथा 2001–2006) तक देश का नेतृत्व किया। वे बेनजीर भुट्टो के बाद मुस्लिम विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी थीं। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थीं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश के विकास और भारत–बांग्लादेश संबंधों में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। उनका निधन बांग्लादेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत के रूप में देखा जा रहा है।

स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए

- भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय और कुल चौथी महिला खिलाड़ी बनी हैं।
- यह उपलब्धि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के चौथे मैच में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हासिल की। इसके साथ ही वे मिताली राज, सूज़ी बेट्स और शार्लेट एडवर्ड्स जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गईं।
- मंधाना ने टेस्ट क्रिकेट में 57.18 के औसत से 629 रन, वनडे में 5,322 रन और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4,102 रन बनाए हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में वे ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के बराबर (17 शतक) पहुँच गई हैं।
- यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी रेखांकित करती है।

जम्मू–कश्मीर में देश का पहला 'जनरेशन जेड डाकघर' शुरू

- भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर में देश का पहला 'जनरेशन जेड डाकघर' स्थापित किया है। यह डाकघर भारतीय डाक विभाग द्वारा 17 दिसंबर 2025 को एम्स विजयपुर परिसर में शुरू किया गया। यह पहल डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और युवा पीढ़ी की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जनरेशन जेड डाकघर को विशेष रूप से युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ डिजिटल भुगतान, त्वरित सेवा वितरण और ग्राहक-अनुकूल वातावरण पर जोर दिया गया है। यहाँ डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ एक ही स्थान पर एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएँगी।
- इस पहल का उद्देश्य डाकघरों को पारंपरिक सेवा केंद्रों से आगे बढ़ाकर प्रौद्योगिकी-सक्षम, आधुनिक और युवा-आकर्षक सार्वजनिक सेवा संस्थानों में परिवर्तित करना है। यह कदम "डिजिटल इंडिया" और नागरिक-केंद्रित शासन की भावना के अनुरूप माना जा रहा है तथा इससे डाक सेवाओं की पहुँच और प्रासंगिकता दोनों में वृद्धि होगी।

इज़राइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता

- इज़राइल ने 26 दिसंबर 2025 को सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की। इस कदम के साथ इज़राइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा।
- सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को बधाई देते हुए नेतन्याहू ने इस निर्णय को अब्राहम समझौते की भावना के अनुरूप बताया। इस अवसर पर पारस्परिक मान्यता से संबंधित एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
- सोमालीलैंड, अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित एक स्व-घोषित लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमान्य राज्य है, जिसकी राजधानी हरगेइसा है। यह निर्णय क्षेत्रीय भू-राजनीति, लाल सागर की सामरिक सुरक्षा और मध्य-पूर्व-अफ्रीका संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है।

अगरबत्तियों के लिए नया BIS मानक

- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अगरबत्तियों के लिए एक नया भारतीय मानक IS 19412:2025 – अगरबत्ती (विनिर्देश) जारी किया है। यह मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, घर के भीतर की वायु गुणवत्ता तथा उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना है।
- नए मानक के तहत एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे कीटनाशकों तथा बेंजाइल साइनाइड और एथिल एक्रिलेट जैसे कृत्रिम सुगंधित रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- मानक के अनुसार अगरबत्तियों को मशीन-निर्मित, हस्तनिर्मित और पारंपरिक मसाला अगरबत्तियों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। IS 19412:2025 के अनुरूप उत्पादों पर BIS मानक चिह्न अंकित होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक है, जिसका वार्षिक उद्योग मूल्य लगभग ₹8,000 करोड़ है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

- 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2025 में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को यह सम्मान दिया गया।
- आगरा के नौ वर्षीय अजय राज को मगरमच्छ के हमले से अपने पिता को बचाने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि महाराष्ट्र के अर्नव अनुप्रिया महर्षि को स्वास्थ्य नवाचारों के लिए पुरस्कार मिला। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 क्रिकेट में उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया।
- ये पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए गए। यह दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है।
- यह पुरस्कार 1996 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और प्रत्येक विजेता को पदक, ₹1 लाख नकद राशि व प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

ओमान का पहला पॉलिमर रियाल नोट

- ओमान के केंद्रीय बैंक ने देश का पहला पॉलिमर-आधारित एक-रियाल का नोट जारी किया है। यह नोट 11 जनवरी 2026 से प्रचलन में आएगा और मौजूदा कागजी नोटों के साथ वैध रहेगा।

- पॉलिमर मुद्रा को अधिक टिकाऊ, स्वच्छ तथा नकली नोटों से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अपनाया गया है। 145 × 76 मिमी आकार के इस नोट में उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ सम्मिलित हैं। इसके अग्रभाग पर ओमान वनस्पति उद्यान को दर्शाया गया है, जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- पृष्ठभाग पर सैय्यद तारिक बिन तैमूर सांस्कृतिक परिसर, दुक्म बंदरगाह और रिफाइनरी का चित्रण किया गया है। नोट में पारदर्शी खिड़की, रंग-बदलने वाली पन्नी और इंद्रधनुषी स्याही जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकें शामिल हैं। इसके साथ ही, सीमित संख्या में संग्राहक संस्करण ओमान डाक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG) के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किया गया। ये खेल 14 फरवरी 2026 से आयोजित किए जाएंगे और विशेष रूप से आदिवासी एथलीटों पर केंद्रित हैं।
- आधिकारिक शुभंकर 'मोरवीर' छत्तीसगढ़ी संस्कृति से प्रेरित है। 'मोर' का अर्थ "हमारा" और 'वीर' साहस का प्रतीक है। यह भारत के आदिवासी समुदायों के गौरव और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इन खेलों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा आधार को सुदृढ़ बनाना है।
- इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तैराकी और भारोत्तोलन सहित सात प्रतिस्पर्धी खेलों के साथ दो पारंपरिक स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए हैं। यह पहल खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है।

संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया। यह संस्करण ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया है, जो इस वर्ष अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रही है।
- राष्ट्रपति ने इसे भाषाई समावेशन और आदिवासी पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आदिवासी कल्याण और भाषाओं को बढ़ावा देने में निभाई गई भूमिका को भी स्मरण किया।
- संथाली भाषा को संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में व्यापक रूप से बोली जाती है। संथाली में संविधान का प्रकाशन भारत की बहुभाषी लोकतांत्रिक भावना और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक

- सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator – FRI) के उपयोग से केवल छह महीनों में लगभग ₹660 करोड़ के संभावित साइबर धोखाधड़ी नुकसान को रोकने में सफलता हासिल की है।
- यह संकेतक एक जोखिम आधारित तंत्र है, जिसके माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबरों और वित्तीय लेन-देन को मध्यम, उच्च और अत्यंत उच्च जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को समय रहते सतर्क होकर लेन-देन रोकने में मदद मिलती है।
- अब तक 1,000 से अधिक बैंक, तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता और भुगतान प्रणाली संचालक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इस पहल को भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का सक्रिय समर्थन प्राप्त है।

- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है, जो दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।

असम में 'ज्योति–बिष्णु अंतरराष्ट्रीय कला मंदिर' का उद्घाटन

- 29 दिसंबर 2025 को असम में ज्योति–बिष्णु अंतरराष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह आधुनिक सांस्कृतिक परिसर असम और पूर्वोत्तर भारत की कला, संस्कृति और रचनात्मक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तथा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहे। इस कला मंदिर का नाम असम के महान सांस्कृतिक प्रतीकों ज्योतिप्रसाद अगरवाला और बिष्णुप्रसाद राभा के सम्मान में रखा गया है।
  - » ज्योतिप्रसाद अगरवाला- वे असमिया सिनेमा के जनक, कवि, नाटककार और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने असम की आधुनिक सांस्कृतिक चेतना को दिशा दी।
  - » बिष्णुप्रसाद राभा- वे बहुआयामी कलाकार, कवि, संगीतज्ञ और जननेता थे, जिन्हें असम की लोक-संस्कृति और सामाजिक चेतना का प्रतीक माना जाता है।
- लगभग 5,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह परिसर संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म प्रदर्शन, सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सवों के आयोजन के लिए सुसज्जित है। यह पहल पूर्वोत्तर को सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्थानीय कलाकारों को वैश्विक पहचान मिलने की संभावना है।

श्रीलंका के लिए भारत का 45 करोड़ डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज

- भारत ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए 45 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 23 दिसंबर को कोलंबो यात्रा के दौरान की।
- इस पैकेज में 35 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण लाइन और 1 करोड़ डॉलर का अनुदान शामिल है। यह सहायता चक्रवात दितवाह से क्षतिग्रस्त सड़क, रेल और पुलों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण में उपयोग की जाएगी।
- भारत की यह पहल उसकी 'पड़ोसी पहले' और 'महासागर' नीतियों के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय सहायता पर बल देती हैं। इसके अतिरिक्त, 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारत ने राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति भी भेजी थी। भारत ने श्रीलंका में पर्यटन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। यह पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।
- 2025 का संस्करण इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था, जिसमें चार श्रेणियां, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल थीं।
- विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को प्रदान किया गया, जिन्होंने होयल-नार्लीकर सिद्धांत विकसित किया था। आठ वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री, जबकि 14 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान टीम पुरस्कार सीएसआईआर की अरोमा मिशन टीम को मिला।
- ये पुरस्कार देश में वैज्ञानिक शोध और नवाचार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन

- हिंदी साहित्य के वरिष्ठ लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का 23 दिसंबर 2025 को रायपुर में निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे और पिछले पांच दशकों से साहित्यिक लेखन में सक्रिय थे।
- विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 'नौकर की कमीज' और काव्य संग्रह 'लगभग जय हिंद' ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। उनकी रचनाओं में साधारण जीवन की गहराई, मानवीय संवेदना और सूक्ष्म व्यंग्य का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है।
- वर्ष 2023 में वे अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन/नाबोकोव पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक बने। 2024 में उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं।
- विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं ने भारतीय साहित्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और पाठकों में एक नई चेतना का संचार किया। उनका निधन हिंदी साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

इसरो का एलवीएम3-एम6 मिशन: ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 का सफल प्रक्षेपण

- इसरो ने श्रीहरिकोटा से एलवीएम3-एम6 रॉकेट के माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। उपग्रह को उसकी निर्धारित निम्न पृथ्वी कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया।
- यह मिशन भारत के लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3) का छठा परिचालन प्रक्षेपण था, जिसे पहले जीएसएलवी एमके-III के नाम से जाना जाता था।
- लगभग 6,100 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड ब्लॉक-2, एलवीएम3 द्वारा ले जाया गया जो अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया है।
- यह उपग्रह अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित किया गया है और अगली पीढ़ी के उपग्रह समूह का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष-आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। यह उपलब्धि भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करती है।

सिडनी के बॉन्डी बीच में आतंकी हमला और चिंतन दिवस

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 14 दिसंबर, 2025 को सिडनी के बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 दिसंबर, 2025 को 'चिंतन दिवस' (Day of Reflection) घोषित किया। यह हमला हनुक्का (Hanukkah) उत्सव के दौरान यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें 15 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और 40 से अधिक लोग घायल हुए।
- एकजुटता दिखाने के लिए सरकारी इमारतों को पीले रंग की रोशनी से रोशन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज आधे झुकाए गए।
- ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इस दिन को नफरत के खिलाफ एकजुटता और समुदाय के घावों को भरने के एक प्रयास के रूप में परिभाषित किया। बॉन्डी क्षेत्र में इससे पहले अप्रैल 2024 में भी एक सामूहिक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक सुरक्षा नीतियों पर नई बहस छेड़ दी है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में का पहला वन विश्वविद्यालय

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देकर पर्यावरणीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह विश्वविद्यालय गोरखपुर जिले में 125 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय अधिनियम का मसौदा कैबिनेट

की मंजूरी से पहले अंतिम समीक्षा में है।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में अहम पहल बताया है। विश्वविद्यालय में वन विज्ञान, वन्यजीव संरक्षण, कृषि वानिकी, बागवानी और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की पर्यावरणीय क्षमता में दीर्घकालिक वृद्धि होगी।

प्रख्यात भारतीय मूर्तिकार राम सुतार का निधन

- प्रख्यात भारतीय मूर्तिकार राम सुतार का 17 दिसंबर 2025 को नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे और लंबे समय से वृद्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें मूर्तिकला के प्रति गहरी रुचि थी।
- राम सुतार मुंबई के प्रतिष्ठित जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्वर्ण पदक विजेता रहे। वे सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के डिजाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। संसद परिसर में स्थापित महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं भी उनकी उल्लेखनीय कृतियों में शामिल हैं।
- कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म श्री, 2016 में पद्म भूषण तथा हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति-निर्वाचित

- 14 दिसंबर, 2025 को हुए 'रन-ऑफ' चुनाव में दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के नेता जोस एंटोनियो कास्ट ने 58.16% वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने वामपंथी उम्मीदवार और पूर्व श्रम मंत्री जेनेट जारा को हराया, जिन्हें 41.84% वोट मिले। वह 11 मार्च, 2026 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे और वर्तमान राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक का स्थान लेंगे।
- कास्ट का चुनावी अभियान मुख्य रूप से सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर केंद्रित था। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और करों में कटौती जैसे वादे किए हैं।
- यह 1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद चिली का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। उनकी जीत को लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा के पुनरुत्थान के रूप में देखा जा रहा है।

सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय

- उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय सुवरन मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने तमिल संस्कृति, भाषा और विरासत के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा काशी तमिल संगमम जैसी पहलों का उल्लेख किया।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह डाक टिकट तमिल इतिहास के महान राजाओं और नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से, पेरुम्बिडुगु मुथारैयार प्राचीन तमिलनाडु के प्रसिद्ध शासकों में गिने जाते हैं। वे पल्लवों के सामंत मुथारैयार वंश से संबंधित थे, जिसने 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तमिलनाडु के मध्य क्षेत्रों पर शासन किया।
- सुवरन मारन को 'शत्रुभयंकर' की उपाधि प्राप्त थी। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, बाद में विजयालय चोल द्वारा तंजावुर पर विजय के साथ मुथारैयारों का पतन हुआ। यह पहल भारत की बहुलतावादी ऐतिहासिक चेतना को सुदृढ़ करती है।

भारतीय फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर 2026 में शामिल

- भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। यह फिल्म उन 15 फिल्मों में शामिल है, जो ऑस्कर 2026 के अंतिम नामांकन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुकी हैं। फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है।
- अकादमी द्वारा जारी यह शॉर्टलिस्ट विश्व के विभिन्न देशों की चुनिंदा फिल्मों को शामिल करती है और अंतिम नामांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। चयनित श्रेणियों के लिए अंतिम नामांकनों की घोषणा 22 जनवरी 2026 को की जाएगी, जबकि 98वां अकादमी पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2026 को आयोजित होगा।
- 'होमबाउंड' का इस सूची में शामिल होना भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक और कथात्मक क्षमता को दर्शाता है। यह चयन भारतीय समानांतर और सामाजिक यथार्थवादी सिनेमा की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी रेखांकित करता है।

राज कुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली

- राज कुमार गोयल ने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें केंद्रीय सूचना आयोग में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- राज कुमार गोयल 1990 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और वे 31 अगस्त को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी सेवाएँ दीं।
- आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

स्क्वैश विश्व कप में भारत ने जीता स्वर्ण पदक

- भारत ने 14 दिसंबर को हांगकांग को 3–0 से हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार था जब फाइनल दो एशियाई देशों के बीच खेला गया। यह जीत भारत का स्क्वैश विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।
- फाइनल में जोशना चिनप्पा ने का यी ली को चार गेम के कड़े मुकाबले में हराकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद अभय सिंह ने मौजूदा एशियाई चैंपियन एलेक्स लाउ को सीधे गेमों में पराजित किया। निर्णायक मुकाबले में युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मात्र 16 मिनट में टोमैटो हो को हराकर खिताब भारत के नाम कर दिया।
- कोच हरिंदर सिंह ने इसे दबाव में टीम की परिपक्वता का परिणाम बताया। यह टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार चेन्नई के एसडीएटी स्टेडियम में आयोजित हुआ।

'कोल सेतु' नीति

- कोयला संसाधनों की निष्पक्ष उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 'कोल सेतु' नीति को मंजूरी दी है। इस नीति को 12 दिसंबर 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (NRS) कोयला लिंकेज नीलामी नीति में एक नई अलग विंडो जोड़ती है।
- कोल सेतु के तहत, कोयले की आवश्यकता रखने वाला कोई भी घरेलू खरीदार, अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना, लिंकेज नीलामी में भाग ले सकता है। इस विंडो के माध्यम से प्राप्त कोयले का उपयोग स्वयं के उपभोग, निर्यात या कोयला धुलाई जैसे उद्देश्यों के लिए किया

जा सकता है। हालांकि, इस कोयले को देश के भीतर पुनर्विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

- नीति के अनुसार, लिंकेज धारक अपने आवंटित कोयले का 50 प्रतिशत तक निर्यात कर सकते हैं। इससे औद्योगिक लचीलापन बढ़ेगा, कोयला आवंटन में पारदर्शिता आएगी और भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल बनेगी।

भारत के क्लाउड–एआई भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट का ऐतिहासिक निवेश

- माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना के विस्तार हेतु 17.5 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है, जो एशिया में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह राशि चार वर्षों में हाइपरस्केल डेटा सेंटर, एआई कंप्यूटिंग क्षमता और राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण पर खर्च की जाएगी। यह घोषणा सत्या नडेला और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद की गई।
- निवेश का एक प्रमुख स्तंभ कार्यबल तैयारी है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 2 करोड़ भारतीयों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और राष्ट्रीय कैरियर सेवा जैसे डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्मों में Azure AI का एकीकरण किया जाएगा। यह पहल भारत को वैश्विक एआई हब बनाने, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होगी।

इटली के व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा

- यूनेस्को (UNESCO) ने इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को आधिकारिक रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित 20वें ICH सत्र के दौरान लिया गया। इटली ने 2023 में नामांकन करते हुए अपनी पाक परंपरा को एक सामाजिक प्रथा बताया था, जो परिवारों और समुदायों को जोड़ती है।
- इटली ने अपने दावे के समर्थन में क्षेत्रीय व्यंजनों की विविधता प्रस्तुत की, जैसे लोम्बार्डी का ओसोबुको और पुगलिया का ओरेचिएट्टे कोन सिमे डि रापा। इस सत्र में भारत की दिवाली और आइसलैंड की स्विमिंग पूल सामाजिक संस्कृति को भी सूचीबद्ध किया गया। यह मान्यता दर्शाती है कि भोजन केवल स्वाद नहीं, बल्कि परंपरा, पहचान और सामुदायिक स्मृति का वाहक है।

सुप्रिया साहू को यूएनईपी 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' सम्मान

- तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को जलवायु नेतृत्व के लिए UNEP का 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके कार्यकाल में तमिलनाडु ने जलवायु शमन, अनुकूलन और हीट-एक्शन रणनीतियों में वैश्विक पहचान बनाई।
- यूएनईपी ने विशेष रूप से उनके एकीकृत शासन मॉडल और प्रकृति-आधारित समाधानों की सराहना की, जिनमें कम-तकनीक और उच्च-तकनीक उपायों का संतुलित उपयोग किया गया। इन पहलों से कमजोर समुदायों की सुरक्षा बढ़ी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई। पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने जलवायु कार्रवाई को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सम्मान दर्शाता है कि सशक्त प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी मिलकर ठोस जलवायु परिणाम दे सकती हैं।

सुजलाम भारत ऐप

- 10 दिसंबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया, जो ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में पारदर्शिता और वास्तविक-समय निगरानी को सशक्त करता है। यह ऐप जल जीवन मिशन के अंतर्गत BISAG-N के सहयोग से विकसित किया गया है।
- ऐप के माध्यम से जल स्रोतों, परिसंपत्तियों, जल गुणवत्ता, आपूर्ति विश्वसनीयता और संचालन-रखरखाव का एकीकृत डिजिटल दृश्य

उपलब्ध होगा। प्रत्येक योजना और उसके सेवा क्षेत्र को सुजलाम भारत–सुजल ग्राम आईडी दी जाएगी, जिससे योजना-घर मैपिंग स्पष्ट होगी।

- पीएम गति शक्ति GIS के साथ एकीकरण ग्रामीण जल नेटवर्क की सटीक मैपिंग को सक्षम बनाएगा। यह पहल दीर्घकालिक स्थिरता, बेहतर योजना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी।

वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का निधन

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सात बार लातूर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1991–96 के दौरान 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 2004–08 के बीच उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि 2010–15 में वे पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे।
- इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में उन्होंने रक्षा सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारियाँ निभाईं। संसदीय मर्यादाओं, प्रशासनिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया जाएगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक अनुभवी अध्याय के अवसान का प्रतीक है।

डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग आढाव

- हाल ही में प्रख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और क्रांतिकारी नेता डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग आढाव (बाबा आढाव) का 8 दिसंबर 2025 को पुणे में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे निचले तबके, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया।
- बाबा आढाव को 'हमाल पंचायत' के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से उन्होंने हमालों (कुलियों) को एकजुट कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 'एक गांव, एक पनघट' आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और सभी के लिए पानी के साझा स्रोतों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना था।
- महात्मा फुले के सत्यशोधक विचारों से प्रेरित होकर, उन्होंने कचरा बीनने वालों, रिक्षा चालकों और खेतिहर मजदूरों के लिए भी निरंतर संघर्ष किया। उन्हें 'पुण्यभूषण' और 'महाराष्ट्र फाउंडेशन जीवन गौरव' जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया था। उनका निधन महाराष्ट्र के सामाजिक आंदोलनों के एक युग का अंत है।

आंद्रेज बाबिस पुनः बने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री

- चेक गणराज्य की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अरबपति व्यवसायी आंद्रेज बाबिस (Andrej Babiš) ने 9 दिसंबर 2025 को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने उन्हें प्राग कैसल में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनकी पार्टी एक्शन ऑफ डिससैटिस्फाइड सिटीजन्स, अक्टूबर 2025 के आम चुनावों में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। जिसके बाद उन्होंने दक्षिणपंथी दलों के सहयोग से 108 सीटों का संसदीय बहुमत हासिल किया।
- बाबिस इससे पहले 2017–2021 के दौरान प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी नई सरकार का ध्यान नीति, बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, आव्रजन पर सख्त रुख और यूरोपीय संघ की ग्रीन डील नीतियों की समीक्षा पर केंद्रित है।
- यह घटनाक्रम मध्य यूरोप, विशेषकर चेक गणराज्य, में राष्ट्रवादी एवं लोकलुभावन राजनीति के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

RBI का वित्तवर्ष 2025–26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत की आर्थिक संभावनाओं को लेकर सकारात्मक संकेत देते हुए वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सकल घरेलू

उत्पाद (GDP) वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। इस संशोधन का प्रमुख आधार मज़बूत कृषि संभावनाएँ, कम होती मुद्रास्फीति, जीएसटी दरों का युक्तिकरण, कच्चे तेल की कम कीमतें तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट और बैंकिंग बैलेंस शीट हैं।

- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि और 1.7% की महंगाई दर ने अर्थव्यवस्था को एक दुर्लभ "गोल्डीलॉक्स अवधि" में पहुँचा दिया है, जहाँ न तो अधिक गर्मी है और न ही मंदी।
- सेवाओं के निर्यात के मजबूत बने रहने की संभावना है, हालांकि वस्तु निर्यात पर वैश्विक चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि त्योहारी मांग और स्थिर ग्रामीण-शहरी खपत तीसरी तिमाही में भी वृद्धि को समर्थन देगी।

डिजिलॉकर पर पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड उपलब्ध

- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विदेश मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड (PVR) को सक्षम कर दिया है। डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित एक क्लाउड-आधारित मंच है, जो नागरिकों को दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, साझा और डिजिटल रूप से सत्यापित करने की सुविधा देता है।
- अब सत्यापित PVR नागरिकों के डिजिलॉकर खाते के "जारी किए गए दस्तावेज़" अनुभाग में उपलब्ध होंगे। इससे नागरिक इन्हें यात्रा, रोजगार या अन्य अनुपालन प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत संस्थानों के साथ सहमति-आधारित तरीके से साझा कर सकेंगे।
- यह पहल कागज़ रहित शासन को बढ़ावा देने, भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करने और समय व संसाधनों की बचत सुनिश्चित करने में सहायक होगी। डिजिटल रूप से जारी PVR छेड़छाड़-रहित, सुरक्षित और प्रामाणिक होंगे, जिससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वास मजबूत होगा।

वरिष्ठ अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का निधन

- प्रख्यात वरिष्ठ अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 7 दिसंबर को 82 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1942 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेरहामपुर में हुआ था। उन्होंने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII), पुणे से अभिनय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी।
- उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में तपन सिन्हा निर्देशित फिल्म अपंजन से हुई। इसके बाद उन्होंने प्रतिद्वंदी, सगीना महतो, धन्नी मेये, सफेद हाथी, पार और कहानी जैसी अनेक उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया।
- अपने लंबे और विविध करियर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। इसके अलावा, वे कई टेलीविजन धारावाहिकों और एक वेब सीरीज़ का भी हिस्सा रहे। उनका निधन भारतीय सिनेमा, विशेषकर बंगाली फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

रोहित शर्मा ने पूरे किए 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन

- भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने यह मुकाम 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान हासिल किया। यह उपलब्धि टेस्ट, वनडे और टी20—तीनों प्रारूपों में उनके निरंतर प्रदर्शन का परिणाम है।
- पिछले एक दशक से अधिक समय से रोहित शर्मा भारत के लिए नियमित सलामी बल्लेबाज़ रहे हैं और सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। इसी श्रृंखला में उन्होंने सर्वाधिक वनडे छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
- 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने के साथ ही रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों की

विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं। हालांकि, सबसे तेज़ 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब भी विराट कोहली के नाम दर्ज है।

भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025

- भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमौ शक्ति 2025' (HARIMAU SHAKTI 2025) का आयोजन 5 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक किया गया। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ।
- इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन और रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के सैनिकों ने भाग लिया। 14 दिनों तक चले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्ध-रेगिस्तानी और अर्ध-शहरी वातावरण में आतंकवाद-रोधी (Counter-Terrorism) अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और तालमेल को बढ़ाना था।
- अभ्यास के दौरान संयुक्त गश्त, घेराबंदी और तलाशी अभियान (Cordon and Search) तथा हेलीबोर्न ऑपरेशंस का गहन अभ्यास किया गया। यह अभ्यास भारत की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति को मजबूती प्रदान करता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। दोनों देशों के बीच यह सैन्य सहयोग 2012 में शुरू हुआ था, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन

- मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल और प्रख्यात विधिवेत्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 12 जुलाई 1952 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था। स्वराज कौशल को वर्ष 1990 में मिज़ोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उस समय वे मात्र 37 वर्ष के थे, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के राज्यपाल बने। उन्होंने 1993 तक इस पद पर कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में संवैधानिक स्थिरता, प्रशासनिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्वराज कौशल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। वे कानूनी एवं संवैधानिक मामलों के गहन जानकार थे और उनकी पहचान एक विद्वान तथा संवेदनशील प्रशासक के रूप में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया।

महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक

- महिला, शांति और सुरक्षा (Women, Peace and Security – WPS) सूचकांक 2025/26 की वैश्विक रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। यह सूचकांक जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी तथा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। इसमें 181 देशों का आकलन समावेशिता, न्याय और सुरक्षा, इन तीन प्रमुख आयामों के आधार पर किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष लगभग 676 मिलियन महिलाओं ने संघर्ष की स्थितियों का सामना किया, जो 2010 की तुलना में 74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पर रहा, जो महिलाओं की स्थिति में क्रमिक लेकिन असमान प्रगति को दर्शाता है। डेनमार्क सूचकांक में पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आइसलैंड और नॉर्वे हैं। अफ़गानिस्तान सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। वहीं, बेहतर मातृ मृत्यु दर के कारण अमेरिका की रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया है।

14वां भारत-मालदीव सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन'

- भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' (EKUVERIN) का 14वां संस्करण हाल ही में 2 से 15 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुआ। इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया।

- इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के 45-45 जवानों ने हिस्सा लिया। 14 दिनों तक चले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जंगल, अर्ध-शहरी और तटीय क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी (Counter-Terrorism) और उग्रवाद-रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और परिचालन क्षमता (Interoperability) को बढ़ाना था।
- 'एकुवेरिन' शब्द का धिवेही भाषा में अर्थ 'मित्र' होता है। यह अभ्यास 2009 से दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ भारत की 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत ने 2026 एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के लिए किया क्वालीफाई

- भारतीय पुरुष अंडर-17 फुटबॉल टीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 2026 एएफसी अंडर-17 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अहमदाबाद के ईकेए एरिना में आयोजित क्वालीफायर मुकाबले में भारत ने ईरान को 2-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ भारत के कुल अंक सात हो गए, जो ईरान के बराबर थे, लेकिन आमने-सामने के मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन के कारण भारत ग्रुप-डी में शीर्ष पर रहा।
- यह टूर्नामेंट 7 से 24 मई 2026 के बीच सऊदी अरब में आयोजित होगा और इसका यह 21वां संस्करण होगा। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीम को बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम 2026 में एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी राष्ट्रीय टीम बनी है। इससे पहले सीनियर महिला, अंडर-20 महिला और अंडर-17 महिला टीमें भी इस प्रतियोगिता में जगह बना चुकी हैं, जो भारत में जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास का संकेत है।

सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 में भारत उपविजेता

- भारतीय पुरुष हॉकी टीम मलेशिया के इपोह में आयोजित प्रतिष्ठित सुल्तान अज़लान शाह कप में उपविजेता रही। फाइनल मुकाबले में भारत को बेल्जियम के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच का एकमात्र गोल बेल्जियम के थिब्यू स्टॉकब्रोक्स ने किया, जिससे बेल्जियम ने अपना पहला सुल्तान अज़लान शाह कप खिताब जीता।
- इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपेक्षाकृत युवा थी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद टीम का फाइनल तक पहुँचना सराहनीय रहा। यह भारत का इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरा उपविजेता प्रदर्शन है; इससे पहले 2019 में भी भारत फाइनल में हारा था। पाँच बार की चैंपियन भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया के बाद इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम है। भारत की आखिरी खिताबी जीत 2010 में हुई थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम "सेवा तीर्थ"

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नया नाम "सेवा तीर्थ" रखा है, जो शासन में सेवा-भाव और जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके साथ ही "राजभवन" और "राज निवास" का नाम बदलकर क्रमशः "लोक भवन" और "लोक निवास" किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन नाम परिवर्तनों को सेवा-उन्मुख और विकसित भारत की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम बताया।
- प्रधानमंत्री कार्यालय अब साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित होकर 'सेवा तीर्थ-1' नामक अत्याधुनिक परिसर में कार्य करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-I में स्थित है।
- इसी परिसर में आगे चलकर सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 में कैबिनेट सचिवालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा। इससे पहले भी राजपथ को कर्तव्य पथ और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय को वर्ष 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था और यह प्रधानमंत्री को सचिव सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से आईएनएस तारागिरी के बारे में कौन-सा/कौन-से कथन सही हैं?

1. आईएनएस तारागिरी, प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथी P-17A फ्रिगेट है।
2. यह CODOG प्रणोदन प्रणाली (Combined Diesel or Gas) का उपयोग करती है, जिसमें नियंत्रित पिच वाले प्रोपेलर हैं।
3. इसके निर्माण और सिस्टम में 100% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
4. इसका नाम भारतीय नौसेना की पूर्व लीएंडर-क्लास फ्रिगेट के नाम पर रखा गया है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,2 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से हथियार/सिस्टम आईएनएस तारागिरी के शस्त्र और सेंसर सूट का हिस्सा हैं?

1. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
2. मल्टी-फंक्शन राडार (MF-STAR)
3. मीडियम-रेंज SAM सिस्टम (MRSAM)
4. बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (BMD)

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

3. निम्नलिखित में से कौन-से कथन ऑपरेशन सागर बंधु (Operation Sagar Bandhu) के बारे में सही हैं?

1. यह भारत द्वारा श्रीलंका में आये चक्रवात दितवाह के जवाब में शुरू किया गया था।
2. ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को तैनात किया।
3. इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के 80 से अधिक कर्मियों की तैनाती शामिल थी।
4. चक्रवात दितवाह एक मध्य भूमध्य सागर क्षेत्र (Mediterranean region) में उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय (Extratropical) साइक्लोन था।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

4. निम्नलिखित में से कौन-से कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones) के बारे में सही हैं?

1. उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों में बनते हैं, जहाँ सतह का तापमान 27°C से अधिक होता है।
2. ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में (clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत (anticlockwise) घूमते हैं।
3. उत्तर भारतीय महासागर में चक्रवातों के नाम WMO के अंतर्गत आठ देशों के समूह द्वारा दिए जाते हैं।
4. हरिकेन (Hurricane), तुफान (Typhoon), और विली-विलीज़ (Willy-willies) उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्रीय नाम हैं।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

5. ग्रेट निकोबार द्वीप की जैव विविधता (Biodiversity) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही हैं?

1. ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फियर (MAB) प्रोग्राम में शामिल किया गया है।
2. इस द्वीप पर 1,800 से अधिक जीव-जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लगभग 24% प्रजातियां स्थानिक (endemic) हैं।
3. ग्रेट निकोबार पर विकास परियोजनाओं के लिए शॉम्पेन या निकोबारी जनजातीय समुदायों से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।

सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केवल संप्रभु राज्य ही WHO के सदस्य बनने के पात्र हैं।
2. WHO विश्व का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी स्वास्थ्य संगठन है।
3. WHO की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को स्वतः प्रदान कर दी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

7. डिजिटल अरेस्ट स्कैम" के संदर्भ में, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उजागर किया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डिजिटल अरेस्ट स्कैम आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों का प्रतिरूपण करने और वीडियो कॉल पर फर्जी पूछताछ करने से जुड़े होते हैं।
2. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को DSPE अधिनियम के तहत सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों में भी इन स्कैमों की जांच करने का अधिकार दिया है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह AI/ML आधारित प्रणालियाँ विकसित करे ताकि म्यूल अकाउंट्स और मनी लेयरिंग जैसे संदिग्ध पैटर्न का पता लगाया जा सके।
4. भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

इनमें से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

8. डीपफेक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डीपफेक मुख्य रूप से जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स (GANs) जैसी मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।
2. डीपफेक का उपयोग केवल दृश्य (छवि और वीडियो) हेरफेर के लिए किया जा सकता है और इसे ऑडियो सामग्री पर लागू नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

9. डीपफेक तकनीक द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से लोकतांत्रिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए संभावित जोखिम हैं?

1. चुनावों के दौरान गलत सूचना फैलाने के लिए राजनीतिक भाषणों में हेरफेर।
2. सिंथेटिक वॉइस तकनीक का उपयोग करके व्यक्तियों की प्रतिरूपण (इम्परसनेशन) के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1

B: केवल 2

C: 1 व 2 दोनों

D: कोई नहीं

10. भारत की निम्नलिखित पर्यावरणीय पहलों और नीतियों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन — ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने और हाइड्रोजन वैलीज़ को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।
2. 2G एथेनॉल कार्यक्रम — कृषि अपशिष्ट को एथेनॉल में परिवर्तित करके उन्नत जैव-ईंधनों को समर्थन देता है।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) — 2035 तक कण प्रदूषण में 40% की कमी लाने का लक्ष्य।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

11. उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (Emerging Technologies) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्वांटम कंप्यूटिंग क्विबिट्स पर निर्भर करती है, जो सुपरपोज़िशन के कारण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं।
2. ब्लॉकचेन तकनीक अपनी विकेन्द्रीकृत प्रकृति के कारण किसी भी सहमति तंत्र (Consensus Mechanism) की आवश्यकता समाप्त कर देती है।
3. एज कंप्यूटिंग डेटा को उसके स्रोत के निकट प्रोसेस करके विलंब (Latency) को कम करती है, अपेक्षाकृत केंद्रीकृत क्लाउड सर्वरों पर निर्भर होने के।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

12. भारत में व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. व्यक्तित्व अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध (codified) हैं।
2. इनमें किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़ और समानता (likeness) पर नियंत्रण शामिल है।
3. वाणिज्यिक (commercial) और गैर-वाणिज्यिक (non-commercial) दोनों प्रकार के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यक्तित्व अधिकारों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हो सकता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

13. राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (OCND) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संगठित अपराध नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए एक एआई-आधारित (AI-powered) विश्लेषणात्मक मंच है।
2. इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा राज्य पुलिस बलों और नैटग्रिड (NATGRID) के सहयोग से विकसित किया गया है।
3. यह संगठित अपराध के लिए विशेष रूप से बनाया गया भारत का पहला राष्ट्रीय-स्तरीय डेटाबेस है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई K-4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) है।
2. इसमें दो-चरणीय ठोस-ईंधन (two-stage solid-fuel) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया है।
3. इसकी मारक क्षमता (रेंज) लगभग 1,500 किमी है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

15. आईएनएस अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है।
2. यह भारत द्वारा कमीशन की गई पहली SSBN है।
3. यह INS अरिहंत की तुलना में अधिक दूरी तक मार करने वाली SLBM तैनात करने में सक्षम है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

16. मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मलेरिया प्लाज़्मोडियम (Plasmodium) वंश के प्रोटोज़ोआ परजीवियों के कारण होता है।
2. इसका संचरण नर (male) एनोफिलीज़ मच्छरों द्वारा होता है।
3. भारत में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) और प्लास्मोडियम विवैक्स (Plasmodium vivax) सबसे सामान्य प्रजातियाँ हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

17. राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड अधिकृत एजेंसियों के बीच डेटा के रीयल-टाइम साझा करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म है।
2. राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी।
3. राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड सीधे नागरिकों से डेटा एकत्र करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

18. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संधारित किया जाता है।
2. इसे 2011 की जनगणना के दौरान पहली बार तैयार किया गया था।
3. इसमें नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, और 3

19. ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (ब्लूबर्ड-6) उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस उपग्रह को इसरो की निगरानी में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।
2. इसे सामान्य स्मार्टफोनों को सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. यह निरंतर उच्च-गति कवरेज के लिए बड़े फेज़्ड-ऐरे एंटेना का उपयोग करता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

20. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतरिक्ष क्षेत्र के चुनिंदा क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है।
2. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।
3. इसरो की भूमिका को केवल वाणिज्यिक मिशनों तक सीमित कर देती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

21. PESA महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह महोत्सव विशाखापट्टनम में दो दिनों तक आयोजित किया गया था।
2. सभी दस PESA राज्यों की जनजातीय समुदायों ने भाग लिया।
3. झारखंड ने महोत्सव के दौरान अपने PESA नियमों को अधिसूचित किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

22. पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों पर आधारित है?

A: सरकारिया आयोग

B: भूरिया समिति

C: पंछी आयोग

D: कोठारी आयोग

23. ब्यूरो ऑफ पोर्ट सुरक्षा (BoPS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
2. यह एक नियामक और पर्यवेक्षी निकाय है, न कि कोई परिचालन बल।
3. इसका क्षेत्राधिकार प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों बंदरगाहों तक फैला हुआ है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

24. भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समझौते के अंतर्गत न्यूज़ीलैंड भारत के सभी निर्यात टैरिफ लाइनों पर शून्य-शुल्क (Zero-duty) पहुँच प्रदान करेगा।

2. भारत ने न्यूज़ीलैंड के सभी निर्यातों पर टैरिफ को पूर्णतः उदार बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
3. भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों को इस समझौते से महत्वपूर्ण लाभ होने की अपेक्षा है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

25. आईएनएस अंजदीप (INS Anjadip) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वदेशी रूप से अभिकल्पित एवं निर्मित एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है।
2. इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा किया गया है।
3. यह ASW-SWC जहाजों की माही (Mahe) श्रेणी से संबंधित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

26. अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग दो अरब साल पहले हुई थी।
2. यह एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है।
3. चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं।
4. अरावलियों में अत्यधिक खनन और पत्थर काटने से NCR में भूजल की कमी और वायु प्रदूषण बढ़ा है।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

27. अरावली संरचनाओं की सर्वोच्च न्यायालय-स्वीकृत परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक अरावली पहाड़ी को ऐसे स्थल रूप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आसपास के स्थानीय ऊँचाई स्तर से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठती हो।
2. एक अरावली श्रृंखला दो या अधिक पहाड़ियों से मिलकर बनती है, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों।
3. यह परिभाषा पहले विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ढाल-आधारित और बफर-आधारित मानदंडों की जगह लेती है।
4. यह परिभाषा अरावली क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाती है।

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

28. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के राष्ट्रीय उपचार (National Treatment) सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि बाज़ार में प्रवेश करने के बाद आयातित वस्तुओं के साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार न किया जाए।
2. यह केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होता है, सेवाओं या बौद्धिक संपदा पर नहीं।
3. इसका उद्देश्य आंतरिक करों और विनियमों के माध्यम से संरक्षणवाद को रोकना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

29. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. यह युवाओं को निःशुल्क, परिणाम-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।
3. यह राज्यों के साथ संयुक्त रूप से लागू की जाने वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

30. लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ठोस (Solid), द्रव (Liquid) और क्रायोजेनिक (Cryogenic) प्रणोदन का उपयोग करने वाला एक त्रि-चरणीय प्रक्षेपण यान है।
2. यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) की तुलना में अधिक भारी पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में स्थापित कर सकता है।
3. इसका विकास मुख्य रूप से भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किया गया था।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

31. विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025(VB G RAM G बिल) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का स्थान लेता है।
2. यह प्रति ग्रामीण परिवार अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को बढ़ाता है।
3. यह मनरेगा की तरह ही खुली-समाप्ति (ओपन-एंडेड), मांग-आधारित वित्तीय संरचना को बनाए रखता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

32. VB G RAM G बिल, 2025 के अंतर्गत वित्त पोषण संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना केंद्र-प्रायोजित कार्यक्रम है।
2. अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र–राज्य वित्त पोषण अनुपात 60:40 है।
3. मानक आवंटन (Normative Allocation) से अधिक होने वाले किसी भी व्यय को केन्द्र को वहन करना होगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

33. DHRUV64 माइक्रोप्रोसेसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 64-बिट डुअल-कोर माइक्रोप्रोसेसर है।
2. यह 1.0 GHz की क्लॉक स्पीड पर कार्य करता है।
3. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

34. विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (World Anti-Doping Agency – WADA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. WADA की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।
2. यह केवल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है।
3. इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

35. जैविक हथियार अभिसमय (Biological Weapons Convention – BWC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला बहुपक्षीय समझौता है।
2. इसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी सत्यापन एवं निरीक्षण तंत्र शामिल है।
3. यह 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, और 3

36. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
2. इसे भारत में 1991 से मनाया जा रहा है।
3. इसका समन्वय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

37. भारत के विद्युत क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2025 में लगभग 505 GW थी।
2. स्थापित क्षमता का अधिकांश हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है।
3. गैर-जीवाश्म क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा नाभिकीय ऊर्जा का है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

38. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. NCBC संविधान के अनुच्छेद 338B के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. NCBC को केंद्रीय OBC सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है।
3. केंद्र सरकार, NCBC द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1

D: 1, 2, और 3

39. गूगल के प्रोजेक्ट सन्कैचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य सैटेलाइट कंसटेलशन्स (उपग्रह समूह) का उपयोग करके अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा-संचालित डेटा सेंटर तैनात करना है।
2. यह अंतरिक्ष-आधारित कम्प्यूटेशन के लिए गूगल के टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs) के उपयोग का प्रस्ताव करता है।
3. इसका मुख्य आधार अंतरिक्ष में बिजली की सीमाओं को दूर करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

40. शांति अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है।
2. यह राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति देता है।
3. इसका उद्देश्य मौजूदा परमाणु ऊर्जा कानूनों को एक एकीकृत कानूनी ढांचे में समाहित करना है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

41. शांति अधिनियम की परमाणु विस्तार रणनीति निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय लक्ष्यों से निकट रूप से जुड़ी हुई है?

1. वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना
2. वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (नेट-ज़ीरो) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना
3. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

42. पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया एक डिजिटल मॉनिटरिंग उपकरण है।
2. यह आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण संकेतकों को ट्रैक करता है।
3. पोषण ट्रैकर (2025) के अनुसार, मापे गए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से एक-तिहाई से अधिक बच्चे अवरुद्ध वृद्धि (stunted) से प्रभावित हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

43. भारतीय विधिक ढाँचे के तहत भौगोलिक संकेतक (GI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

1. भारत में जीआई पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है और इसे अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
2. भारत में जीआई संरक्षण Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 के तहत प्रदान किया जाता है।
3. जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है।

सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

44. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. BNHS की स्थापना 1883 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना वन्यजीव अनुसंधान और संरक्षण संगठन है।
2. BNHS को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (SIRO) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
3. BNHS केवल पक्षी विज्ञान (ornithology) पर केंद्रित है और अन्य प्रजातियों या आवासों पर अनुसंधान नहीं करता।
4. BNHS, BirdLife International का साझेदार है और पक्षियों की जनसंख्या की निगरानी के लिए सलीम अली बर्ड काउंट का आयोजन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,2 और 4
C: केवल 2,3 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

45. दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शिखर सम्मेलन 2000 में स्थापित सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगाँठ के साथ संरेखित है।
2. दोनों देशों के बीच साझेदारी को 2010 में "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी" (Special and Privileged Strategic Partnership) के रूप में उन्नत किया गया था।
3. यह शिखर सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारत–रूस रक्षा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत, रूसी रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा बाज़ार है।
2. 2017 में, भारत के दो-तिहाई से अधिक सैन्य हार्डवेयर आयात रूस से आए थे।
3. रूस 2010 के बाद ही भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बना।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून में भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
2. भारत गैर-प्रत्यावर्तन (Non-Refoulement) के सिद्धांत का कानूनी रूप से पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है।
3. भारत के पास एक व्यापक घरेलू शरणार्थी कानून है, जो शरणार्थियों को अन्य विदेशियों से अलग पहचान देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत अयोग्यता के आधार हैं?

1. स्वेच्छा से पार्टी सदस्यता छोड़ देना
2. पार्टी के निर्देशन (व्हिप) के विरुद्ध बिना अनुमति के मतदान करना
3. किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों का दल-बदल करना
4. स्वतंत्र (Independent) सदस्य का चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होना
5. मनोनीत (Nominated) सदस्य का सीट संभालने के 6 महीने के भीतर किसी दल में शामिल होना

सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,2, 3 और 4

C: केवल 1,2, 4 और 5

D: 1, 2, 3, 4 और 5

49. भारत में प्राइवेट मेंबर बिल (PMBs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्राइवेट मेंबर बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
2. PMBs को पेश करने से पहले एक महीने का नोटिस देना अनिवार्य है।
3. भारत में पहली बार पारित प्राइवेट मेंबर बिल मुस्लिम वक्फ़ (Muslim Wakfs) से संबंधित था।

इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. श्योक टनल (Shyok Tunnel) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह दारबुक–श्योक–दौलत बेग ओल्डी (DS-DBO) सड़क पर स्थित है।
2. यह दारबुक और दौलत बेग ओल्डी को एक भूस्खलन-प्रवण मार्ग को बायपास करके जोड़ता है।
3. यह लगभग 12,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	B	11	B	21	A	31	A	41	A
2	C	12	C	22	B	32	A	42	D
3	C	13	D	23	C	33	A	43	D
4	B	14	A	24	B	34	B	44	B
5	A	15	B	25	A	35	C	45	A
6	A	16	B	26	D	36	A	46	A
7	C	17	A	27	C	37	A	47	A
8	A	18	A	28	B	38	C	48	C
9	C	19	C	29	A	39	A	49	C
10	A	20	A	30	D	40	B	50	D

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद
TEST SERIES PROGRAMME

UPPCS

PRELIMS TEST SERIES 2026

11th JAN 2026

9:30 AM OFFLINE / ONLINE MODE

TOTAL TEST-23

Sectional : 06
Full Length : 14
Csat : 03

For Online Admission
Online App: Dsc.dhyeya

LUCKNOW

☎ 7619903300 — ALIGANJ
☎ 7570009003 — GOMTI NAGAR
☎ 8853467068 — PRAYAGRAJ